



ज्ञानमण्डल लिमिटेडका ९६वाँ ग्रन्थ

कुछ स्मृतियाँ

और

कुछ स्फुट विचार

सम्पूर्णानन्द

वाराणसी

ज्ञानमण्डल लिमिटेड

मूल्य : छ/रुपये  
प्रथम वार, माघ, सं० २०११

नमण्डल लिमिटेड, कवीरचौरा, वाराणसी, १९६२  
नका० क—जानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी (बनारस)—१  
मुद्रक—ओम्प्रकाश कपूर, जानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी ५८९७-१८



लेखक





## भूमिका

यह पुस्तक मेरी आत्म-कथा नहीं है। मुझमें अपना या किसी दूसरे-का जीवन-चरित लिखनेकी योग्यता है, इसमें भी सन्देह है। फिर, मैंने अपने और अपने परिवारके सम्बन्धमें यथाशक्य कम चर्चा करनेका प्रयास किया है। कुछ न लिखना सम्भव नहीं था। एक तो कौटुम्बिक परिस्थितियोंका समस्त जीवनपर प्रभाव पडता है और उनका थोडा-सा जिक्र कर देनेसे बहुत-सी घटनाओपर प्रकाश पड जाता है। जिस मनुष्य-का जीवन सार्वजनिक क्षेत्रमें बीता है उसके सम्बन्धमें कुछ बातें यों ही फैल जाती हैं। अतः आत्मचरित न होते हुए भी, कुछ-न-कुछ अपने सम्बन्धमें लिखना ही पडा है। उसे बचाया नहीं जा सकता था।

यह प्रश्न उठ सकता है कि मैंने इन सस्मरणोंको, अपने शब्दोंमें स्मृतियोंको, लेखबद्ध किया ही क्यों। जिस अवधिके भीतरकी घटनाओका इसमें उल्लेख है उसके विषयमें कई महान् नेताओके सस्मरण और जीवनचरित निकल चुके हैं। मेरा अनुभव उनसे अधिक गम्भीर और व्यापक नहीं हो सकता। यह आक्षेप ठीक है। परन्तु इन बातोंका एक और पहलू भी है। बड़े नेताओको अपने स्तरका ही यथार्थ जान हो सकता था। उससे नीचेकी बातें तो वह दूसरोंसे सुन-सुनाकर ही जान सकते थे। जो जितना ही ऊपर उठा वह उतना ही नीचेके स्तरसे, गाँवों और शहरोंके मुहल्लोंमें काम करनेवाले कार्यकर्ताओसे दूर होता गया। उसके सामने देशव्यापी समस्याएँ होती थीं, उनको सुलझानेमें ही उसका समय लग जाता था। ऐसे लोगोंके अध्यवसायमें आज देश स्वतन्त्र है।

परन्तु मकानमे छत ही नहीं होती, खम्भे भी होते हैं। प्रधान सेनापतिके साथ-साथ छोटे सेनानायकोंकी भी आवश्यकता होती है। मैं उन छोटे सेनानायकोंमेसे, दूसरी कोटिके कार्यकर्ताओंमेसे, एक हूँ। मैं अपने जैसे लोगोकी बात कर सकता हूँ। हमारे सामने भी समस्याएँ होती थीं, दायित्व होता था। हमने नगरों, जिले और प्रदेशोका भार अपने कंधों-पर उठाया है। युद्धकालमे भी बड़ी जिम्मेदारियाँ ओढ़ी हैं और स्वराज्य-प्राप्तिके बाद शासन सँभालनेमे भी। बड़े नेताओने जो नीतियाँ निर्धारित की हो उनको जनताके पासतक पहुँचाने और कार्यान्वित करानेका भार हमको ही उठाना पडता रहा है। इसलिए हमारी अनुभूतियोका भी मूल्य है। उनको छोड़ देनेसे उस कालका इतिहास अपूर्ण रह जायगा। यदि हम नीचेके कांग्रेसकर्ताके अनुभवोकी भी थाह पा सकते तो और भी अच्छा होता। लडता तो सैनिक ही है। ऊपरका सारा बोझ वही उठाता है। उन लाखो अज्ञातनामा कांग्रेस स्वयंसेवकोंके ही त्याग और तपस्याका पुरस्कार देशको स्वराज्यके रूपमे मिला है।

अस्तु, मैंने अपने वर्गके कार्यकर्ताओके चरितो और आपकीतियोका कुछ दिग्दर्शन कराया है। प्रायः उन्ही बातोका उल्लेख किया गया है जिनकी मुझको निजी जानकारी है या जिनसे मेरा कुछ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है। इसलिए बहुत-सी घटनाएँ छोड़ दी गयी हैं। साथ ही कुछ ऐसी बातोका चर्चा है जिनसे मेरा निजी सम्बन्ध नहींके बराबर था परन्तु मेरे जैसे लोगोकी स्मृतियोमे उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। उदाहरणके लिए, मैंने देशके विभाजनका जिक्र किया है। उस घटनाने हम सबके हृदयोको आलोडित किया था, मर्मान्तप्रभाव डाला था। आजतक वह घाव बना हुआ है। उसका चर्चा होना ही चाहिये था।

पुस्तकमें कई ऐसी बातें मिलेंगी जो मेरे बहुत-से पाठकोके लिए अपरिचित होगी। गण्यमान्य व्यक्तियोकी कहीं-कहीं आलोचना भी मिल सकती है। इस विषयमें मेरा इतना ही निवेदन है कि ऐसी पुस्तक केवल इतिहासकी सामग्री प्रस्तुत करनेके भावसे लिखी जाती है, रागद्वेषसे

प्रेरित होकर नहीं। जिन लोगोसे मैंने तीव्र मतभेद प्रकट किया है उनमेंसे प्रायः सब ही मेरे आदरणीय मित्र हैं।

अन्तमें मैंने कुछ प्रश्नोंके सम्बन्धमें अपने विचार दिये हैं। यह विचार यत्र-तत्र समय-समयपर जनताके सामने आते रहे हैं। मे समझता हूँ उनको एकत्र करके इस पुस्तकमें दे देना एक प्रकारका उपयोगी परिशिष्ट जोड़ देना है। मेरी सम्मतियों और मेरे खन्तोंका चाहे और कोई मूल्य न हो परन्तु वह उस व्यक्तिके भस्तिष्कपर प्रभाव डालती है जिसकी यह स्मृतियाँ हैं।

लखनऊ

२७-८-६१

—सम्पूर्णानन्द





## अनुक्रम

: १ :-	जीवनके पहिले कुछ वर्ष	१ - ६
: २ :-	१९०५ से १९११	७ - १४
: ३ :-	श्री गुरवे नमः	१५ - २५
: ४ :-	१९११ से १९२०	२६ - ३४
: ५ :-	कांग्रेसकी सदस्यता	३५ - ४४
: ६ :-	१९२१ से १९२२	४५ - ६५
: ७ :-	कम्युनिज्मसे पहिली भेंट	६६ - ७३
: ८ :-	१९२३ से १९२९	७४ - ८४
: ९ :-	१९३० से १९३२	८५ - १०८
: १० :-	कुछ अर्द्धराजनीतिक काम (३३-३४)	१०९ - ११३
: ११ :-	कांग्रेस समाजवादी दल	११४ - १३२
: १२ :-	हमारी राष्ट्रभाषा	१३३ - १४३

: १३ :	प्रथम कांग्रेस सरकार ..	१४४ - १५३
: १४ :	चुभती सुइयों ..	१५४ - १६२
: १५ :	अन्तिम युद्धके ठीक पहिले ...	१६३ - १६८
: १६ :	१९४२ ...	१६९ - १८४
: १७ :	श्रद्धाञ्जलि ...	१८५ - १९२
: १८ :	आइ० एन० ए०—भारतीय राष्ट्रीय सेना .	१९३ - २०२
: १९ :	अगले दो साल ...	२०३ - २०७
: २० :	१९४६ से १९६० ...	२०८ - २१८
: २१ :	कुछ स्वगत विरोध ..	२१९ - २२४
: २२ :	लोकतन्त्र ...	२२५ - २३४
: २३ :	जीवन-दर्शनका अभाव ...	२३५ - २४४
: २४ :	गाँवके लिए नियोजन ...	२४५ - २४९
: २५ :	मेरे कुछ खन्त ...	२५० - २५६

मैं समझता हूँ कि मेरे जीवनके प्रारम्भिक वर्षोंमें स्यात् ही कोई विशेषता थी। उत्तरभारतके बड़े नगरोंमें रहनेवाले निम्न-मध्यमवर्गके परिवारों जैसा हमारा भी परिवार था। हाँ, इतना अव्यय था कि हम काशीके रहनेवाले थे और मेरे माता-पिता पक्के सनातनधर्मावलम्बी थे। इसलिए हमारे घरका पर्यावरण निश्चय ही धार्मिक था। हमारा मकान मुहल्ला जालिपादेवीमें था, पासमें ही देवीका मन्दिर था। बड़ा-सा नीमका पेड़ था। उसीमें एक उभरा हुआ-सा हिस्सा था। उसीपर मुखौटा चढा दिया गया था और किसी प्रकारकी मूर्ति नहीं थी। आस-पास घनी बस्ती थी। खेलनेके लिए कहो पासमें खुली जगह न थी। जहाँ आजकल पार्क है वहाँ कूड़ेका ढेर था। लोग नाक दबा कर निकलते थे। मुहल्लेमें लडके सड़कपर गोली खेल लेते थे, पर मुझे उनके साथ खेलनेकी अनुमति नहीं थी। बस एक ही खेल था : रामलीलाके दिनोमें जो कुछ देखा जाता था उसे यथाशक्य घरपर दुहराना।

इतनेपर भी स्वास्थ्य अच्छा था। इसका एक ही कारण हो सकता था। सस्तीके दिन थे। हम खाना अच्छा खाते थे। दूध-घी सभी शुद्ध मिलता था और पर्याप्त। मन्त्री होनेके बाद रूपयोमें मेरी आय काफी अधिक हो गयी। मेरे पिताजीका अधिकतम वेतन २०० रु० था, मैं १,१०० रु० ले रहा था। पर मैं यह जानता हूँ कि मैंने जैसा खाना अपने लडकपनमें खाया था वैसा अपने घरके लडके-बच्चोंको नहीं दे सका।



हम लोग प्रायः निरामिषभोजी थे। 'प्रायः'का अर्थ यह है कि मेरी माता तो पूर्णतया निरामिषभोजी थी परन्तु पिताजी देवीको बलि दिया हुआ मांस खा लेते थे। ऐसा प्रसाद उनको सालमें तीन-चार बार ही मिलता था। मैं भी उनके साथ खाता था। सन् १९०२ में जब मैं बाराह वर्षका था (मेरा जन्म पाप शुक्ल ११, सवत् १९४६, तदनुसार १ जनवरी १८८९ ई० को हुआ था), हमारे नगरमें हैजेका बड़ा प्रकोप हुआ। हजारों मृत्युएँ हुईं। हमारा परिवार भी अछूता नहीं छूटा। मेरी दो बहिनोंकी मृत्यु हुई। तीन ओर व्यक्ति बीमार पड़े परन्तु अच्छे हो गये। रोगके शान्त होनेपर पिताजी और उनके कई मित्र विन्ध्याचल दर्शन करने गये। मैं भी साथ गया। दो बकरे बलि दिये गये। मैं खड़ा देख रहा था। उनका मांस बना, सबने खाया, मैंने भी खाया। कुछ बचाकर घर लाया गया। फिर बना और खाया गया, मैंने भी खाया। इसके दो-तीन दिन बाद एकाएक आधी रातके लगभग आँख खुल गयी। वह बलि देनेका दृश्य आँखोंके सामने घूम गया, विशेषतः उन बकरोकी दयाकी भिक्षा माँगती हुई आँखें मेरी आँखोंमें चुम गयीं। विचित्र कॅपकॅपो-सी हुई। वह चित्र अब भी भूला नहीं है। उस दिनसे मैंने फिर मांस नहीं खाया।

उन दिनों कायस्थ घरानोंमें पढाई उर्दूसे आरम्भ होती थी। पण्डितजी कुछ पूजा कर दिया करते थे परन्तु मुख्य काम किन्हीं मौलवीके ही हाथों होता था। मेरे पिताजीको यह बात पसन्द नहीं थी। उन्होंने मेरी पढाई हिन्दीसे आरम्भ की। स्वयं पढाते थे। तीन-चार पुस्तकोंके बाद उर्दू शुरू की गयी परन्तु हिन्दी छूटी नहीं। वह भी साथ-साथ चलती रही। उर्दू अधिक तो पढी नहीं जाती थी, शीघ्र ही फारसीमें लग जाते थे। मुझे फारसी पढानेके लिए मौलवी मुईनुद्दीन अहमद नामके विद्वान् नियुक्त हुए। बड़े ही सज्जन थे। मुझे बहुत मानते थे। मैं उनके घर भी जाता था। यह सब था, परन्तु शरारतके लिए पिटाता भी था। एक बार मौलवी साहब नमाज पढ रहे थे। मैंने भी उनके बगलमें उठना-बैठना शुरू किया।

उनको हँसी आ गयी। नमाज रोका, मेरे कान पकड़ कर हटाया, फिर नमाज जारी की। ऑगनमें एक ताकपर चीनीकी तश्तरी और शीशेका गिलास रखा रहता था। जब मौलवी साहबको कुछ खाना होता था तो मैं ही बर्तन साफ करता था। उनका हुक्का भी मैं ही भरता था। एक बार उन्होंने मुझे कुछ दण्ड दिया था उससे कुढ़ कर मैंने हुक्केमे मिट्टीका तेल डाल दिया। यह काम मेरे मामू साहबने देख लिया। उन्होंने चट एक कविता बनाकर सारे घरमें प्रकाशित कर दी। उसकी दो पक्तियाँ अब भी याद हैं :

हुआ जाता है बुन्दा क्या तेरा हाल

ढेवरोमेंसे तेल चुराके हुक्केमें तुम देते हो डाल।

(मेरा पुकारनेका नाम बाबूनन्दन था, वही कवितामें बुन्दा हो गया।)

मैंने तीन-चार साल फारसी पढ़ी। फिर मौलवी साहबका देहान्त हो गया। उनकी मृत्युसे हम लोगोंको बहुत दुःख हुआ। उस दिन मेरे छोटे भाई अन्नपूर्णानन्दका मुण्डन था। घरपर गाना-बजाना सब बन्द कर दिया गया। मौलवी साहबके अतिरिक्त एक मास्टर साहब भी थे और फिर पिताजी भी यदा-कदा पढाया करते थे। उन दिनों ताडन शिक्षाका माध्यम माना जाता था। पढने-लिखनेमे तो बुरा नहीं था परन्तु राम-लीलाका नशा कभी-कभी काममे बाधक हो जाता था। घरसे करनेके लिए हिसाब आदि धरे रह जाते थे और दण्ड भोगना ही पडता था।

स्कूलमें भर्ती होनेके पहिले मैं कुछ धार्मिक पुस्तकें समाप्त कर चुका था। तुलसीदासजोकी रामायणका दो बार पारायण हो चुका था। राम-रावणयुद्धके सिवाय और बातें तो समझमे आती नहीं थी परन्तु पिताजीने पढा जरूर दिया। दो और पुस्तकें याद आती हैं, 'सुखसागर' और 'देवीभागवत'।

तीन व्यक्तियोंका मेरे जीवनपर बहुत गहिरा प्रभाव पडा। उस प्रभावकी गहिरा छाप अबतक बनी हुई है। अपनी माताका जिक्र

कर चुका हूँ। सरल स्वभावकी हिन्दू गृहिणी थी। सिवाय हिन्दीके और कोई भाषा जानती नहीं थी परन्तु पढ़नेका उन्हे बहुत शौक था। गृहस्थीका दैनिक कामधन्धा समाप्त करके कोई पुस्तक लेकर लेट जाती और घण्टे-दो-घण्टे प्रायः नित्य पढ़ती। उनकी रुचि धार्मिक पुस्तको और उपन्यासोकी ओर अधिक थी। मेरे पिता भी पढ़नेके वैसे ही प्रेमी थे। नित्य रातमें घण्टे-दो-घण्टे पढ़ते। उन दिनों पारसी थिएट्रिकल कम्पनियों आती थी। उनके नाटक डेढ़-दो बजे राततक चलते थे, पर नाटकसे लौटकर पिताजी कमसे कम आध घण्टे जल्द पढ़ते थे। इसके बिना उनको नींद ही नहीं आती थी। ऐसे माता-पिताके साथ रहनेका सहज परिणाम यह हुआ कि बहुत छोटी उम्रसे मेरी भी पढ़नेकी आदत पड़ गयी। अपने पिताके चरित्रकी एक और बातका उल्लेख करना चाहता हूँ जो पढ़नेसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उस जमानेमें सरकारी अहलकारके लिए रिश्वत लेना सहज बात थी। समाजमें इसको कुछ बहुत बुरा भी नहीं समझा जाता था। परन्तु उनके सभी अग्रज अफसरोने उनकी कर्तव्यपरायणता और ईमानदारीकी प्रशंसा की है। उनकी सत्यपरताकी एक कठिन परीक्षाका अवसर आ पड़ा। मैं जब हाईस्कूलमें पहुँचा तो मेरा वय चौदह वर्ष था। उसी साल यह नियम बना कि सोलह वर्षके नीचे कोई इस परीक्षामें नहीं बैठ सकता। यदि किसी लड़केकी उम्र कम लिख गयी हो तो वह सिविल सर्जनकी सर्टिफिकेटसे ठीक हो सकती थी और विशेष अवस्थाओंमें पिताके लिखित वयान (ऐफिडेविट) से भी काम चल सकता था। पिताजीको बतलाया गया कि उनका वयान मान लिया जायगा। उन्होंने झूठ बोलनेसे इनकार कर दिया—‘भले ही लड़का दो साल रुक जाय परन्तु मैं झूठा वयान नहीं दूँगा।’ बिना पिताजीको सूचित किये एक सम्बन्धी तत्कालीन सिविल सर्जन कर्नल स्वीनीके पास ले गये। उन्होंने देखते ही कहा कि यह लड़का सोलह वर्षका नहीं है। कोई भी ईमानदार डॉक्टर मुझको देखकर दूसरी सम्मति दे ही नहीं सकता था।

अब मारकर उसी क्लासमें तीन वर्ष बिताने पड़े। पर यह समय नष्ट

नहीं हुआ। किताबोंके पढ़नेमें ही गया। उन दिनों मुझे अंग्रेजी उपन्यासोंका चस्का लग गया था। ठीक सख्या तो नहीं कह सकता परन्तु उन दिनों कार्माइकेल लाइब्रेरीमें, जो हमारे नगरका सबसे बड़ा पुस्तकालय था, स्यात् ही कोई अंग्रेजी उपन्यास रह गया होगा जिसे मैंने न पढ़ा हो। कभी-कभी ऐसा होता था कि पुस्तक सवेरे लाता था, सायकाल लौटा आता था और सायकालकी लायी पुस्तक सवेरेतक समाप्त कर देता था। और पुस्तकें भी पढ़ता था, पर कम। दूसरी पुस्तकोंमेंसे दोके नाम विशेष रूपसे याद हैं, टॉडका 'राजस्थान' और ऐबटकी 'नैपोलियनकी जीवनी'। इतिहासकी दृष्टिसे ऐबटकी पुस्तक स्यात् बहुत प्रमाणित नहीं थी परन्तु उन दिनों उसका बहुत चलन था। हम सभी लोगोंके हृदयोंमें अंग्रेजोंके विरुद्ध जो अस्फुट भावना थी उसको इस पुस्तकसे पोषण मिलता था।

तीसरे व्यक्ति जिनसे मैं प्रभावित हुआ था, शीतल बाबा थे। वह हमारे यहाँ सन् १८५७ के लगभग सोलह वर्षकी उम्रमें नौकर हुए थे और हमारे ही यहाँ ७१ वर्षकी उम्रमें सन् १९१० में उनका देहान्त हुआ। मैं और मेरे छोटे भाई-बहन सभी महीने-डेढ-महीनेके होते-होते उनको सौंप दिये जाते। किसी भाग्यवान् वच्चेको इतनी अच्छी धात्री नहीं मिल सकती थी। दिन-रातके कई घण्टे उन्हींके पास बीतते थे और यह क्रम सात वर्षके वयतक चलता था। उनकी कही हुई कहानियों और गायी हुई लोरियोंमेंसे कुछ मुझे अबतक याद है। वह स्वयं बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और चारों धामकी यात्रा कर आये थे। नामको नौकर थे परन्तु घरके बड़े-बूढ़ोंमें गिनती थी। मेरी माता हर उत्सवपर उनके पाँव छूती थी और हम लोग भी विशेष अवसरोंपर उनके पाँव पड़ते थे।

हमारे स्कूलके अध्यापकोंमें ऐसा कोई नहीं था जिसका विशेष उल्लेख किया जा सके। मैंने पहिले छठे क्लासमें, जिसे अब पाँचवाँ क्लास कहते हैं, हरिश्चन्द्र स्कूलमें नाम लिखाया था। अब तो वह डिग्री कॉलेज हो गया है। उन दिनों ठठेरीबाजारके पास एक तग गलीमें था। सारे क्लास

एक इमारतमें अँट नहीं सकते थे, दो इमारतें थीं। स्कूलके पास नामको भी खेलका मैदान नहीं था। हमारे पास एक ही खेल था। बाजारमें एक पैसेमें कपडेका गंद मिलता था। कभी-कभी उससे म्युनिमिपैलिटीके लाल-टेन तोड़ दिया करते थे। दो क्लासोंमें यदि किसी बातपर बहुत लड़ाई हो गयी तो आपसमें लुक-छिपकर कुत्ती हो जाया करती थी।

हरिश्चन्द्र स्कूलमें आठवीं कक्षातक ही थी। हाईस्कूल पढनेके लिए मुझे क्वींस कॉलेजमें प्रविष्ट होना पडा।



पिछले अध्यायमें मैंने उस अव्यक्त भावनाका जिक्र किया था जो हम लोगोंके मनमें अंग्रेजोंके प्रति मौजूद थी। हम बड़ी उत्सुकतासे वैसी पुस्तकोंको पढ़ते थे जो उसको पुष्ट करती थीं। ऐसी पुस्तकें अंग्रेजीमें ही नहीं, हिन्दीमें भी मिलती थीं। आर० सी० दत्त और बकिमचन्द्र चटर्जीके उपन्यास तथा महाराणा प्रताप और शिवाजीके सम्बन्धके सैकड़ों उपन्यास और नाटक हमारी भावाग्निको तीव्र करनेमें वैसी ही सहायता करते थे जैसी कि रूसके निहिलिस्टोंकी कहानियाँ। इटलीके गैरिवाल्डी और मत्सीनी हमारे भी आदरके पात्र थे। जिन वीर पुरुषों और स्त्रियोंकी हम उन दिनों पूजा करते थे उनमेंसे नैपोलियनके सिवाय और किसीका अंग्रेजोंसे प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था, परन्तु हम उनके जीवनकी घटनाओंको अपनी परिस्थितिमें उतार-लेते थे। दूसरोंने विदेशी शासनका मुकाबला किया था, हमको भी करना चाहिये। हमसे कुछने दादाभाई नौरोजी-कृत 'पावर्टी ऐण्ड अनव्रिटिंग रूल इन इण्डिया' जैसी पुस्तकें पढ़ी थीं। हमारे पास कुछ तर्क भी थे परन्तु वस्तुतः हमारी भावना तर्कमूलक थी नहीं। यदि हमसे कोई पूछ बैठता कि तुमको अंग्रेजी राजसे क्या शिकायत है तो सम्भव है कि हम बहुत अच्छा उत्तर न दे पाते। फिर भी हमारा असन्तोष बढ़ता जाता था। बहुत-कुछ अव्यक्त था पर गहिरा था। मेरा ऐसा खयाल है कि मेरी जैसी मानस अवस्था भारत, विशेषतः उत्तर-भारतके बहुत-से युवकोंकी थी। इसीलिए मैं बराबर 'हम' कहता आया हूँ।

कुछ बटनाओंने हमारे उत्साहको बढ़ाया और आशाको सहारा दिया। अमीकाके वोअरॉमे अग्रेजोंकी लड़ाई हुई। अग्रेज जीते, परन्तु वोअरॉने उनके लक्रे लुड़ा दिये। यह स्पष्ट हो गया कि एक छोटा-सा सुसंघटित राष्ट्र भी अग्रेजोंका सिंहासन हिल सकता है। फिर रूस-जापान युद्ध हुआ। रूस द्वारा। यह सर्वत्र प्रसिद्ध था कि अग्रेज रूसियोंसे डरते हैं। जब एक एशियाई देश रूसको हरा सकता है तो फिर अग्रेजोंकी क्या विमान है? अवतक सारे एशियाके सिंगपर यह जादू छाया हुआ था कि यूरोपियन अजेय होते हैं। वह दीवार टूट गयी। सारे एशियामें उत्साह और आशाकी लहर ढाँड़ गयी। जापान कितना बड़ा है, जापानी कैसे होते हैं, यह कम लोग जानते थे। वस इतना पर्याप्त था कि वह भी हमारे जैसे एशियाई है। भारतमें एक प्रकाशकी यह भी प्रसन्नता थी कि जापानी बौद्ध हैं, अतः हमसे मिलते-जुलते हैं। बात बिल्कुल सही नहीं थी, परन्तु भावना तर्क और वास्तविकतापर अवलम्बित नहीं होती। मेरे पिता सरकारी नौकर थे, उनके सब मित्र सरकारी नौकर थे। सभी राजभक्त थे। कौंट मुँहसे सरकारके विरुद्ध जानकर एक शब्द नहीं निकालता था परन्तु मैं देखता था कि तत्कालीन हवाके झोके इन लोगोंतक भी पहुँचे थे। सरकारी नौकर भी मोचने लगा था, चाहे मुँहसे कुछ न कहे।

लार्ड कर्जनने बंगालके दो टुकड़े करके इस बढ़ती हुई आगमें घी डाल दिया। 'बन्दे मातरम्'के नारेमें देश गूँज उठा। सरकारकी ओरसे जो दमन हुआ उसने क्रोधआग्निको और प्रज्वलित किया। काशामें बंगालियोंकी बहुत बनी बन्ती है, नित्य ही लोगोंका आना-जाना लगा रहता है। फलतः बंगालमें जो कुछ होता है उसका प्रभाव हमारे यहाँ तत्काल देख पड़ता है। मेरे कई बंगाली मित्र थे। उनके साथ मैं एकाध बार उनकी गुप्त सभाओंमें गया और उन जगहोंको भी देखा जहाँ यह लोग व्यायाम किया करते थे। यह सब व्यायाम मावी श्रान्तिके लिए, तैयारीका अंग था। उन दिनों बंगालियोंके साथ बमने-फिरनेमें खतरा था। सारे नगरमें

सरकारी गुप्तचरोंका जाल विछा था। इन्हे लोग 'टिकटिकी' कहते थे। बंगालमें टिकटिकी गायद छिपकिलीको कहते हैं। लेकिन इस खतरेकी आशकासे उत्साह और बढ़ता था। गुप्त ढगसे काम करनेमें एक विशेष रस होता है और यदि पकड़े जानेकी सम्भावना हो तो वह इससे दूना हो जाता है।

मैं उस समयकी एक घटनाका उल्लेख करना चाहता हूँ। अब उसको सोचकर हँसी आती है परन्तु उस समय, जबकी यह बात है, उसमें गम्भीरता थी : उसके पीछे विषाद, उत्साह और मानस आन्दोलनकी भूमिका थी। बंगालमें जो दमन हो रहा था उसके समाचार बराबर आ रहे थे। पत्रोंसे बढ़कर जनश्रुति इन खबरोको फैलाती थी और प्रचारके साथ-साथ इनकी भीषणताको और बढ़ा देती थी। लोगोका क्रोध बढ़ता जाता था। गर्मियोंकी छुट्टियाँ थीं, स्कूल-कॉलेज सब बन्द थे। मैं नित्य-सायकाल पासके वेनिया पार्कमें कुछ मित्रोंके साथ टहलने जाता था। हमारी बात-चीतका विषय राजनीति होता था। मेरा मस्तिष्क पागलखाना हो रहा था। मैं घरपर घण्टो बैठा न जाने क्या-क्या सोचा करता। जब आवेग बहुत बढ़ता तो छतपर चला जाता। वहाँ एक छोटी-सी कोठरी थी। उसीमें तलवार लेकर घूमा करता और पुरानी कहानियोंको याद कर-करके बड़बड़ाया करता। कमरेमें कपडोको टॉगनेके लिए एक रस्सी लटकी रहती थी। वह मेरे तलवारकी पैतरेवाजीका ठिकार हो गयी। किंकर्तव्यविमूढता और इच्छाभिघातने मुझे पागल बना रखा था। स्वभावतः पिताजी बहुत चिन्तित हुए। उनको यह डर हुआ कि यह वेनियामें जाकर न जाने क्या बक जाय और पकड़ जाय। तलवार तालेमें बन्द कर दी गयी और मुझे घरसे निकलना मना कर दिया गया। चार-छ दिनके बाद यह उन्माद तो शान्त हो गया। ऊपरसे मैं शान्त हो गया परन्तु कील इतनी गहिरी घँस गयी थी कि फिर हृदयसे निकली नहीं। आज इस घटनापर हँसा जा सकता है, लडकपन कहा जा सकता है, परन्तु मेरा ऐसा अनुमान है कि उन दिनों सैकड़ों युवकोंको इसी



प्रकारकी अनुभूति हुई होगी। उस समयके घायल ही आगे चलकर महात्माजीके सिपाही हुए।

सन् १९०५ मे काशीमे कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। श्री गोखले अध्यक्ष थे। मैं भी साधारण स्वयंसेवक था। अध्यक्ष महोदयके अतिरिक्त पण्डित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और श्री खापर्डे जैसे कई महारथियोंके व्याख्यान सुननेको मिले। श्री सुरेन्द्रनाथकी एक उक्ति मुझे अभीतक याद है 'ए नोवल पीपुल कैन नाट हैव ऐन इग्नोवल गवर्नमेंट, ऐन इग्नोवल पीपुल कैन नाट हैव ए नोवल गवर्नमेंट' (अच्छे राष्ट्रकी सरकार निकम्मी नहीं हो सकती, निकम्मे राष्ट्रकी सरकार अच्छी नहीं हो सकती।) इन भाषणोंसे जानकारी तो बढ़ी ही, भावनाओंको तर्कका सम्वल मिल गया।

राजनीतिक हलचलके साथ-साथ बड़े जोरोसे 'स्वदेशी आन्दोलन' चला। यो तो सभी विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार उसका लक्ष्य था परन्तु विशेष रूपसे इंग्लैण्डके बने कपडेकी ओर दृष्टि थी। ऐसा माना जाता था कि इससे इंग्लैण्ड कमजोर होगा। मैंने भी स्वदेशीका, अग्रेजी कपड़ा न पहिननेका, व्रत लिया और उसे एक अवसरको छोडकर निभाया भी। मैं इन्दौरके डेली (राजकुमार) कॉलेजमे सन् १९१५ में अध्यापक नियुक्त हुआ। वहाँ खेलेमे भाग लेना अनिवार्य था। इस विषयमे मेरी योग्यता शून्यसे भी कुछ कम ही थी परन्तु खेलके कपडे तो बनवाने ही थे। मुझे बताया गया कि इस कामके लायक स्वदेशी कपडे नहीं मिलते। सम्भव है बात ठीक रही हो परन्तु मेरी भी दुर्बलता थी, अधिक छानबीन नहीं की। विदेशी कपड़े ले लिये। गायद सार्वजनिक रूपसे स्वीकार करना व्रतभगके अपराधको कुछ कम कर दे। स्वदेशी वस्त्र आन्दोलनके साथ स्वदेशी चीनीका भी आन्दोलन चला था। इसके पीछे राजनीतिक दवावके साथ-साथ धार्मिक भावना भी थी। विदेशी चीनी गरुकी हड्डीसे साफ की जाती है, ऐसा माना जाता था। कुछ लोगोंको यह बात जानकर गहिरा धक्का लगा परन्तु आन्दोलनने बहुत जोर नहीं पकडा। धीरे-धीरे

ठढा हो गया । मै स्वयं उन लोगोमे था जो एक वार इसके साथ बढे परन्तु कुछ दिनोमे अलग हो गये ।

उन दिनो मै क्वीस कॉलेजमे पढता था । वहीसे सन् १९११ में वी० एससी० किया । अब यह कॉलेज नहीं है । पहिले इसको इण्टरमीडिएट कॉलेज बना दिया गया, अब इसकी इमारत वाराणसेय संस्कृत विश्व-विद्यालयको दे दी गयी है । इसकी गणना ब्रिटिश कालमे बनी सुन्दरतम इमारतोमे है । पाठ्य पुस्तके तो पढता ही था परन्तु बहुत-सा समय बाहरकी पुस्तकोको पढनेमे जाता था । मै पहिले अध्यायमे बता चुका हूँ कि दो सालतक मुझे हाईस्कूल परीक्षाके लिए रुकना पडा । इन दिनो मैने बहुत-से उपन्यास पढ डाले । इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई कि उपन्यास और कहानीसे मेरी रुचि फिर गयी । वी० एससी० के परीक्षाकालतक मैने स्यात् ही दस-पाँच उपन्यास पढे होंगे । परन्तु दूसरे प्रकारकी, वनस्पति-शास्त्र, जीवशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, मनोविज्ञान और ज्योतिष (फलित नहीं, सिद्धान्त) बहुत-सी पुस्तके देख डाली । ज्योतिष मेरे लिए सबसे रोचक विषय था । मेरे पिताको फलित ज्योतिषका थोडा-सा ज्ञान था । उनके पास उर्दूकी दो-एक पुस्तके भी थी । साथ रहते-रहते कुछ शब्द, जैसे राशियो और नक्षत्रोके नाम, मुझे परिचित थे । मुझे आकाशमे उन्हे पहिचाननेकी उत्सुकता थी पर कोई बतलानेवाला न था । ज्योतिषके विद्यार्थियोको भी यह विषय नहीं पढाया जाता था । मैने अग्रेजीके दो-तीन स्टार ऐट्लस मोल लिये । इनमें जो आकाशचित्र दिये हुए थे वह लन्दनके अध्यागके लिए बने थे । उनसे पूरी सहायता नहीं मिलती थी । एक ऐट्लस पायनियर प्रेस (इलाहाबाद) से निकला था और 'इलस्ट्रेटेड वीकली'मे प्रति मास आकाशचित्र निकलता था । इन सबकी सहायतासे मैने मुख्य-मुख्य तारकपुजोको पहिचाननेका यत्न किया । धीरे-धीरे कुछ सफलता भी मिली ।

आकाशदर्शनके मेरे प्रथम प्रयास कुछ बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं थे । एक बार गोला दीनानाथकी गलीमेसे आकाश देखता जा रहा था ।

रास्तेमें एक निर्दोष कुत्ता आरामसे सो रहा था। मैं गौतमकी भॉति अक्षपाद तो हूँ नहीं, पाँवमें आँखें हैं नहीं, शरीरके पूरे भारके साथ कुत्ते-पर पैर पड़ा। कुत्तेने वही किया जो उसे करना चाहिये था। मुझे काट लिया। वह पागल नहीं था, पागल तो मैं था। कुछ विशेष उपचार करना आवश्यक नहीं समझा गया। घाव जला दिया गया। उन दिनों यह विश्वास था, अब भी होगा, कि अपारनाथकी टेकरी नामके मठसे अखण्ड दीपका तेल लगा देनेसे कुत्ता काटनेका दुःप्रभाव नहीं होता। यह भी कर दिया गया। मेरी बुद्धि इतनेसे ठीक नहीं हुई। इसके चार-पाँच दिन बाद वेनिया पार्कमें आकाश देखते-देखते गिर गया। पाँवमें मोच आ गयी। इससे अकल कुछ ठिकाने लगी। चलते-चलते तारे देखनेका उत्साह ठढा हुआ। मैंने फिर ज्योतिषकी पुस्तकोंका सहारा लिया। घरकी छतसे जो कुछ हो सकता था देखता था, परन्तु कम ही देख पड़ता था। दक्षिण ओर एक ऊँची दीवारने धितिजको रोक रखा था। इतना पैसा मेरे पास था नहीं कि छोटी-सी भी दूरवीन ले सकता।

उस समय क्रांस कॉलेजमें पढ़नेवाले हम छात्र इस बातमें बहुत माग्यवान् थे कि हमारे कई अध्यापक बहुत विद्वान् और ख्यातनामा थे। डॉक्टर वेनिस प्रिंसिपल थे। अपनी संस्कृतकी विद्वत्ताके लिए प्रसिद्ध थे। ग्रिफिथ और व्रैलेण्टाइनकी परम्पराको उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, महामहोपाध्याय पण्डित गंगाधर शास्त्रीके शिष्य थे। हमारे दूसरे अध्यापक प्रोफेसर नार्मन, प्रोफेसर रैण्डेल, प्रोफेसर अभयचरण सान्याल, प्रोफेसर शारदाचरण चक्रवर्ती और डॉक्टर गणेशप्रसाद थे। पेगन लेनेके बाद प्रोफेसर रैण्डेल लन्दन इण्डिया हाउस पुस्तकालयके अध्यक्ष नियुक्त हुए। मुझको बहुत मानते थे। उनकी दी हुई पुस्तक आयडेन-कृत 'प्रॉब्लेम्स ऑव लाइफ'का अनुवाद अब भी मेरे पास है। सन् १९४८ में मैं इंग्लैण्डमें उनसे मिला था। मैंने डॉक्टर गणेशप्रसादका नाम अन्तमें लिया है परन्तु हम लोगोंपर सबसे अधिक प्रभाव उनका ही पड़ा। गणितके प्रोफेसर थे, उनका रहन-सहन तपस्वी जैसा था। बड़ी मेहनत लेते थे पर

उनके सभी छात्रोंको उनसे स्नेह था। उनमेंसे कइयोंने ख्याति पायी। डॉक्टर साहवने हममें कठिन परिश्रम करनेका जो अभ्यास डाला वह, जीवनभरके लिए हमारी निधि बन गया।

हमारे कॉलेजके संस्कृत-विभागमें कई प्रकाण्ड विद्वान् थे। मैं उनमेंसे केवल एकका नामोल्लेख करता हूँ : पण्डित सुधाकर द्विवेदी। यदि अंग्रेजी विभागमें गणितके अध्यापक छुट्टीपर चले जाते थे तो कभी-कभी सुधाकरजी आ जाया करते थे। गणितके उद्भट विद्वान् थे। विशेष बात यह थी कि अंग्रेजीका ज्ञान बहुत थोड़ा था। संस्कृतके सहारे ही गणितका अभ्यास किया था। यदि उनको अंग्रेजी माध्यमसे पढ़नेका अवसर मिला होता तो बहुत काम करते। हममेंसे बहुत-से लोगोंका यह विचार था कि वह अपनी शक्तिका अपव्यय करने थे। कुछ दिनतक तुलसीकृत रामायणका संस्कृत अनुवाद निकालनेकी बुन थी, 'रामकहानी' नामकी पुस्तक लिख डाली, पतंग और बुलबुल लडानेका भी शौक था। उनके देहान्तके दिन डॉक्टर गणेशप्रसादने कहा था—'आज एक ऐसे व्यक्तिकी मृत्यु हुई है जो मुझसे कहीं बड़ा था।'

मैंने अपने स्वदेशी व्रतका जिक्र किया है जिसे मैं पूरा न निवाह सका। परन्तु इन्हीं दिनों मैंने एक दूसरा सकल्प किया जो ईश्वरकी कृपासे पूरा हुआ। गवर्नमेंटने लाला लाजपतरायको गिरफ्तार करके मॉडले भेज दिया। इसके पहिले तिलकके साथ ऐसा ही सलूक किया जा चुका था, परन्तु उन दिनों जनचेतना इतनी जागी नहीं थी। विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस बार बगविच्छेदके वादसे लोगोंका क्रोध उभरा हुआ था। वह ओर प्रज्वलित हो उठा। मैंने समाचार पानेके वाद ही यह सकल्प किया कि ब्रिटिश सरकारकी नौकरी नहीं करूँगा। घरवालोंकी आशा तो इसी बातपर केन्द्रित थी कि मैं पढ़-लिखकर नौकरी करूँगा और नौकरीका अर्थ था सरकारी नौकरी। कुछ दिन वाद जब उनको मेरा निश्चय ज्ञात हुआ तो बहुत दुःख हुआ, सारी आशाओंपर पानी फिर गया, परन्तु मैं इस बातकी प्रशंसा करूँगा कि किसीने मुझको

इस व्रतसे विचलित करनेका प्रयत्न नहीं किया । भगवान्ने इसे निवाह दिया ।

इसी जमानेमें मुझे व्यायामका शौक पैदा हुआ । बढ़ाकर ४०० ढण्डतक करने लगा । रातको साढ़े तीन-चार बजे उठकर कसरत करता था । मेरे पड़ोसमें मेरे समवयस्क सम्पत नामके ग्रामीण ब्राह्मण रहा करते थे । उनको दो पैसे रोज देकर कुम्ती लडता था । उनको इस विषयका थोड़ा-सा ज्ञान था ।



मनुष्यके जीवनके कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनका वह परदेमे ही पडा रहना पसन्द करता है। कुछ ऐसी घड़ियाँ होती हैं जो जीवनकी धाराको बढल देती हैं परन्तु उनकी याद अपनेतक ही सीमित रखना अच्छा लगता है। कुछ ऐसी मधुर स्मृतियाँ होती हैं जो बाहरवालोकी दृष्टि पड़ते ही कुम्हला जाती है। कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हैं जिनको हृदयके अन्तःस्तलके बाहर निकालनेको जी नहीं चाहता। असूर्यम्पश्या रमणियोकी भौति ऐसी चीजोंको परायी आँखसे बचा कर रखना ही भला लगता है। ऐसी गोप्य बातोंमें प्रथम स्थान आध्यात्मिक अनुभूतिका है। अध्यात्म धर्म या मजहबका पर्याय नहीं है। मनुष्य किन ग्रन्थोंको प्रामाणिक मानता है, उन ग्रन्थोंमे क्या लिखा है, कौन-कौन-से व्रतोपवासादि उसके लिए करणीय हैं, मरनेके पीछे क्या गति होती है, इस प्रकारके प्रश्नोंके उत्तरके अनुसार मनुष्यका धार्मिक या मजहबी वर्गीकरण होता है। मजहबका कुछ-न-कुछ आध्यात्मिक आधार होता है परन्तु अध्यात्म और मजहब या सम्प्रदायमें वही सम्बन्ध है जो चीनीको चखने और चीनीके सम्बन्धमें पुस्तक पढनेमें है। सम्भव है पुस्तक लिखनेवालेने चीनीको चखा हो परन्तु वह चीनीके स्वादको पाठकतक नहीं पहुँचा सकता। स्वाद तो स्वयं चखनेसे मिलता है। आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा शुद्ध, अपरोक्ष, अतीन्द्रिय ज्ञान होता है और वह वर्णनातीत है। उसकी चर्चा करना अनुचित और बेकार है। अपनेको सत्यकी, उस सत्य पदार्थकी, जो देश और कालके

परे है, जिसमें यह जगत् ओतप्रोत है, जो जगत्के, द्रष्टाके, भीतर और बाहर है, जो अपनी आत्मासे अभिन्न है, उस सत्यकी क्या अनुभूति हुई, कैसी झटक मिली, इसकी क्या चर्चा की जाय, ऐसी अनुभूतिका एकमात्र मार्ग योग है। योगका प्रत्येक अभ्यासी तत्त्वद्रष्टा नहीं हो जाता परन्तु जैसा कि श्रीकृष्णने गीतामें कहा है :

जिज्ञासुरपि योगस्य, शब्द ब्रह्मातिवर्तते ।

योगकी पहली सीढ़ीपर पाँव रखनेवालेका भी स्थान दूसरी सब उपासना, यज्ञ, याग करनेवालोके लोकसे ऊँचा है। कभी-कभी सच्चे कलाकारको भी एक झटक मिल जाती है, कलाकार उस अमूर्त झटकको राग, पद्य, मूर्ति और चित्रमें साकार बनानेका प्रयास करता है और कलाका इतिहास असम्भवको सम्भव बनानेके ऐसे प्रयत्नोका इतिहास है।

मैं चाहता था कि इस अध्यायको न लिखूँ। अपने जीवनके इस अध्यायको परदेमें ही रखूँ। परन्तु यह पूर्णतया सम्भव प्रतीत नहीं हुआ। जो लोग मुझको जानते हैं उनमेंसे बहुतोका यह खयाल है कि मेरा झुकाव 'धार्मिक' या 'आध्यात्मिक' बातोंकी ओर है। मिलने-जुलनेवालोके सामने यदा-कदा ऐसी बातें मुँहसे निकल ही जाती हैं : शराबका नशा कहाँतक छिपाया जा सकता है ? मेरी पुस्तकोंमें इन विषयोका जिक्र है। 'चिद्विलास' में जहाँ शास्त्रीय विचार हैं वहीं, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, योगकी सर्वोपरि प्रामाण्यतापर असन्दिग्ध भाषामें जोर दिया गया है। ऐसी बातोंको देखकर बहुत-सी कल्पनाएँ उठती हैं, जिनमेंसे कई निराधार भी होगी। अतः अनिच्छन्नपि मैंने इस अध्यायको लिखना उचित समझा। इसमें मेरी कोई अनुभूति नहीं बतलायी गयी है, यदि किसी रहस्यका मुझे किंचित् ज्ञान है भी तो उसका अनावरण नहीं किया गया है, केवल इस बातका चर्चा है कि अनुभूतिके मार्गपर मैं किस प्रकार आरूढ़ हो सका।

पहिले अध्यायमे मैने इस बातका जिक्र किया है कि छोटी उम्रसे ही मै किन्ही धार्मिक पुस्तकोको पढा करता था। कहानियोके सिवाय उस उम्रमे और क्या समझमे आता, और सब कहानियोका भाव भी समझना कठिन था। मुझे अच्छी तरह याद है कि 'देवीभागवत'की एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसको कहानीरूपसे तो समझ गया परन्तु कहानीके पीछे कुछ और है, यह उस समय भी लगता था। मनमे कई प्रश्न उठते थे। कहानी वह है जिसमे यह बताया गया है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह हूँदने चले कि हमारे ब्रह्माण्डके बाहर क्या है। जब अपने ब्रह्माण्डके बाहर निकले तो उनको बहुत-से त्रिदेव मिले। सब एक ओर जा रहे थे। यह भी उधर ही हो लिये। बहुत दूर जाते-जाते इनको कुछ प्रकाश देख पडा। वहाँ ही देवीका लोक था। देवीकी सब परिचारिकाएँ स्त्रियाँ थी। ज्यो-ज्यो यह लोग आगे बढे त्यो-त्यो इनमे परिवर्तन होने लगा, यहाँतक कि कुछ ही देरमे सब स्त्री हो गये। कुछ और चलकर यह लोग अपना पृथक् अस्तित्व ही भूल गये। लडकपनकी पढी हुई है परन्तु कथा कुछ ऐसी ही है। ऐसी पुस्तकोको पढनेसे दो शकाएँ विशेष रूपसे उठती थी। एक तो यह थी कि सभी पुस्तके कहती थी कि जगत्का मूल, चाहे उसको ईश्वर या विष्णु या देवी या महादेव कुछ भी कहे, कोई सर्वव्यापी पदार्थ है। तब वह उन जगहोंमे भी होगा जहाँ दूसरी वस्तुएँ है, जहाँ अपना शरीर है। यह कैसे हो सकता है? एक जगहमे दो पदार्थ कैसे रह सकते है? इसका किसी प्रकार पिताजीने उत्तर दिया था। मुझे अबतक स्मरण है कि उन्होने वह उपमा दी थी जो इस दोहार्धमे है - ज्यों मेहदीके पातमें लाली लखी न जाय। अस्तु इसका तो कुछ निवारण हुआ परन्तु मेरी दूसरी शकाका कोई समाधान नही कर सका। जगत्की उत्पत्तिका वर्णन बडा रोचक लगता था। इतना ही समझमे आता था कि प्रारम्भमे सब जल-ही-जल था। मूल सस्कृतमे 'सलिल' शब्द आता है। यह अप् तत्त्वका वाचक है और इसका प्रयोग दार्शनिक प्रसंगमे ही आता है। उस समय तो यह सब नही जानता था। इतना ही समझमे आया



कि किसी प्रकार उस अनन्त जलत्रसे मनुष्य जैसा शरीर निकल आया और ईश्वरने उसमे प्राण फूँक दिया। मैंने सैकड़ों बार इस दृश्यका मानस चित्र बनाया। गगाजीसे बड़ा जलत्रसमूह तो मैंने देखा नहीं था। मैं यह सोचता था किसी प्रकार पानीमेसे निकला हुआ मनुष्यका एक शरीर किनारेपर खड़ा है और कोई उसकी नाकमे फूँक रहा है। तसवीर कुछ बनती तो थी परन्तु सन्तोष नहीं होता था। वह सारा पानी कहाँ गया ? वह स्वयं कैसे बना था ? वह बिना साँसकी देह उसमेसे रेंगकर बाहर कैसे निकली ? प्रश्न तो उठते थे परन्तु यह स्पष्ट ही है कि यदि उस समय कोई जानकार मुझको समझानेका यत्न करता भी तो मैं भला क्या समझ पाता !

कुछ बड़े होनेपर बचपनकी इस दार्शनिक जिज्ञासामे कमी हो गयी, परन्तु धार्मिक और धर्म-सम्बन्धी पुस्तकोके पढ़नेकी रुचि बढ़ती गयी। बहुत-से धर्मोंकी पुस्तके देखीं। सभीकी ओर कुछ दिनोंके लिए आकृष्ट भी होता था, परन्तु चित्त कहीं जमता न था। कॉलेजमे आकर मुझे इंग्लैण्डके रैशनलिस्ट प्रेस एसोसिएशनकी पुस्तकें देखनेको मिलीं। प्रामाणिक पुस्तकोको, जिनके मूल सस्करणोंका मूल्य बहुत होता था, इस मालामें बहुत मस्ते मूल्यपर प्रकाशित करते थे। प्रो० अन्स्ट्रैट हैकल तथा दूसरे अनीश्वरवादियोंकी रचनाओने मुझे कुछ कालके लिए कट्टर अनीश्वरवादी आर जडवादी बना दिया। उनके तर्क सयल होते थे और श्रद्धा उत्पन्न करने थे। लोग समझते हैं कि सदाचारको धर्म और ईश्वरका सहारा चाहिए। इस मालाकी कर्तव्यशास्त्रपर प्रकाशित एक पुस्तकके लेखकका कहना है कि जगत्में तो यह देख पड़ता है कि :

दुष्ट फारणवर आन दि स्कैफोल्ड, राग फारणवर आन दि थ्रोन  
(सन्ने आदमी सूतीपर चढ़ाये जाते हैं और दुराचारी सिंहासनपर बैठते हैं।)

परन्तु यदि कोई ईश्वर हो और वह ऐसी आज्ञा दे तब भी सत्पुरुष नव्य और न्यायके पक्षपर आँटिग रहेगा।

सच बात तो यह है कि मुझे अपने भीतर कुछ शून्य-सा, कुछ अभाव-सा लगता था; उसकी तृप्ति किसी पुस्तकसे, किसी मतसे नहीं होती थी। सूनापन कैसा था, किस वस्तुकी कमी प्रतीत होती थी, मैं क्या चाहता था, यह मैं स्वयं नहीं बता सकता था। स्वामी विवेकानन्दकी रचनाएँ पढ़ी, संस्कृत तो जानता नहीं था, ब्राह्मण और उपनिषदोंके अंग्रेजी अनुवाद देखे, शांकर वेदान्तकी ओर चित्त झुका, परन्तु प्यास नहीं बुझी।

मेरे पड़ोसमें एक बंगाली परिवार रहता था। वह सभी लोग राधा-स्वामी सम्प्रदायके सदस्य थे। उनमें श्री हरेन्द्रनाथ मेरे समवयस्क थे। मन् १९१० में मेरी उनकी घनिष्ठता बढ़ी। उनकी कृपासे राधास्वामीमतकी वह पुस्तके देखनेको मिलीं जो बाहरवालोंको दी जाती हैं। इसके साथ ही सन्तमतके अन्य महात्माओंकी रचनाएँ देखीं। कवीर, नानक, पलटू, दादू, दरिया, जगजीवन आदि सन्तोंके 'साखी' और 'शब्द' पढ़नेमें आये। एक नया विश्व सामने आया, जिसमें तर्क और शाब्दिक इन्द्रजालके लिए स्थान नहीं है, जिसमें व्याकरण और निरुक्तका प्रवेश नहीं है। इस जगत्में सत्यका सीधा साक्षात्कार होता है, उसके विषयमें शास्त्रार्थ नहीं होता। यह ऐसी दुनिया है जिसमें रग, वर्ण, वर्ग, राष्ट्र, सम्प्रदायका भेद माना नहीं जाता, स्त्री और पुरुष समानकक्षमें रखे जाते हैं। इस लोकमें सत्यका निरावरण प्रत्यक्ष होता है। मैं स्वभावतः इस ओर खिंचा। खिंचनेके साथ डरा भी, घबराया भी। यहाँ सद्गुरुकी कृपाके बिना प्रवेश असम्भव है और प्रगति योगाभ्यास और वैराग्यपर निर्भर करती है। सतत सतर्कता चाहिये क्योंकि मनको बहकते देर नहीं लगती। कवीरने कहा है :

साध संग्राम है विकट बेडा मती, सती औ सूरकी चाल आगे ।  
सती संग्राम है पलक दो-चारका, सूर संग्राम पल एक लागे ।  
साध धमसान है रैन दिन जूझना, देह पर्यन्तका काम माई ।  
कहत कवीर दुक वाग ढीली करै, उलट मन गगनसे जमी आई ॥

मैं साधारण गृहस्थ, विरक्त कहाँ तक हो सकूँगा, सयमी कैसे बन पाऊँगा ? और फिर गुरु कहाँ मिलेगा ? गुरुमे जैसी श्रद्धा होनी चाहिये वह मुझमे कहाँ है ? अंग्रेजी पढा हुआ, विज्ञानमे चक्षुप्रवेश पाया हुआ व्यक्ति, अपने झूठे विद्याभिमान और शकावृत्तिको कहाँ भुला पाऊँगा । कबीरने ही कहा है :

पहिले दाता शिष भया, जिन तनमन अरपा शीष ।

पीछे दाता गुरु भया, जिन नाम किया बखशीश ॥

मैं इतनी अनन्य निष्ठा कहाँ दिखला सकता हूँ ?

मैंने उन्ही दिनो सस्कृत पढना आरम्भ किया । विशेषतः योगपर पुस्तकोको देखने लगा । योगदर्शनका तो कहना ही क्या है, उसको कमसे कम ढाई सौ बार पढ गया हूँ, फिर भी उसके अर्थमे गूढता निकलती आती है । योगकी अन्य पुस्तके भी अच्छी लगी । पर जो कठिनाई सन्त-साहित्यमे थी, वही इनमे भी । इनकी भाषा कुछ और ही थी । अर्थ लगानेकी कुजी मेरे पास नहीं थी ।

मैंने साधु महात्माओसे भेट करना आरम्भ किया । जहाँ किसी साधुका पता लगता, मैं उनके दरवारमे उपस्थित होता । जो लोग मूर्तिपूजाकी, मन्त्रजपकी बात करते थे उनके यहाँ तो जी नहीं लगता था, परन्तु जहाँ योगका चर्चा होता, चित्त लगता था । एक-एक जगह कई-कई बार गया । निश्चय ही उनमे कुछ अच्छे लोग रहे होंगे परन्तु मैं उनसे लाभ न उठा सका, अतृप्ति बनी ही रही । इसके साथ ही मेरी व्याकुलता भी बढ़ती गयी । अपनी अपात्रतापर क्रोध आता, विचित्र किकर्तव्यताकी दशा थी । कई बार यह विचार उठा कि अपने मित्र श्री हरेन्द्र सेनकी भाँति राधास्वामी सम्प्रदायमे दीक्षा ले लूँ । वह लोग भी सन्तमतके ही पोषक थे । परन्तु उधर भी प्रवृत्ति न हुई । एक कारण तो यह था कि मैंने योगीका जो चित्र मनमे बना रखा था उसके अनुकूल उनको नहीं पाता था । मेरी ऐसी धारणा थी, और अब अधिक पुष्ट हो गयी, कि योगी गम्भीर भी हो सकता है और हँस भी

सकता है, दूसरोको भी हँसा देता है। उसके चारों ओर प्रसन्नता और प्रफुल्लताका वातावरण होता है। इस मतके जो लोग मुझे मिले वह सदैव गम्भीरतामे डूबे रहते थे, जैसे हँसना जानते ही न हो। फिर उन लोगोका एक विस्वास मुझको घवराता था। वह इस दोहेमे गुम्फित है :

जन्म एक गुरुमक्ति कर, जन्म दूसरे नाम ।

जन्म तीसरे मुक्तिपद, चौथेमें निज धाम ॥

यह ठीक है कि अव्यात्मके मार्गमे कोई अवधि नहीं बाँधी जा सकती, अपने सवेग, वैराग्य, लगन, परिश्रम, तन्मयतापर सफलता निर्भर है, परन्तु यह चार जन्मकी अवधि तो बहुत लम्बी है। किसीको दस जन्म लग जायँ परन्तु एक जन्म भी पर्याप्त होना चाहिये, चार जन्मका चर्चा ही साधकको सुस्त बना देगा। इन बातोने मुझे उस सम्प्रदायसे पराङ्मुख कर दिया। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ राधास्वामी-मतकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ और न उसके दोष दिखला रहा हूँ। कुछ बातोकी मेरे ऊपर जो प्रतिक्रिया हुई उसीका जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सम्भव है कि प्रतिक्रिया बिल्कुल निराधार हो। ऐसी दशांमे मैं उन सब लोगोसे क्षमा माँगता हूँ जिनको मेरे लिखनेसे ठेस लगी हो।

मेरी अवस्था यो ही असन्तोषजनक होती जा रही थी। मैं अपनेको निःमहाय पाता था। कोई उपाय सूझता नहीं था जिससे उस रससागरकी एक बूँद चखनेको मिल जाय जिसका चर्चा सन्तसाहित्यमे, योग वाङ्मयमे था। बण्टो न जाने क्या सोचा करता, कभी-कभी रो पडता था। स्वभाव भी चिडचिडा हो गया। पढने-लिखनेमे जी नहीं लगता-या। वी० एससी० मे फेल हो गया। यह जीवनमे इस प्रकारकी पहिली घटना थी। निश्चय ही दुःख हुआ। घरपर लोग मेरी मानस व्यथासे परिचित थे, किसीने एक शब्द नहीं कहा। यह उनकी उदारता थी। परन्तु माता-पिताको जो दुःख हुआ होगा उसे सोचकर मुझे और भी ग्लानि होती थी। परन्तु वेवसी थी, मैं कर भी क्या सकता था।

एक दिन मेरी माताने मुझसे कहा 'तुम दादाके पास क्यों नहीं

जाते ? वह तुम्हारी सहायता करेगे ।' मैं एक बार तो इस बातको सुनकर अवाक्-सा रह गया । मेरे मातामह, नानाको लोग ढाढा कह कर पुकारते थे । मैं भी उन्हें ढाढा ही कहता था । यह जानता था कि वह साधु हैं और बाबा रामलालके गिण्य हैं । बाबाजी बड़े प्रसिद्ध योगी थे । मैंने उनको लडकपनमे देखा था । रामनगरमे महाराजा बनारसके किलेके पीछे अपनी माताके साथ एक टीलेपर रहते थे । उनकी 'वाणी' छपी थी । उसको देखकर मैंने अनुमान किया था कि वह भी सन्तमतसे ही सम्बद्ध रहे होंगे ।

दादा बड़े ही हँसमुख व्यक्ति थे । खूब हँसते थे, हँसाते भी थे । शरीर पुष्ट था, वृद्धावस्थामे भी डण्ड-वैठक करते थे । दिनमे एक ही बार भोजन करते थे । फूलोका बहुत शौक था । जहाँ रहते थे वहाँ फूल लगा रखे थे । उनको अपने हाथोसे सींचते थे । तीस-चालीस घडे पानी डालते थे । गरमीमे उन्हीं फूलोंके बीचमे पत्थरके तख्तपर सोते थे । सर्दियोमे कमरेमे जमीनपर । स्मरणशक्ति बहुत अच्छी थी । घण्टोतक संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिन्दीके योगवेदान्तपरक तथा वैराग्योद्दीपक वाक्य, गद्य और पद्य, सुना सकते थे । सगीतसे प्रेम था । गेरुआ वस्त्र पहिनते थे, परन्तु यज्ञोपवीतका परित्याग नहीं किया था । उसको कण्ठीकी भाँति गलेमे पहिनते थे ।

मैं यह सब जानता था, पर न जाने क्यो अबतक उनके यहाँ अपने विशेष उद्देश्यको लेकर जानेका विचार मनमे नहीं आया था । माँके कहनेसे उनकी सेवामे गया, एक-दो दिन नहीं, प्रायः प्रतिदिन जाने लगा । पहिले तो उन्होने हँसकर टाल देना चाहा, इसके आगे मार्गकी कठिनाईका चर्चा चला । मार्ग कठिन है, इसके विषयमे दो सम्मतियाँ हो नहीं सकती । प्राचीन, अर्वाचीन, सभी सन्त-महात्माओने ऐसा कहा है । उपनिषद्का वाक्य है :

धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गं पथ तत्कवयो वदन्ति ।

(योगी जन कहते हैं कि वह मार्ग कठिन है, छुरेके तीखी धारके

समान दुर्गम है।) इसपर चलनेवाला वह नहीं हो सकता जो 'नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो ना समाहित' है।

(जो दुश्चरितोको छोड़ नहीं चुका है, जिसने इन्द्रियोको नहीं दबाया है, जिसका चित्त एकाग्र नहीं है।) और फिर गोविन्द साहवके शब्दों में:

पहिले कसै अहार, ताहिपर निद्रा बाँधै ।

तत्र सद्गुरुकी शरण बैठि पद्मासन साधै ॥

पेसी रहनी होय ताहि गोविन्द उपदेशै ।

बिन वातो बिन तेल अगिन बिन दीया लेसै ॥

यह वाते साहस हिला देनेवाली थी, परन्तु उत्साह टूटा नहीं। मैं कभी-कभी झुँझलाकर यह कह उठता था कि यदि गिद्य यो ही सब गुणोंसे सम्पन्न हो तो गुरुकी आवश्यकता ही क्या है। वह हँसकर चुप हो जाते थे।

इस कथाको यही समाप्त करना है। मुझे कभी कोई दीक्षा मिली या नहीं मिली, उसका क्या परिणाम हुआ, यह सब सार्वजनिक चर्चाका विषय नहीं है। मैं योग्य, अयोग्य, जैसा कुछ भी था, पर मुझे फिर साधु-महात्माओंके यहाँ एक द्वारसे दूसरे द्वार भटकनेकी आवश्यकता नहीं रही। मुझे मार्ग बतानेवाला, हाथ पकड़कर पथपर ले चलनेवाला मिल गया। जीवन बदल गया। सत्यका लहराता सरोवर सामने आया, उसमें अवगाहन करना अब मेरा काम था।

इस मार्गपर एकाकी ही चलना होता है। गुरुका बहुत बड़ा महत्त्व है। कहा गया है कि 'परमेश्वरसे गुरु बड़े', उपनिषद्में भी कहा है:

यस्य देवे परा भक्तियर्था देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥

(जिसको ईश्वर और गुरुमें समान रूपसे परा श्रद्धा होगी उसपर ही यह रहस्य प्रकट होगा।)

यह सब ठीक है, गुरुकृपासे ही आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग सुगम होता है, परन्तु अन्ततोगत्वा अपने ही अध्यवसाय, अपनी ही लगनसे

काम चलता है। बुद्धदेवके प्रिय शिष्य आनन्दकी कथा प्रसिद्ध है। बुद्धदेव उनको बहुत मानते थे, इसीके भरोसे आनन्दने विशेष परिश्रम नहीं किया। बुद्धके शरीरत्यागके बाद उनको यतमान होना पड़ा तब अर्हत पद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार श्रीकृष्णके सखा और कृपापात्र उद्धवको कृष्णसाहचर्यसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं हुई। स्वयं श्रीकृष्णने उनको आदेश दिया कि तुम बदरिकाश्रममें जाकर तप करो, तभी कृपायाका नाश होकर आत्मज्ञान प्राप्त होगा।

मैंने 'चिद्विलास'में तथा अन्यत्र भी लिखा है कि 'ज्ञानका सर्वोपरि साधन, एकमात्र अचूक और असन्दिग्ध साधन, योग है। साधारण अवस्थामें हमारी बुद्धि राग-द्वेषसे कलुषित रहती है। शुद्ध, सम्पूर्ण, ज्ञानकी हमको अपेक्षा भी नहीं है। उससे कष्ट भी हो सकता है। यदि हमारी चक्षुरिन्द्रिय इतनी तेज हो जाय कि हम दूसरोके शरीरके भीतरकी क्रियाओको देख सकें तो किसीसे प्रेम करना तो दूर रहा, बात करना कठिन हो जाय। मनुष्यमें ऐसी शक्ति है पर वह अपनी इन्द्रियोसे पूरा काम नहीं लेता, लेना चाहता भी नहीं। हमारी पुस्तकोंमें तो ऐसी शक्तियोंका चर्चा है ही, आजकल प्रो० राइनके प्रयोगोंके फलस्वरूप ई० एस० पी० (एक्स्ट्रा सेसरी पेंसिवन—अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष) पर पाश्चात्य देशोंमें भी विश्वास होने लगा है। योगाभ्यासके समय रागद्वेषादिके आवरण हट जाते हैं और निर्बाध ज्ञान होता है, सत्यका आवरणहीन रूप सामने आता है। अपने अनुभवको कहाँतक व्यक्त किया जा सकता है, यह अनेक बातोंपर निर्भर करता है।

मुझसे लोग कभी-कभी पूछते हैं कि मैं विभूतियों, सिद्धियोंमें विश्वास करता हूँ या नहीं। अंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यक्तिके सामने यह प्रश्न बहुत आता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे इसपर विश्वास है। मनुष्य अपार शक्तिका भण्डार है परन्तु वासनाओंने चित्तमें परदे बना रखे हैं, दहकते अंगारेपर राखकी तह बैठ गयी है। ज्यो-ज्यो राख उड़ती है, अभ्यासके बलसे परदे उठते हैं, ज्यो-ज्यो अंगारेकी छिपी आँच प्रकट

होती है। सिद्धि कहीं बाहरसे नहीं आती, अपनी ही छिपी शक्ति प्रकट होती है। प्रत्येक अभ्यासीको इस बातका अनुभव होगा।

मैंने बार-बार सन्तमतका नाम लिया है। इसे सुरत शब्द योग भी कहते हैं। व्योरा नहीं दिया जा सकता, यद्यपि इस विषयमें बहुत-कुछ लिखा गया है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह किसीका आविष्कार नहीं है। सात-आठ सौ वर्षसे निकली कोई नयी चीज नहीं है। प्राचीन-कालमें चली आ रही है। योगके वाङ्मयमें इसका बराबर चर्चा है। संस्कृतमें इसे नादानुसन्धानके नामसे सकीर्तित किया गया है। उपनिषदोंकी सारी उद्गीथविद्याका यही रहस्य है, इसीके लिए कहा गया है :

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, तपसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति, तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीमि, ॐ मित्येतत्॥

(सब वेद जिसका वर्णन करते हैं, सब तपस्वी जिसको कहते हैं, जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्यका पालन किया जाता है, वह पद तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ—वह ॐकार है।)

मेरी ऐसी धारणा है कि योगाभ्यास ही उपासनाका सच्चा मार्ग है। और किसी उपायसे वाञ्छित फल नहीं प्राप्त हो सकता। यह कहना गलत है कि आजकलका मनुष्य इसका अधिकारी नहीं है। बुद्ध, गोरक्ष, भर्तृहरि, कबीर, नानक, रामकृष्ण आदि सब तथोक्त कलियुगमें ही हुए हैं, इनमेंसे कई तो पिछले सात-आठ सौ बरसोंके भीतर ही हुए हैं। आजका मनुष्य किसी बातमें किसी भी दूसरे कालके मनुष्योंसे छोटा नहीं है।





पिछले दस वर्षोंतक हमारा परिवार कौटुम्बिक विपत्तियोंसे मुक्त रहा परन्तु अगले दो दशकोंमें तावडतोड कई मृत्युएँ हुईं । जिन दस वरसोंका दस अन्यायमें चर्चा है उनमें १९१८ में मेरे पिताका देहान्त हुआ । मैं उन दिनो वीकानेरमें था । वीमारीका तार पाकर आया, मृत्युके पहिले चार-पाँच घण्टे उनके साथ रह सका । मेरी गोदमें सिर रखे हुए उन्होने शरीर छोडा । उस समय उनकी अवस्था ५२ वर्षकी थी । घरकी आय प्रायः आधी हो गयी और गृहस्थीका सारा भार मेरे ऊपर आ पडा ।

जैसा कि पहिले कह चुका हूँ, मैं यह सकल्प कर चुका था कि सरकारी नौकरी नहीं करूँगा । घरमें न इतना रुपया था कि कोई व्यवसाय कर सकता, न आगे पढनेका प्रबन्ध हो सका । मैंने काशीके लन्दन मिशन स्कूलमें अध्यापकका काम ले लिया । सालभर बाद वृन्दावनके प्रेम महाविद्यालयमें चला आया । इसके सस्थापक ख्यातनामा राजा महेन्द्र-प्रताप थे । उन्होने छ लाखकी सम्पत्ति इसके लिए न्यस्त कर दी थी । सस्थामें साधारण शिक्षाके साथ-साथ कोई-न-कोई हाथका काम सबके लिए अनिवार्य था । सरकारसे सहायता नहीं ली जाती थी । राजा साहब स्वयं तो वहाँ कम ही रहते थे, प्रबन्ध दूसरोके हाथमें था । इनमें एक सज्जन बड़े कट्टर आर्यसमाजी थे । उनकी जिदमें ही पहिले-पहिले मैंने नित्य तिलक लगाना आरम्भ किया था । वहाँ एक साल रहकर मैं फिर काशी आ गया और अपने पुराने हरिश्चन्द्र स्कूलमें अध्यापक हो गया ।

उन दिनों पण्डित रामनारायण मिश्र हेडमास्टर थे। इनके कारण स्कूलकी विशेष प्रतिष्ठा थी। एक साल यहाँ रहकर मैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, इलाहाबाद, में भर्ती हुआ और वहाँसे एल० टी० की उपाधि ली। उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस डिग्रीको प्रदान करता था। अब यह वन्द हो गया। कॉलेजके प्रिंसिपल, श्री मैकेन्जी, मुझे बहुत मानते थे। उनकी सिफारिशसे मैं इन्दौरके डेली कॉलेजमें अध्यापक नियुक्त हुआ। किसी समय मध्यभारतके राज्योंके लिए सर ह्यू डेली गवर्नर जनरलके एजेण्ट थे। उन्हींके नामपर कॉलेजका नाम पडा था।

इस सस्थाकी अपनी कई विशेषताएँ थीं। मध्यभारतके राजकुमारों तथा सरदारों और जागीरदारोंके लडकोंके लिए खुला था। पचासके लगभग छात्र थे, सत्रह अध्यापक थे जिसमें प्रिंसिपलके सिवाय तीन और अग्रज थे। प्रिंसिपल श्री हाइड अपने दरगके निराले मनुष्य थे। लडकोंमें बहुत ही कडा अनुशासन रखते थे। कॉलेजमें लडकोंको अचकन, पाजामा, देगी जूता और साफा या पगडी पहनकर आना होता था। जूता उतार कर अध्यापकोंके कमरेमें जाने पाते थे। एक बार दफ्तरके एक क्लर्कने अध्यापकोंके लिए आया हुआ समाचारपत्र खोल लिया। श्री हाइडकी दृष्टि पड गयी। आगे-आगे वह क्लर्क, उसके पीछे प्रिंसिपल और उनके पीछे चपरासी, इस प्रकारका जल्स अध्यापकोंके कमरेमें पहुँचा। वहाँ श्री हाइडने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया : क्लर्क और चपरासीमें कोई अन्तर नहीं होता, क्लर्क अध्यापकोंके समाचारपत्रको नहीं छू सकता। इसके बाद उसी क्रमसे जल्स लौट गया।

प्रिंसिपल महोदयके शिक्षा-सम्बन्धी कुछ विचित्र विचार थे जो मेरे जैसे लोगोंको, जो ट्रेनिंग कॉलेजमें शिक्षाशास्त्र पढ चुके थे, बहुत ही वेदगे लगते थे। सीधे-सीधे शब्दोंके लम्बे-लम्बे अर्थ बताना उनको ठीक जँचता था। 'टु रीड' का अर्थ 'पढना' नहीं था वरन् 'किसी चिह्नको देखना और वह आवाज करना जिसका वह चिह्न प्रतीक है' था। परन्तु ऐसे पागलपनमें मैं उनसे भी बाजी ले गया। एक बार उन्होंने दो-तीन

अध्यापकोको, जिनमे मैं भी था, बुलाया और इधर-उधरकी बात करते-करते यह पूछ बैठे कि आप लडकोको 'डोर' (क्विाड)का अर्थ कैसे समझायेंगे। सीधा उत्तर तो यह है कि 'क्विाड' कह देनेसे लडका समझ जायगा। बहुत होगा तो कमरेका क्विाड टिखला देंगे। परन्तु हाइट माह्वकी दुनियामें इसमें कहाँ काम चलना था। मेरे और साथी तो कुछ सांच न पाये। मैंने जो परिभाषा दी उसका हिन्दी अनुवाद यह है : 'सब ओरमें घिरी जगहको कोठरी कहते हैं। भीतर आने और बाहर जानेके लिए कोठरीकी किसी दीवारमें जो छेद किया जाता है उसे द्वार (अंग्रेजीमें 'डोर वे') कहते हैं। द्वारको जिस चीजमें खोलते और बन्द करते हैं उसे क्विाड (डोर) कहते हैं।' प्रत्येक समझदार इस परिभाषापर हँसेगा और कोई भी अध्यापक लडकोके सामने ऐसी वेवकूफीकी बात न करेगा, परन्तु हमारे प्रिंसिपल महोदय मेरी योग्यतापर खिल उठे।

इस कॉलेजमें सामाजिक अध्ययनकी प्रभूत सामग्री थी। प्रिंसिपल बहुत कड़ाई बरतते थे : बड़े राजा और छोटे जागीरदारमें यथासम्भव भेदभाव बचाते थे, परन्तु भेद तो थे ही। छोटे जागीरदार बड़े नरेशोंके लडकोंकी खुशामद करते थे और अपनेसे छोटेसे अभिमानपूर्ण व्यवहार करते थे। भीतर-भीतर राजपूत और मराठाकी अनवन काम करती थी। क्त्तममें जो देगी ढगका बख्र पहिनना पडता था उसकी प्रतिक्रिया यह होती थी कि जरा-सा अवसर मिलते ही कोट-पतन्त्र निकलता था। राजानवाव अंग्रेज सरकारके समर्थक तो थे ही परन्तु हृदयसे प्रसन्न नहीं थे। हमारे कुछ छात्र कभी-कभी कहते थे कि हम तो यह चाहते हैं कि यदि स्वराज्य हो जाय तो हमारा राज इंग्लैण्डपर हो जाय और मुझको अंग्रेज नरेशके दरवारका रेजिडेण्ट बना दिया जाय। फिर मैं उस सारे अपमानका बदला निकाल दूँगा जो हम लोगोको अंग्रेज रेजिडेण्टोंके हाथों सहना पडता है।

इन्दौरमें मेरा परिचय प्रसिद्ध पत्रकार और प्रवासी भारतवासियोंकी समस्याके विशेषज्ञ पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदीसे हुआ। यह कॉलेजमें

हिन्दीके अध्यापक थे। लडकोमे बहुत प्रिय थे। चतुर्वेदीजी हिन्दी और अग्रेजी दोनो बहुत अच्छी लिखते हैं, पर वह जब प्रिंसिपलसे पहिली बार मिले तो उनसे एक गलती हो गयी। श्री हाइडने पूछा, 'आप कब आये ?' उत्तरमे चतुर्वेदीजी कह गये, 'आइ केम हियर टुमारो' (आनेवाला कल)। फिर याद आया कि यह तो भूल हुई। तत्काल ठीक किया, 'आइ मीन यस्टडे, यस्टडे, यस्टडे' (मेरा तात्पर्य गत कलसे है।) बात बहुत छोटी-सी थी। परन्तु हाइड साहबने समझ लिया कि यह बड़े भोले आदमी है। चतुर्वेदीजी इस बातका सदा अनुचित लाभ उठाते रहे। मिस्टर हाइड उनके सौ खून भी माफ करनेको तैयार रहते थे। हम विवश थे, उनके भोलेपनका भण्डाफोड कर नहीं सकते थे।

मेरे इन्टैरके निवासकालमे वहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अष्टम अधिवेशन हुआ। मैं प्रदर्शनी-विभागका अध्यक्ष था और पण्डित बनारसी-दासजी मन्त्री थे। १९०५ के कांग्रेस अधिवेशनके बाद इतने बड़े समारोहमें मम्मिलित होनेका मेरा पहिला ही अवसर था। उसी मौकेपर मुझसे श्री पुरुपोत्तमदास टण्डनसे परिचय हुआ। अधिवेशन हर दृष्टिसे सफल रहा परन्तु उसकी सफलताका सबसे बड़ा श्रेय महात्मा गान्धीको था। उन दिनों वह महात्मा नहीं कहलाते थे। उनकी ख्याति फैल चुकी थी, पर दर्शन करनेका वह पहिला ही अवसर था। दक्षिण अफ्रीकामे उनके यशस्वी कामोका चर्चा सर्वत्र था, उनकी उपस्थिति बहुत लोगोको खींच लायी थी।

तीन साल इन्टैर रहनेके बाद मैं डूंगर कॉलेजका हेडमास्टर हो गया। वीकानेर गया। यह बड़ी शिक्षासस्था थी। इसमे एक हजारसे ऊपर विद्यार्थी पढ़ते थे। साधारण पढाईके अतिरिक्त कानूनका भी क्लास था। कानूनकी पढाई हिन्दीमे होती थी।

राजस्थानके मानदण्डसे वीकानेर बहुत ही प्रगतिशील राज्य था। उसके नरेश महाराजा गंगासिंहने सार्वजनिक जीवनमे अपने लिए जगह बना ली थी। अग्रेजी अच्छी बोलते थे। राज्यका शासन मन्त्रिमण्डलके

परामर्शसे होता था, महाराजा स्वयं उसके अध्यक्ष थे। उसके सबसे योग्य सदस्य गृहमन्त्री रायवहादुर मु० कामताप्रसाद और मालमन्त्री श्री रडकिन थे। मु० कामताप्रसाद बनारस जिलेके रहनेवाले थे। श्री रडकिन पंजाबके सिविलियन थे और उस प्रदेशकी सरकारसे ऋणस्वरूप लिये गये थे। विधानसभा भी थी। उसके सदस्योंको प्रश्न पूछनेका अधिकार था, जो उस समय केन्द्रीय कौंसिलके सदस्योंको नहीं था। महाराजा साहब बराबर इस बातको कहते रहते थे। बजट अधिवेशनके अवसरपर कई अंग्रेजी समाचारपत्रों—जैसे टाइम्स ऑफ इण्डिया, पायोनियर, स्टेट्समैन—के सम्पादक बुला लिये जाते थे। दो-तीन दिन राजके अतिथि रहते और विधानसभाकी काररवाईका तमाशा देखते, फिर जाकर वीकानेरके उदार शासनपर अग्रलेख लिखते। मैंने तमाशा शब्द जान बूझकर लिखा है। लोकतन्त्रके नाटकमें बड़ी फील थी। सदस्योंको जो प्रश्न पूछने थे वह उनको बहुधा सुझाये जाते थे और बजटकी जो आलोचना करनी थी वह भी बता दी जाती थी। एक बार एक सदस्यने, जिनका कलकत्तेमें बड़ा कारवार था, मुझसे कहा था, 'यदि हमको स्वतन्त्रता हो तो इस बजटके चिथड़े उड़ा सकते हैं।' जबतक मैं वहाँ रहा, महाराजा साहब और वित्तमन्त्रीके अंग्रेजी भाषणोंका हिन्दी अनुवाद मुझे ही करना होता था। जहाँतक महाराजाकी बात है, वह न हिन्दी पढ़ते थे, न अंग्रेजी : वह मूठ अंग्रेजीका मारवाडीमें तात्कालिक अनुवाद करके बोलते जाते थे।

वीकानेरमें कई विलक्षण सामाजिक बातें सामने आयीं, व्यवस्थापक सभाके एक सदस्यकी मृत्यु हो गयी। मुझसे शोक प्रस्ताव बनानेको कहा गया। मैंने उनके नामके आगे स्वर्गीय लिखा। बताया गया कि स्वर्गीय राजवशके लिए ही लिखा जा सकता है। दिवगतमें भी आपत्ति हुई। अन्तमें परलोकवासीसे काम चला। स्यात् उन दिनों राजस्थानमें राजकुलोंके सिवाय और किसीको स्वर्ग जानेका अधिकार नहीं था। सिद्धान्ततः वर्णव्यवस्थामें ब्राह्मणका चाहे जो स्थान हो, परन्तु व्यवहारमें राजपूत ही सबसे बड़ा माना जाता था। जो लोग वीकानेर-निवासी नहीं थे वह

परदेसी कहलाते थे। उनसे सबसे ही जलन थी। कुछ परदेसी राजसेवामे थे। सभी चाहते थे कि यह लोग निकाल दिये जायँ। फलस्वरूप परदेसियोंमे भी बड़ा एका था। सब एक-दूसरेके साथ बँधे रहते थे।

१९२० मे एक ऐसी घटना घटी जिसने फलित ज्योतिषकी महत्ताकी ओर मेरा व्यान बलपूर्वक आकृष्ट किया। वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड बीकानेर आये हुए थे। वे भिकारके लिए गये। उनके परराष्ट्र सचिव श्री बुडने हिरनपर गोली चलायी। वह बहक कर युवराज, महाराजकुमार शार्दूलसिंहकी बाँहमे लग गयी। घाव गहिरा नहीं था, महाराजकुमारने घबराहटके कोई चिह्न नहीं दिखलाये, परन्तु स्वभावतः वाइसराय और उनके साथी बहुत लज्जित हुए। अस्तु, वाइसराय चले गये। राज्यमे चारो ओर उत्सव मनाये गये। बात समाप्त हो गयी, ऐसा प्रतीत हुआ।

पर ऐसा हुआ नहीं। महाराजा साहबको ज्योतिषपर अटूट श्रद्धा थी। उनका सबसे अधिक विश्वास तो काशीके महामहोपाध्याय पण्डित अयोध्यानाथजीपर था परन्तु अयोध्यानाथजी वहाँ बराबर रह नहीं सकते थे, उन्होंने अपने शिष्य पण्डित विष्णुदत्त ओझाको रख दिया था। इनका मुख्य काम महाराजा और उनके लडकोका वर्षफल बनाना और वर्षमे आनेवाली विपत्तियोंके निवारणार्थ पूजा-पाठ कराना था। वर्षफलकी एक प्रति महाराजा अपने पास रखते थे। ज्योतिषीजीको स्थानीय ब्राह्मणो-पर बहुत विश्वास नहीं था, इसलिए वह उत्तरप्रदेश और बिहारसे पूजा करनेके लिए ब्राह्मण ले गये थे। जिस कामके लिए जो पूजा होती थी उसे रजिस्टरमे लिखना पड़ता था।

लार्ड चेम्सफोर्डके जानेके कुछ काल पीछे यह प्रश्न उठाया गया। महाराजाके कान भरे गये कि महाराजकुमारको गोली लग गयी और ज्योतिषीजीने इसके सम्बन्धमे कुछ नहीं किया। इसके निर्णयके लिए दिन नियत हुआ। हम सभी परदेसी चिन्तित थे। किसी भी परदेसीके काममे दोष पाया जाना सब परदेसियोंके लिए एक प्रकारसे जीवनमरणका प्रश्न था। परन्तु स्वयं पण्डितजी जरा भी चिन्तित नहीं थे। वह हम

लोगोंको भी आश्वासन देते जाते थे। कुछ समयमें नहीं आता था कि यह क्यों इतने दृढ़ है। नियत दिन आया। पण्डितजीने महाराजा साहबसे महाराजकुमारके वर्षफलकी प्रति अपने पाससे निकालनेको कहा। उसमें स्पष्ट लिखा था, अमुक तारीखको इतने बजे महाराजकुमार साहबको अग्निसे भय है। तारीख और समय विलकुल ठीक। तब उन्होंने कहा, 'यदि कोई किसी प्राचीन पुस्तकमें बन्दूकका नाम दिखला दे तो मैं आजसे ज्योतिषका काम करना छोड़ दूँ।' सब निरुत्तर हो गये। फिर उन्होंने अपना रजिस्टर खोलकर दिखला दिया कि इस भयके निवारणके लिए क्या अनुष्ठान किया जा रहा था। महाराजा साहबने माना कि इससे अधिक कोई ज्योतिषी नहीं कह सकता। वस्तुतः यह फलित ज्योतिषका बहुत बड़ा चमत्कार था। पण्डितजीकी विजय तो हुई ही, हम सब परदेसियोंकी प्रतिष्ठा रह गयी।

'राजस्थानका भारतमें विशेष स्थान है। यहाँ ऐसे दृश्य, ऐसी रीतियाँ, ऐसी परम्पराएँ सुरक्षित हैं जिनका अन्यत्र लोप हो गया है। किसी-किसीके पीछे बड़े रोचक इतिहास या अद्वैतिहासिक कहानियाँ हैं। बीकानेरमें प्रचलित एक रिवाज मुझे बहुत पसन्द आया। कहते हैं कि औरगजेबने एक बार अफगानिस्तानपर आक्रमण किया। अटक नदीके पास पहुँचनेपर एक मुसलमान फकीरने यह सूचना दी कि नदी पार होनेपर आप लोग भारतसे अलग हो जायँगे और बलात् मुसलमान बना लिये जायँगे। हिन्दू राजे घबराये। उन्होंने इस बहाने पार जाना स्थगित कर दिया कि महाराजा जयपुरकी माताका देहान्त हो गया है। सूतक छूटनेपर आवेंगे। मुगल सेना पार उतर गयी। अब यह तय हुआ कि नावोंको नष्ट कर दिया जाय ताकि मुगलोंको लौटनेमें कठिनाई हो। तबतक हम लोग अपने-अपने घर लौट चले। परन्तु औरगजेब निश्चय ही बदला लेगा। जो नेता बनेगा सबसे पहिले उसीको युद्धके लिए तैयार होना पड़ेगा। बीकानेर दुर्गम था, इसलिए महाराजा बीकानेर, कर्णसिंह, से प्रार्थना की गयी कि आप नेतृत्व कीजिये। उन्होंने इस शर्तपर स्वीकार किया कि सब

नरेश मुझे सलामी दे । वह रेतके एक टीलेपर बैठ गये और सबने 'जय जगत्पुत्र वादशाह' कहकर उनको नजर दिया । फिर पहिले एक नावपर उन्होंने कुल्हाडा चलाया । बातकी बातमे सब नावे तोड डाली गयी । कुछ कालमे मुगल सेना लौटी । बीकानेरपर आक्रमण हुआ । कुछ दिन युद्ध चला, फिर और गजेवका ध्यान दक्षिणकी ओर खिंच गया और यह लडाई बन्द हो गयी । जिस फकीरने यह समाचार दिया था उसके और उसके वंशजोके लिए पीढी-दर-पीढीके लिए राज्यके प्रत्येक घरसे सालमे एक बार एक रोटी और एक पैसा मिला करे, मेरे समयतक यह बात थी । वह लोग रुपयेवाले थे, बहुत-से नौकर थे । पता नही राज्योके विलीनीकरणके बाद यह प्रथा रह गयी या बन्द हो गयी ।

मै इन दस बरसोमे जीविकाके लिए कई जगह घूमता फिरा । प्रायः एक-एक वर्ष ही रहा, कही तीन सालसे अधिक नहीं टिका । यह बात देखनेमे तो अच्छी नहीं लगती परन्तु मुझे तो बहुत लाभ हुआ । राजस्थान और मध्यभारतमे रहकर देगी राज्योकी रूपरेखा देखी, बीकानेरमे स्वयं एक बडे राज्यके शासनका अंग बना । साधारण घोके लडकोको पढाया, राजा-नवाबोके लडकोको पढाया, उनकी मनोवृत्ति देखी । भारतकी मौलिक एकता और गहिरा अनेकताका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ । यह शिक्षा आगेके सार्वजनिक जीवनमे मेरे काम आयी ।

इसी दशकमे मैने साहित्यके क्षेत्रमे पाँव रखा । मेरी पहिली पुस्तक 'धर्मवीर गान्धी' थी । इसके तीन सस्करण निकले । इसकी सारी आय उम कोपमे दी गयी जो गान्धीजीके दक्षिणी अफ्रीका आन्दोलनके लिए एकत्र किया गया था । और भी कई पुस्तके निकली । नागरीप्रचारिणी सभाकी मनोरजन पुस्तकमालामे 'भौतिक विज्ञान' और 'ज्योतिर्विनोद', तथा 'महाराजा छत्रसाल', 'महादजी शिंदे' और 'भारतके देशी राष्ट्र' भी इन्ही दिनो लिखे गये । मैने समाचारपत्रोमे भी लिखना आरम्भ किया । साहित्यके द्वारा ही मेरा स्व० गणेशगकर विद्यार्थी तथा पण्डित श्रीकृष्णदत्त पालीवालसे परिचय हुआ । मै तभीसे विद्यार्थीजीके यहाँ



प्रताप प्रेसमे ठहरने लगा । इन्दौर, और उसमे भी बढ़कर वीकानेरमे रहकर राजनीतिक विषयोपर लिखना सरल नहीं था । राज्यके कोपका भाजन बनना हो सकता था । वीकानेरमे एकाध बार मेरे ऊपर सन्देह हो चुका था, इसकी मुझे सूचना मिल चुकी थी । इसलिए मैं कल्पित नामोसे लिखा करता था । इनमे दो, 'कापालिक' और 'मुखाखिल'से अधिक काम लेता था । पत्रोको डाकमें छोड़नेमे भी सतर्कता बरतनी पडती थी । सीधे वीकानेरमे तो ऐसी चीज डाकमे नहीं ही डाली जा सकती थी ।



जो दशक पिछले अध्यायका विषय था उसमें ऐसी बातें हुईं जिन्होंने सम्यता और सस्कृतिकी जड़ हिला दी, इतिहासके प्रवाहकी दिशा बदल दी। सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ। उसकी ज्वालामें बड़े-बड़े साम्राज्य भस्म हो गये। कई सौ वर्षोंतक अरब जाति तुर्कोंके अधीन रही थी। अरब और तुर्क दोनों ही मुसलमान, सुन्नी मुसलमान थे, परन्तु आपसमें प्रेम नहीं था, विजेता और विजितमें प्रेम होता ही नहीं। तुर्क साम्राज्य समाप्त हो गया, अरब स्वतन्त्र हो गये। तुर्कोंका राज्य वृत्त गया, परन्तु बहुत छोटा रह गया। आस्ट्रिया-हंगरीका साम्राज्य भी खत्म हो गया। आस्ट्रिया और हंगरी दो छोटे-छोटे पृथक् राज्य निकल आये और जो देश उनके अधीन थे वह मुक्त हो गये। लगभग चार सौ वर्षोंसे जेकोस्लोवाकिया इस साम्राज्यमें पड़ा तडप रहा था। उसका अस्तित्व मिट-सा रहा था। उसके दिन लौटे, स्वतन्त्र हो गया। डेढ़ सौ वर्षोंसे पोलैण्ड गुलाम था। उसे छिन्न-भिन्न कर दिया गया था। रूस, जर्मनी और आस्ट्रियाने उसे आपसमें बाँट लिया था। अब तीनों टुकड़े फिर मिल गये और स्वतन्त्र पोलैण्डका पुनः जन्म हुआ। जर्मनी परतन्त्र हो गया। आयरलैण्ड स्वतन्त्र तो नहीं हो पाया परन्तु अंग्रेजोंके चगुलसे निकल जानेका प्रयास पहिलेसे कहीं सबल हो गया था। कितने मनुष्य मरे, कितने घायल हुए, कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई, इसका ठीक-ठीक हिसाब लगाना कठिन है। इतने नर-नारी विस्थापित हुए कि उनके

पुनर्वासकी समस्याको यूरोपियन राष्ट्र बहुत दिनोतक नहीं सुलझा पाये ।

परन्तु सबसे बड़ा परिवर्तन रुसमें हुआ । केवल इतना ही नहीं कि साम्राज्य गया, साम्राज्यका नाम जानेपर भी जो कुछ बचा वह इतना विशाल था कि उसमें कई साम्राज्य समा सकते थे, वरन् सम्राट्त्वशका उच्छेद कर दिया गया, एक प्रकारके लोकतन्त्रने उसकी जगह ली । मविधान तो अभी बना नहीं था, पर शासनका स्वरूप, जहाँतक समझमें आता था, अन्ूटा था । बातकी बातमें कल-कारखानो, खेतो, बकोपरसे निजी स्वत्व उठ गया, न्यायालयोका ढँचा बदल गया । कुछ थोडी-सी बातें ही जात थीं । रुसवालेने नहीं, यूरोपकी अन्य सरकारोने परदा डाल रखा था । समाचार आने ही नहीं पाते थे । उनको डर था कि यह रोग हमारे यहाँ न फैल जाय । रुसी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट थे, परन्तु बहुत दिनोतक सुपठित लोगोको भी कम्युनिज्मके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं था ।

भारतमें समाचारोका पहुँचना कठिन था । वह रुसियोंके विरुद्ध ही होता था । दो बातोका बहुत प्रचार था । एक तो यह कि रुसमें स्त्रियाँ राष्ट्रीय सम्पत्ति बना दी गयी है, दूसरी यह कि कम्युनिस्ट धर्मके कट्टर शत्रु है । पहिली बात तो सर्वथा निराधार थी ही । दूसरी सच थी । धीरे-धीरे यहाँ भी झूठे प्रचारका भेद खुलने लगा । यह सवने देखा कि अमेरिका और उमके साथ यूरोपके सभी बड़े राष्ट्र, रुसका विरोध कर रहे हैं । यह सब राष्ट्र पूँजीवादी हैं और साम्राज्यशाहीके समर्थक हैं । इसका भी अनुभव था । अतः रुस किसी-न-किसी प्रकार साम्राज्यशाहीका शत्रु है । यह बात समझमें आने लगी । जिस वीरतासे रुसकी सरकार भीतरी और बाहरी शत्रुओंका सामना कर रही थी उसको देखकर स्वभावतः उसके प्रति आदर और सहानुभूतिका भाव उत्पन्न होता था ।

मारे उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियामें अशान्ति व्याप्त थी । राष्ट्रीय भावना उबल रही थी । भारतमें पहिलेसे भी पर्याप्त जागृति थी । काग्रसका कई दशकोका इतिहास था, कई आन्दोलनोकी

स्मृति थी, इच्छाभिघातका क्रोध था। स्वभावतः यहाँ राष्ट्रीय भावनाके लिए उपयुक्त भूमिका थी। भारतीय सिपाही युद्धमें यूरोपवालोंसे लड़ चुके थे, अंग्रेजोंका लड़ना देख चुके थे, उनके हृदयोपरसे गोरोकी अजेयताकी छाप मिट चुकी थी। युद्धकालमें बहुत-से भारतीय अफसर बनाये गये थे, यह खयाल भी जाता रहा था कि भारतीय आधुनिक सेनाओंका संचालन नहीं कर सकते। भारतीयोंको दृढ विश्वास था कि हम अपने देशका शासन कर सकते हैं। अंग्रेजोंने कुछ कालके लिए मुसलिम लीगको प्रोत्साहन देकर आपसमें मनमुटाव पैदा कर दिया, मुसलमानोंको ओरोसे अलग कर दिया। परन्तु ऐसे हथकण्डोंसे बहुत दिनोतक काम नहीं चलता। मिण्टो-मारले मुधार योजनासे किसीको भी सन्तोष नहीं हुआ। बहुत लोग आशा लगाये बैठे थे कि युद्धके बाद पूर्ण स्वराज्य न सही, हम स्वशासनके मार्गपर बहुत दूर बढ़ सकेंगे। इन आशाओपर पानी फिर गया। सन् १९१६ में लखनऊमें कांग्रेस और मुसलिम लीगमें समझौता हो गया और फिर सारी राष्ट्रीय शक्तियाँ एकत्र हो गयीं।

यह नहीं कह सकते कि अंग्रेजोंने कुछ नहीं किया। युद्धके समाप्त होते-होते माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना सामने आयी। यह मिण्टो-मारले योजनासे अच्छी थी, परन्तु ढेरमें आयी। सम्भव है उस जाल पहिले लोग उसमें सन्तुष्ट हो जाते, पर अब कोई उसे माननेको तैयार नहीं था। साम्राज्यवादियोंका यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि वह समयपर यथार्थ निश्चय नहीं कर सकते। उनको इतिहास कुछ सिखाता ही नहीं। उनकी कुछ ऐसी धारणा होती है कि चाहे इसके पहिलेके साम्राज्योंसे भूल हुई हो पर हम निवाह ले जायेंगे। सम्भवतः अंग्रेजोंका यह भी खयाल रहा होगा कि काले-बादामी-पीले मनुष्य गोरोकी भाँति पुरुषार्थी नहीं हो सकते। यह कुछ कर न सकेंगे। बहरहाल, भारतीय जनमतको सन्तुष्ट करनेका कोई समुचित प्रयत्न नहीं किया गया। देशमें ऐसे भी लोग थे जिनकी यह राय थी कि माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना अच्छी-बुरी जैसी भी है उसमें काम लिया जाय, परन्तु राष्ट्रवादियोंका बहुमत उसको स्वीकार

करनेको तैयार नहीं था ।

परिस्थिति विगडती ही गयी । 'स्वाधीनता धीरे-धीरे मिलती है, उसके लिए अनुभव और योग्यता अर्जित करनी चाहिये' यह बात उन लोगोको अच्छी लग सकती थी जो लिबरल कहलाते थे, जो इंग्लैण्डके लिबरल दलके आचार्यों और नेताओको—मिल, ग्लैड्स्टन, मारलेको अपना आदर्श और पथप्रदर्शक मानते थे । इन लोगोकी रायमे परतन्त्र भारतका राजनीतिक विकास स्वतन्त्र इंग्लैण्डके सॉचेमे ढाला जा सकता था । परन्तु देशकी आत्मा इसके बहुत आगे बढ़ गयी थी । बहुत-से युवकोको सशस्त्र क्रान्तिके सिवाय और कोई मार्ग नहीं देख पडता था । कोई इनके विचारो और कार्यगैलियोसे सहमत हो या न हो, परन्तु इनकी त्यागवृत्ति, देशभक्ति और वीरताका लोहा तो मानना ही पडता है । भारतीय गुप्तचर इनका पीछा करते थे । भारतीय पुलिस इनको गिरफ्तार करती थी, बहुधा भारतीय मजिस्ट्रेट और जज इनको ढण्ड देते थे । गुलाम देशमे ऐसा ही होता है, परन्तु ऐसे नररत्नोंके रक्तसे ही स्वतन्त्रताकी देवीके मन्दिरकी नांव मुट्टे होती है ।

अंग्रेज सरकारने बुद्धिको तिलाजलि दे दी थी । उन्होंने उसी शस्त्रको उठाया जिसका असफल प्रयोग सभी तानाशाही शासन करते आये हैं । दमनका सहारा लिया गया । उस जमानेका काल इतिहास सभी जानते हैं, विस्तारसे वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है । पहिले रौलट ऐक्ट और फिर जलियानवाला बागमें निरीह मनुष्योका नरमेध । यह ऐसा कसाईपनका काम था जो सिपाहियोके हाथसे नहीं होना चाहिये था । जनरल डायरकी आज्ञासे यह नृशस काम हुआ । उधर पंजावके गवर्नर सर माइकेल ओ ड्वायरने यह वीडा उठाया था कि मैं भारतीयोको वह सबक पढाऊँगा जिसे वह कभी न भूलेगे ।

डायर और ओ ड्वायरको सफलता मिली, ऐसी सफलता जिसका उन्होंने स्वप्न भी न देखा होगा । वह गली जिसमेसे हर भारतीयको पेटके बल रंगकर जाना होता था, जलियानवाला बागका हत्याकाण्ड,

नागरिकोंको सटकोंपर कोड़े लगवाना, इन बातोंने सचमुच भारतीयोंको वह मक्क सिखाया जिसे वह कभी भूल नहीं सकते ! राष्ट्रको आजतक ऐसा अनमान नहीं महना पडा था । अंग्रेजी राज्य तो बहुत दिनोंसे था परन्तु विदेशी शासनका शुद्ध रूप, गुलामीका नगा नाच, पहिली बार देखनेको मिला था । यह घटनाएँ हुईं तो पंजाबमें, परन्तु सारा राष्ट्र हिल उठा । राष्ट्रकी आत्मा तिलमिल उठी । अंग्रेजी शासनने सचमुच अपनी कन्न खोद ली ।

सबसे पहिले लोकमान्य तिलकने यह उद्योप किया था 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' । वह उन नेताओंमें प्रमुख थे जिन्होंने हमारी राजनीतिको नयी मोड दी । उनके पहिले लिवरल विचारोंका बोलबाला था, जिनका सार यह था कि हमको अंग्रेजोंके सामने 'भिक्षा देह'की मुद्रामे खडे रहना चाहिये, अंग्रेजोंको उनकी सहज उदारताकी याद दिलाते रहना चाहिये । तिलकने हमको बतलाया कि यह नीति बहुत दूरतक नहीं ले जा सकती । यदि हमको सचमुच अपने देशका शासन अपने हाथमें लेना है तो स्वराजको अपना अधिकार मानकर उसके लिए लडना होगा, त्याग करना होगा, कष्ट सहना होगा । हम अपने नैसर्गिक अधिकारको उनकी उदारता और दयापर नहीं छोड सकते । उनका देहान्त हो गया था । अगस्त १९२० में उनकी इहलीला समाप्त हो गयी ।

ऐसा लगा कि उनकी जगह भरी न जायगी । परन्तु देशके प्रारब्ध अच्छे थे । महात्मा गान्धीने उनकी जगह ली । तिलकको उनसे अच्छा उत्तराधिकारी नहीं मिल सकता था । गान्धीजी अपनेको गोखलेका शिष्य कहते थे । इससे उनका जो कुछ भी अभिप्राय रहा हो, परन्तु उनकी कार्य-शैली उससे नितान्त भिन्न थी जिसका पालन गोखलेने किया था । यह अमम्भव नहीं है कि जिस परिस्थितिका सामना गान्धीजीको करना पडा उसमें गोखले भी उसी नीतिको अपनाते । गोखले प्रमुख लिवरल नेताओंमें अन्तिम थे : गान्धीजी हमारे प्रथम और अन्तिम सत्याग्रही नेता थे ।

दक्षिण अफ्रीकाके आन्दोलनमें गान्धीजीने अश्वय कीर्ति अर्जित की

थी। मनु भी उनके चरित्रपर उँगली नहीं उठा सकता था। सरकारके विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था, परन्तु जूट युद्ध छिड़नेपर गान्धीजीने आन्दोलनको स्थगित कर दिया और स्वयं सिपाहियोंकी सेवा-शुभ्रपा करनेवालोंमें भरती हुए। इस एहसानको न मानना सरकारके लिए सम्भव नहीं था। उसको झुकना ही पडा। यह पहिला अवसर था जबकि भारतीयोंने दक्षिण अफ्रीकाके गोरोंके विरुद्ध सिर उठाया और निःशस्त्र पुरुषों और स्त्रियोंने पुलिस और सेनाका सामना करनेका साहस दिखलाया।

उनके स्वदेश लौटनेपर सभीकी आँखें उनकी ओर उठीं। वह कांग्रेसमें सम्मिलित भी नहीं हुए थे कि लोगोंको यह विश्वास हो गया कि यही व्यक्ति देशका भावी नेता होगा। कांग्रेस ही ऐसी सस्था थी जिससे आशा की जा सकती थी कि वह देशको स्वाधीनता दिलानेका काम अपने हाथमें लेगी। उसके पीछे तीस सालसे ऊपरका इतिहास था, परन्तु उसका नेतृत्व लिबरल्लोंके हाथमें था और उनको एक ही बात आती थी : गोली चले या राष्ट्रीय अपमान हो, स्वराजके स्थानमें पत्थर मिले, चाहे जो हो, तुम स्थान-स्थानपर सभा करो और सरकारके पास आवेदन-पत्र भेजो तथा ब्रिटिश जनताको भारतकी परिस्थिति समझाओ। यह बातें अब लोगोंके गले नहीं उतरती थीं। श्रीमती एनी बेसेण्टने होमरूल आन्दोलन चलाया पर वह भी निर्जीव रहा, क्योंकि उसकी नीतिमें भी कोई जोर नहीं था। लिबरल्ल डंगकी कार्यशैलीमें सबसे बड़ी दुर्बलता यह थी कि उसमें सामान्य जनताके लिए कोई स्थान नहीं था। जो कुछ करना था वह थोड़े-से पढ़े-लिखे लोगोंके लिए था। बड़े शहरोंमें या कांग्रेसके मंचपर अंग्रेजीमें भाषण और बस। उस समयके नेतृत्वका जिक्र इस शेरमें बहुत अच्छा खिचता है :

कौमके गममें डिनर खाते हैं हुक्कामके साथ।

रज लीडरको बहुत है मगर आरामके साथ ॥

महात्माजीके विचार अभी पूरी तरहसे मयको ज्ञात नहीं थे, उनकी नीति

भी स्पष्ट नहीं थी, परन्तु अप्रीकामे जो काम हुआ था उसको देखकर इतना तो अनुमान होता था कि वह सरकारका किसी-न-किसी प्रकार सक्रिय विरोध करेगे और उनकी विरोधप्रणात्मीमे सारी जनताके लिए काम होगा। लिबरल नेता इस बातसे घबराते थे। इतिहासमे तो देशोको स्वाधीनता सशस्त्र विद्रोहके द्वारा ही मिली थी, और कोई दूसरा उपाय देखा-सुना नहीं गया। परन्तु हमारे यहाँ सशस्त्र विद्रोहकी सामग्री नहीं थी, कांग्रेस या कोई दूसरी सस्था खुलकर इसकी तैयारी कर भी नहीं रही थी। इसमे कोई सन्देह नहीं कि तर्क लिबरलोके पक्षमे था। परन्तु वैयक्तिक और सामूहिक जीवनमे महत्त्वपूर्ण काम तर्ककी उपेक्षा करके ही होते हैं। त्याग और आत्मबलि तर्कका आश्रय नहीं लेते, श्रद्धा और विश्वास तथा आत्मनिष्ठाके ऊपर टिके होते हैं।

लिबरलोके अतिरिक्त और भी ऐसे लोग थे जो महात्माजीकी नीतिको ठीक नहीं समझते थे। परन्तु देशकी प्रवृत्तिके आगे उनकी चल न सकी। एक पुस्तकमे डॉक्टर मुजेने लिखा था : ओंधीसे बहस नहीं की जाती, बड़े से बड़े पेड़को उसके सामने झुक जाना पड़ता है। गान्धीजीके व्यक्तित्वने सबको झुका दिया। नागपुरमे सन् १९२० मे कांग्रेसने असहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) की नीतिको स्वीकार कर लिया। यद्यपि सन् १९२४ मे श्रीमती. वेसेण्ट वेल्सगॉव कांग्रेसमे गयी थी परन्तु वस्तुतः नागपुरसे पथविच्छेद हो गया। लिबरल कांग्रेससे अलग हो गये। सन् तो यह है कि वहाँसे इस ढलका राजनीतिक सूर्यास्त हो गया।

मैं इन दिनों वीकानेरमे था। देशी राज्य भारतीय राजनीतिकी मुख्य धारासे बहुत दूर थे। यह बात नहीं है कि समझदार नरेज कालकी गतिको विलकुल न पहिचानते हो। कई ऐसे थे जो यह देख रहे थे कि भारत एक-न-एक दिन स्वतन्त्र होकर रहेगा। मैंने स्वयं वीकानेरमे एक मित्रकी कृपासे एक गोपनीय पत्र देखा था जिसे महाराजा गंगासिंहने अग्नेज सरकार-के पास भेजा था। उसमे उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि यह विचार गलत है कि हम नरेज लोग ब्रिटिश भारतके स्वराज पानेके विरुद्ध हैं। हम चाहते



हे कि उन लोगोकी राजनीतिक अभिलाषा पूरी हो । परन्तु अपने गण्डोंके शासनके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया । उपरमें भूँसे ही लोकतन्त्रका नाटक हो परन्तु वस्तुतः निरकुश एकतन्त्र शासन था । परन्तु यहाँ जो कुछ हो रहा था उसकी प्रतिध्वनि वहाँतक पहुँचती ही थी । मेरे जैसे व्यक्तिकी मानस दशाका अनुमान सहज ही हो सकता था । लटकपनकी सारी भावनाएँ जाग उठीं, स्मृतियों और आशाओंका समुद्र उमड़ पड़ा । जिन स्वप्नोंको देखा करता था उनके फलीभूत होनेका दिन आ गया, ऐसा प्रतीत होता था । ऐसे समयमें वीकानेरमें बैठा क्या कर रहा था ? मेरा ध्यान तो वहाँ था जहाँ युद्ध छिटनेवाला था । इसके साथ ही कुछ बातें पीछे खींचती थीं । मेरे ऊपर पितार्जकके देहान्तके बाद परिवारका पूरा बोझ आ पड़ा था । परिवार भी बड़ा था । उन दिनों मुझे वीकानेरमें ३५० रु० महीना वेतन मिल रहा था जो अगले सितम्बरमें बढ़नेवाला था । उन दिनोंका ३५० रु० आजकलके १,००० रु० से अधिक मूल्य रखता था और फिर मेरे पास आयका कोई साधन नहीं था न कोई व्यवसाय था, न कहीं रुपया जमा था, न काय्तकारी थी, न जर्मादारी थी । इसके सिवाय मैं उन लोगोमें नहीं था जो यह विश्वास करते रहे हो कि एक सालमें, ३१ दिसम्बर १९२१ को, देश स्वतन्त्र हो जायगा । मैं यह समझता था कि यह बड़ी लम्बी लड़ाई होगी, कई पीढ़ियों उसमें होम हो जायेंगी । ऐसा लगता था कि इस अभियानमें सम्मिलित होना घर-गृहस्थीको अपने हाथों आग लगा देना है । कुछ कालतक सघर्ष रहा, चित्तमें गहरी उथल-पुथल रही, परन्तु पूर्वजन्मके सस्कार कुछ अच्छे थे, अन्तमें यही निश्चय हुआ कि चाहे जो हो, इस आन्दोलनमें सम्मिलित होनेके सिवाय मेरे लिए कोई अन्य गति नहीं है । घरके लोगोकी रक्षा उनका प्रारब्ध करेगा । केवल यह तय करना था कि वीकानेरसे कब जाया जाय ।

काशीमें ही कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिन्होंने जल्दी ही निर्णय करनेके लिए मुझे प्रेरित किया । महात्माजीकी इस पुकारपर कि शिक्षा-

सस्थाओका बहिष्कार होना चाहिये, हिन्दू विश्वविद्यालयके कुछ छात्रोने आचार्य कृपालानीके नेतृत्वमे वहाँसे छोड दिया, और गान्धी आश्रमकी स्थापना की। इस छोटे-से बीजसे बटवृक्षके समान आश्रम बढा और फला-फूल्य। आज वह करोडोकी खादीका व्यवसाय करता है। काशीवासियोको यह शिकायत है कि उसका मुख्य कार्यालय मेरठ भेज दिया गया। इसके कुछ पहिले श्री शिवप्रसाद गुप्तने काशी विद्यापीठकी नींव डाली थी। इसके लिए उन्होने दस लाख रुपया न्यस्त कर दिया था। उद्देश्य यह था कि यहाँ विश्वविद्यालयस्तरकी शिक्षा दी जाय। न्यासपत्रमे दो शर्तें रखी गयी थी : एक तो यह कि शिक्षाका माध्यम हिन्दी होगा और दूसरे यह कि सरकारी सहायता न ली जायगी। यदि इनमेसे एक शर्त भी टूट जाय तो न्याससे सहायता मिलना बन्द हो जायगा। शिवप्रसादजी बहुत ही दानी और उदारचेता थे। सैकडो विद्यार्थी और दूसरे लोगोको उनके यहाँसे सहायता मिलती थी। इसके साथ ही बहुत ही ऊँचे दर्जेके देशभक्त और हिन्दी प्रेमी थे। हिन्दीका प्रसिद्ध दैनिक 'आज' उन्हीकी देन है और 'ज्ञानमण्डल' नामकी प्रकाशन सस्थाको भी उन्होने जन्म दिया था।

उत्तरप्रदेशकी सरकार प्रतिवर्ष संस्कृतकी परीक्षाएँ लिया करती थी जिनके फलस्वरूप आचार्य और गान्धी जैसी उपाधियाँ दी जाती थी। देशमे यह संस्कृतकी सबसे पुरानी परीक्षापद्धति थी और गवर्नमेण्ट संस्कृत कॉलेजकी उपाधियोका सर्वत्र बहुत आदर था। अब यह सब काम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयने संभाल लिया है। गान्धीजीका आह्वान सुनकर कुछ विद्यार्थियोने इन परीक्षाओके बहिष्कारका निश्चय किया। पुलिस आयी, सवार लाये गये, पर यह लडके साहसके साथ खडे रहे। नगरके कुछ कांग्रेसजनने भी इनका नेतृत्व किया जिनमे डॉ० अब्दुल करीम प्रमुख थे। इन वीर विद्यार्थियोका जनतामे बहुत आदर हुआ। इस प्रदेशमे सरकारी कामोके सक्रिय विरोधका यह पहिला प्रयोग था और काशीको यह गौरव प्राप्त हुआ। कुछ लोगोने बहिष्कारको असफल बनानेका भी यत्न किया। उनमे पण्डित मदनमोहन मालवीय भी थे।

ऐसे लोगोंकी जनतामें कटी आलोचना हुई ।

जेलमें आनेके बाद उन लोगोंने असहयोगी संस्कृत छात्र समिति नामकी संस्था बनायी । बुद्धकी भांग लाने थे । बर्ग जीविकाका मुख्य साधन था । दिन-रात कांग्रेसके काममें लगे रहते थे । ऐसे पश्चिमी, त्वागी और नाहमी स्वयमेवक बटे भाग्यमें मिलते हैं । मुझे आगे चलकर उनका चर्चा करना है । इस समय उतना ही सूचित करना है कि इन छात्र समितिके सदस्योंमें प्रसिद्ध कान्तिदारी चन्द्रशेखर आजाद भी थे ।

काशीमें ही होनेवाली ऐसी घटनाओंने मेरी आकुलता और बढ़ा दी । १९२१ की गर्मीकी छुट्टियोंमें घर आया । उन दिनों तिरुक् स्वराज्य कोषके लिए चन्दा जमा कर रहे थे । एक करोड़ जमा करना था । 'पत्र पुष्प' मेंने भी दिया परन्तु इतनेमें इतिकर्तव्यता क्यों हो सकती थी । छुट्टियोंके बाद बीकानेर लौटकर त्यागपत्र दे दिया । वह स्वीकृत हो गया । ३१ जुलाईको सेवामे छुट्टी पा गया ।

बीकानेरसे मैं अजमेर आया और तीन-चार दिन अपने मित्र स्व० श्री चौदकरण शारदाके साथ रहूँगा । वहाँ मैं कांग्रेसका सदस्य बना । श्री शारदा चाहते थे कि मैं अजमेरको ही अपना कार्यक्षेत्र बनाऊँ, परन्तु मुझे ऐसा लगा कि मेरा स्थान उत्तरप्रदेश, मुख्यतः काशीमें ही है । घर चला आया ।



मै अगस्तमें काशी लौटा । दो-चार दिन बाद श्री सी० एफ० ऐण्ड्रूज, दीनबन्धु ऐण्ड्रूज, का पत्र मिला । उन्होने मुझे शान्तिनिकेतन बुलाया था । उन दिनो राजस्थानके कई राज्योसे दमनके समाचार आ रहे थे । उदयपुरके सम्बन्धमे ऐसी खबरे बडे जोरोसे निकल रही थो । श्री ऐण्ड्रूजका विचार था कि वह स्वय जाकर जाँच करें । वह समझते थे कि मुझे राजस्थानका जो अनुभव था उससे उनको सहायता मिलेगी, इसलिए मुझको साथ ले जाना चाहते थे । मैने स्वीकार कर लिया । परन्तु यात्रा न हो सकी । जिन-जिन राज्योमे वह जाना चाहते थे उन सबने मनाही कर दी । शान्तिनिकेतनमे मै पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदीके साथ ठहरा । वह उन दिनो वहाँ हिन्दीके अध्यापक थे । वही पहिली बार रविबाबूके दर्शन हुए । स्वय श्री ऐण्ड्रूजने परिचय कराया था ।

फिर लौटकर काशी आया । उन्ही दिनो श्री शिवप्रसाद गुप्तने 'मर्यादा'का प्रकाशन अपने जिम्मे लिया था । यह पत्रिका कई साल पहिले मालवीयजीके आशीर्वादसे प्रयागमे निकली थी । इन दिनो श्री कृष्णकान्त मालवीय उसके सम्पादक थे । पत्रिका आर्थिक कठिनाइयोमे थी । मित्रके नाते शिवप्रसादजीने उसके प्रकाशनका भार अपने ऊपर ले लिया, परन्तु कृष्णकान्तजीको यह आश्वासन दे दिया कि आप जब चाहे इसे प्रयाग लौटा सकते हैं । उन्होने उसका सम्पादन मुझे सौपा । काशी आकर पत्रिका संभल गयी । मैने उसमे एक विशेष चीज जोड़ी

जो उस समयतक हिन्दीके किसी पत्र-पत्रिकामे नहीं थी। प्रत्येक मासके आरम्भमे उस मासका आकाशचित्र दिया जाता था। यह चित्र काशीके अक्षांशके लिए तैयार किया जाता था। सूर्यसिद्धान्तके हिन्दी अनुवादक श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव इन चित्रोको तैयार करते थे। चित्रके साथ उपयोगी टिप्पणियों भी दी जाती थीं।

मैं सम्पादनके साथ-साथ राजनीतिक काममे भी लग गया। इसीके लिए तो वीकानेर छोडकर आया था। कांग्रेसका सदस्य तो अजमेरमे हो चुका था। उन दिनों काशीके कांग्रेस जीवनमे सबसे सक्रिय सदस्योमे डॉ० अब्दुल करीम, श्री वैजनाथसिंह, प्रो० रामदास गौड, श्री शिवसिंह, डॉ० मुहम्मद शकूर और पण्डित शिवविनायक मिश्र थे। आज इनमेसे पण्डित शिवविनायकजीके सिवाय सबका स्वर्गवास हो चुका है। शिवविनायकजी इन दिनों काशीका बृहत् राजनीतिक इतिहास लिख रहे हैं। इन्हीं लोगोके साथ रहकर मैंने जनसम्पर्क स्थापित किया, सभाओमे जाने लगा। मेरी एक बड़ी कमी थी। सभाओमे बोलनेका अभ्यास बहुत कम था। जिन दिनों १९११ मे लन्दन मिशन स्कूलमे पढाता था, थोडासा अभ्यास हुआ था। सनातनधर्मका कुछ नशा था, आर्यसमाजके विरुद्ध बोलनेका शौक हुआ, स्व० पण्डित मदनमोहन मालवी, पण्डित सभापति उपाध्याय और पण्डित रामानुज पाण्डेयका साथ था। हम लोगोने मिलकर एक स्कूल भी खोला जो आज सनातनधर्म इण्टर कॉलेजके रूपमे विद्यमान है। उन दिनोंकी एक बात आज भी याद है। इन मित्रोके साथ एक दिन महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्रीके यहाँ गया। मैं उस समय सस्कृत पढने लगा था। मेरा परिचय हुआ। मुनकर उन्होने सस्कृतमे पूछा 'तो आप लोग इनको वेद भी पढावेगे?' उत्तर दिया गया 'नहीं, यों ही थोडी-सी सस्कृत पढा देगे।' मैं इस प्रश्नोत्तरको समझनेभर सस्कृत जानता था। कुछ बोलना नहीं, परन्तु प्रश्नकर्ता महोदयकी मनोवृत्ति सनातनधर्मके हासके कारणोको पुकार-पुकारकर सूचित कर रही थी। किसी इतर सम्प्रदायसे लडनेके लिए आँखपर पट्टी बाँधकर

काम लिया जा सकता है परन्तु कायस्थको वेद नहीं पढने दिया जा सकता। यह उनके या किसीके बसकी बात नहीं थी परन्तु मेरी श्रद्धाको इससे बड़ी ठेस लगी। इस धर्मके शत्रु बहुधा इसके पूज्यतम नेता ही रहे हैं।

अस्तु, उस समय सभाओमें बोलनेका थोडा-सा अभ्यास हुआ था, परन्तु कांग्रेसकी सभाएँ बहुत बड़ी होती थीं। मेरा बहुत तेज बोलनेका अभ्यास था, लोगोंको समझनेमें कठिनाई होती थी, परन्तु थोड़े दिनोंमें यह दोष प्रायः दूर हो गया। उन दिनों हमारी सभाएँ प्रायः जानवापीके मैदानमें होती थीं।

मेरा एक और दोष था, अग्र भी है। एक तो पढने-लिखनेका शौक तब भी था, लोगोसे मिलने-जुलनेका उतना समय नहीं निकाल पाता था, दूसरे उस स्तरपर बात नहीं कर पाता था जो बहुत लोगोंको रुचिकर लगती थी। मुझे स्वयं यह विश्वास नहीं था कि एक सालमें स्वराज होगा, फिर दूसरेसे कैसे कहता? अंग्रेजी राजका विरोधी था, पर अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी रहन-सहनकी निन्दा नहीं कर पाता था। इन बातोके कारण कुछ लोग दवे शब्दोंमें कहा करते थे कि इनमें 'इण्टेलेक्चुअल प्राइड' (बौद्धिक अभिमान) है। अभिमान तो नहीं था पर यह मेरी सदैव धारणा रही है कि शिक्षित मनुष्यको अपने आचरण और बातचीतका स्तर ऊँचा रखना चाहिये। केवल लोकरजनके लिए नीचे नहीं उतरना चाहिये।

तिलक स्वराज्य कोषके लिए एक करोड रुपया एकत्र हो चुका था। सबको यह आशा थी कि अब कांग्रेस कोई नया और पुष्ट कदम सरकारके विरोधमें उठायेगी। कांग्रेसके वार्षिक चुनावमें मैं जिला कांग्रेस कमेटीका मन्त्री चुन लिया गया था। नये कार्यकर्ताके लिए यह बड़े दायित्व और गौरवका पद था। कमेटीके अध्यक्ष डॉ० भगवानदासजी थे। उनकी दार्शनिकता और सार्वभौम विद्वत्ताको मेरी प्रशंसाकी अपेक्षा नहीं है। विद्वान् थे पर शुष्क स्वभावके नहीं, वरन् हँसमुख व्यक्ति थे। आर्य शब्दके

सर्वथा अधिकारी थे-। उनके साथ काम करना स्वयं शिक्षा थी। जिस किसीको सस्कृत और भारतीय सस्कृतिसे प्रेम हो वह उनका सहज कृपापात्र बन जाता था। उनके बहुत-से विचार ऐसे थे जो कांग्रेसके बड़े नेताओंको अभीष्ट नहीं थे और कई प्रश्नोपर, जिनकी ओर वह निरन्तर ध्यान आकृष्ट किया करते थे, किसीने सोचनेका कष्ट ही नहीं किया था। हम नये लोगोको भी उनकी कई बातोंसे उलझन होती थी, परन्तु पीछेसे सोचनेपर उनकी सारवत्ता समझमे आती थी। अपने विचारोंको व्यक्त करनेका उनका ढंग भी निराला था। उनकी हिन्दी और अंग्रेजी लिखावटपर मस्कृतकी छाप प्रत्यक्ष देख पडती थी। मनुके प्रति उनकी अद्वैत श्रद्धा थी और मनुस्मृतिके सिद्धान्तोंको वह आजकलके सामाजिक प्रश्नोंको सुलझानेका भी सर्वोत्तम साधन मानते थे। पुराने हिन्दू कॉलेजकी उन्होंने जो सेवा की थी उसको देखते हुए उनको हिन्दू विश्वविद्यालयके जनकोंमें गिनना सर्वथा उचित होगा। उनका व्यक्तित्व काशीके लिए सर्वतः गर्वका आस्पद था।

दो शब्द खिलाफत आन्दोलनके सम्बन्धमे भी कहना आवश्यक है। माधारण लोग तो इसको 'मुखालिफत' (विरोध) से सम्बद्ध करते थे। उनकी धारणा थी कि अंग्रेजोंका विरोध करनेके कारण इसका नाम खिलाफत पड़ा है। वस्तुतः इसकी व्युत्पत्ति खलीफा (मुसलिम समाजका नेता)से है। तुर्कों सुल्तानोंका यह दावा था कि वह एक साम्राज्यके नरेशमात्र नहीं हैं, वरन् पृथ्वीभरके सुन्नी मुसलमानोंके धार्मिक नेता भी हैं। उनके इस दावेको सर्वमान्यता प्राप्त नहीं थी। भारतमे ही मुगल सम्राटोंने इसे स्वीकार नहीं किया। परन्तु अब कोई दूसरा मुसलिम नरेश नहीं बच रहा था जो अपनेको खलीफा कह सकता। धीरे-धीरे पदका महत्त्व भी प्रायः लुप्त हो गया था। परन्तु जब यूरोपियन राज्योंके निरन्तर आक्रमणोंने तुर्कोंको जर्जर बना डाला और उसके स्वातन्त्र्यके लोप होनेकी आशका हुई तो पिछले सुल्तानोंने इस भावनाको फिरसे जगाना उचित समझा। उनका यह खयाल था कि वह राज्य, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, जिनके

प्रजाजनमे मुसलमानोकी बड़ी सख्या है, खुलकर हमारा सर्वनाश करनेमे मकोच करेगे । उनका यह विश्वास बहुत दूरतक सही भी निकला ।

प्रथम महायुद्धमे तुर्कीने जर्मनीका साथ दिया और बुरी तरह हारा । साम्राज्य तो छिन्न-भिन्न हो ही गया, यह आशका हुई कि साम्राट्की मर्यादा भी नष्ट हो जायगी । वह स्वतन्त्र नरेश भी न रह जायेंगे । इसी अवसरपर भारतके कुछ मुसलिम नेताओने यह आन्दोलन चलाया । उनका कहना था कि इसलामकी दृष्टिसे यह आवश्यक है कि धार्मिक नेता खलीफा स्वतन्त्र नरेश हो । उन्होने सोचा कि इस वहाने सुलतान बच जायेंगे । किमी अन्य देशके मुसलमान इस आन्दोलनमें सम्मिलित नहीं हुए । भारतमे भी यह जोर पकड सकता इसमे सन्देह है, परन्तु महात्माजीने इसको आशीर्वाद दिया, कांग्रेस इसका समर्थक बन गयी । परिणाम यह हुआ कि अलीवन्धु जैसे खिलाफती नेता कांग्रेसमे भी ऊँचा स्थान पा गये । अखिल-भारतीय स्तरसे लेकर नीचे जिलोतक खिलाफत कमेटियोका जाल बिछ गया और कांग्रेसके कई हिन्दू नेता भी इनमे सम्मिलित हो गये ।

डॉ० भगवानदास आरम्भसे ही इससे पृथक् रहे परन्तु मै शरीक हुआ, बनारस जिलेकी खिलाफत कमेटीकी मजलिसे शरा—अन्तरग सभा—का सदस्य भी चुन लिया गया । सरन्तु मनमे शका रहती थी, महात्माजी और कांग्रेसके समर्थनके युक्तियुक्त होनेमे बराबर सन्देह बना रहता था । यो तो देशभक्ति किसोकी सम्पत्ति नहीं है, खिलाफतके कार्यकर्ता भी देशभक्त रहे ही होंगे परन्तु मुझे ऐसा लगता था कि उनमेसे अविकाशको जितना प्रेम इसलामसे था उतना भारतसे नहीं था । धर्म और राजनीतिका इतना सम्मिश्रण भी ठीक नहीं लगता था । एक बार मौलाना मुहम्मद अलीने कहा था कि छोटासे छोटा मुसलमान महात्मा गान्धीसे ऊँचा है । इसलामकी दृष्टिसे यह बात ठीक रही होगी परन्तु यदि हिन्दू यही बात मुसलिम नेताओके सम्बन्धमे कहने लगे तो आपसमें मनमुटाव बढकर धर्मयुद्धका रूप ले सकता है । खिलाफतका इसलाममे जो भी स्थान हो परन्तु उसके लिए हिन्दू या दूसरे अमुसलिम क्यों सघर्ष करे ? क्या किसी हिन्दू मन्दिरकी



रक्षाके लिए मुसलमान तत्पर होंगे ? यूरोपियन राज्योंकी नीतिने ही खिलाफत आन्दोलनको जन्म दिया है, कल यदि नीति बदल जाय तो आन्दोलन समाप्त हो जायगा, फिर क्या खिलाफतके कार्यकर्ता कांग्रेसके साथ कन्धा मिलाकर सरकारसे लड़ते रहेंगे ?

एक घटनासे मुझे शीघ्र निर्णय करनेपर विवश किया । मेरठका जिला उस समय दिल्लीकी प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीके अधीन था परन्तु खिलाफतकी दृष्टिसे युक्तप्रान्त (अब उत्तरप्रदेश) का अंग था । वहाँ प्रतिवर्ष एक प्रदर्शनी होती थी, १९२१ में भी हुई । दिल्ली प्रादेशिक कमेटीने उसमें सम्मिलित होनेकी अनुमति दे दी परन्तु किन्हीं कारणोंसे, जो मुझे स्मरण नहीं हैं, प्रादेशिक खिलाफत कमेटीने उसके बहिष्कारकी आज्ञा निकाली । इस बातने उन लोगोंको बड़े असमजसमें डाल दिया जो दोनों सस्थाओंके सदस्य थे । मेरा मार्ग स्पष्ट हो गया । किसी भी व्यक्तिके लिए समकक्ष दो राजनीतिक सस्थाओंका सदस्य होना अनुचित है । कभी-न-कभी उसको दोनों ओरकी विरोधी आज्ञाओंके कारण घोर धर्मसंकटमें पडना होगा । मैंने खिलाफत कमेटीकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दिया । थोड़े दिनोंमें खिलाफतकी समस्या आप ही सुलझ गयी । तुर्कीके उद्धारक मुस्तफा कमाल पाशाने सुल्तानका पद ही तोड़ दिया । कोई खलीफा बननेवाला ही न रहा । इस्लाम आज भी जीवित है यद्यपि कोई खलीफा नहीं है । यह सिद्ध करता है कि आन्दोलन सर्वथा निःसार था । समयने मेरी कई शकाओंके भी उत्तर दे दिये । जितने लोग खिलाफतके नामपर मामने आये वे उनमेंसे बहुत कम स्वाधीनताकी लड़ाइयोंमें देख पड़े ।

ज्यों-ज्यों दिसम्बर निकट आता गया, लोगोंकी आकुलता और उत्सुकता बढ़ती गयी । यत्र-तत्र छोटी-छोटी लड़ाइयाँ हुई । लड़ाई शब्दमें हिंसाकी ध्वनि है, इसलिए यह बहुत उपयुक्त तो नहीं है परन्तु उस समय जो युद्ध जैसा वातावरण था उसमें उपयुक्त-सा लगता है । ऐसे अवसरोंपर ऐसे शब्दोंका व्यवहार अगत्या होने लगता है । काशीमें विदेशी वस्त्र विक्रय करनेवाली दूकानोंपर धरना दिया गया । दो-तीन

दिनोंमें व्यवसायियोंने कांग्रेस कमेटीकी गतें मान लीं और धरना उठा लिया गया । ऐसी ही वाते अन्यत्र भी कई जगहोंमें हुई । पर इन छोटे संघर्षोंका कोई व्यापक प्रभाव तो पडता नहीं था । स्थानीय प्रभाव अवश्य पडता था और जनताका उत्साह बढ जाता था । चारों ओर यह धारणा फैली हुई थी कि कांग्रेसको कोई कदम उठाना चाहिये और यह विश्वास भी था कि गान्धीजी कोई-न-कोई मार्ग ढूँढ निकालेंगे । प्रश्न इतना ही था : कब और क्या ?

सरकारने इस विषयमें स्वयं हमारी सहायता की । उसने कृपा करके हमारे प्रश्नका उत्तर दे दिया । ब्रिटिश युवराज, प्रिंस ऑव वेल्स, को भारत आनेका निमन्त्रण दिया गया । जानकार लोगोंने समझाया कि यह अनुकूल समय नहीं है परन्तु जिदमें उनकी बात न मानी गयी । सम्भवतः यह समझा गया कि उनके आनेसे राजभक्तिका समुद्र ऐसा उमड पडेगा कि उसके आगे सारा विरोध हवा हो जायगा । यह आशा पूरी न हो सकी । सारे देशको इस समय युवराजका बुलाया जाना बुरा लगा । कांग्रेसने यह निश्चय किया कि अहिंसाको भंग न करते हुए स्वागतके सारे आयोजनोंका बहिष्कार किया जाय । आनेके दिन बम्बईमें दंगा हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई । दंगे तो सत्र जगह नहीं हुए परन्तु जहाँ-जहाँ श्रीचरण गये वही जनताने अपने घोर असन्तोषको प्रकट किया और गिरफ्तारियाँ हुई । उत्तरप्रदेशमें उनको लखनऊ, इलाहाबाद और काशी क्रमशः ११, १२ और १३ दिसम्बरको आना था । तीनों ही जगह पूरा बहिष्कार हुआ, पूरी हडताल रही ।

काशीमें जो कुछ हुआ उसको मैं सविस्तर दे रहा हूँ क्योंकि उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है । युवराजके आनेकी सूचना मिलते ही हम लोग तैयारीमें लगे । तैयारी भी ऐसी करनी थी जो देशके राजनीतिक जगतमें काशीके स्थानके अनुरूप हो । पहिला काम था नोटिस निकाल कर जनतासे इस बातकी अपील करना कि वह कांग्रेसके आदेशोंका पालन करे और १३ दिसम्बरको पूरी हडताल हो । दूसरी बात यह

कहनी थी कि स्वागत सम्बन्धी किसी उत्सवमें कोई भाग न ले। परन्तु, 'प्रथमग्रासे मक्षिकापातः', एक ऐसी कठिनाई आयी जो किसी दूसरे स्थानमें किसीकी कल्पनामें भी न आयी होगी। हमारे अध्यक्ष डॉ० भगवानदासजीको 'हडताल' शब्द अभद्र लगता था। उनका कहना था कि पुराने समयमें जब किसी कारणसे बाजारको बन्द कराना होता था तो कोई व्यक्ति जाकर सब दूकानोंके तालोंपर हड्डी डाल देता था। जब विवाद समाप्त हो जाता था तब हड्डी धो डाली जाती थी। हाड (हड्डी) और ताला मिलकर हडताल बना है। उनकी बात रखनी ही थी। दूसरे शब्दकी खोज हुई। कोई वैसा जोरदार शब्द तो मिला नहीं, अन्तमें 'कारवार बन्द'से काम चलाना पडा। यह तय हुआ कि कांग्रेस कमेटीके सभी सदस्योंके हस्ताक्षरसे नोटिस निकाली जाय, ज्ञानमण्डल यन्त्रालयमें, जो श्री शिवप्रसाद गुप्तकी सम्पत्ति था, छपी जाय और डॉ० भगवानदासके मकानपर रखी जाय। वहाँसे युवराजके आनेके दो दिन पहले हम लोग प्रतियाँ लेकर नगरके विभिन्न भागोंमें बाँटेगे। नोटिस छपी और यथास्थान पहुँच भी गयी परन्तु बँट न पायी। बाधा पड गयी। कमेटीके एक सम्मानित सदस्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटके मित्र थे। वह उनसे यों ही मिलने गये। बात-बातमें उनके मुँहसे यह बात निकल गयी कि नोटिसें अमुक स्थानपर रखी हैं और आज सायकाल हम उनको बाँटने निकलेगे। इतना पर्याप्त था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम लोगोंके एकत्र होनेके पहिले डॉ० भगवानदासजीके यहाँ पहुँचे और नोटिसें उठा ले गये।

इस घटनाके बाद सायकाल कांग्रेस कमेटीकी जो बैठक हुई वैसी बैठकमें मुझे उपस्थित होनेका स्यात् ही कोई दूसरा अवसर आया होगा। बड़ी गरम बहस हुई। जिन सदस्योंकी भूलसे यह सब हुआ उनसे तो लोगोंका असन्तुष्ट होना स्वाभाविक था ही। सन्देह और अविश्वासका बादल छा गया। हमको इस बातकी ग्लानि थी कि सब किया-कराया चौपट हो गया और अब काशीकी ज्ञान धूलमें मिल जायगी क्योंकि नगरवासियोंतक कांग्रेस कमेटीका आदेश पहुँच ही न सकेगा। क्रोध और दुःख तो सबको

ही था परन्तु हम देख रहे थे कि डॉ० भगवानदासजी विशेष दुखी थे । उनको इस बातसे ग्लानि थी कि नोटिसे उनके घरसे उठ गयी । उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इस सारे काण्डके लिए वह स्वयं दोषी है । कई घण्टेकी गरमा-गरमीके बाद बैठक किसी प्रकार समाप्त हुई । डॉ० भगवानदासके आग्रहपर यह निश्चय हुआ कि अकेले उनके हस्ताक्षरसे नयी नोटिस निकाली जाय । पण्डित शिवविनायक मिश्रका छोटा-सा छापाखाना था, उसमे रातभरमे नोटिस छप जाय । वॉटनेका काम श्री कृपालानी और गान्धी आश्रमके अन्य सदस्योके जिम्मे हुआ । दूसरे दिन, युवराजके आनेके एक दिन पहिले, नोटिसे बँटी । डॉ० भगवानदास, पण्डित शिवविनायक मिश्र, श्री कृपालानी तथा गान्धी आश्रमके प्रायः सभी सदस्य गिरफ्तार हो गये ।

हमारा काम बन गया । गिरफ्तारियोने हमारी और भी सहायता की । पूरी हडताल रही । हिन्दू विश्वविद्यालयमे कुछ इधर-उधरसे पकड़कर किरायेके आदमी बैठाये गये पर वह बेचारे विद्यार्थी कैसे बन जाते, उनकी सूरते पुकार-पुकारकर कह रही थी कि वह बेगारमे लगे गये हैं । काशीमे सरकार और कांग्रेसकी यह पहिली मुठभेड थी । प्रत्यक्ष ही इसमे कांग्रेस विजयी हुई । लोगोका आत्मविश्वास बढा ।

प्रादेशिक सरकारने एक घोषणा निकालकर कांग्रेसका स्वयंसेवक बनाना या बनना अपराध घोषित कर दिया । इस घोषणाने भी बडी सहायता की । सरकारसे सघर्ष करनेका सीधा मार्ग निकल आया । स्वयंसेवकोमे नाम लिखा लेना ही पर्याप्त था । प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीने स्वयंसेवक भर्ती करनेकी आज्ञा निकाली । जिस दिन युवराज काशी आये थे उसके एक दिन पहले प्रयागमें प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीकी बैठक हो रही थी । थोडे ही सदस्य उपस्थित थे । काशीके केवल श्री रामदास गौड जा सके थे, शेष सदस्य युवराजके स्वागतके बहिष्कारकी तैयारीमे लगे थे । मौलाना हसरत मोहानी अध्यक्ष थे । उनको छोडकर सभी सदस्योने स्वयंसेवकोके प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये थे । सभी गिरफ्तार हो गये ।

इन लोगोकी संख्या ५५ थी। मौलाना अपने समयके बड़े तपे-तपाये उग्र नेता थे, तिलकके अनुयायी थे। बहुत त्याग किया था, बहुत कष्ट भेला था। उर्दूके अच्छे कवि थे। उनका अनुभव उनके यह दो शेर व्यक्त करते हैं :

है शौके सखुन जारी, चक्कीकी मशक्कत भी।

इक तुर्फा तमाशा है, हसरतकी तबीयत भी ॥

जो चाहे सितम कर लो, तुम और भी खुल खेलो।

पर हमसे कसम ले लो, जो की हो शिकायत भी ॥

पर इस समय किन्हीं कारणोंसे वह कांग्रेसके इस आन्दोलनसे अलग रहे।

आन्दोलनकी सफलता अहिंसाके कायम रखनेपर थी। प्रत्येक कांग्रेस-जन महात्मा नहीं था, अहिंसाका व्रती नहीं था, स्वाधीनताके लिए शस्त्र उठाना पाप नहीं मानता था। गान्धीजीका यह मत था कि यदि शस्त्र प्रयोग करनेका अवसर हो तो भी हिंसाके द्वारा स्वराज्य नहीं लेना चाहिये। इस बातको सिद्धान्तरूपसे स्वीकार करनेवाले कांग्रेसके भीतर या बाहर बहुत ही थोड़े आदमी थे। परन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे अहिंसाको कांग्रेसने, कांग्रेसजनने, स्वीकार कर लिया था। हमारे पास शस्त्रसे काम लेनेके साधन नहीं थे। महायुद्धमें विजयी ब्रिटिश सरकारका सामना लड़ियों, तलवारों और गोंवके लोहारकी व्रनायी तोडेदार बन्दूकोसे नहीं हो सकता था। यदि बिना पूरी तैयारीके सशस्त्र विद्रोहका प्रयास किया जाता तो ऐसा दमन होता कि पचासो सालतक राष्ट्र सिर न उठा सकता। अहिंसामें यह टोप नहीं था। अहिंसक कायर नहीं होता, वीर पुरुष ही ऐसी लड़ाई लड़ सकता है। आघात सहना पर हाथ न उठाना मक्का काम नहीं है। जो हथेलीपर सिर लेता है वही अहिंसक सिपाही हो सकता है। धन-सम्पत्ति, स्वास्थ्य, जीविका, प्राण, सबकी वाजी लगानी होती है। और मनु जीतकर भी हारता है। भागनेवालेके प्रति घृणा होती है, चाहि-चाहि करनेवालेपर दया भी आ सकती है, ठोकर भी मारी जा सकती है परन्तु जो निहत्था मनुष्य छाती तानकर सामने खड़ा होता

है उसपर हथियार चलाते हुए लज्जा आती है, हाथ कॉप जाते हैं। विरोधी चाहता है कि यह कुछ करे, हाथ चला दे, गाली ही दे दे, तो सकोच छोड़कर इसपर गस्त्र चलाते वने।

विचित्र परिस्थिति थी। एक ओर तो सरकार घबरायी हुई थी। १८५७ के बाद यह पहिला अवसर था जब कि भारतीय जनता इतनी उत्तेजित हुई थी। १८५७ में भारतके कुछ ही भागोमें और समाजके कुछ ही अंगोमें अज्ञान्ति थी, इस वार समूचे देशमें, प्रत्येक वर्गमें, घोर अज्ञान्ति, घोर उद्वेग था। वाइसराय, लार्ड रेंडिंगने स्वयं कहा था : 'आइ ऐम पजट्ट एण्ड प्लैक्स्ड' (मैं घबरा उठा हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करती।) परन्तु भारतीय नेता भी कम चिन्तित नहीं थे। इतनी बड़ी सरकारसे टक्कर और वह भी अहिंसाके सहारे, जिस साधनका आजतक पृथ्वीपर कहीं प्रयोग नहीं हुआ था, हँसी-खेल नहीं था। इतने बड़े देशमें लोगोकी हिंसावृत्तिको दबाये रखना, जब कि सरकारकी ओरसे पदे-पदे उत्तेजन होगा, सरल बात नहीं थी। उत्तेजककी चाहे अन्तमें जीत ही हो और वह अपनेसे बलवान ही हो, परन्तु प्रहारके बदलेमें प्रहार करनेसे कुछ तुष्टि तो होती ही है। अहिंसक आन्दोलन इस तुष्टिसे भी वंचित कर देता है। आश्चर्य तो यह है कि इतनेपर भी सहस्रो व्यक्ति स्वयमेवक वने। लोगोने नौकरियाँ छोड़ी, दूसरी जीविकाएँ छोड़ी और इस यज्ञमें सम्मिलित हुए। यह किसीको पता नहीं था कि सरकार क्या करेगी। उन दिनों एक गाना प्रचलित था, वह ऐसे लोगोके भावका द्योतन करता है। उसकी प्रथम पक्ति है : 'सिर बाँधे कफनिया हो, शहीदोंकी टोली निकली'। सच तो यह है कि जिन लोगोके पिछले जन्मोंके सस्कार प्रबल और पुण्यमय थे उनके ही कानमें महात्माजीका मन्त्ररूपी उपदेश उतरा। उनका जीवन बन गया, मिट्टी सोना हो गयी, नरदेह सार्थक हो गयी। साधारण जनतापर भी कर्होंतक प्रभाव पडा था उसका इस बातसे अन्दाज होता है कि सारे आन्दोलनकालमें १९२१ से १९४५ तक किसी अंग्रेजकी सम्पत्ति नहीं लूटी गयी, किसी अंग्रेज महिलाके

साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, किसी अग्रेजके न प्राण लिये गये न उसे गारी-रिक आघात सहना पड़ा। चालीस करोड़की जनसंख्यामें ऐसी शान्ति होना, जब अपने ऊपर घोर अत्याचार और दमन हो रहा हो, असाधारण बात है। किसी दूसरी स्वाधीनताकी लड़ाईमें आजतक ऐसा नहीं हुआ था।

अस्तु, स्वयंसेवकोंकी भरती तो करनी ही थी। यहाँ फिर मेरे सामने कठिनाई उपस्थित हुई। स्थानीय कांग्रेस कमेटीने यह तय किया कि वह काम तबतक स्थगित रहे जबतक सब लोग कांग्रेस अधिवेशनसे, जो मासके अन्तमें अहमदाबादमें होनेवाला था, लौट न आये। मैं बड़े धर्मसंकटमें पड़ा। मैं जिला कांग्रेस कमेटीका मन्त्री था, कमेटीकी आज्ञाको कार्यान्वित करना मेरा काम था। जिम्मेदारी कमेटीकी है। दूसरी ओर मैं स्वयं प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीका सदस्य था। उसकी आज्ञाका पालन करना-कराना मेरा कर्तव्य था। तीसरी बात यह भी थी कि स्थानीय कमेटी प्रादेशिक कमेटीके अधीन है और उसके निश्चयोंके विरुद्ध कोई निश्चय नहीं कर सकती। यदि वह कोई ऐसा निश्चय करती है तो वह अमान्य है। यह सोचकर मैंने अकेले अपने बलपर काम करनेका निश्चय किया। कमेटीके क्लर्कको प्रयाग भेजकर प्रतिज्ञापत्र भेगाये और भरतीका काम छेड़ दिया। इस काममें मेरे सहायक 'असहयोगी सस्कृत छात्र समिति'के सदस्य थे। इनकी चर्चा पहिले कर चुका हूँ। बड़े साहसी, परिश्रमी, संयमी और अनुशासन माननेवाले कार्यकर्ता थे। दिखावटीपन छू नहीं गया था। सात-आठ दिनमें कई सौ स्वयंसेवक बन गये। प्रतिज्ञापत्रोंकी कापियाँ कहाँ रखी जाती थी यह मैं नहीं जानता था। सारा काम गुप्त ढंगसे हो रहा था, फिर भी बात फैल ही गयी। सारे नगरको ज्ञात था कि स्वयंसेवक भरती हो रहे हैं और कई सौ भरती हो चुके हैं। जो लोग प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर कर चुके थे वह स्वयं गर्वके साथ इसका चर्चा करते थे।

कानपुर और प्रयागमें स्वयंसेवकोंकी सूचियाँ समाचारपत्रोंमें छपने लगीं। हमारे स्वयंसेवक भी इसके लिए उत्सुक थे। उनका कहना ठीक

ही था कि केवल भरती होनेसे तो काम नहीं चला, सरकारने कुछ किया ही नहीं। अब नाम छपे तो स्यात् कुछ कार्यवाही हो। यदि हम प्रतिज्ञापत्र भरकर घर बैठे रहेंगे तो सघर्ष होगा ही नहीं। काशीमें 'आज' ही एक पत्र था। मेरे ऊपर तो दबाव पड ही रहा था, 'आज'के प्रबन्धकोपर भी लोकमतका दबाव पडने लगा। पहिले तो वह तैयार नहीं थे, फिर राजी हुए। १८ या १९ दिसम्बरकी बात है। मैंने सब जगहोंसे प्रतिज्ञापत्रोंकी कापियाँ मँगायी, सूचियाँ तैयार हुईं, कम्पोज हो गयी। फिर यकायक राय बदली। सायकाल जानमण्डलमें मैं बुलाया गया। स्व० श्री शिवप्रसाद गुप्त, श्री श्रीप्रकाश, 'आज'के सम्पादक स्व० श्री वाबूराव विण्णु पराडकर और मुद्रक स्व० श्री महताव राय पहिलेसे उपस्थित थे। मुझसे कहा गया कि काग्रेससे लौटकर नाम छापे जायें। मैंने इसका विरोध किया। पर अकेले मेरा विरोध क्या काम करता? कम्पोज किया हुआ मैटर हटा दिया गया और उसके स्थानमें दूसरी चीजे छाप दी गयीं। सवेरे जब जनता और हमारे स्वयसेवकोंने उत्सुकताके साथ पत्रको खोला तो स्वयसेवकोंकी सूची नहीं थी।

मुझसे कहा गया कि तुम भी अहमदाबाद चलो। शिवप्रसादजीने कृपा करके मेरे लिए टिकट भी मोल ले लिया।

यह तो स्पष्ट हो गया कि अब 'आज'के द्वारा नामोंका प्रकाशन न हो सकेगा। यह भी उतना ही स्पष्ट था कि यदि नामोंका प्रकाशन न हुआ तो स्वयसेवक अनुशासनकी मर्यादा तोड बैठेंगे। दूसरे शहरोंमें जो कुछ हो रहा था उसको देखकर इनकी उत्कण्ठा बढ़ती जा रही थी और शहरमें भी लोग स्थानीय कांग्रेसजनकी अकर्मण्यतापर अँगुली उठा रहे थे। ऐसा लगता था कि युवराजके आनेके अवसरपर थोड़े-से वीर पुरुषोंकी आहुति देकर हम लोग चैनसे सो रहे थे। कुछ करना ही होगा परन्तु क्या मुझको अकेले अपने ऊपर यह दायित्व लेना चाहिये? मैं अभी थोड़े ही दिनोंसे इस मैदानमें आया था। जिलेके सभी गण्यमान्य नेता, वह लोग जो अबतक कांग्रेसका काम चला रहे थे, सभी एकमत थे।



उनका कहना था कि अभी कुछ न करना चाहिये, इसका तात्पर्य यह होगा कि लगभग ८-१० जनवरीतक यहाँ कोई सक्रिय कदम न उठाया जाय, परन्तु क्या काशीके गौरवके लिए, देशहितके लिए, यह ठीक होगा ? दूसरी ओर, यह ज्ञात नहीं था कि सरकारी प्रतिक्रिया क्या होगी। मान लिया जाय कि उन्होंने गोली चला दी, कुछ लोग मारे गये, तो उनकी विधवाओं और अनाथ बच्चोंके सामने मैं क्या मुँह दिखलाऊँगा ? क्या दायित्वका इतना बोझ मेरे कंधे उठा सकते हैं ? मैं ही जानता हूँ वह रात मैंने कैसे बितायी। चारपाईपर पड़ा करवटें बदल रहा था, विचित्र वेचैनी थी। मवेरा होते-होते बुद्धि स्थिर हुई। मैंने निश्चय किया कि मित्रोंकी सलाह न मानना ही मेरा धर्म है, जो भी हो, मेरे लिए कर्तव्यपथ यही है कि अकेला अपने ऊपर सारा बोझ ले लूँ। चित्त हलका हो गया।

मवेरे मैंने एक पत्र तो शिवप्रसादजीको लिखकर उनको अपने निश्चयसे सूचित किया और यह अनुरोध किया कि मेरा टिकट लौटा दें। दूसरा पत्र जिला कांग्रेस कमेटीके उपमन्त्री श्री शिवनन्दनसिंहको लिखा। उसमें मैंने सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया और यह सूचित कर दिया कि इसके लिए कांग्रेस कमेटी मुझे जो टण्ड देगी उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा।

आगेके लिए मैंने जो कार्यक्रम बनाया वह इस प्रकार था। स्वयं-सेवकोंकी नामावली नहीं प्रकाशित की गयी वरन् कांग्रेस कमेटीके दफ्तरपर तथा कई अन्य जगहोंमें, जिनमें कोतवालीके सामनेका नोटिसबोर्ड भी था, मेरे हस्ताक्षरसे नोटिसे चिपकायी गयी कि हम स्वयंसेवक भरती कर रहे हैं, लोग आये और भरती हो। कोतवालीकी नोटिस लगानेका काम चन्द्रशेखर आजादके जिम्मे था। पुलिसने उसे कई बार उखाड़ फेंका पर किसी-न-किसी प्रकार नयी नोटिस फिर लग जाती थी। यह भी निश्चय हो गया कि मेरे गिरफ्तार हो जानेपर क्रमशः कौन लोग काम संभालेंगे। मैंने दस-बारह नाम तय कर दिये थे। इसके बाद अहमदाबादसे लौटनेवाले नेता काम देखते। यह भी निश्चित हो गया कि प्रत्येक दिन दस स्वयंसेवकोंका एक जत्था निर्दिष्ट नायककी मातहतमें निकलेगा, यदि वह गिरफ्तार हो

गया तो शामको दूमरा जल्था निकलेगा । परन्तु किसी हालतमें उस दिन तीसरा जल्था न निकलेगा । इस प्रकार भी हमने कमसे कम पन्द्रह दिनका प्रवन्ध कर लिया । इन सब कामोंमें छात्र समितिके युवक कार्यकर्ताओंसे अप्रतिम सहायता मिली । यह सब करके मैंने जिला मजिस्ट्रेटको पत्र भेजा कि यदि आप मुझे गिरफ्तार करना चाहें तो कृपया सवेरे करे । आजकल मायकाल मुझे च्वराग हो आता है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मेरी बात मान ली । २४ दिसम्बर १९२१ को लगभग ९ बजे सवेरे मैं गिरफ्तार हो गया । प्रिविया महालके निवासी कुछ अक्खड होते हैं । भीड़ जमा हो गयी । कुछ लोग इस बातपर तुल गये कि हम नहीं ले जाने देंगे । मेरे समझाने-बुझानेसे मान गये, नहीं तो वहीं हिसाकाण्ड हो जाता । लगभग दस बजेतक जिला जेल पहुँच गया । डॉ० भगवानदास और पण्डित शिवविनायक मिश्र तो सेण्ट्रल प्रिजन भेज दिये गये थे, गान्धी आश्रमके मित्र जिला जेलमें ही थे । उन लोगोकी गिरफ्तारीके बाद इतने दिनोंतक शहरमें सन्नाटा था । इसको देखकर श्री कृपालानीका यह विश्वास हो गया था कि काशी-निवामी मुर्दे और कायर हैं, छिपकर घर बैठ गये हैं । मुझको देखकर उनका भ्रम दूर हुआ ।

मैं गिरफ्तार तो हुआ, पर मेरी बनाई सारी योजना अस्त-व्यस्त हो गयी । पहिले दिन २० की जगह लगभग ७५ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और यही क्रम प्रायः एक सप्ताहतक चलता रहा । गिरफ्तारीका भी तमागा हो गया । पुलिसने गिरफ्तार करना छोड दिया, लोग स्वयं गिरफ्तार होते थे । थानेके सामने पुलिसकी गाडी खडी हो गयी, जिसके जीमें आया, माला पहिनकर बैठ गया । प्रतिज्ञाकृत स्वयंसेवकोसे अधिक तो यह स्वयंघृत सज्जन थे, कभी-कभी तो जब शाम हो जाती और लोग गाने-बजाने और नारा लगानेमें समयका खयाल भूल जाते थे तो पुलिसको कहना पडता, 'हम सवेरेसे खडे-खडे थक गये हैं, जल्दी कीजिये' । लोग हँसते-खेलते गाडीमें बैठ जाते ।

यकायक इतने कांग्रेस स्वयंसेवकोके आ जानेसे जेल अधिकारियोंकी

मुसीबत बढ़ गयी। कोई फटा-पुराना कम्बल लेनेको तैयार नहीं था, इन लोगोको दवाना भी मुकर नहीं था। जरा-जरा-सी बातमें तसला बज जाता था, सैकड़ोकी भीड़, कोई क्या करे। अवतक कैदियोको साग और डण्ठल ही तरकारीके नामसे खाना पडता था। चोरीसे भले ही किसी कैदीको कुछ मिल जाय परन्तु जेलके खेतकी ताजी तरकारियाँ अफसरोके यहाँ जाती थी। अब ताजी गोभी, करमकल्ला या और जो कुछ पैदा होता था, जेलकी रसोईमें पकने लगा। पहिले आटा पैरोसे गूँधा जाता था, अब हाथसे गुँधने लगा।

फरवरी १९२२ में मैं जिला जेल, लखनऊ भेज दिया गया। यहाँ प्रदेशभरके वह राजनीतिक बन्दी एकत्र किये गये थे जिनको स्पेशल क्लास दिया गया था। स्पेशल क्लासके बन्दी अपना कपडा पहिन सकते थे और अपने पैसेसे कुछ चीजे बाजारसे भँगा सकते थे। इनके ऊपर पहिले तो अठारह आने प्रतिव्यक्ति व्यय होता था, पीछेसे यह रकम घटाकर साढे तेरह आना कर दी गयी। इनको किसी प्रकारका काम नहीं करना पडता था।

इसके बाद तो कई बार जेल जाना हुआ, परन्तु हम सभीके लिए १९२१ में यह अवसर पहिली बार आया था। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्यके स्वभावके अध्ययनके लिए इससे अच्छी पाठशाला नहीं हो सकती। साधारण कैदी, चोर, डकैत, खूनी, कभी-कभी बडे ऊँचे चरित्रका परिचय देते हैं, जरासे उपकारको जन्मभर नहीं भूलते। दूसरी ओर सुशिक्षित और सम्पन्न मनुष्य कभी-कभी बड़ी दुर्बलता दिखलाते हैं। जेलमें मनुष्यके स्वभाव और चरित्रपरसे पर्दा उठ जाता है। बाहर यदि किसीसे अनबन हो भी गयी तो दस-पाँच दिनमें वह बात भूली जा सकती है, जेलमें दिन-रातका सामना, भूलनेका अवसर ही नहीं मिलता। कैदसे यों ही झुँझ-ल्लाहट रहती है, अच्छे सुलझे हुए मित्र लड पडते हैं, अभद्र भापाका प्रयोग कर बैठते हैं। बाहर थोडी देरकी भेंटमें सजनताका व्यवहार करना सुकर है पर दिन-रात कृत्रिमता नहीं निवाही जा सकती, कलाई खुल जाती

है। वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान् है जो साल-छ महीने जेलमे रहकर भी अपने सहवासियोंके आदरका पात्र रह जाता है।

तिकडमकी चर्चा किये बिना जेलकी कथा अपूर्ण रह जाती है। जिन युक्तियोंसे जेलके नियम तोड़े जा सकते हैं, और वह वस्तुएँ जिनका आना-जाना मना है भीतर मँगायी जाती है और बाहर भेजी जाती है, उन सबका सामूहिक नाम तिकडम है। तिकडमके अनेक रूप हैं पर उन सबकी तहमे रुपया है। या तो कैदीके पास जेलके भीतर पैसा हो या बाहर उसका कोई मित्र पैसा खर्च करनेको तैयार हो तो जेलके किसी-न-किसी अधिकारीका सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। लखनऊ जेलकी तिकडमकी एक रोचक कथा लिखता हूँ। हमारे साथियोंमे रगा ऐयर नामके एक सजन थे। एक दिन सुपरिण्टेण्डेण्ट, मेजर क्लेमेण्टके आनेके समय केवल उसे चिदानेके लिए वह श्रीकृष्णके एक चित्रके सामने हाथ जोडकर बैठ गये। वह साधारण-सा चित्र था जो बाजारमे पैसे-दो-पैसेमे मिलता था। सुपरिण्टेण्डेण्ट चित्र उठा ले गया। दो-तीन दिनके बाद जब वह आया तो हर काग्रेसी बन्दीके सामने दीवारपर श्रीकृष्णका चित्र लटक रहा था और सभी लोग 'व्यानावस्थित तद्गतेन मनसा' आसन लगाये बैठे थे। सुपरिण्टेण्डेण्ट कुढ़कर रह गया। तिकडमके प्रसादसे ही यह चित्र आये थे।

तिकडम नहीं, एक दूसरे प्रकारकी रोचक कहानी बनारस जेलकी याद आती है। मकरसंक्रान्तिके दिन प्रायः खिचड़ी खानेका दस्तूर है। इस बार शहरसे कुछ मित्रोंने मटर, चावल आदि सारा सामान भेज दिया, जेलका उस दिन हमारे ऊपर सवेरे कोई खर्च नहीं हुआ। हम लोगोंने वसन्तपञ्चमीके दिन यज्ञ करनेका निश्चय किया। और सामग्री तो बाहरसे आयी, पर हमारा आग्रह था कि एक कनस्टर घी जेल दे। संक्रान्तिको जो बचत हुई थी वह हमको घीके रूपमे मिल जाय। अधिकारी राजी नहीं थे। हमारी माँग कुछ नियमानुकूल थी भी नहीं परन्तु इसको कौन सोचता। भाग्यसे जेलवालोकी एक भूलने हमारी सहायता की।

हमारे साथियोंमें वेचन नामके एक सज्जन थे। वह कान्यकुब्ज हलवाई थे। जेलके कागजोंमें कान्यकुब्ज ब्राह्मण लिख गये थे। उनकी रिहाईका दिन आया। जेलवाले ब्राह्मण समझकर वेचन महाराजके नामसे उनको ढूँढते थे, हम लोगोका कहना था कि यदि वेचन महाराज यहाँ कहीं होंगे तो आप श्री टीजिये, हम यज्ञ करे, वह यज्ञकी अग्निसे प्रकट हो जायेंगे। दो दिन बीत गये। जेलवालोको घबराहट थी। सजा पूरी होनेपर किसीको रोकना नहीं जा सकता, नहीं तो उल्टे उनकी सजा हो जाती। हारकर उन्होंने श्रीका कनस्टर दिया, वसन्तपञ्चमीको सवेरे यज्ञ हुआ। पण्डित कृष्णचन्द्र शर्मा हमारे पुरोहित थे। यज्ञके अन्तमें प्रसाद बाँटनेके बाद हमने वेचनको जेलवालोके हवाले कर दिया।

मेरा अधिकतर समय पढ़नेमें बीतता था। थोडा-सा चर्खा भी चला लेता था। इतना सूत कात लिया था कि बाहर आकर उसमें एक धोती विनी गयी। पर मुझे अच्छी तरह कातना कभी नहीं आया। मेरा सूत टाट जैसा मोटा होता था। जिस सूती रूईसे और लोग ४०-५० नम्बरका सूत निकालते थे मैं उससे कभी १०-१२ नम्बरसे अधिक वारीक सूत न निकाल पाया। और बहुत-से साथी पढ़ने और कातनेके सिवाय खेल-क़दमें भी काफी समय काट लेते थे। यह कम लोग जानते होंगे कि आचार्य कृपालानी पेडपर बहुत अच्छा चढ़ सकते हैं। कमसे कम लखनऊ जेलमें तो उनको और पण्डित शिवविनायक मिश्रको एक पेडसे दूसरे पेडपर कूढ़ जाते देखकर संस्कृतका 'आखामृग' शब्द याद आ जाता था। मधायरा, कवि-सम्मेलन, सभी कुछ होता था।

जेलमें जिन मित्रोंसे भेंट हुई उनमेंसे कई आगे चलकर राष्ट्रके जीवनमें ऊँचे पदोंपर पहुँचे। डॉ० मुरारीलाल, पण्डित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री रफी अहमद किदवई, चौधरी खलीकुज्जमाँ, इन सबसे पहिली मुलाकात जेलमें ही हुई थी।

जेलमें सब प्रौढ़ ही नहीं थे, युवक भी थे, लड़के भी थे। युवकोंमें श्री विचित्रनारायण शर्माका नाम उल्लेख्य है। यह इस समय गान्धी

आश्रमके मन्त्री हैं। उत्तरप्रदेश शासनमे मन्त्री रह चुके हैं। लडके कई थे, परन्तु दोका नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। दोनो ही १३-१४ सालके थे। एक तो कमलापति त्रिपाठी और दूसरे रघुनाथसिंह। कमलापतिजीने विद्वत्ता और कार्यकुशलताके लिए ख्याति प्राप्त की है, वह योग्य सार्वजनिक कार्यकर्ता, पत्रकार, ग्रन्थकार और शासक है, प्रभावशाली वक्ता है। श्री रघुनाथसिंहने सार्वजनिक कार्यकर्ता और पार्लियामेण्टके सदस्यकी हैसियतसे ख्याति अर्जित की है। इन दोनो व्यक्तियोंकी भौति जनमेवाको इतना दीर्घ काल देनेका सौभाग्य कम लोगोको मिला होगा।

मैं चन्द्रशेखर आजादका चर्चा पहिले कर चुका हूँ। आजादकी भी लडकपनकी उम्र थी। दो तो संस्कृत छात्र समितिके सभी सदस्य प्रज्ञासाके पात्र थे, परन्तु कार्यक्षमता और निर्भीकतामे आजादका कोई समकक्ष नहीं था। हमारी गिरफ्तारीके बाद आजादकी भी गिरफ्तारी हुई। लडकेको बड़ी वेददीसे बँत लगाये गये। हर प्रहारपर 'बन्देमातरम्' कहता गया। बाहरी घाव तो भर ही गया परन्तु हृदयमे अपमानने जो घाव किया वह यावज्जीवन बना रहा। सरकारने अपनी मूर्खता और वर्चस्वतासे एक बालकको अपना कट्टर शत्रु बना लिया। साम्राज्य यों ही अपनी कन्न खोदते हैं और क्रान्तिकारियोंकी सृष्टि करते हैं।

आन्दोलनका जो जोर पहिले दस-चारह दिन देख पडा वह बहुत दिनोतक न टिक सका। जेल आनेवालोकी संख्या घटती गयी। कुछ दिनोंके बाद नयी मूर्तियोंके दर्शन दुर्लभ हो गये। इसमे कोई आश्चर्यकी बात नहीं थी। पहिला आन्दोलन था, पहिलेसे कोई तैयारी नहीं थी, इतने दिन चला, इतने व्यक्ति जेल आ गये, यही बहुत था। आन्दोलनके ठण्डे होनेपर सरकारने एक कमेटी बैठायी जिसने लोगोंकी सजाओपर पुनर्विचार किया। मेरी सजा सालभरसे घटाकर छ महीने कर दी गयी। जुर्माना अशतः बसूल हो चुका था।

चौरी-चौराके हत्याकाण्डके बाद महात्माजीने आन्दोलनको स्थगित कर दिया। क्रोधमे आकर जनताने जिस प्रकार कुछ पुलिसवालोके प्राण

लिये उसका समर्थन तो कोई नहीं कर सकता था, परन्तु आन्दोलनका स्थगित किया जाना बहुत लोगोंको अच्छा नहीं लगा। इतने बड़े देशमें कहीं कोई हिंसात्मक काम न हो जाय इसका दायित्व कौन ले सकता था? यदि किसी कोनेमें हिंसा हो जानेसे हम अपना काम रोक दिया करेंगे तो आगे बढ़ना असम्भव हो जायगा, और फिर वह तो सरकारके हाथमें प्रबल शस्त्र देना है। जब कभी कोई आन्दोलन छिड़ेगा, सरकार दो-चार आदमियोंको उभारकर हिंसा करा देगी और हमारे नेतागण काम रोक देंगे। हम हाथपर हाथ रखकर बैठे रह जायेंगे। इससे बहुत शोभ था। परन्तु थोड़ी गम्भीरतासे विचार करनेसे यह समझमें आता था कि महात्माजीने जो कुछ किया वह ठीक किया। एक तो आन्दोलन ठण्डा हो रहा था, थोड़े दिनोंमें समाप्त हो जाता। चतुर सेनानी अपनी सेनाके पूर्णतया हार जाने या उसमें भगदड़ मच जानेके पहिले उसे स्वयं पीछे हटा लेता है। अपने मेनापतिकी आज्ञासे पीछे हटना शत्रुसे हारकर पीछे हटनेसे अच्छा होता है। दूसरी बात यह थी कि जनताको भी आवश्यक पाठ पढ़ाना था। यह बात साफ कर देनी थी कि जब महात्माजी और कांग्रेस कोई कदम उठानेकी बात करते हैं तो भेडियाघसान नहीं चाहते, अनुशासन चाहते हैं। उनके मुँहसे निकला 'अहिंसा' शब्द पत्थरकी लकीर है। यदि उनके आदेशोकी अवहेलना हुई तो फिर वह देशके नेतृत्वका दायित्व अपने ऊपर नहीं लेंगे।

इसके दो-तीन साल बाद हमने इस आन्दोलनके सम्वन्धमें एक विचित्र आलोचना सुनी। उत्तरी अफ्रीकासे त्रिपोलीके एक नेता काशी आये थे। उनका नाम अब्दुल करीम था। वह काशी विद्यापीठ भी आये थे। वहीं भेंट हुई। कहते थे : 'जब भारत जैसा विशाल देश अंग्रेजोंके अधीन है तो हम छोटे-छोटे देश जो फ्रांस और इटलीके अधीन हैं, हतोन्माद हो जाते हैं। आप नहीं जानते कि अफ्रीकासे लेकर चीनतक लोग आपको क्या कहते हैं। जब कहीं बलवा होता है तो भारतीय सिपाही भेजे जाते हैं। हमीमें लोग कहते हैं कि यह नालायक स्वयं तो पराधीन है

ही हमको भी पराधीन बनाने आते हैं। १९२१ में आपके असहयोग आन्दोलनसे हम सबको साहस बँधा। हमारे विदेशी शासक भी कॉप रहे थे कि यदि भारत स्वतन्त्र हो गया तो यह सब देश भी हमारे हाथसे निकल जायेंगे। पर आप ऐसे योद्धा हैं कि तीन महीने भी न टिक सके, कमर खोल दी। आपका तो जो कुछ हुआ वह हुआ, परन्तु हमारे शासक और कडे पड गये। उनको यह दृढ विश्वास हो गया कि इन रगीनोके किये कुछ न हो सकेगा।' सिवाय सिर नीचा करके सुन लेनेके, हम और कर ही क्या सकते थे ?

३१ दिसम्बर १९२१ आया और गया। स्वराज्य नहीं मिला। जो लोग समझते थे कि सालभरमें देश स्वतन्त्र हो जायगा, बहती गगामें हम भी हाथ धो ले, वह निराश हुए। उनकी समझमें यह बात आ गयी कि यह बड़ी लम्बी लडाई है, इसमें बहुत कष्ट उठाने होंगे, इस धरफूँक सौदेसे दूर रहना ही अच्छा है। वह अलग हो गये। फिर किसी आन्दोलनमें उनका साहचर्य हमको न मिला। देशके समझदार लिबरल विचारवालोंको भी सिर उठानेका अवसर मिला। किसीने कहा था :

इस सादगी पै कौन न मर जाय ऐ खुदा।

लडते हैं मगर हाथमें हथियार भी नहीं।

इसीको वह कहते थे। स्वाधीनता अच्छी चीज है परन्तु गन्धर्व विना कैसे मिल सकती है ? हम पहिले ही कहते थे। कई जगह बहुत कडा दमन हुआ, जुरमानोकी वसूलीमें लोग उजड गये। यह सब हुआ, परन्तु स्वाधीनताकी लगन कम नहीं हुई। जो मतवाले इस नगरेमें जेल गये थे उनकी प्यास बुझी नहीं थी। कष्ट झेले, कोई हँसा, किसीने सच्ची या झूठी सहानुभूति दिखलायी, परन्तु यह लोग अपनी जगह अटल रहे। प्रतीयमान असफलताने उत्साहको और भी बढ़ा दिया। महात्माजी कवीरके शब्दोंमें कह सकते थे :

मेरा मारा फिर जियै, तो हाथ न गहूँ कमान।





कम्युनिज्मके लिए समय-समयपर हिन्दीमें कई नाम निकाले गये हैं। साम्यवाद, वर्गवाद, मार्क्सवाद, यह सभी नाम सामने आ चुके हैं। मार्क्स इसके प्रवर्तक थे, इसलिए मार्क्सवाद कहना तो ठीक है ही, शोप नाम इसके अर्थका ठीक-ठीक द्योतन नहीं करते। वर्गवाद तो विलकुल ही गलत है। मैंने प्रायः सर्वत्र 'कम्युनिज्म'का ही व्यवहार किया है। जगत्प्रसिद्ध नाम है और इसका 'व्यनितार्थ' भी व्यापक है।

जेलसे आनेके बाद मैंने फिर 'मर्यादा'का सम्पादन संभाला। इस काममें लगभग छ महीने लगे रहनेके बाद मैं काशी विद्यापीठमें दर्शनका अध्यापक हुआ। विद्यापीठ श्री शिवप्रसाद गुप्तकी उदारता, विद्याप्रेम और राष्ट्रीय भावनाका प्रतीक था। उसके लिए उन्होंने दस लाख रुपयेका न्यास स्थापित कर दिया था। विश्वविद्यालयस्तरकी शिक्षा दी जाती थी, परन्तु माध्यम हिन्दी थी। सरकारसे न सहायता ली जाती थी, न कोई अन्य सम्वन्ध था। अध्यापकोंमें श्री श्रीप्रकाश, स्व० आचार्य नरेन्द्रदेव, स्व० पण्डित यजनारायण उपाध्याय, पण्डित गोपाल शास्त्री, श्री रामशरण, श्री वीरबलसिंह और श्री धर्मवीर थे। इनमेंसे कुछ लोगोंने विभिन्न क्षेत्रोंमें देशव्यापी ख्याति पायी है। श्री रामशरण और श्री वीरबलसिंह पार्लियामेण्टके सदस्य हैं। डॉ० भगवानदासजी स्वयं अध्यापन करते थे।

विद्यापीठकी स्थापना १९२० में हुई। इसका प्रत्यक्ष सम्वन्ध राज-

नीतिसे नही था, परन्तु राजनीतिक पर्यावरणका प्रभाव पडना तो अनिवार्य था। इसके सस्थापक और अव्यापक कांग्रेसजन थे और छात्रोमे प्रायः वही लडके थे जो कांग्रेसके आदेशको मानकर असहयोग आन्दोलनमे आ गये थे और सरकारी समाश्रयप्राप्त कॉलेजों और विध्वविद्यालयोको छोड आये थे। ऐसे लोग राजनीतिकी जाग्रत, उच्छल धारासे कब अलग रह सकते थे। फिर भी विद्यापीठके अधिकारियोने इस वातका भरपूर प्रयास किया कि सस्था १९२१ के आन्दोलनसे पृथक् रहे और व्यवस्थापकोमेसे डॉ० भगवानदास तथा अव्यापकोमेसे गणिताव्यापक श्री धर्मवीरके सिवाय कोई जेल नही गया। शिक्षासस्था राजनीतिसे प्रत्यक्ष सम्यन्ध न रखे, यह वात सिद्धान्ततः ठीक हो सकती है, परन्तु देगकालकी उपेक्षा नही की जा सकती। जब चारो ओर आग लगी हो तो बीचमे बैठकर भैरवी नही गायी जा सकती। प्रबन्धकोंके निर्णयसे काफी असन्तोष रहा और जनतामे भी प्रतिक्रिया अच्छी नही हुई। परन्तु १९२१ के बाद यह लाञ्छन धुल गया, प्रत्येक आन्दोलनमे विद्यापीठके अव्यापक और छात्र आगे रहे। जिलेका ही नहीं, प्रदेशका कांग्रेस-कार्य विद्यापीठके अध्यापको और छात्रोने संभाला। इमारतपर पुलिसका कब्जा होता था, जिन कमरोमे पढाई होती थी उनमे अनाजके बोरे भरे गये। स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद भी विद्यापीठके कई शास्त्रियोने देशके सार्वजनिक जीवनमे अपने लिए ऊंचे स्थान प्राप्त किये और मस्थाकी यशोवृद्धि की। केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री, केन्द्रीय सूचनामन्त्री श्री वालकृष्ण विध्वनाय केसकर, उत्तरप्रदेशके भूतपूर्व शिक्षा और गृहमन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी, नियोजन आयोगके सदस्य श्री त्रिभुवननारायणसिंह, प्रसिद्ध श्रमिक नेता स्व० श्री हरिहरनाथ शास्त्री, दर्शन और समाजशास्त्रके विद्वान् श्री गजाराम शान्ती और अखिल भारतीय अपराध निरोधन समितिके अध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, यह सब विद्यापीठके ही स्नातक थे।

विद्यापीठ केवल कॉलेज स्तरकी शिक्षा देने या छात्रोमे गण्डीय भावना उत्पन्न करनेके लिए नहीं खोला गया था। विचार यह था कि भारतीय

समाजका पुनर्व्यूहन भारतीय सस्कृतिकी आधारशिलापर क्रिया जाय । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जीवनके सभी अंगोंका सशोधन और सस्कार हो और विद्यापीठसे ऐसे स्नातक निकले जो इस कामके व्रती हो और अपने चरित्र तथा ज्ञानसे इस कामका बोझ उठा सके । यह उद्देश्य पूरा न हो सका । सघर्ष और उथल-पुथलके कालमें स्वभावतः राजनीतिको प्राथमिकता मिल गयी । किसीको यह सोचनेका अवसर ही न मिला कि भारतीय सस्कृतिके मूल तत्त्व क्या हैं, वर्तमान युगमें हम उनको किस प्रकार व्यावहारिक रूप देगे आदि । देशकी स्वाधीनताने नयी परिस्थिति उत्पन्न कर दी । हमारे नेताओंने सविधानमें, समाजके जीवनके लिए किसी प्रकारका दार्शनिक आधार रखना अनावश्यक समझा, बहुत-सी भारतीय बातें उनको पुरानी, वैलगाडी-युगकी, और इस परमाणुयुगके लिए प्रतिकूल प्रतीत होती हैं । जिस प्रकारका विचार विद्यापीठके सस्थापकोंको उचित जँचता था वह समय नष्ट करनेके समान माना जाने लगा । और फिर विद्यापीठमें भी वह पुराने आदमी प्रायः नहीं रहे । वह स्वान स्वान ही रह गया ।

मैं इस बातका पहिले जिक्र कर चुका हूँ कि रूसमें जो कुछ हो रहा था उसको जाननेकी देशमें बहुत उत्सुकता थी । यह तो हम जानते थे कि वहाँ समाजवादी व्यवस्थाका प्रयोग हो रहा था, परन्तु समाजवादके तो कई भेद हैं । सबसे अधिक साहित्य तो ब्रिटिश समाजवादके सम्बन्धमें मिलता था, पर यह शैली तो बहुत दुर्बल थी । इसमें क्रान्ति जैसी बातके लिए जगह नहीं थी । सिद्धान्तरूपसे थोडा-बहुत ज्ञान समाजवादके दूसरे भेदोंका भी था, परन्तु हम तो जानना चाहते थे कि रूसमें क्या हो रहा है । रूसके शासक समाजवादके मौलिक तत्वोंको कैसी मीमासा करते हैं और उसको कैसे व्यवहारमें लाते हैं । अंग्रेजी अखबारोंसे जो सामग्री मिलती थी उसपर विश्वास नहीं होता था । धीरे-धीरे हमारा मार्ग साफ हुआ । हम अंग्रेजोंके झूठे प्रचारसे मुक्त हो चले । रूसमें बहुत-सा साहित्य अंग्रेजी भाषामें छापा जाता था । विशेषतः यह उन देशोंमें प्रचारके

लिए होता था जो अंग्रेजी साम्राज्यमे थे। प्रचार तो प्रचार ही है, इस साहित्यमे भी झूठका अंश रहा ही होगा। जहाँ अंग्रेज रुसमे बुराई ही दिखलाते थे वहाँ रुसी साहित्य प्रगसाके पुल बौधता था। फिर भी उससे बहुत जानकारी होती थी। यह सब सामग्री कैसे लुकाछिप कर आती थी, इसका पूरा ब्योरा मैं भी नहीं जानता। कितने हाथ इस काममे लगे थे। कभी पुलिसको कुछ पता लग जाता था तो धार पतली पड़ जाती थी। मुझे तो श्रमनेता श्री राजाराम शास्त्रीसे, जो कानपुरमे रहते थे, बड़ी सहायता मिलती थी। इस तिकडमसे दूर रहना तत्कालीन राजनीतिकी एक बड़ी जीवित चहल-पहलकी ओरसे आँख मूँद लेना था।

सन् १९२२ में मुझे एतद्विषयक जानकारीका अपूर्व अवसर मिला। भूमिकाके रूपमें इतना जान लेना चाहिये कि खिलाफतके प्रति ब्रिटिश सरकारकी नीतिसे रुष्ट होकर कुछ मुसलमान देश छोडकर चले गये। यह लोग महाजरीन, हिजरत करनेवाले, कहलाते थे। इनको आशा थी कि अफगानिस्तान मुसलिम देश है, हमको आश्रय देगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। काबुलमे इन लोगोके साथ रुखा बरताव हुआ। इनमेसे कुछ लोग रुस चले गये। वहाँ इनको शरण मिली। रुसी क्रान्ति और समाजवाद, मुख्यत कम्युनिज्मकी शिक्षा दी गयी और परतन्त्र देशोमे अशान्ति फैलाने और क्रान्ति करानेकी पद्धतिकी दीक्षा दी गयी। फिर यह लोग भारत भेजे गये। अब इनको अपनी शिक्षाको चरितार्थ करना था।

इन लौटे हुए महाजरीनमे शौकत उसमानी भी थे। यह बीकानेरमे मेरे छात्र थे। भावुकता कूट-कूटकर भरी हुई थी, अली-बन्धुओके गुणोपर इतने सुग्ध थे कि कुछ दिनोंके लिए अपना नाम बदलकर मुहम्मद शौकत कर लिया। खुलकर लौटना तो सम्भव नहीं था। रुससे लौटा हुआ भारतीय कहाँ जनतामें खुलकर रह सकता था। भेष और नाम बदलकर, किसी प्रकार छिप-छिपकर आ गये। काशी आये और किसी कश्मीरी होटलमे ठहरे। उनके बीकानेरके एक सहपाठी हिन्दू विश्वविद्यालयमे पढते थे। उनसे मिले, फिर उनके साथ मेरे यहाँ आये। कई बार मुझसे मिले।

रातमें आते थे । उनसे रूसकी बहुत-सी बातें ज्ञात हुईं, साहित्य भी मिला । मेरा पत्र लेकर कानपुर गये, श्री गणेशकर विद्यार्थीसे मिले । उन्होंने कानपुरमें ठहरनेका प्रबन्ध कर दिया ।

अपनी समझमें तो महाजिर और उनके मित्रोंने बड़ी सावधानीसे काम किया और अपनी गतिविधिको गुप्त रखनेकी पूरी चेष्टा की, परन्तु पुलिस सतर्क थी और बादमें ज्ञात हुआ कि उसको सब बातोंका पूरा पता था । कौन किससे मिला, कहाँ मिला, किसके साथ मिला, कितनी देरतक बातें हुईं, सारा व्योरा उसके पास था । पूरी तैयारी करके १९२३ के मई महीनेमें एक दिन सवेरेके समय सारे देशमें १५-२० जगह पुलिसका धावा हुआ । प्रायः सभी महाजिर गिरफ्तार हो गये, कुछ और लोग भी पकड़े गये और बहुत-से जरूरी कागज पुलिसके हाथ लगे । मेरे मकानपर भी पुलिस आयी और तलाशी ली । बहुत-से कागज थे, मेरे छोटे भाई परिपूर्णानन्दने, जिनकी उम्र उस समय १४-१५ सालकी थी, उनको जल्दीसे उस जगह छिपा दिया जहाँ पूजाका घर था । पुलिसको कोई चीज नहीं मिली । उनके पास गिरफ्तारीका वारंट था । पर गिरफ्तारी न कर सके । जो मुकदमा चला उसमें और कागजोंके साथ स्व० श्री एम० एन० रायके कुछ पत्र पेश हुए जो शौकत उसमानीके पास मास्कोसे आये थे । उनमें उसमानीको यह परामर्श दिया गया था कि सम्पूर्णानन्दको मिलाओ, उनके द्वारा जवाहरलालको मिलाया जा सकेगा । यह बात तो सिद्ध हुई कि इन कम्युनिस्टोंसे मेरा मिलना-जुलना था, परन्तु यह प्रमाणित न हो सका कि मैं उनके साथ मिला गया था, उनसे किसी दृष्टिसे प्रभावित हुआ । सच बात यह है कि मेरी प्रवृत्ति कम्युनिस्ट होनेकी तो नहीं हुई और रूसमें जो कुछ हो रहा था वह मुझे पूराका पूरा पसन्द भी नहीं था, फिर भी मुझपर पर्याप्त प्रभाव पडा था । वहाँकी कई बातें ऐसी थीं जो अच्छी लगती थीं और भारतके लिए प्रयोज्य प्रतीत होती थीं । उस समयतक भारतमें कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भी नहीं हुई थी । यह काम तो एम० एन० रायके लौटनेपर हुआ, इसलिए किसीके पार्टीमें सम्मिलित

होनेका प्रश्न उठ ही नहीं सकता था। कुछ वातोमे रूस और भारतकी परिस्थितियाँ मिलती थीं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता था कि गमाजवादी पद्धति भारतके लिए भी उपयुक्त होगी। उदाहरणके लिए, जमींदारी प्रथाके उन्मूलनकी आवश्यकता यहाँ भी प्रतीत होती थी परन्तु ज्योंका त्यों अनुकरण न करणीय था, न सम्भव। रूसमे कम्युनिस्टोको ईसाई धर्मसस्थानका खुलकर प्रबल विरोध करना पडा। धर्माचारोने कम्युनिज्मका विरोध किया। भारतमे उम प्रकारका धर्मसस्थान है ही नहीं। धार्मिक प्रमुखोने कभी राजनीतिक क्रान्तियोका विरोध नहीं किया। कई साधु-सन्यासी स्वाधीनता आन्दोलनमे जेल गये थे। अतः यहाँ धर्मविरोधी आन्दोलन चलाना लाभदायक होना तो दूर रहा, हानिकर होता। रूसमे भूमि बहुत थी और जनसख्या कम, भारतमे भूमि कम थी और जनसख्या अधिक, इसलिए भी रूसी क्रान्तिका कार्यक्रम यथावत् इस देशमे नहीं चलाया जा सकता था। हमारी परिस्थितियाँ स्वयं इस प्रकारकी विचार-धाराको उभारती, परन्तु रूसी क्रान्ति और कम्युनिज्मके सिद्धान्तोने विचारो-मे अधिक तीव्रता और गम्भीरता ला दी, इसमे सन्देह नहीं।

उन दिनो देशमे एक महत्त्वपूर्ण विवाद चल पडा था। मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार योजनाके अनुसार नयी व्यवस्थापक सभाओका चुनाव होनेवाला था। कुछ कांग्रेसजनकी यह राय हुई कि कांग्रेसको भी उम्मीद-वार खडे करने चाहिये जो विधानसभाओके भीतर जाकर असहयोगकी नीति बरते। पण्डित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चितरञ्जनदास तथा पण्डित मदनमोहन मालवीय इसी पक्षमे थे। कांग्रेसजन इस प्रश्नको लेकर दो भागोंमे बँट गये। जो लोग चुनावमें भाग लेनेके पक्षमे थे, वह परिवर्तन-वादी कहलाते थे, जोपको अपरिवर्तनवादी कहा जाता था। १९२२ के दिसम्बरमे गयामे कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। यही मुख्य विचारणीय विषय था। लगभग नौ दिनतक वादविवाद होता रहा। स्वागत समितिने जो प्रवन्ध किये थे वह सब समाप्त हो गये। अधिवेशन दो-तीन दिनतक चलता है। नौ दिनके लिए कहाँतक प्रवन्ध किया जाय। देशबन्धु चितरञ्जन

दास अव्यक्त थे। घण्टो बहस होती रहती, वह शान्तिसे बोलनेवालोंको अवसर देते जाते। विधानसभाओंमें प्रवेश करनेके सबसे कड़र विरोधी मुसलमान मौलवी थे। उन दिनों कांग्रेसमें इनकी बहुत बड़ी सख्ता थी। इनका एक पाँव कांग्रेस, दूसरा खिलाफत कमेटीमें होता था। जो मौलवी मंचपर आता वह कुरान और हदीस तथा दूसरे ऐसे ही ग्रन्थोंसे अरबीके लम्बे अवतरण उपस्थित करता और फिर उनकी व्याख्या करता। घण्टे-दो-घण्टेसे कम कोई बोलता ही न था। ऐसा लगता था जैसे इन धर्मग्रन्थोंमें इसी राजनीतिक प्रश्नकी उधेड़बुन की गयी है। स्पष्ट ही यह लोग अर्थको तोड़-फोड़कर अपना उद्देश्य सिद्ध कर रहे थे। सुनते-सुनते जी ऊब गया। अन्तमें एक युक्तिसे काम लिया गया। हमसे कुछ युवक सदस्योंने यह प्रस्ताव किया कि इस प्रश्नका अन्तिम निर्णय स्थगित रखा जाय और काशीके पण्डितोंसे व्यवस्था माँगी जाय कि हिन्दू धर्मशास्त्र इस सम्वन्धमें क्या कहते हैं। इस हास्यमय सुझावने, जिसे बड़ी गम्भीर मुद्रासे पेश किया गया था, वातचीतका रूप बदला। सबको ही लगा कि मजहबकी बहुत बातें हो गयीं, राजनीतिक प्रश्नको राजनीतिक ढंगसे ही मुल्झाना चाहिये। कुरानकी आयतोंका प्रवाह रुक गया। और सब प्रबन्ध तो टूट ही गये थे, वक्ताओंके गले भी जवाब ढे गये थे। अकेले श्री राज-गोपालाचारीका गला ठीक था। उनको कुछ लोग मजाकमें कापालिक कहते थे। क्रोसिल-प्रवेशके कड़र विरोधी थे। अन्तिम दिन अव्यक्त महोदयने हमारे मित्र श्री शिवप्रसाद गुप्तसे सहायता ली। शिवप्रसादजीका स्वर बहुत बलिष्ठ था। अव्यक्त अपने बैठे गलेमें जो कुछ कहते थे उसे शिवप्रसादजी दुहराते थे। उन दिनों लाउड स्पीकरोंका चलन नहीं था, शिवप्रसादजी सजीव लाउड स्पीकार बने हुए थे। यह सहायता उनको उभय पक्षके कई वक्ताओंको देनी पड़ी।

कांग्रेसने कांग्रेसजनका विधानसभाओंमें जाना स्वीकार तो किया पर सङ्कुचित ढंगसे। परिवर्तनवादियोंने स्वराज्य पार्टी बनायी थी। यह अनु-मति दी गयी कि कांग्रेसके नामसे कोई उम्मीदवार खड़ा न किया जाय

परन्तु जो कांग्रेस सदस्य स्वराज्य पार्टीकी ओरसे खडा होना चाहे वह ऐसा कर सकता है। अपरिवर्तनवादी कांग्रेसजन निजी हैसियतसे उसकी सहायता करेंगे। कमसे कम कोई विरोध न करेगा।

मैं स्वयं परिवर्तनवादी हो चुका था। परन्तु मैंने यह निश्चय किया कि स्वराज्य पार्टीकी ओरसे खडा न हूँगा। यदि कभी कांग्रेस अपने नामसे उम्मीदवार खडा करेगी तभी मैं विधायक बननेकी बात सोचूँगा। गया कांग्रेसके अवसरपर मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंके पास एक पुस्तिका छपवाकर बाँटी। उसमें कांग्रेसके लिए भावी कार्यक्रमके सुझाव थे। इसमें विधानसभाओंमें प्रवेश करना भी सम्मिलित था। जो कार्यक्रम मैंने बनाया था उसपर निश्चय ही कम्युनिस्ट वाङ्मयके अध्ययन और रूसी सरकारके कामोकी छाप थी।





इन सात वर्षोंकी कुछ घटनाओंकी चर्चा तो पूर्ववर्ती अन्यायमें हो चुकी है। कम्युनिज्मसे जो सम्पर्क हुआ वह थोड़ा-बहुत बढ़ता ही गया और यत्र-तत्र बहुत-से लोगोंके मनमें यह विचार जमता गया कि अपने देशका कल्याण तभी होगा जब स्वराज्यके साथ-साथ यहाँ किसी-न-किसी रूपमें समाजवादी व्यवस्था कायम की जायगी। यह कैसे होगा इसके विषयमें स्पष्ट राय नहीं थी। हमारे समाजवादका रूप क्या होगा यह भी स्पष्ट नहीं था। इस विषयका चर्चा इतना कम होता था कि जो लोग समाजवादी विचार रखते थे वह एक-दूसरेसे अनभिज्ञ थे।

१९२३ में उत्तरप्रदेशमें म्युनिसिपैलिटीयोंका चुनाव हुआ। प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीने यह तय किया कि जिन नगरोंमें सम्भव हो, कांग्रेसकी ओरसे उम्मीदवार खड़े किये जायें। प्रायः सभी बड़े नगरोंमें कांग्रेस विजयी हुई। लखनऊ, प्रयाग, काशी इन सबमें कांग्रेसका बहुमत हुआ और कांग्रेसका ही अध्यक्ष चुना गया। मैं स्वयं नगरके चेतगज वार्डका प्रतिनिधि था और तीन सालोंमें क्रमात् चुनी, स्वास्थ्य और शिक्षा समितियोंका अध्यक्ष रहा। इस प्रकार हम लोगोंको शासनका उपयोगी अनुभव प्राप्त हुआ। शिक्षासमितिके अध्यक्षकी हैसियतसे मुझे शिक्षा-सुपरिण्टेण्डेण्ट चुनने का अवसर मिला। इस पदपर श्री रामेश्वरसहाय सिनहा नियुक्त हुए। वह सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। इसीलिए आज भी डिप्टी साहब कहलाते हैं। १९२१ में नौकरी छोड़ दी। जेल गये। काशीमें नियुक्त

होनेके बाद भी हर आन्दोलनमें जेल गये । तीन सालतक हरदोई जिलेसे असेम्बलीके सदस्य थे । तीन सालतक राजनीतिक पेशन विभागके अवैतनिक अधिकारी रहे । वह बड़े ही धार्मिक प्रकृतिके मनुष्य हैं और स्वामी रामतीर्थके नामपर स्थापित श्री रामतीर्थ प्रतिष्ठानके मन्त्री हैं । उनके जैसे सच्चे मित्र और परोपकारी व्यक्ति देखनेमें कम आते हैं । लोकसेवाकी प्रवृत्ति उनका सहज गुण है ।

हमारे बोर्डके अध्यक्ष डॉ० भगवानदासजी थे । दूसरे सदस्योंमें स्व० श्री त्रिवप्रसादगुप्त, श्री श्रीप्रकाश तथा स्व० डॉ० अमरनाथ वनर्जाके नाम विशेष रूपसे उल्लेख्य हैं । बोर्ड लोकप्रिय था और उसकी नगरमें तथा बाहर प्रतिष्ठा थी । म्युनिसिपल शासनमें बहुत सुधार हुआ, आय बढ़ी और बोर्डकी बैठकें ममयसे तथा गम्भीरतापूर्वक होने लगी । रिश्वत कम हो गयी, लोगोंको तग करना बहुत कम हो गया । रिश्वतके सम्बन्धमें डॉ० भगवानदासकी एक उक्ति याद आती है : 'न लेना तो सबसे अच्छा है परन्तु यदि लेना ही हो तो शुकराना लिया करो, जवराना नहीं ।' इसका तात्पर्य यह है कि काम करके इनाम माँग सकते हो पर यह नहीं कह सकते कि यदि रिश्वत न मिली तो काम न करूँगा ।

सरकारी अफसरोंको भला यह बात कहों अच्छी लग सकती थी कि कांग्रेसजन अपने सुशासनके लिए ख्याति प्राप्त करें । काम सँभाले एक साल भी नहीं हुए ये कि २२ जनवरी १९२४ को तत्कालीन कमिश्नर श्री ममफर्डने प्रादेशिक सरकारको लिखा कि 'इस बातका कोई प्रमाण नहीं है कि सदस्योंमें अपने दायित्वको धमता और मितव्ययिताके साथ निवाहनेकी योग्यता और अनुभव है' और यह राय दी कि बोर्डको निलम्बित करके उसका काम किसी अनुभवी अफसरको पाँच वर्षके लिए सौंप दिया जाय । इस पत्रका उत्तर फरवरीमें गया । उत्तर ऐसी सौजन्यपूर्ण तथा कड़ी भाषामें था जैसी सरकारको देखनेको कम ही मिलती होगी । कमिश्नरकी एक-एक बातका तर्कसम्मत पुष्ट खण्डन था । इस बातपर आश्चर्य और कुतूहल प्रकट किया गया कि बोर्डके सदस्योंमें व्यापारी,

पत्रकार, डाक्टर, अध्यापक होते हुए यदि काम खराब है तो सरकारके पास ऐसे कौन-से विलक्षण अफसर हैं जिनमें इन सबकी सम्मिलित योग्यता है और इतनी क्षमता है कि सब सदस्योंका काम वह अकेले कर सके। बहरहाल सरकारने कमिश्नरका परामर्ग नहीं माना, बोर्ड रह गया और पूरे तीन सात तक जनताकी सेवा करता रहा। दूसरे चुनावके समय प्रदेशने यह तय किया कि कांग्रेसकी ओरसे तो उम्मीदवार न खड़े किये जायँ, परन्तु व्यक्तिगत रूपसे जो लोग चाहते हो वह खड़े हो सकते हैं। काशी और दूसरे बड़े नगरोंमें प्रमुख कांग्रेसजन नहीं खड़े हुए।

१९२५ में मेरी लडकी सरोजिनीका विवाह हुआ। अब तो न वह है न उसके पति हैं। इस पारिवारिक घटनाका जिक्र इसलिए करता हूँ कि इसके कारण मुझको पहिली बार वादीके रूपमें न्यायालयके सामने जाना पडा। उन दिनों काशीमें 'सूर्य' नामका साप्ताहिक पत्र निकलता था। विवाहके बाद ही उसमें यह टिप्पणी निकली कि स्थानीय म्युनिसिपल बोर्डके ऋषि समझे जानेवाले एक सदस्यकी कन्याका विवाह हुआ। उसके लिए ऐल्युमिनियमके एक कारखानेवालेसे वर्तन लिये गये और उसका जमीनका मामला तय हो गया। नाम नहीं दिया गया था परन्तु स्पष्ट ही यह टिप्पणी मेरे सम्बन्धमें थी। मैंने श्री पुरुषोत्तमदास सफरीवालेके शकर ऐल्युमिनियम फैक्टरीसे किरायेपर वर्तन लिये थे। जमीनकी कथा यह थी कि कारखानेवालेने सरकारी सडककी थोड़ी-सी जमीन दवा ली थी। बोर्डके सदस्यकी दृष्टिसे मैंने इसकी शिकायत की थी। फिर बोर्डकी सार्वजनिक निर्माण समितिने किन्हीं शर्तोंपर मामलेको तय कर दिया। मैं उक्त समितिका सदस्य भी नहीं था।

यह अखबार कांग्रेसजनके सम्बन्धमें बहुत-सी अनर्गल बातें लिखा करता था। जाति-विरादरीकी भावनाको भी भडकाया करता था। सब चुप थे, क्योंकि कांग्रेसने न्यायालयके वहिकारकी आज्ञा निकाल रखी थी। सम्भवतः इसी भ्रममें वह इस बार भी यह टिप्पणी लिख गया कि कोई कुछ कर न सकेगा। परन्तु कुछ ही मास पूर्व वेल्गॉवमें कांग्रेसने

वहिकार उठा लिया था। मैंने दीवानी अदालतमें ५००० रु० का मानहानिका मुकदमा दायर किया। सभी कांग्रेसजनका मुझे नैतिक ममर्शन प्राप्त था। आरोप निराधार तो था ही, मेरा जीतना निश्चित था। एक-दो पेशीके बाद प्रतिवादीने यह प्रस्ताव रखा कि श्री सी० वाई० चिन्तामणिको पत्र मानकर मामला उनके सुपुर्द कर दिया जाय। इस प्रस्तावने मुझे धर्मसकटमें डाल दिया। मेरे सभी मित्र इसके विरुद्ध थे। उनका कहना था कि श्री चिन्तामणि प्रदेशके प्रमुख लिबरल नेता हैं और यह पत्र अपनेको काशीकी लिबरल पार्टीका मुखपत्र कहता है। अतः श्री चिन्तामणिके लिए निष्पक्ष विचार करना असम्भव होगा। शका निस्तव्य नहीं थी। परन्तु मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मेरा यह कहना था कि यदि मैं श्री चिन्तामणिके लिबरल होनेके कारण उनको स्वीकार नहीं करता तो सभी भारतीय नेताओपर लाञ्छन लगता है। यह मानना होगा कि न्यायकी गद्दीपर बैठकर भी भारतीय पक्षपात नहीं छोड़ सकता। फिर तो मैं भी अविश्वसनीय हुआ। मित्रोंको मेरा तर्क बहुत पसन्द नहीं आया। पर मैंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। भगवान्ने मेरी निष्ठाकी लाज रख ली। श्री चिन्तामणिका निर्णय मेरे पक्षमें हुआ। मैं जीत गया।

पिताका देहान्त तो हो ही चुका था, १९२८में माताका भी देहान्त हो गया। मैं उस समय काशीमें न था, मेरे मझले भाई अन्नपूर्णानन्द यूरोप गये हुए थे, अन्त्येष्टि छोटे भाई परिपूर्णानन्दने की। अतीतसे यह नाता भी टूट गया।

लोकमतके दबावसे भारत सरकारने सर ऐण्ड्यू स्कीनकी अध्यक्षतामें एक महत्वपूर्ण कमेटी नियुक्त की थी जिसका नाम इण्डियन सैंडहर्स्ट कमेटी था। इसे सक्षेपमें स्कीन कमेटी भी कहते थे। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे—एक तो इस विषयकी जाँच करना कि भारतमें सैंडहर्स्टकी भाँति सैनिक कॉलेज खोलना उचित होगा या नहीं, दूसरे यह कि सभी प्रकारके भारतीय सेनामें अफसर नियुक्त हो सकते हैं या नहीं। इसके पहले कुछ थोड़े-से

भारतीय चुनकर इंग्लैण्ड भेजे गये थे। उन्होंने सैंडहर्स्ट कॉलेजमें शिक्षा पायी थी। वह सेनामें अफसर थे। जिम सरख्यामें ऐसे अफसरोंकी भरती हो रही थी उससे तो सम्पूर्ण भारतीयकरणमें लगभग दो सौ वर्ष लगते, महायुद्ध-कालमें इन्दौरमें सशक्त शिक्षा देकर कुछ भारतीयोंको अफसर बना लिया गया था। परन्तु भारत सरकारने भारतीय जनताको दो वर्गोंमें बाँट रखा था : मार्शल और नान-मार्शल, युद्धप्रिय और अयुद्धप्रिय। राजपूत, पठान, गुरखा, सिक्ख, मराठा यह युद्धप्रिय थे। इन्हींके लिए सेनामें स्थान थे, जेपके लिए नहीं। भारतीय लोकमत भारतमें सैनिक कॉलेज खोलनेके लिए आग्रह करता था, भारतीयकरणकी प्रगति बढ़ानेके पक्षमें था और इस विभाजनके विरुद्ध था। इसीलिए कमेटी नियुक्त हुई थी।

उसके सदस्योंमें पण्डित मोतीलाल नेहरू भी थे। उन्होंने कमेटीके कामके लिए मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया। मैं काशी विद्यापीठसे छुट्टी लेकर उनके साथ हो गया। काम बहुत रोचक था। सैनिक शिक्षा और देशकी रक्षाके सम्बन्धमें बहुत-से ऐसे कागज देखनेमें आये जो अन्यथा सर्वथा गोप्य रहते। जो लोग कमेटीके सामने साक्ष्य देने आते थे उनमेंसे बहुतोंकी बातें सुनने और पढ़ने योग्य होती थी। मैं पहिले उनके लिखित वयानको पढ़कर उनके मुख्य कथनोका नोट पण्डितजीको दे देता, फिर वह दिनमें इसी आधारपर उनसे प्रश्न करते। कुछ अग्रेजोंने बहुत ही अच्छी राय दी थी और कुछ भारतीयोंने बहुत ही बुरी। जो भारतीय अफसर बनाये जा चुके थे उनकी बात सुनने योग्य होती थी। उनमेंसे कई विभाजनके पक्षपाती थे। इस सम्बन्धमें सबसे बुरा रुख सिख अफसरोंका था। वह एक स्वरसे विभाजनके पक्षमें थे और दूसरों, विशेषतः खत्रियों और वनियोंके अफसर बनाये जानेके कट्टर विरोधी थे। चार-पाँच दितोंतक लगातार इनका ही साक्ष्य होना था। रिपोर्टमें इस प्रकारकी बातका होना अच्छा नहीं लगता था। मैंने पण्डितजीको एक सुझाव दिया। वह बहुत अच्छा तो नहीं था परन्तु 'विपस्य विपमौपधम्' समझकर मैंने वह राय दी। मेरा कहना यह था कि यह प्रश्न पूछे जायें

कि सिख-धर्म दूसरोको सिख बनाता है। कोई जन्मका बनिया या खत्री भले ही हो, पर वह सिख बन सकता है। तब उसकी गणना युद्धप्रियोमे हो जायगी। फिर तो जन्मके आधारपर अफसरीकी योग्यता नहीं मानी जा सकती। फिर, पजाबमे सिख-असिख परिवारोमे विवाह होता है। इन विवाहोसे उत्पन्न सन्तान क्या मानी जायगी ? और सबसे बड़ी बात यह कि दसो गुरु, जिन्होने सिखोको सिख बनाया, जन्मना खत्री थे। तो क्या वह लोंग सैनिक अफसरीके लिए अयोग्य थे ? पहिले तो पण्डितजी ऐसे प्रश्न पूछनेपर राजी न हुए, पर दो दिन बीत गये और वही अराष्ट्रीय गवाही आती रही। अभी कमसे कम दो दिन और थे। उनको मेरी बात माननी पडी। तीसरे दिन उन्होने यह प्रश्न पूछे। गवाह धुब्ध और निरुत्तर हो गये। उनके साक्ष्यका रूप बदल गया। मेरा नाम तो न मिलेगा, परन्तु स्क्रीन कमेटीकी रिपोर्ट इस बातकी साक्षी है।

स्वराज्य पार्टी तीन सालतक कौंसिलोंमें रह चुकी थी। उसके सदस्यो-ने यथावसर अच्छा काम किया था। बगाल और उससे भी बटकर मध्यप्रदेशमें उसने शासनका काम चलाना कठिन कर दिया था। वह चाहते थे कि अगले चुनावके बाद उनको यह अनुमति दी जाय कि अपने ढंगसे शासन चला सके। यह अनुमति नहीं मिली। परन्तु कांग्रेसने अपनी ओरसे उम्मीदवार खडे करनेका निश्चय किया। इसके पहिले स्वराज्य पार्टीवालोको कौंसिलोको छोड देनेका आदेश दिया गया। पण्डित मोतीलालजी स्क्रीन कमेटीसे पृथक् हो गये। इस १९२६ के चुनावमे मैं काशीनगरके लिए खडा हुआ। मेरे विरुद्ध हिन्दू सभाके एक सज्जन थे। मैं जीत गया।

उन दिनो शासन मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजनाके अनुसार चलता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, आवकारी तो कौंसिलके प्रति दायी मन्त्रियोके हाथमें थे। पुलिस, जेल, सामान्य प्रशासन, एग्जेक्युटिव कौंसिलर लोकोके पास थे, जिनका सम्बन्ध सीधे गवर्नरसे था। उत्तरप्रदेशकी कौंसिलमे लगभग सवा सौ सदस्य थे, जिनमेंसे बाईस या तेईस तो मनो-

नीत थे । सभी सेक्रेटरी और मुख्य विभागाध्यक्ष इस प्रकारसे बँटे थे । ग्रेप कांग्रेस (संख्या २३) और लिबरल (संख्या २२)के अतिरिक्त जमींदार आदि सरकारके समर्थक थे । कुछ स्वतन्त्र भी थे परन्तु प्रायः तो वह सरकारके साथ ही होते थे ।

कांग्रेस दलके नेता पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त और लिबरल दलके श्री चिन्तामणि थे । मैं कांग्रेस दलका मन्त्री था । हमारे सदस्योंमें स्व० श्री गणेशगंकर विद्यार्थी भी थे । स्वतन्त्र लोगोमें नवाबजादा लियाकत अली ख़ाँका नाम उल्लेख्य है । इन्होंने पाकिस्तानके सम्वन्धमें काफी ख्याति प्राप्त की ।

यों तो मन्त्रियोंके हाथमें अधिकार थे ही, पर सच तो यह है कि सारी मत्ता सेक्रेटरी लोगोके पास थी । ऐसा होना स्वभाविक था, उनका अस्तित्व ही सेक्रेटरियोंपर निर्भर था । यदि सरकारी मनोनीत सदस्योका महारा न होता तो कोई मन्त्री टिक ही नहीं सकता था । इसलिये अपने भाषणोंमें हमारा प्रयत्न इन अफसरोको प्रभावित करना होता था । अतः अग्रेजीमें ही बोलना उपयोगी होता था । उन दिनों नियम था कि जो अग्रेजीमें न बोल सके वही हिन्दीमें बोलने पाता था । मुझे अपना पहिला भाषण याद आता है । यह प्रस्ताव उपस्थित करना था कि इण्टर क्लास-में सैनिक-शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय मैं । चाहता था अग्रेजीमें बोलना परन्तु हिन्दीमें बोलना धर्म था । आरम्भ किया . 'अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ ' इतना ही कह पाया था कि अध्यक्ष, सर मीतारामने टोक दिया 'मैं जानता हूँ कि माननीय सदस्य अग्रेजीमें बोल सकते हैं', मैंने मुँहमाँगी मुराद पायी, यद्यपि कहनेको यही कहा कि 'अच्छी बात है, जब आप विवश करते हैं तो अग्रेजीमें बोलेंगा' ।

उम कौंसिलमें वस्तुतः हम शक्तिहीन थे । सरकारके समर्थकोकी संख्या हममें कहीं अधिक थी । कांग्रेसी और लिबरल सदस्य मिलकर भी पैतालीस ही होते थे । जिस प्रस्तावका मैंने जिक्र किया है उसको ही लीजिये । सरकारकी ओरसे इस आधारपर विरोध हुआ कि सैनिक-शिक्षामें बन्दूकसे

काम लेना होता है और इसका सम्बन्ध रक्षासे है। रक्षा केन्द्रीय विषय है। प्रस्ताव गिर गया। कुछ दिन बाद इसी आशयका प्रस्ताव केन्द्रीय कौंसिलमें पेश हुआ। केन्द्रीय सरकारने इस आधारपर विरोध किया कि शिक्षा, चाहे जैसी हो, प्रान्तीय विषय है, केन्द्रीय सरकारका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ दिनों बाद मैं फिर अपना पुराना प्रस्ताव लाया। इस बार प्रादेशिक सरकार उसका विरोध नहीं कर सकती थी। स्वीकृत हो गया। परन्तु सरकारने उसको कार्यान्वित करनेका कोई प्रयत्न नहीं किया।

राजनीतिक दृष्टिसे इस जमानेकी सबसे बड़ी घटना १९२८ में साइमन कमीशनकी नियुक्ति थी। कमीशनको यह देखना था कि मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कर्होतक सफल हुए और अब और क्या सुधार किये जायें। कमीशनके ऊपर कई प्रतिबन्ध थे। भारत स्वाधीनताका भूखा था और कमीशन स्वाधीनता या इससे मिलती-जुलती किसी बातकी मस्तुति कर नहीं सकता था। परिणाम यह हुआ कि सभी राजनीतिक दलोंने उसके बहिष्कारका निश्चय किया। निश्चय तो हुआ, परन्तु बहिष्कारका मुख्य बोझ कांग्रेसपर ही पडा। और दलोंके नेता तो सभाओमें भाषण देनेसे आगे बढ़ नहीं सकते थे, प्रदर्शनकी जिम्मेदारी कांग्रेसको ही लेनी पडी। इस कामको और कोई कर भी नहीं सकता था। सारे देशकी भावना कमीशनके विरुद्ध थी। ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रका अपमान करना चाहती है।

कमीशनके सदस्य जहाँ कहीं भी गये, उनको लोगोंकी प्रतिकूल भावनाका परिचय मिला। लखनऊमें उनकी दावत हुई। उस स्थानके ऊपर पतंग मँडरा रहे थे जिनपर लिखा था 'साइमन गो बैक', साइमन लौट जाओ। काशीमें जो कुछ हुआ वह अपने ढगका निराला था। गवर्नमेण्टने इस बातको छिपा रखा था कि कमीशन किस दिन आने-वाला है पर एक सरकारी टेलीफोन 'टैप' हो गया। बातचीत हमको जात हो गयी। उन्होने बड़ा बुरा दिन चुना। शिवरात्रि थी। उस दिन



नगरमें लाखोंकी भीड़ गंगास्नान और विष्णुनाथजीका दर्शन करने आती है। स्यात् यह सोचा होगा कि इस भीड़-भाड़में किसीको पता न चलेगा। अस्तु, पता लगते ही सहस्रो मनुष्य 'साइमन गो वैक'की तख्तियाँ लिये हुए स्टेजन पहुँचे। उनका नेतृत्व स्व० पण्डित गोविन्द मालवीय कर रहे थे। अफसरोने कमीशनको एक छोटे स्टेजनपर उतारा और बौद्धकालके अवग्रेपोको दिखाने सारनाथ ले गये। सवेरे हम लोगोंने काशीनरेन्द्रकी 'मोरपखी' नामकी बड़ी नावको राजघाटकी ओर जाते देखा। इससे अनुमान यह हुआ कि कमीशनको घाटोकी मैर करायी जायगी। एक मोटरबोट लेकर दो और साथियोंके साथ मैं वहाँ पहुँचा। हमारी नावपर भी वही, 'साइमन गो वैक' लिखी तख्तियाँ थी। अनुमान ठीक निकला। कमीशन आया और मोरपखीपर सवार होकर घाटोको देखने लगा। ठीक उसी समय हमारी मोटर खराब हो गयी। वह लोग आगे बढ़ गये, हम पीछे पड़ गये। किसी प्रकार ५-७ मिनटमें मोटर ठीक हुई और हम उनके बराबर आ गये। फिर तो उनके और घाटके बीचमें बराबर हमारी नाव रही। घाटोपरसे भी 'लैट जाओ'का नारा लग रहा था। असी घाटपर उनको उतारकर गहर लाया गया। मेलेकी भीड़ तो थी ही, कुछ लोगोंने पहिचान लिया और मोटरोंको घेर लिया। अधिकारियोंके हाथ-पाँव फूल गये। यदि स्व० वा० विष्णुनाथ सिंह तथा कुछ और कांग्रेसजन बीचमें न कूट पड़ते तो भगवान् जाने क्या दुर्घटना हो जाती।

कमीशनके आगमनकी प्रतिक्रिया कौंसिलमें भी हुई। वह निश्चय हुआ कि कमीशनके साथ सहयोग न किया जाय। मन्त्रियोंमें राय राजेश्वर बली और कुँअर राजेन्द्रसिंह लिबरल दलके सदस्य थे। उन लोगोंने कमीशनसे असहयोगका निश्चय किया। विवग होकर गवर्नर, सर अलैग्जैण्डर मुडिमैन, ने उनको पदच्युत कर दिया। इसके बाद एक विचित्र बात हुई। लिबरल दलके एक सदस्य राजा जगन्नाथवरुणसिंह थे। उन्होंने भी कमीशनके बहिष्कारके पक्षमें मत दिया था। परन्तु न

जाने किस दबावमें पढ़कर दोनों मन्त्रियोंके हटनेपर स्वयं मन्त्री बनना स्वीकार कर लिया। इससे उनके विरुद्ध घोर असन्तोष जागा। नैनीतालमें कौंसिलकी बैठक थी। उसमें उनके विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव उपस्थित किया गया। इसमें कुछ ऐसे सदस्य भी सम्मिलित हुए, जो स्वयं कमीशनके बहिष्कारके विरोधी थे। उनका तर्क यह था कि कमीशनका बहिष्कार स्वतः अच्छा हो या बुरा पर जब कौंसिलने एक निर्णय ले लिया और उस निर्णयके फलस्वरूप दो मन्त्रियोंको अपने स्थान त्यागने पड़े तो जो कोई उस निर्णयके विरुद्ध आचरण करता है वह दोषी है और सदस्योंके विश्वासका पात्र नहीं है। अविश्वासका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, राजा साहबको हटना पड़ा।

हमारे सदस्योंमें श्री भगवती सहाय वेदार भी थे, जो अब स्वामी वेदानन्द हो गये हैं। उनके भाषण अपने ढंगके निराले होते थे। एक बार आवकारीपर विवाद हो रहा था। नवाब मुहम्मद यूसुफ इस विभागके मन्त्री थे। वेदार साहबने कहा 'मुझको देखिये। कायस्थ हूँ, हमारी विरादरीमें शराब पीनेका चलन है। शाक्तमतका अनुयायी हूँ। हमारे सम्प्रदायमें पंचमकारसे पूजा होती है जिसमें शराब भी है। परन्तु लोग कहते हैं कि शराबवन्दीसे देशका हित होगा। इसलिए अपना लोक-परलोक दोनों विगाडकर इसका समर्थन करता हूँ। और नवाब साहबको देखिये। इसलाममें शराबकी मनाही है, हराम है, फिर भी बन्द नहीं करते।' वेचारे नवाब साहब इसका क्या उत्तर देते।

अविश्वासके प्रस्तावपर भी वेदारने विलक्षण भाषण किया। बोले 'मैं घरसे राजा साहबके पक्षमें वोट देनेका निश्चय करके चला था। मार्गमें डोंडीवालोंने पूछा कि आज कौंसिलमें क्या है कि इतनी भीड़ जा रही है। मैंने उनको सब बातें बतायीं। इसपर वह बोले, "अरे साहब तब तो यह बड़ा ही विश्वासघात हुआ। यह राजा तो बड़ा निकम्मा आदमी है, इसको निकालना ही चाहिये।" डोंडीवालोंकी बात सुनकर भान हुआ यह असली लोकमत है। इसीको मानना चाहिये, मेरी भूल थी जो मैं

राजा साहवके पक्षमे वोट देने जा रहा था ।' इस प्रकार डॉडीवालेकी आडमे आलोचना करना नयी बात थी । अपनी ओरसे किसी अगिष्ट भाषाका प्रयोग नहीं किया ।

कांग्रेसने यह निश्चय किया कि कांसिलेमे जो काम होना था हो लिया । अब बाहर आना चाहिये, १९२९ के अन्तमे कांसिलेके सभी कांग्रेसी सदस्योने त्यागपत्र दे दिये ।



जनताकी मनोवृत्ति कैसी हो रही थी और उसका रोप किस प्रकार दिनो दिन उद्दीप्त होता जा रहा था इस बातका कुछ अनुमान उस स्वागतसे हो सकता था जो साइमन कमीशनको प्राप्त हुआ। लोग पूर्ण स्वाधीनतासे नीचे किसी बातको सुननेको तैयार नहीं थे।

यह प्रश्न कई बार उठाया गया था कि स्वराज्यका स्वरूप क्या होगा। डॉ० भगवानदास ब्रसोसे कहते आते थे कि स्वराज्यको 'डेफाइन' करना चाहिये, उसकी परिभाषा बता देनी चाहिये ताकि प्रत्येक नागरिक जान सके कि उसके भावी अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। उनका यह कहना था कि इससे लोगोंका उत्साह बढ़ेगा, जनताके सामने एक अस्पष्टार्थ शब्दमात्र नहीं प्रत्युत निश्चित लक्ष्य होगा। बहुत लोग इस प्रकारके प्रयासको व्यर्थ समझते थे। फिर भी समय-समयपर कई न्यूनाधिक विस्तृत परिभाषाएँ तैयार हुईं। यह परिभाषाएँ भावी संविधानका प्रारूप थीं जिनके रचयिताओंने उन सिद्धान्तोंका उल्लेख किया था जो, उनकी सम्प्रतिमें, हमारे भावी शासनके मूलमें होने चाहिये। इनमेंसे, मेरी रायमें वह कई दृष्टियोंसे सबसे अच्छा था जिसको दास-दासयोजना कहते हैं। इसे डॉ० भगवानदास और देशबन्धु चित्तरञ्जन दासने मिलकर बनाया था। इसमेंकी कुछ बातें आजके समाजवादी युगमें अनुपयुक्त जचेंगी, फिर भी योजना अच्छी थी। कांग्रेसके सामने पेश हुई पर उसपर विचार होनेकी कभी नौबत नहीं आयी। जिन लोगोंने स्वराज्य होनेके बाद हमारा

सविधान तैयार किया उनमेंसे स्यात् ही किसीने उसे देखा होगा । देखना तो दूर रहा उसका नाम भी बहुतांश न सुना होगा ।

प्रसंगवशात् उस योजनाकी भी चर्चा किये देता हूँ जिसकी रूपरेखा योजना आयोगके सदस्य श्री श्रीमन्नारायण अग्रवालकी पुस्तक 'गान्धियन कास्टिट्यूशन फॉर फ्री इण्डिया' में दिया है । पुस्तक १९४५ में प्रकाशित हुई । उसके नामका अर्थ है 'स्वतन्त्र भारतके लिए गान्धीवादी सविधान' । पुस्तकका प्राक्थन स्वयं गान्धीजीने लिखा था । उसमें वह कहते हैं . 'भारतके सामने सविधान पेश करनेके जो कई प्रयत्न हुए हैं, मैं आचार्य अग्रवालकी रचनाको विचारपूर्ण रचना ममञ्जता हूँ । इस प्रयासकी विशेषता यह है कि उन्होंने इसमें वह काम कर डाला है जिसे ममयाभावमें मैं नहीं कर सका ।' इससे यह तो स्पष्ट ही है कि पुस्तकमें जो बातें लिखी हैं उनसे महात्माजीको स्वारस्य था । उनकी अभिलाषा थी कि भारतका सविधान उसी आधारपर बने ।

ग्रन्थकर्ताने इस बातपर जोर दिया है कि भारतका सविधान भारतीय परम्पराओकी भूमिकामें बनना चाहिये । अपने सहस्रो वर्षोंके इतिहासमें भारतने अनेक प्रकारके शासकीय प्रयोग किये हैं । निरकुश नरेश भी देखे हैं, गणतन्त्र भी देखे हैं । चक्रवर्ति, साम्राज्य, भौज्य, द्वैराज्य, वैराज्य अनेक प्रकारके राज यहाँ रह चुके हैं । भारतीय विद्वानोंने राजनीतिशास्त्रका मन्थन किया है । उनके विचार मुख्यतः 'वाल्मीकिरामायण', 'महाभारत', 'कौटिल्य अर्थशास्त्र', शुभ्राचार्यद्वारा 'नीतिसार' तथा 'कामन्दकीय नीति' में मिलते हैं । दुर्भाग्य यह है कि हमारे भारतीय नेता इस वाङ्मयमें परिचित नहीं हैं, परिचित होनेके दृष्ट्युक्त भी नहीं हैं । इन सन्दर्भ ग्रन्थोंके आधारपर श्री अग्रवालने कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हैं जिनको गान्धीजीका भी समर्थन प्राप्त था । उनका कहना है कि अनेक ढोपोंके होते हुए भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था औरसे अच्छी है परन्तु उसका वर्तमान रूप दूषित है । आज हम हाथ गिनते हैं, मस्तिष्क नहीं । प्रत्येक मनुष्यको ट्कार्ड मान लेते हैं और सबके मतका मूल्य बराबर ठहराते हैं ।

विद्या, बुद्धि, अनुभव, चरित्रकी ओर ध्यान न देकर सबको एक-सा मान लेना ठीक नहीं है। मत देनेवालोंकी अपेक्षा उन लोगोंकी योग्यता अधिक होनी चाहिये जिनको मत दिया जाना है। विकेन्द्रीकरण करके नीचेकी रस्थाओंको अधिक अधिकार देने चाहिये और प्रादेशिक तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओंका अप्रत्यक्ष चुनाव इन नीचेकी रस्थाओंमेंसे ही करना चाहिये।

यह हो सकता है कि इन सब मिद्धान्तोंको यथावत् अपना लेना सम्भव न हो परन्तु दुख इस बातका है कि किसीने इस ओर ध्यान भी न दिया। प्राचीन भारत क्या कहता है और महात्माजी क्या चाहते हैं, इस बातको जाननेकी हमारे सविधान बनानेवालोंको इच्छा ही न हुई।

अस्तु, सविधान बना हो या न बना हो, परिभाषा हुई हो या न हुई हो, जनता तो स्वराज्य शब्दको पूर्ण स्वाधीनताके अर्थमें ही प्रयोग करती थी। वह एक ही अर्थ जानती थी, ब्रिटिश सम्बन्धका पूर्ण विच्छेद।

अवस्था जटिल होती जा रही थी परन्तु अब भी कुछ विगडा न था। ब्रिटिश सरकार उसे अब भी सँभाल सकती थी। यदि भारतको डोमिनियन स्टेट्स, वैसा स्वायत्त शासन जैसा कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीकाको प्राप्त था, दे दिया जाता तो सन्तोष हो जाता, परन्तु इतिहास बतलाता है कि साम्राज्यशाहियों कभी समयसे चेतती ही नहीं। अनेक साम्राज्योंके इतिहास अपने सामने हैं, वह उठे, भूले की, गिरे, परन्तु फिर भी हर साम्राज्य यह समझता है कि मेरा काम ठीक है, मैं निरस्थायी रहूँगा।

अपने कार्यकालके समाप्त होनेपर घर जानेके पहिले वाइसराय, लार्ड अर्बिन, ने ३१ अक्टूबर १९२९ को एक वयान दिया, जिसका अन्तिम वाक्य यह था : 'मैं सम्राट्की सरकारकी ओरसे साधिकार यह स्पष्ट शब्दोंमें कहना चाहता हूँ कि १९१७ में जो घोषणा हुई थी उसमें उनकी रायमें यह बात निहित थी कि उस घोषणाके अनुसार भारतकी जो साविधानिक उन्नति होगी उसका सहज पर्यवसान डोमिनियन स्टेट्स ही

होगा ।' इस वयानमे यह साफ-साफ नहीं कहा गया है कि भारतको उस प्रकारके अधिकार मिलने जा रहे हैं या निकट भविष्यमे मिलेंगे । एक लक्ष्यकी ओर संकेत है जो कभी किसी सुदूर भविष्यमे स्यात् पहुँचा जा सके । परन्तु भारतीय नेताओंने इन शब्दोंकी बड़ी आशापूर्ण मीमासा की । उन्होने ब्रिटिश सरकारको नेकनीयती और उदारताका श्रेय देना अपना कर्तव्य समझा ।

वयान निकलनेके चौबीस घण्टेके भीतर कई दलोंके नेता उसपर विचार करनेके लिए दिल्लीमे एकत्र हुए और एक सर्वदलीय विज्ञप्ति निकाली गयी जिसके आरम्भमे ही यह कहा गया 'हमको यह आशा है कि भारतकी आवश्यकताओंके अनुरूप डोमिनियन स्टेट्सका स्वरूप स्थिर करनेमे हम सम्राट्की सरकारके साथ सहयोग कर सकेंगे ।' लन्दनमे राजनीतिक सुधारोंके सम्बन्धमे गोलमेज सम्मेलन होनेवाला था । उसमे सम्मिलित होनेके लिए कई भारतीय नेता भी निमन्त्रित थे । उस विषयमे इस सर्वदलीय विज्ञप्तिमें कहा गया कि हमारा ऐसा विश्वास है कि इस सम्मेलनमे डोमिनियन स्टेट्स कब मिले इसपर विचार नहीं करना है वरन् उसके स्वरूपका ढाँचा बनाना है । किसी अग्रेज मित्रको पत्र लिखते हुए महात्माजीने लिखा 'मैं सर्वदलीय विज्ञप्तिके एक-एक शब्दका समर्थक हूँ । किसी कागजके शब्दोंका महत्त्व नहीं होता, महत्त्व उसके मूल भावका होता है । यदि व्यवहारमे डोमिनियन स्टेट्स मिल जाय तो मैं तदनुकूल सविधानकी प्रतीक्षा करनेको तैयार हूँ । इसका अर्थ यह है कि सच्चा हृदयपरिवर्तन होना चाहिये . ब्रिटिश जनतामे यह भावना होनी चाहिये कि भारत स्वतन्त्र और आत्मसम्मानी राष्ट्र बन जाय और सरकारी अफसरोंमे सच्चा सेवाभाव आ जाय ।' थोड़े ही दिनमे यह स्पष्ट हो गया कि सर्वदलीय विज्ञप्ति वस्तुतः निराधार थी । लार्ड अर्विनके वयानका वह अर्थ था ही नहीं जो भारतीय नेता उसमे पहिना रहे थे । सरकारका ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि निकट भविष्यमे डोमिनियन स्टेट्स दिया जाय ।

भारतीय नेताओका प्रतिनिधिमण्डल वाइसरायसे २३ दिसम्बर १९२९ को मिला । मिल्नेवाल्लेमें महात्माजी, पण्डित मोतीलाल नेहरू, श्री जिना, सर तेजवहादुर सप्रू और श्री विट्ठलभाई पटेल भी थे । दुर्भाग्यसे उस दिन दिल्लीसे कुछ ही दूरपर वाइसरायके डब्बेके नीचे किसीने वम रख दिया था । खैरियत हुई किसीको चोट नहीं आयी । मुलाकात होनेपर स्वभावतः पहिले इसीका चर्चा हुआ । सभी लोगोंने वाइसरायको बधाई दी और हिसात्मक कामोकी निन्दा की । बहुत ही सौजन्यपूर्ण वातावरण बन गया । परन्तु मुख्य विषयके छिडते ही वातावरण बदल गया । गान्धीजीने कहा कि हमको इस बातका आश्वासन मिल जाना चाहिये कि लन्दनका गोलमेज सम्मेलन इस आधारपर काम करेगा कि सम्पूर्ण डोमिनियन स्टेट्स तो मिलना ही है, केवल उसके स्वरूप और प्रक्रिया, सविधान, का नकशा बनाना है । लार्ड अर्विनने ऐसा आश्वासन देनेमें साफ इनकार कर दिया । अब ब्रिटिश सरकारकी नीयतके सम्बन्धमें भ्रान्तिकी कोई जगह नहीं रह गयी । यह स्पष्ट हो गया कि जो कोई मुधार होंगे वह बहुत नीचे स्तरके होंगे : गोलमेज सम्मेलन केवल समय नष्ट करनेके लिए बुलाया जा रहा है ।

कांग्रेसमें कई वार ऐसे प्रस्ताव आये थे कि यह घोषित कर दिया जाय कि हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता है, परन्तु ऊपरके नेता ऐसे प्रस्तावका समर्थन नहीं करते थे । सम्भवतः वह समयको अनुकूल नहीं समझते थे, उनका यह भी खयाल रहा होगा कि जनता इसके लिए तैयार नहीं है । १९२१ में तो सरकारने कहा, स्वयंसेवक न बने, हमने इसका उलटा क्रिया, परन्तु पूर्ण स्वातन्त्र्यका नारा लगानेके बाद इतनेसे काम नहीं चल सकता था । सरकारसे सघर्ष करनेके मार्ग ढूँढने होंगे । पीछे लौटना सम्भव न होगा, जो कुछ भी त्याग करना पड़े, जैसी भी बलि देनी पड़े, उस सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा । नेताओकी हिचकिचाहट समझमें आती है । ऐसे आन्दोलनको चलानेका दायित्व बहुत बड़ा होता है । परन्तु ब्रिटिश सरकारकी धोखेवाजीने अब कोई दूसरा उपाय छोड़ा ही



नहीं। नीचेसे जनताका भी बड़ा ढवाव पड रहा था।

उस साल कांग्रेसका अधिवेशन लाहौरमे हो रहा था। ३१ दिसम्बर १९२९ को महात्माजीने पूर्ण स्वतन्त्रताका प्रस्ताव पेश किया। वह आधी गतके समय स्वीकृत हुआ। वह दृश्य देखने योग्य था। बाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, सबमे अपूर्व उत्साह था। रावी नदीका तट, पजाबकी कड़ी सर्दों, उसपर दिसम्बरका महीना और निगीथकाल, इस सबकी किसीको परवाह नहीं थी। लोग उन्मत्तकी भाँति नाच रहे थे, गा रहे थे, एक-दूसरेसे गले मिल रहे थे। भारतने अपने स्वतन्त्र होनेके सकल्पको मूर्त रूप दे दिया। और जन-जनके हृदयने इस निश्चयका स्वागत किया। मित्र और शत्रु एक वाग सभी इससे स्तब्ध हो गये। कांग्रेसने वह कदम उठा लिया जो मोडा नहीं जा सकता।

बादमे कांग्रेस कार्यकारिणी समितिने स्वतन्त्रताकी घोषणा तैयार की। यह घोषणा, वस्तुतः प्रादेशिक भाषाओमे इसका अनुवाद, सारे देशमे २६ जनवरी १९३० को ५ बजे सायंकाल पढा गया। तबसे ही २६ जनवरीका नाम स्वाधीनता दिवस पड गया, हमारा नया गणतन्त्रात्मक सविधान २६ जनवरी १९४८ से लागू हुआ। इसलिए अब इस तारीखको गणतन्त्र दिवस कहते हैं।

घोषणाका हिन्दी अनुवाद श्री श्रीप्रकाशके साथ मैंने कानपुरमे किया था। हम दोनों उस समय श्री गणेशशंकर विद्यार्थीके अतिथिके रूपमे प्रताप प्रेसमे ठहरे हुए थे। घोषणाका कुछ अंश आज भी स्मर्तव्य है :

“हमारा ऐसा विश्वास है कि स्वतन्त्र रहने, अपने श्रमसे पूरा लाभ उठाने और जीवनोपयोगी वस्तुओसे युक्त होनेका भारतीय जनताको वैसा ही अविच्छेद्य अधिकार है जैसा कि दूसरे लोगोंको, ताकि उनको अपने विकासके लिए पूरा अवसर मिल सके। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार किसी राष्ट्रको इन अधिकारोंसे वंचित करती है या उसका उत्पीडन करती है तो जनताको यह भी अधिकार है कि वह उस सरकारको बदल दे या मिटा दे। भारतमें ब्रिटिश सरकारने न केवल भारतीय

जनताकी स्वाधीनता छीन ली है वरन् उसका आधार ही जनसाधारणका घोषण है और उसने भारतको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे तबाह कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारतको ब्रिटिश सम्बन्धका विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना होगा। हमारी यह धारणा है कि जिस शासनने हमारे देशको इस प्रकार चतुर्धा नष्ट किया है उसकी अधीनताको अब स्वीकार करना ईश्वर और मनुष्य दोनोंके प्रति अपराध है। इसलिए हम यथाशक्य ब्रिटिश सरकारके साथ किसी प्रकारका ऐच्छिक सहयोग न करेंगे और सत्याग्रहके लिए, जिसमें टैक्स न देना भी शामिल है, तैयारी करेंगे।”

१ यह नया अनुवाद है। जो अनुवाद १९३० में किया गया था वह लिखने समय मुझे यहाँ मिल न सका। १९ जनवरी मन् ३० के ‘आज’में प्रकाशित घोषणा अविकल रूपमें इस प्रकार है—

“हमारा विश्वास है कि हमारे देशवासियोंकी तरह हिन्दुस्तानके लोगोंका यह अटल अधिकार है कि वे स्वाधीन रहें और अपने देशका सुख भोगें तथा जीवनकी आवश्यक सामग्रीसे सम्पन्न रहें ताकि वे उन्नतिका पूरा अवसर पावें।

“हमारा यह भी विश्वास है कि अगर कोई सरकार लोगोंको उनके अधिकारने वंचित करती है और उनको कष्ट देती है तो लोगोंको यह भी अधिकार है कि उनमें फेर-वदल करें या उसको बदल दें। भारतकी अंग्रेज सरकारने हिन्दुस्तानियोंको न केवल उनकी स्वाधीनतामें वंचित कर दिया है बल्कि वह जनताके घोषणके आधारपर ही बनी है और उसने हिन्दुस्तानको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिमें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है इसलिए हम समझते हैं कि हिन्दुस्तानको अवश्य ब्रिटिश सम्बन्ध त्याग देना चाहिये और ‘पूर्णस्वराज्य’ या पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना चाहिये।

“जिम सरकारने हमारे देशको इन चार प्रकारकी विपत्तियोंमें फँसाया है उसको मानना हम ईश्वर और मानवजातिके विरुद्ध अपराध करना समझते हैं। हम इसे स्वीकार करते हैं कि स्वाधीनता प्राप्त करनेके मार्गमें अहिंसाका मार्ग प्रभावशाली नहीं। हम ब्रिटिश सरकारसे स्वेच्छापूर्वक सहयोग करना छोड़कर सत्याग्रह करने और सरकारी कर न देनेके लिए तैयारी करेंगे।

“हमारा विश्वास है कि यदि ब्रिटिश सरकारसे सहयोग करना छोड़ दें और

स्वाधीनताका बीडा उठा लिया गया। लाहौरमें नकल्य किया गया, २६ जनवरीको हजारों नर-नारियोंके गलेमें उमें मारे देशमें दुहगया। वह उत्साह देखते बनता था। ऐसा लगता था कि १८५७ में शत-विधत होनेके बाद जो राष्ट्र गलितस्वाभिमान और हतोत्साह हो गया था उसकी दशाब्दियोंसे प्रसुप्त चेतना अब फिर जागी है। अब सबकी जिहापर एक ही प्रश्न था : क्या कदम उठाया जायगा। प्रश्न स्वाभाविक था। गान्धीजीके सिवाय हम आन्दोलनका नेतृत्व कोर्ट और करे, वह बात सोची भी नहीं जा सकती थी। सबकी आँखें उनकी ओर उठी हुई थीं। उनके आदेशकी प्रतीक्षा कर रही थीं। सरकार भी उधर ही देख रही थी। १९२१ में उमने जो भूल की थी वह दुहगयी नहीं गयी। उस वार स्वयमेवक बनने-बनानेको अपराध घोषित करके उमने जेल जानेका द्वार खोल दिया था, इस वार उसने मत्याग्रहका मार्ग सुलभ न करनेका निश्चय कर लिया। जब उन्होंने अपना कार्यक्रम प्रकाशित किया तो एक वार तो सभी अवाकू रह गये, सरकार भी अचम्भे में पड़ गयी। बड़े-बड़े नेताओंने गान्धीजीकी रायकी हँसी उठायी। किसीको विश्वास नहीं होता था कि इस कार्यक्रमसे कोई लाभ होगा। परन्तु बाद-विवाद होकर वही हुआ जो गान्धीजी चाहते थे।

उनका कहना था कि मनुष्यके जीवनके लिए नमक प्रायः उतनी ही आवश्यक वस्तु है जितनी कि अन्न या जल। उसे बनाना नहीं पड़ता, बना-बनाया मिलता है। प्रकृतिकी इस देनपर टैक्स लगानेका किसी सरकारको अधिकार नहीं है। अतः जहाँ भी सम्भव हो, लोगोंको नमक स्वयं निकालना और साफ करना चाहिये।

६ अप्रैल १९३० को आन्दोलन आरम्भ हुआ। यह उस राष्ट्रीय

---

उत्तेजनाका कारण उपस्थित होनेपर भी उपद्रव न करें तो इन अमानुषिक शासनका अन्त निश्चित है। अतएव हम शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि पूर्ण स्वराज्यकी स्थापनाके लिए कांग्रेस जब जो आदेश करेगी उसका हम पालन करेंगे।”

सप्ताहका पहिला दिन था जो जलियानवाला बागकी स्मृतिमे मनाया जाता था। सरकारने आन्दोलनका जवाब बड़ी कडाईसे देना आरम्भ किया। कई जगह गिरफ्तारीके स्थानपर मारपीटसे काम लिया गया। पेशावरमे गोली भी चली। ऐसी अवस्थामे महात्माजीने स्वयं सत्याग्रहमे भाग लेनेका निश्चय किया। इसके पहिले उन्होने वाइसरायको एक पत्र लिखा। उसमे सरकारकी ज्यादतियोंका चर्चा करते हुए उन्होने उनको अपने निश्चयकी सूचना दी और इम निश्चयका कारण यह बतलाया कि 'मैं चाहता हूँ कि आपके क्रोधको अपनी ओर मोड़ लें।' अन्तमे वह कहते है : 'बहरहाल मैं आपको निमन्त्रण देता हूँ कि अपने अधिकारका पूर्ण क्रूरतासे उपयोग करें। तभी मैं साधारण भारतीयको, जो मेरा अनुकरण करके शारीरिक कष्ट भोग रहा है और अपनी चल और अचल सम्पत्ति खो रहा है, यह विश्वास दिला सकूँगा कि अपनी ओरसे मैंने सत्याग्रहके कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका पूरा प्रयत्न किया।'

महात्माजीका कार्यक्रम यह था कि वह अपने स्थानसे चलकर धरसनातक जायें जहाँ नमकका सरकारी गोदाम था और वहाँ नमकपर कब्जा किया जाय। इस लम्बी यात्रासे बहुत प्रचार हुआ। गान्धीजी तो पहिले ही गिरफ्तार हो गये, पर स्वयंसेवकोंने १५ मईको धरसनापर छापा मारा। यह क्रम वर्षारम्भतक जारी रहा। गान्धीजीकी यह यात्रा 'डाडी मार्च'के नामसे प्रसिद्ध है।

नमक सत्याग्रहकी उपादेयताके सम्बन्धमे पहिले चाहे किसीके मनमे कुछ भी शक रही हो परन्तु वह त्रुहुत ही शीघ्र लोकप्रिय हो गया। नमक बनानेकी सामग्री, नोना मिट्टी, प्रायः सर्वत्र उपलब्ध है, अतः नमक बनाना बहुत सुकर था। लोगोंको ऐसे कानूनके तोडनेमे बड़ी सुविधा होती थी। उत्साहकी सीमा नहीं थी। कानूनको तोडना और अपने ऊपर कष्ट बुलाना, हँसते-हँसते कष्ट झेलना, लोगोंको अच्छा लगता था। नया जोश, नया नशा था। कष्ट आ पडनेपर सहना एक बात है, यहाँ कष्टका वरण होता था।

इस बार १९२१ की अपेक्षा उभयपक्ष अधिक सन्नद्ध थे। जनताकी मानस तैयारी महीनोसे हो रही थी, साइमन कमीशनके समयसे ही लोगोका धोम और जोश बढ़ रहा था। ३१ दिसम्बर १९२९ को स्वाधीनताका सकल्प पारित हुआ, २६ जनवरी १९३० को स्वाधीनताकी घोषणा पढ़ी गयी, ६ अप्रैलको आन्दोलन आरम्भ हुआ। पर्याप्त समय था। ऋतु भी अच्छा था। देहातमें खेती-बारीका विशेष काम नहीं था। किसानको छुट्टी थी। सरकार भी सतर्क थी। उसने इस बातका अन्दाज लगाया था कि कितने व्यक्ति सम्मिलित होंगे और पुलिस तथा जेल विभागोको ठीक कर लिया था।

हम लोगोंने यह मानकर तैयारी की थी कि सग्राम देरतक चलेगा। हमारा ऐसा खयाल था कि कांग्रेस कमेटियों गैर-कानूनी सस्थाएँ घोषित कर दी जायँगी और उनके रुपये-पैसेपर सरकारी कब्जा हो जायगा। पत्रव्यवहार भी न हो सकेगा। इसलिए गुप्त रूपसे काम चलानेका प्रबन्ध करना ही होगा। अखिल भारतीय और प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीका कोई आदेश कहीं पहुँच न सकेगा अतः हर जिलेको और कभी-कभी हर कार्य-कर्ताको अपनी बुद्धिके सहारे काम करना होगा। स्वयंसेवकोकी भरती की गयी, परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि भरती हुए स्वयंसेवकोके अतिरिक्त दूसरे बहुत-से लोग सघर्षमें भाग लेंगे। इससे हमारा दायित्व कुछ बढ़ जाता था क्योंकि इन सब लोगोको अहिंसक बनाये रखनेका दायित्व तो कांग्रेसका ही था। प्रत्येक जिले और बड़े शहरमें कमेटीने एक व्यक्ति-को अधिनायक या डिक्टेटर नियुक्त कर दिया। सञ्चालनके सम्पूर्ण अधिकार उसको दे दिये गये। उसको अपने उत्तराधिकारी चुननेका भी अधिकार था। इसी प्रकार क्रमात् उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकारीको चुन सकता था। जबतक काम करनेका समय न आ जाय तबतक उत्तराधिकारीका नाम गुप्त रहता था। यदि कहीं समझौता भेजना होता तो आदमी ले जाता था। जहाँतक सम्भव होता मौखिक सन्देश जाते थे। कभी-कभी सरकारी डाकसे भी काम लिया जाता था, परन्तु ऐसे रूपमें

कि कुजीके जानकारके गिवाय दूसरा कोई समझ न सके। खुले पोस्टकार्ड-पर लिखा गया, 'आपने जितने थान मॉगे थे भेज दिये गये।' अर्थ यह था कि जितनी सख्यामे स्वयसेवक मॉगे गये थे, भेज दिये गये।

काशीकी शहर और जिला दोनो कांग्रेस कमेटियोने मुझे प्रथम डिक्टेटर चुनकर गौरव प्रदान किया। मेरे सहयोगी सब वीर और विश्वसनीय व्यक्ति थे। उदाहरणके लिए मैं उनमेसे एकका जिक्र करता हूँ। नियोजन आयोगके सदस्य श्री त्रिभुवननारायण सिंह वाराणसी जिलेके रहनेवाले हैं। विद्यापीठके शास्त्री हैं। उन दिनो काशीमे ही एक पत्रिकाका सम्पादन कर रहे थे। देहातके अपने समवयस्कोपर उनका बहुत प्रभाव था। एन दिक् मैंने उनसे बुलाकर कहा 'त्रिभुवन, मुझको कांग्रेस-कामके लिए तुम्हारी आवश्यकता है। तुमको इस पत्रिकासे इस्तीफा देना होगा।' उन्होने इतना ही कहा, 'प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा।' विद्यापीठके मेरे छात्र मुझे अब भी प्रोफेसर साहब ही कहते हैं। दूसरे दिन त्यागपत्र दे दिया। यदि काशीको यह ख्याति मिली कि सत्याग्रह आन्दोलनमे देशके अग्रणी स्थानोमे उसकी गणना है तो इसका श्रेय त्रिभुवननारायण सिंह और उनके जैसे दूसरे व्यक्तियोंको है। मैं नेता था परन्तु निमित्तमात्र। हमारे साधारण स्वयसेवक भी सोनेसे तौलनेके योग्य थे। मैं उनकी असाधारण वीरता और अदम्य उत्साहके भी दो-एक उदाहरण दूंगा।

हमारा दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार था। सबेरे स्वयसेवकोका जल्स निकलता था। प्रत्येक दिनके लिए नये स्वयसेवक होते थे और उनका जत्थेदार भी नया होता था। जत्थेमे प्रायः ग्यारह स्वयसेवक होते थे। जल्स निश्चित मार्गसे, जिसकी सूचना पहिलेसे दे दी जाती थी, निकलता था। इस प्रकार क्रमशः सारे शहरके मुहल्लोमें हमारे जल्स घूम गये। इससे बहुत प्रचार हुआ और लोगोंका उत्साह बढ़ा। जल्सके साथ मैं भी रहता था और सैकड़ोकी भीड़ साथ चलती थी। लोग जगह-जगहपर स्वयसेवकोको रोककर उनका स्वागत करते थे। लगभग १० वजे

जल्स सोनिया पहुँचता था। यह काजी विद्यापीठके पीछे मैदान है। इसे ही हमने नमक कानून तोड़नेका केन्द्र बनाया था। पासमें एक खँडहर था, उसकी मिट्टीमें काफी नमक था। नमकके साथ सम्भवतः शोरा भी मिला रहता होगा पर इसकी कोई चिन्ता नहीं थी। नमक बनाना तो कानून तोड़नेका साधन था। रासायनिक दृष्टिसे शुद्ध और अमिश्रित नमक बनाना मुख्य लक्ष्य नहीं था। वहाँसे मिट्टी लाकर पानीमें घोली जाती और कूड़ा-करकट छानकर बड़े कड़ाहेमें चढ़ा दी जाती। जो मैल निकलती उसे कलछीसे काटते जाते थे। थोड़ी देरमें पानी उड़ जाता और कड़ाहीमें नमक रह जाता। सैकड़ों आदमी यह दृश्य देखते। कुछ लोग तो बहुत दाम देकर उस नमककी पुडिया मोल लेते थे और उसको पवित्र प्रसादकी भाँति रखते थे। स्वयंसेवक दिनमें वही भोजन करते और मायकालको अपने घर चले जाते थे।

हमारी लडाई ६ अप्रैलको आरम्भ हुई। पाँच दिनतक तो पुलिस कुछ न बोली। छठे दिन उसने छापा मारा। उस दिनके जत्येमें कई पतले-हुवले युवक थे और जत्येदार स्व० डॉ० अमरनाथ बनर्जी थे। डॉ० बनर्जी काजीके सुप्रसिद्ध चिकित्सक और प्रतिष्ठित वयोवृद्ध नेता थे। पुलिस हमारे बनाये गैर-कानूनी नमकको छीनना चाहती थी। पर यह हँसी-खेल नहीं था। नमक आगपर चढ़ी कड़ाहीमें था। पानी उबल रहा था। स्वयंसेवकोने अपने हाथोंसे कड़ाहीको उतारकर उगी जोरसे जमीन पर दबा रखा। देवगण भी इस अभूतपूर्व दृश्यपर मुग्ध हो गये होंगे। जलती कड़ाहीको हाथसे पकड़े हुए ग्यारह-बारह युवक एक ओर, और पचास-साठ पुलिसवाले दूसरी ओर। एक ओर तो जलनेकी परवाह न करके कड़ाहीको पकड़े हुए स्वयंसेवक, दूसरी ओर अपनेको जलनेसे बचाते हुए नमक छीननेके दृष्ट्युक्त पुलिसके सिपाही। आखिर यह लडाई कबतक चलती। एक भिन्नने मुझसे कहा, 'अब इसे रोक दीजिये'। मुझे भी रोप बहूँ, या कुछ और, किसी ऐसे ही भावने अभिभूत कर लिया था। मैंने कहा, 'नहीं, चलने दीजिये'। चागे ओर रस्तियाँ बँधी थीं। उसी धरेके

भीतर खान्चातानी हो रही थी। कडाही भी कुछ ठंडी हुई। कोई आध घण्टेके बाद पुलिस सफल हुई। कडाही उसके हाथ लगी। लज्जित विजेता उसे उठाते गये।

वह लडाई तो समाप्त हुई, पर इन वीर लडकोंकी हारका मूल्य विजयसे बढ़कर था। जनता, स्वयं कागीकी जनता, इस घटनाको भूल गयी है, इन बहादुरोंके नाम भी किसीको याद नहीं है परन्तु यदि भारत आज स्वतन्त्र है तो उसका श्रेय इन अज्ञातनामा योद्धाओंको है जिनको गान्धीजीके जादूने मिट्टीसे सोना बना दिया था।<sup>१</sup>

मैंने निश्चय किया था कि देहातमें आन्दोलनको १३ अप्रैलको आरम्भ करूँगा। इस दिनको 'जलियानवाला बाग दिवस' कहते थे। यह राष्ट्रीय सप्ताहका अन्तिम दिन था। चन्दौली तहसीलका फेसुडा ग्राम इस कामके लिए चुना गया था। सबेरे वहाँ गया। श्री श्रीप्रकाश भी साथमें थे। हम लोगोको यह पता लग गया था कि हम लोगोकी गिरफ्तारी भी होगी। नमक बनानेकी प्रक्रिया की गयी। बन जानेपर पुलिसने छपा मारा। पर इस बार हमारे स्वयंसेवकोने नगरकी घटनासे शिक्षा ले ली थी। कडाहीके कानोमे बॉसका मोटा टुकड़ा डाल दिया गया और स्वयंसेवक उसे दबाकर बैठ गये। इससे उनके हाथ जलनेसे बच गये और जोर भी अधिक लग सका। काफी कठिनाईके बाद पुलिस नमक पा सकी। हम लोग अपने साथ प्रथमोपचारकी सामग्री ले गये थे। उससे अपने स्वयंसेवको तथा पुलिसवालोकी भी मरहमपट्टी की गयी। इसके बाद वारंट निकाले गये तथा श्री श्रीप्रकाश और मेरी गिरफ्तारी हुई, माय ही, स्थानीय नेता श्री चन्द्रिका शर्मा भी गिरफ्तार हुए।

युद्धका प्रथम काण्ड समाप्त हुआ। कई महीनेतक आन्दोलन चलता रहा। सभी मुख्य कार्यकर्ता जेलमें पहुँच गये। कड़ी सजाएँ दी गयीं और

१ उम दिनके जत्थेमें शामिल कुछ व्यक्तियोंके नाम हैं—श्री हीरालाल, श्री अभयनारायण मिह, श्री विश्वनाथ (उम्र १६ साल), श्री हरिदत्त जोशी (उम्र १७ साल), श्री द्वारिकादास, श्री धर्मदत्तशास्त्री (जत्थेके नायक)।



भारी जुरमाने हुए। झूठी गवाहियोंके बलपर ही मुकदमोंका निर्णय होता था। मुझे फौजदारी दण्डविधानकी विभिन्न धाराओंके अनुसार दार्द सालकी सजा हुई थी परन्तु कर्ट सजाएँ एक साथ चलनेवाली थीं, इसलिए जेलमें सब मिलाकर डेढ़ साल ही रहना था।

हमारे मुकदमोंकी कहानी बड़ी रोचक थी। मजिस्ट्रेट लोग दण्ड तो देते ही परन्तु कांग्रेसजनने उनका काम बहुत कठिन बना दिया था। इतना तो हम सभी कह देते थे 'मे इस अदालतको नहीं मानता, अतः काररवाईमें कोई भाग नहीं लेंगा'। परन्तु हमारे सब साथियोंको इतनेमें सन्तोष नहीं होता था। कोई नारे लगाता, कोई भाषण करने लगता, कोई कविता पढ़ता। एक मित्रने जो कविता पढ़ी थी उसकी एक पक्ति मुझे याद है :

इलाही यह अदालत है कि मॉडों का तमाशा है।

न्यायालयका सारा रोवदाव, अदालती काररवाईकी गम्भीरता इन बातोंसे समाप्त हो जाती थी। फिर भी कागज तो भरने ही पड़ते थे, गवाह पेज होते थे। कोई स्वयंसेवक न वकील करता था, न स्वयं जिरह करता था। जो कुछ गवाहोंसे कहला दिया जाता था वह लिख जाता था और उसके आधारपर फैसला हो जाता था। भले आदमी गवाही देने आते न थे, पुलिस इधर-उधरसे लोगोंको इस कामके लिए पकड़ लाती थी। कुछ गवाहोंकी बातोंसे तो यह स्पष्ट हो जाता था कि उनसे जो काम लिया जा रहा था वह उनको पसन्द नहीं था। कुछ गवाह तो ऐसी गवाही देते थे जिससे यह सिद्ध हो जाय कि वह विश्वास योग्य नहीं है। यदि जिरह होती तो ऐसी गवाहीके चिथड़े उड़ जाते पर हम लोग गवाहोंके इस सकेतसे लाभ उठानेको तैयार नहीं थे। मेरे साथ श्री वैजनाथसिंह और श्री विश्वनाथसिंहका भी मुकदमा हुआ था। अब यह दोनों सज्जन दुनियासे उठ गये हैं। एक गवाहसे श्री विश्वनाथसिंहने पृच्छा : क्या यह सच है कि तुम हर मुकदमेमें पुलिसकी ओरसे गवाही देने आते हो ? उसने उत्तर दिया कि ऐसा तो नहीं है, मैं केवल आठ दस

वार आया हूँ । एक और प्रश्न करनेपर उसने बताया कि जिन मुकदमोंमें वह पुलिसकी ओरसे आया था वह या तो जालके ये या कोकेन बेचनेके । यह गवाहों और गवाहियोंका नमूना है ।

जेलसे छूटकर बहुत लोगोंने दुवारा सत्याग्रह किया और पुनः जेल गये । यों तो मुख्य कार्यकर्ताओंकी सजाएँ इतनी लम्बी थी कि आन्दोलनके बीचमें किसीका छूटना कठिन था । जैसा कि स्वाभाविक था, धीरे-धीरे जोर कम हो चला, यद्यपि विलकुल शान्ति तो कभी भी नहीं हुई । कार्यक्रममें परिवर्तन और परिवर्द्धन भी हुआ । नये काम जोड़े गये । कांग्रेसके मूल सिद्धान्तोंमें नशाबन्दीकी गणना है, इसलिए जहाँ-जहाँ सम्भव हुआ, लोगोंने शराबकी दुकानोंपर धरना दिया । जो लोग गिरफ्तार हुए उनकी सख्या तो एक लाखसे ऊपर रही होगी परन्तु कुछ लोग हवालातसे ही छूट जाते थे, जुरमानेकी ही सजा पा जाते थे, या अदालतमें कुछ घण्टे रोककर छोड़ दिये जाते थे । कितने स्वयंसेवकोंको गाड़ियोंमें बैठाकर शहरसे दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता था । फिर भी लगभग ८०,००० व्यक्ति जेल गये ।

जेलमें मेरा और मेरे जैसे और भी कई साथियोंका समय अधिकतर पढ़नेमें कटता था । बहुत-से लोग थोड़ी-बहुत कताई भी करते थे । अधिकांश स्वयंसेवक खेलकूदमें और लडने-झगडनेमें सारा समय काट देते थे । हम लोगोंको सपरिश्रम सजा मिली थी । भूँज दिया जाता था । उससे सुतली बटनी होती थी । कुछ समय रसोईघरमें कट जाता था । जेलका जीवन आरामके लिए नहीं होता, शारीरिक कष्ट न हो तब भी अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ रहती ही हैं । इतने व्यक्तियोंका एक साथ रहना स्वयं नयी-नयी समस्याएँ खड़ी कर देता है । ऐसी दशामें चित्तको प्रसन्न बनाये रखना यत्नसाध्य हो जाता है ।

जेलमें हमारे वारिकमें स्वर्गीय श्री वैजनाथसिंहजी भी थे । वह 'किकर' उपनाममें ब्रजभाषामें कविता करते थे । उनकी रचनाएँ शृंगाररसमय वीररसप्रधान होती थी । मैं कभी-कभी उनकी कविताकी कापीमें अपनी

ओरसे कुछ तुकवन्दी लिख देता था । नाम किंकरका होता और पत्रका भाव यह होता कि वह जेल-जीवनसे ऊत्र गये हैं और छुटकारा चाहते हैं । जब कभी पत्रा उलटते समय उनकी दृष्टि ऐसे स्थलोंपर पडती तो बड़े आश्चर्यमें पड जाते कि मैंने कब यह चीज लिखी । एक तो उसमें वह प्रौढता न होती थी, दूसरे विषय ऐसा जो कभी उनकी लेखनीसे निकलने-वाला नहीं । महीने-दो-महीनेके बाद वह असली बात ताड पाये । तब मुझसे बोले 'हम जान गइली । ई तोहरे बढमासी हौ ।' उस समयकी कुछ तुकवन्दियाँ याद हैं :

ध्यानमें आन बंसी जवते, तवते मई जेलकी पीर पराई ।  
 सामुहें आई, दुरी बहुवार, गई अब तो, अब हाथमें आई  
 'किंकर' केसनकी सितता लखि वारवधू-सी रहै विलगाई ।  
 चित्तमें है, न कढै मुखते, अलबेलीको नाम नबेली, रिहाई ॥

भैरव भीषण भय दलन, हरन भक्त भव भार ।

क्यों न वेगि भजहु प्रभो, किंकर कारागार ॥

अम्बरमें छाये कजरारे मतवारे मेघ,

दामिनि दमंकि सुधि हरत सयाननकी ।

चहुँदिसि छित्तमें छयी है छवि पावसकी,

छोनी पपीहन मति नेहके दिवाननकी ।

कसिके बंधे वियोगिनके हिये वीर,

दूटी सर वृन्दें ये पुहुप कमाननकी ।

दई निर्दई ऐसे समय लिख दई हाय,

किंकरके भागमें दिवालें जेलखाननकी ॥

मैं तिकडमका जिक्र पहिले कर चुका हूँ । कुछ ऐसे लोग भी थे जो तिकडम करना पाप समझते थे परन्तु अधिकांश कांग्रेसजन तो इसको बुरा नहीं समझते थे । जेलके अधिकारियोकी आँखोंमें धूल झोंकना कुछ शानकी बात भी थी । उसमें मजा भी आता था । पर सब लोगोंने अपने लिए अलग-अलग सीमाएँ बाँध रखी थी । मैं स्वयं उन तिकडमवालोंमें था जो

अखबार मँगाना वैध समझते थे। महुँगा सौदा था। बाहरके दूने पैसे लगते थे परन्तु यह कुछ बहुत अधिक भी नहीं कहा जा सकता। आखिर वीचमे कई हाथ गरमाने होते थे और भीतर लानेवालेको खतरेका भी सामना करना होता था। मुझको तेज पढ़नेका अभ्यास है। जल्दी-जल्दी पढ़कर कागजकी चिटोपर मुख्य समाचारोको सकेतमे लिख लेता था। दिन-रात वार्डर सिरपर रहते थे। इसलिए यह बहुत सरल काम नहीं था। दूसरे दिन जलपानके समय सबको सुना देता था। उस समय कोई पहरेदार हमारे पास नहीं रहता था। अखबारको अपने रसोई-घरमे जला डालना कठिन काम नहीं था।

आन्दोलन आरम्भ होनेके कुछ दिन बादसे ही समझौतेके प्रयत्न आरम्भ हुए। पहिले तो सफलता न मिली परन्तु श्री श्रीनिवास शास्त्री, सर तेजबहादुर सप्रू और श्री एम. आर. जयकर प्रयत्नमे लगे ही रहे। अन्तमे गान्धी-अर्विन पैकटके नामसे समझौता हो ही गया। समझौतेकी शर्तें बहुत सन्तोषजनक नहीं थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटीके कई सदस्य असन्तुष्ट थे, गान्धीजीके निजी दबावके कारण ही और लोग चुप रह गये। मुख्य शर्तें यह थी कि आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, सरकार मुकदमे उठा लेगी और सत्याग्रही छोड़ दिये जायँगे। जो जुरमाने वसूल नहीं हुए हैं वह माफ कर दिये जायँगे, जो जब्त की हुई जमीनें विक नहीं चुकी हैं वह लौटा दी जायँगी, जिन सरकारी अफसरोंने इस्तीफा दिया था वह अपनी जगहोंपर फिर बहाल हो जायँगे, यदि जगहें भर न गयी हो, और यदि किसी जगह नमक बनानेकी प्राकृतिक सुविधा हो तो वहाँके लोग अपने कामके लिए नमक बना सकेंगे।

इन शर्तोंमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे 'यदि'की भरमार है। जेलसे छोडनेके सम्बन्धमे भी एक 'यदि' था। जिन लोगोपर सैनिको या पुलिस-वालोपर आक्रमण करनेका अभियोग था वह न छूटेंगे। अच्छाई यह थी कि बहुत दिनोंके बाद ऐसा हुआ कि भारतके किन्हीं प्रतिनिधियो और ब्रिटिश सरकारके बीच कोई समझौता हुआ। एक प्रकारसे कांग्रेसका

वरावरीका पद स्वीकार किया गया। स्वयंसेवकोंको मुस्तानेका अवसर मिला, राट्टका गौरव बढा। जनताने सहयोग और सवशक्तिके लाभको प्रत्यक्ष देखा।

समझौतेमें कही स्वराज या राजनीतिक मुधारोकी चर्चा नहीं है। लन्दनमें गोलमेज कानफरेंस हुई थी परन्तु काग्रेसके सम्मिलित न होनेसे वह विफल रही। यह निश्चय हुआ कि दूसरी कानफरेंस लन्दनमें फिर हो। उममें काग्रेस भी सम्मिलित हो। उसीमें राजनीतिक प्रश्नोपर विचार होगा।

६ फरवरी १९३१ को पण्डित मोतीलाल नेहरूका स्वर्गवास हो गया। उस समय हम लोग जेलमें ही थे। समझौतेके बाढ आन्दोलन उठा लिया गया और होलीके कुछ पहिले अधिकांश राजनीतिक बन्दी छोड दिये गये। मेरी सजा पूरी होनेके लगभग छ महीने शेष रह गये थे।

आन्दोलन शानदार रहा, परन्तु इतना समझ लेना चाहिये कि हमको जो कुछ भी सफलता मिली उसका श्रेय केवल काग्रेस नेताओ और स्वयंसेवकोंको नहीं है। हम सख्यामें थोडे थे पर हमारे पीछे देशकी सारी जनता थी। हमको सबकी सहानुभूति प्राप्त थी। लोग सहायता करनेको उत्सुक थे, तत्पर थे और इसके लिए खतरा उठानेके लिए तैयार थे। १९२१ में तो आन्दोलनका खुला रूप था। १९३० के बाढ गुप्त काम करने पड़े पर हमारे भेद नहीं खुले। काग्रेसकी विजितियाँ छपती थीं, सारे देशमें पहुँचती थीं परन्तु सरकारी प्रलोभन या भय उनका पता न पा सका। छोटे-छोटे कार्यकर्ताओने अद्भुत साहस और चरित्रबल दिखलाया। देश उनसे कभी उक्रण नहीं हो सकता।

लडाई बन्द नहीं हुई, कुछ दिनके लिए थम गयी। ऐसी लडाइयाँ तो स्वतंत्रताकी उपलब्धिके पहिले बन्द होना जानती ही नहीं। रुकती हैं, फिर आरम्भ होती हैं। दोमेंसे किसी पक्षका उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ, कोई पक्ष इतना थका नहीं कि हार मानकर बैठ रहे। लन्दनमें होनेवाले

गोलमेज सम्मेलनतकके लिए सघर्ष टल गया परन्तु किसीको यह विश्वास नहीं था कि लन्दनमें भारतकी समस्या सुलझ जायगी। सबको ऐसा लगता था कि शीघ्र ही इस विरामसन्धिकका अन्त होगा और युद्ध फिर छिड़ेगा। काशीकी एक घटनासे उभय पक्षकी मनोवृत्तिका अच्छा परिचय मिलता है।

फेसुडा ग्रामका जिक्र ऊपर आ चुका है। वही १३ अप्रैलको नमक कानून तोडनेमे मेरी गिरफ्तारी हुई थी। इन दिनो वहाँ जमीदार और किसानोमें कुछ खटपट चल रही थी। हम कांग्रेसवाले चाहते थे कि हम बीचमे पडकर मामला निवटा दे, परन्तु सरकारी कर्मचारियोका भी यही प्रयत्न था। न उनको हमारा हस्तक्षेप पसन्द था, न हमको उनका। इस कारण कुछ तय नहीं हो रहा था। इसी समय डॉ० भगवानदासजीने सरकारी और गैरसरकारी कुछ लोगोको चायपर बुलाया। उनका उद्देश्य दोनो पक्षोको एक-दूसरेके निकट लाना था। फेसुडाका जिक्र छिडना स्वाभाविक था। कुछ देरतक यो ही गोल-गोल वाते होती रही इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट श्री फिनलेने मुझसे कहा : 'हम और आप एक-दूसरेको खूब अच्छी तरह समझते है। आप इस मामलेको हमको बीचमे डाले बिना तय करना चाहते है और हम आपके बिना। हम दोनोको ऐसा लगता है कि फिर सघर्ष होगा। हम आपको कुचल डालनेका पूरा प्रयास करेगे और आप हमको चकनाचूर करनेका भरसक यत्न करेगे।' मैने श्री फिनलेकी बातोका अक्षरशः समर्थन किया। डॉ० भगवानदास इस बातचीतसे बहुत क्षुब्ध हुए। उनको यह अन्दाज नहीं था कि आपसकी खाई इतनी गहिरा है। परन्तु वस्तुस्थिति वैसी ही थी। श्री फिनलेका कहना यथार्थ था।

लन्दनमें गोलमेज कानफरेस होनी थी। महात्माजी कांग्रेसके प्रतिनिधि होकर जा रहे थे। उससे कोई विशेष आशा नहीं थी परन्तु वातावरणको बिगाडनेका अपयश कोई नहीं लेना चाहता था। भीतर-भीतर भानी सघर्षके लिए तैयारी जारी थी। सरकार और कांग्रेस दोनोने ही

१९३० से कई बातें सीखी थीं परन्तु ऊपरसे शान्ति थी। परन्तु यह शान्ति बहुत दिनोत्क टिक नहीं सकती थी। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि शान्त वातावरणको बनाये रखना दिनों दिन कठिन होता जा रहा था।

हमारा उत्तरप्रदेश अशान्तिका केन्द्र बन रहा था। फसल खराब हो गयी थी। किसानोंकी दशा अच्छी नहीं थी। हमारी रायमें लगानमें छूट देनेकी आवश्यकता थी। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। यदि जमींदारोंको लगान कम मिला तो सरकारको उनसे मिलनेवाली माल-गुजारीमें भी कमी करनी पड़ेगी। परन्तु सरकारको रुपया कम मिलनेकी चिन्ता नहीं थी। उसको यह डर था कि यदि एक बार कांग्रेसके कहनमें लगानमें कमी की गयी तो किसानोंकी दृष्टिमें कांग्रेस उनकी प्रवृत्त हित् बन जायगी ! इससे सरकारका पक्ष दुर्बल पड जायगा। सरकारका कहना था कि किसान पूरी-पूरी लगान दे दे। फिर जाँच कराया जाय कि वस्तुतः उनकी आर्थिक अवस्था कैसी है। यदि जाँचसे सिद्ध हो कि उनकी देनेकी सामर्थ्य नहीं है तो जितनी छूट उचित प्रतीत होगी उनको लौटा दी जायगी। हम लोग जाँचका समर्थन करते थे परन्तु हमारी राय यह थी कि जाँचके बाद लगान ली जाय, यदि किसान किसी प्रकार पहिले ही पूरी लगान भर देगे तो जाँच बेकार हो जायगी। यह सिद्ध हो जायगा कि वह लगान चुका सकते हैं। इस बातपर कोई समझौता न हो सका। दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह दृढ़ थे। प्रश्न प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारिणी समितिके सामने आया। निश्चय यह हुआ कि लगानबन्दीका आन्दोलन चलाया जाय। मेरा और कुछ और सदस्योंका यह खयाल था कि आन्दोलन चलाया जाय परन्तु उसको लगानबन्दीका रूपन दिया जाय। लगानके बढ़ले सरकार जमीन जप्त करके बेच देगी। फिर उसे वापस दिलाना कठिन होगा। पुस्त दर पुस्तके लिए जीविका चली जायगी। यह आन्दोलन बहुत सफल न होगा। बहुमत हमारे विरुद्ध था। जो भी निश्चय हुआ उसको सफल बनाना हम सबका कर्तव्य था। इस बार मेरे ऊपर दोहरा दायित्व था। एक तो मैं बनारस शहर और जिलेका अविनायक

(डिक्टेटर) था, दूसरे प्रदेशभरके प्रशिक्षित स्वयंसेवक सघटन, हिन्दुस्तानी सेवादल, का अध्यक्ष था ।

गोलमेज सम्मेलनसे लौटते ही महात्माजी ४ जनवरी सन् १९३२ को बम्बईमें गिरफ्तार हो गये । उत्तरप्रदेशमें तो इसके पहिले ही गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी । सरकारकी तैयारी यह थी कि सभी प्रमुख कांग्रेसजन पकड लिये जायें ताकि स्वयंसेवकोकी दशा अफसर-हीन सेना जैसी हो जाय । आन्दोलन आप ही बैठ जायगा । गिरफ्तारियाँ तो हुईं परन्तु आशा पूरी न हुई । कुछ लोगोका यह खयाल था कि उत्तरप्रदेशवालेने नाहक लडाईं छेडकर सारे देशको उसमें फँसा दिया । स्वयं महात्माजीका यह खयाल नहीं था । गिरफ्तारीके पहिले उनसे और वायसरायसे लम्बा पत्र-व्यवहार हुआ था । उससे स्पष्ट है कि सरकार दमन करनेपर तुली हुई थी । एक पत्रमें महात्माजीने लिखा था : 'घटनाएँ ऐसी हुई हैं कि मुझको सहयोगकी कोई आशा नहीं रह गयी जबतक कि मैं अपना सारा आत्मसम्मान न खो बैठूँ और पिछले ४५ वर्षोंके इतिहासको नये ढंगसे लिखनेके लिए तैयार न हो जाऊँ । सरकारके लिए यह असह्य है कि कांग्रेसका प्रभाव जनतापर बढ़ता जाता है और वह बराबर मजबूत होती जाती है ।'

बहरहाल, युद्ध आरम्भ हो गया । कुछ जिलोको छोडकर लगान-बन्दी तो बहुत सफल नहीं रही परन्तु और कई काम भी उठा लिये गये । शराबकी दूकानो और विदेशी वस्तुकी दूकानोपर बहुत सफल धरना हुआ । कुछ जगहोमें लोगोने ताडके पेट काट डाले कि ताडी बन ही न सके ।

मुझे छ मासकी सजा हुई थी । अधिक समयतक रायवरेली जेलमें रहा । इस वार जेलका वातावरण बहुत अज्ञान्त था । हमारे प्रदेशके कुछ जेलोने राजनीतिक बन्धियोके साथ दुर्व्यवहार करनेमें नाम कमा रखा था । उनमें रायवरेली भी था । मैं स्वयं 'ए' क्लासमें था । हमारे साथ प्रत्यक्ष दुर्व्यवहार नहीं था परन्तु हमारे 'सी' क्लासके साथियोको जो कष्ट दिया



जाता था उसकी सूचना मिलती ही रहती थी। उससे हम भी धुब्ध होते थे। एक बार बहुत मार-पीट हुई। फलस्वरूप 'सी' क्लासवालोंने अनशन करनेका निश्चय किया। हमने, मेरे साथ 'ए' क्लासमें दो और मित्र थे, मना किया, इतने आदमी अनशन नहीं कर सकते। जेलवाले थोडा-सा भोजन भेज देते हैं। सबकी शक्ति एक-सी नहीं होती। कुछ लोगो का वैर्य छूट जाता है, भोजन देखकर दुर्बलता और बढ़ जाती है। जहाँ एकाध व्यक्तिने अनशन तोडा कि वहाँ घडाघड और लोग ऐसा करने लगते हैं। ग्लानि होती है, लजा आती है परन्तु भूख सँभाली नहीं जाती, हमने कहलया कि आप लोग अनशन न करं और चाहे जो करे। आपकी ओरसे अनशन हम करेगे। जबतक आप लोगोका सघर्ष जारी रहेगा हम लोग अनशनपर रहेगे। आठ दिनतक यही हाल रहा। 'सी' क्लासमें गाजीपुरके श्री गजानन्दके सिवाय और किसीने अनशन नहीं किया। बीचमें कहीपर खबर बाहर पहुँची कि मेरी दशा बहुत खराब है। खबर गलत थी परन्तु लोगोको विश्वास हो गया। काशीमें हड़ताल हो गयी। मालवीयजीने प्रादेशिक सरकारसे पत्रव्यवहार किया। बहरहाल, किसी प्रकार वह सघर्ष तो खत्म हुआ। यह मानना होगा कि जेलके अधिकारियोकी जीत हुई। लात-जूते-डण्डेकी मार सहनेकी भी सीमा होती है। यह मार-पीटका काम 'दोवाडो'से लिया जाता था। चोर, डकैत, खूनी, क्रोकेन बेचनेवाले, स्त्रीविक्रेता यह लोग 'दोवाडा' कहलाते हैं। इनकी लम्बी सजाएँ होती हैं। छूटकी लालचमें यह लोग जेल अधिका-रियोके लिए सब-कुछ करनेको तैयार रहते हैं। आठ दिनके बाद हमारा अनशन भी समाप्त हो गया। प्रदेशके अन्य बहुत-से जेलोमें इसी प्रकार मार-पीटका वाजार गरम था। सुननेमें आता था कि बरेली जेलमें तो जानेके साथ ही किसी-न-किसी बहाने राजनीतिक बन्धियोको पीटा जाता था। फाटकपर ही यह स्वागत होता था।

मेरे छूटनेके समयतक आन्दोलन ढीला हो चला था। जेलसे आनेके बाद कुछ बडे नेताओको स्वास्थ्यसुधारके लिए यूरोप जाना पडा। इसका

भी बुरा असर पडा। लोगोने समझा कि यह लोग जान चुराते है। इस अविश्वास और दुर्बलताको बदलना था। अतः उत्तरप्रदेशमे हम लोगो-ने यह निश्चय किया कि जेलसे आनेपर शीघ्र ही फिर जानेका प्रयत्न करना होगा। यह बहुत कठिन नहीं था। सरकार नहीं चाहती थी कि बुझती आगमे नया ईंधन पडे इसलिए जेलसे आनेके बाद पुनः काममे लग जानेवालेको वह स्वयं बाहर नहीं रहने देना चाहती थी। हम लोगोने आपसमे तय किया कि पहले आचार्य नरेन्द्रदेव जायेगे, फिर मै। जुलाईमे बाहर आया था, सितम्बरमे फिर पहुँच गया। इस वार भी रायबरेली भेजा गया पर वहाँ मुश्किलसे एक सप्ताह ही रहने पाया। जेलवालोने सरकारको लिखा कि इनके रहनेसे कैदियोपर बुरा प्रभाव पडता है। मै झोंसी भेज दिया गया।

आन्दोलन धीरे-धीरे समाप्तप्राय हो गया। इस वार भी उत्तरप्रदेशमे लगभग ८०,००० व्यक्ति जेल गये। किसी अन्य प्रदेशने इतने स्वयसेवक नहीं दिये। यह कम लोग जानते होंगे कि कुछ दिनोतक कांग्रेसका अखिल भारतीय और प्रादेशिक दफ्तर काशीमें ही था और हमारे गुप्त प्रेससे ही छपकर विज्ञप्तियाँ सारे देशमे वितरित होती थी। यह सब इसलिए हो सका कि जनताका हृदय हमारे साथ था। कुछ लोग हमारे गोपनीय स्थानो और कार्यकर्ताओंको पहचानते थे, कई लोगोके पास सन्देहके लिए पर्याप्त सामग्री थी। परन्तु पुलिसको सॉस भी न मिल सकी। हमारा स्वयसेवक देहातमे जहाँ भी चला जाय, उसको भोजन और आश्रयस्थानकी दिक्कत नहीं होती थी। काशीमे नागरिकोने स्वयसेवकोके भोजनादिका विस्तृत प्रबन्ध कर रखा था। कई सौ स्वयसेवक एक साथ काम करते थे। इस सेवामे हजारों रुपये व्यय हुए।

हमारी सेनामे बहुत-सी स्वयसेविकाएँ भी थी। इनका साहस और धैर्य पुरुषोसे कम न था। कइयोंकी याद आती है। उदाहरणके लिए गिरियालाका जिक्र करता हूँ। वह सम्पन्न बगाली घरानेकी महिला थी। उनके कई सम्बन्धी ऊँचे सरकारी पदोपर थे परन्तु वह उनसे एक पैसा

नहीं लेती थी क्योंकि उनका रुपया सरकारी खजानेसे आनेके कारण दूषित था। दरिद्रताका वह वर्ग और उनका अदम्य उत्साह दूसरोके लिए आदर्श था।

झॉर्मी जेलमें जीवन शान्तिसे बीता। मुझको यूरोपियन वारिकमें रखा गया। कई जेलोंमें इस प्रकारके वारिक थे। अंग्रेज यदि जेलमें जाते थे तो आगमसे रहते थे और भारतीय कैदियोंसे अलग रहते थे। ऐसे वारिक जेलकी मुख्य इमारतके बाहर जेलके बाग, जो कहिये कि खेत, के बीचमें होते थे। रमणीय जगह थी, बहुत दिनोतक कोई साथी नहीं था, एकान्त-सेवनका सुख था, पढ़ने-लिखनेका बहुत आराम था। जेलके अधिकारी शान्तिप्रिय थे, इसलिए यदि राजनीतिक बन्दियोंसे कोई मतभेद हो भी गया तो उसे बढ़ने नहीं देते थे। मुझको 'बागवानी'का परिश्रम दिया गया था; अपनी कोठरीके चारों ओर कुछ फूल-पत्ती और तरकारी लगा रखी थी। एक राजनीतिक बन्दी ही भोजन बना दिया करते थे।

छूटके दिन काटकर जुलाईमें झूटा। छ महीनेसे ऊपर सजावालेको महीनेमें ४ दिनकी छूट मिल सकती है यदि जेलमें उनका व्यवहार अच्छा हो। बाहर आनेपर देखा कि विलकुल सन्नाटा है। आन्दोलन समाप्त हो गया था। लोग धीरे-धीरे अपनी सजाएँ पूरी करके बाहर निकल रहे थे परन्तु कोई नया काम नहीं हो रहा था। ● ● ●

## : १० : कुछ अर्द्धराजनीतिक काम (३३-३४)

आन्दोलन ठण्डा हो चुका था और राजनीतिक वातावरण ऐसा नहीं था कि लोगोंको पुनरुत्साहित करके सत्याग्रहकी ओर प्रवृत्त किया जा सकता। हममेंसे कुछ लोग भले ही पुनः जेल चले जाते परन्तु इससे लोक-जीवनपर कोई प्रभाव न पड़ता। ऐसी दशामे सरकारके विरुद्ध किसी प्रकारके आन्दोलनकी बात नहीं सोची जा सकती थी परन्तु हाथपर हाथ रखकर बैठे भी नहीं जा सकता था। कोई-न-कोई ऐसा काम करना था जिससे उत्साह फिर उज्जीवित हो। आचार्य कृपालानी, आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री रफी अहमद किदवाई, मैं तथा कुछ और मित्रोंने दो बातोंकी ओर ध्यान देनेका निश्चय किया।

प्रदेशके पूर्वी जिलोंके शकरके कारखानोमे गन्ना लानेवाले किसानोको बहुत कष्ट होता था। कई-कई दिनतक रुकना पड़ता था, इससे गन्ना सूख जाता था, तौल कम हो जाती थी, मूल्य कम मिलता था। पानीकी ठीक व्यवस्था नहीं थी और बैलोंके लिए साया नहीं था। तौलके काँटे प्रायः खराब थे और तौल कम बताते थे। हमने कई मिलोके क्षेत्रोंमें जाकर इन बातोकी जाँच की। शिक्रायतें तो ठीक थी ही। विचित्र बात यह थी कि जिन मिलोके मालिक अग्रेज थे उनमें भारतीयोकी मिलोसे अच्छी व्यवस्था थी। हमारे इन बातोकी ओर ध्यान आकृष्ट करनेसे मिल-मालिक घबराये। उनको डर हुआ कि कहीं किसानोंमे गन्ना न देनेका आन्दोलन छिड़ गया तो मिलें बन्द हो जायँगी, भारी क्षति होगी। सरकार भी कुछ बोल नहीं पाती थी। शिक्रायते इतनी सच्ची थीं कि वह मिल-

मालिकोका पक्ष खुलकर ले नहीं सकती थी। परिणाम यह हुआ कि हमारे मुख्य-मुख्य सुझाव प्रायः सभी मान लिये गये। पानी, साया, अविलम्ब तौलाई, अच्छे कौटे इन सब बातोंकी ही व्यवस्था हो गयी। इससे पूर्वी जिलेकी ग्रामीण जनतापर बहुत अच्छा प्रभाव पडा। लोगोको विश्वास हो गया कि कांग्रेस ही उनकी सहायता कर सकती है।

दूसरे कामका राजनीतिक महत्त्व अधिक था। प्रत्यक्ष भी था। १९३०-३२ में कई जिलेमें किसानोको बहुत सताया और अपमानित किया गया था। जमींदारोको खुलकर खेलनेका अवसर मिला था। उन्होने इस अवसरसे पूरा लाभ उठाया। कांग्रेसवालोकी बात माननेका मजा चखानेका निश्चय कर लिया गया था। जी खोलकर बदला लिया गया। ऐसा व्यवहार किया गया कि किसानोकी आत्मा कुचल दी जाय, कोई फिर सिर उठानेका साहस न करे। सरकारी अधिकारी तमाशा देख रहे थे, कही-कहीं वह खुलकर सहायता दे रहे थे। सरकारका हित भी तो इसीमें था कि जनता अब कांग्रेससे विमुख हो जाय।

हमने इन बातोंकी जाँच करनेका निश्चय किया। यह तय हुआ कि जाँचकी रिपोर्ट प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीके सामने पेश की जायगी और वह उसको प्रकाशित करेगी। जो बात लिखी जायगी, सप्रमाण होगी। दो-दो प्रमुख कांग्रेसजनकी टोलियोमें ऐसे जिले बाँट दिये गये जहाँसे अधिक शिकायतें सुननेको मिली थीं। हम अपने जानेका कार्यक्रम कई दिन पहिलेसे घोषित कर देते थे और सबको ही साध्य देनेका पूरा अवसर देते थे। हम सरकारी आदमियोकी बात सुननेको भी तैयार थे। केवल मौखिक ही नहीं बरन् लिखित बयान लिये जाते थे। कांग्रेस स्वयंसेवक जाँचकी पूरी सूचना सब जगह पहुँचा देते थे। आवश्यकतानुसार एक-एक जगह कई दिन लग सकते थे।

जमींदारोको तो हमारा यह काम अच्छा नहीं लगता था पर सरकारको भी पसन्द नहीं था। उसके अफसरोकी अकर्मण्यता और ज्यादातियोकी भी कलर्ट खुलती थी। परन्तु जाँचको रोकना भी सम्भव नहीं था,

खुला काम था, कानूनके विरुद्ध नहीं था। कोई गोपनीय कार्यवाही नहीं हो रही थी, रिपोर्ट सप्रमाण छपनेवाली थी। इन जॉचोसे काग्रेसकी प्रतिष्ठा निम्नच्य ही बढ़ रही थी। उसका प्रभाव फिर दृढ़ हो रहा था, परन्तु सरकार वेवस थी, वह कोई रोक-थाम नहीं कर सकती थी।

आचार्य नरेन्द्रदेव और मेरे सुपुर्द देवरिया और गोरखपुरका क्षेत्र था। छोटी-बड़ी ठिकायते तो बहुत-सी मिली परन्तु सिसवा बाजारने सबको मात कर दिया। न तो किसी और जगह कानूनकी ऐसी निर्लज और निर्दय अवहेलना हुई, न कहीं और सरकारी अहलकारोंने इस वेगमीके साथ कर्तव्यसे विमुखता दिखलायी। वहाँके जमीदार दो भाई थे। वह पासके एक गाँवके किसानोसे नाराज थे। एक दिन दोपहरके समय सशस्त्र आदमियोंके साथ गाँवपर धावा बोला गया, साथमे कुछ खाली बैलगाडियों ले ली गयी। बाजारमे थाना है पर थानेवाले कुछ न बोले। गाँवकी नाकाबन्दी की गयी कि कोई भाग न सके, लोग पीटे गये और अन्न, नकद, जेवर, जो कुछ मिला सब लूट लिया गया। लूटका माल बैलगाडियोंमे भरकर विजयी सेना ग्रामको लौटी, फिर भी सरकारी अहलकार सोते रहे। कुछ गाँववाले किसी प्रकार भागकर वाचार पहुँच गये थे। वह अफसरोके यहाँ दोहाई देना चाहते थे परन्तु जमीदारके आदमियोने उन्हें भी पकड लिया। उनसे जाली हैडनोटोपर अँगूठेके निशान लगवा लिये गये। फिर भी अधिकारियोके जूँ न रेगी।

सहसा ऐसी बातोपर विश्वास करना कठिन होता है। अनुचित वाते होती है पर इस प्रकार अधिकारियोकी आँखोके सामने दिन-दहाडे लूटकी तैयारी हो, गाँव लटा जाय, लूटका माल खुलकर लाया जाय और फरियाद करनेवालोको पकडकर उनसे ऋगके कागजपर अँगूठेका निशान लगवाया जाय और अधिकारी चुप रहे, ऐसा स्यात् ही कहीं हुआ होगा। समाचारपत्रोतक या तो समाचार नहीं पहुँचा या डरके मारे किसीने छपा नहीं। परन्तु हमारे पास एक-एक चीजका प्रमाण था। हमारी रिपोर्ट यो ही टाली नहीं जा सकती थी। जमीदार घबराये। इतना तो वह

समझ ही गये कि रिपोर्ट छपनेपर सम्भवतः सरकारको इच्छा न रहते हुए भी कोई काररवाई करनी ही पडेगी और उस समय सरकारी कर्मचारी उनकी कोई सहायता न कर सकेंगे । उन्होने अपनी भूल स्वीकार करनेमे ही ऋत्याण समझा । जाली हैडनोट फाड डाले गये और ल्टका कुछ सामान लौटा दिया गया । शेषका पता न चला । उन्होने उजडे किसानो-को फिरमे वसानेमे सहायता देनेका भी वचन दिया । उन्होने कुछ किया इसमें मुझे सन्देह है परन्तु यह निर्विवाद है कि यह बहुत बड़ी नैतिक विजय हुई । यह सिद्ध हो गया कि दुर्बलो और उत्पीडितोंकी रक्षा करनेकी धमता सिवाय कांग्रेसके और किसीमे नहीं है । सरकारकी भी बड़ी बदनामी हुई । उसके अहलकारोंको सतर्कता बरतनी चाहिये थी । अत्याचार हो परन्तु पकड़ा न जाय, यही उस समयकी नीति थी । गोरखपुरके अहलकारोंने सरकारकी प्रतिष्ठाको क्षति पहुँचायी, वह समझदारीमे काम न कर सके ।

मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ । जेलसे छूटनेके बाद महात्माजी और वाइसराय लार्ड विलिंगडनमे जो लम्बा पत्रव्यवहार हुआ उसमे इस घटनाका जिक्र आया और महात्माजीने सरकारके विरुद्ध अत्याचारोकी जो सूची चार्गशीटके नामसे प्रस्तुत की थी उसमे यह रिपोर्ट अन्तर्भूत थी ।

हमारी दूसरी टोलियोकी रिपोर्टें भी ऐसी ही थीं, यद्यपि सिसवा वाजारकी घटना अपने दगकी अनोखी थी । सर्वत्र जुल्म-ज्यादती हुई थी । जमींदारो और तालुकेदारोंने उच्छ्वंखल होकर कृषकोंके साथ बर्बर आचरण किया और सरकारी शासनयन्त्र देखकर हँसता रहा । जहाँ सक्रिय सहयोग नहीं हुआ वहाँ भी उसका मूक अनुमोदन प्राप्त था ।

जो होना था वह तो हो गया । उसको लौटाया नहीं जा सकता था । जिम्मेको जो यन्त्रणा भोगनी थी वह भोग चुका, अपमान सह चुका, क्षति उठा चुका, परन्तु इन रिपोर्टोंसे सबको यह ज्ञात हो गया कि शान्ति-व्यवस्थाकी आड़मे अन्याय और उत्पीडनका कैसा नंगा नाच नाचा गया था । यदि किसीके मनमे सरकारपर कुछ श्रद्धा रही हो तो वह बहुत-





इस दलका जन्म कांग्रेसके इतिहासकी बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना है। दल अब नहीं है। परन्तु आज भी कांग्रेसके ऊपर उसकी अभिष्ट छाप देखी जा सकती है। दलके स्थापित होनेके सम्बन्धमें कई लोगोंको भ्रान्ति थी, आज भी है। कुछ लोग यह समझते थे, कि थोड़े-से नवयुवकोंने, जिनमेंसे अधिकांशको कोई जानता भी न था, एकत्र होकर इसको कायम किया है। वह लोग पुराने नेताओंसे असन्तुष्ट थे और अपने असन्तोषको व्यक्त करनेके लिए उन्होंने दलको साधन बनाया। दूसरी ओर कांग्रेसके कई बड़े नेताओंकी धारणा थी कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूने इसे कायम कराया था। यह भ्रान्ति १९४२ में जाकर दूर हुई जब अहमदाबादमें आचार्य नरेन्द्रदेवको इन लोगोंके साथ जेलमें रहनेका अवसर मिला। रूसके शासकोंका एक तीसरा ही मत था। उसका उल्लेख आगे चलकर होगा। यह तीनों ही मत भ्रान्त और निराधार थे। पहिलेमें तो कुछ थोड़ा-सा तत्व रहा भी हो पर शेष दोनों नितान्त गलत थे।

स्वराज्य अभी दूर था परन्तु क्षितिजपर उसकी झीनी आभा देख पड़ने लगी थी। यह प्रतीत हो रहा था कि स्वराज्य होकर रहेगा और उसकी प्राप्ति अनतिदूर भविष्यमें ही होगी। ऐसी अवस्थामें स्वराज्योत्तरकालकी ओर दृष्टि जाना स्वाभाविक था। स्वतन्त्र भारतकी व्यवस्था कैसी हो ? इस विषयमें समाजवादका पर्याप्त अध्ययन हुआ था। हम न तो रूससे आनेवाले प्रचारात्मक वाङ्मयपर एकमात्र आश्रित थे, न इंग्लैण्ड और अमेरिकासे प्रकाशित विरोधी साहित्यपर। अब हमको प्रभूत अध्ययनसामग्री उपलब्ध थी और हमने काफी मनन किया था।



२. चक्रवन्दी

३. मुख्य उद्योगो तथा यातायातके मुख्य साधनोंका राष्ट्रीकरण

४. न्यूनतम पारिश्रमिक और कामके अविकतम घण्टोका स्थिरीकरण

५. बेकारोको काम या भत्ता तथा वृद्धावस्थामे पेशन

६. प्रसवके एक मास पूर्व और पञ्चात् प्रत्येक काम करनेवाली स्त्रीको एक मासकी छुट्टी

७. प्रत्येक ऐसे बच्चेको जिसके माता-पिता निर्धन हैं, मुफ्त भोजन तथा निःशुल्क शिक्षा

८. सम्पूर्ण नशा बन्दी

९. नमक-करका उठा दिया जाना

यह प्रारम्भिक विचार थे, इनमें पीछेसे सजोधन भी हुआ। मैंने मुआविजेकी दर बहुत बढ़ाकर रखी थी। उस समय मेरे मनमें यही था कि रूस जैसे खून-खराबेकी नौबत न आने पाये।

१९३२ के आन्दोलनके बाद समाजवादमें अभिरुचि और बढ़ी। ऐसा लगा कि यही ऐसा मार्ग है जिससे देशके करोडो गरीब स्वराज्यकी लड़ाईकी ओर प्रवृत्त किये जा सकते हैं। अकेले-अकेले विचार करनेवालोको सम्मिलित प्रयत्नकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी। एक दिन सायकाल ९ व्यक्ति, जिनमें मैं भी था, मेरे घरपर एकत्र हुए और उन्होंने समाजवादी पार्टी बनानेका निश्चय किया। उनमेंसे अब चार ही सार्वजनिक क्षेत्रमें काम करते हैं, श्री तारापट भट्टाचार्य जो अब प्रजासमाजवादी पार्टीमें हैं, उत्तरप्रदेशके भूतपूर्व गृहमन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी, मेरे छोटे भाई परिपूर्णानन्द और मैं। कार्यक्रम प्रायः वही था जिसका संकेत मेरी पुस्तिकामें था।

धीरे-धीरे विभिन्न केन्द्रोको एक-दूसरेका पता लगा और सम्पर्क स्थापित हुए। पटनामें आचार्य नरेन्द्रदेवके सभापतित्वमें एक सम्मेलन हुआ जिसमें यथाशक्य समाजवादी विचारोके सभी प्रमुख कांग्रेसजन एकत्र हुए। कुछ ही समय बाद कांग्रेसका अधिवेशन होनेवाला था। कांग्रेसपरसे

गैरकानूनी होनेका प्रतिबन्ध उठ चुका था। यह निश्चय हुआ कि उस अवसरपर कांग्रेसके भीतर एक समाजवादी दल स्थापित किया जाय। परन्तु उसके पहिले प्रादेशिक दलोंका स्थापित होना आवश्यक था। यह प्रादेशिक दल ही सधीभूत होकर अखिल भारतीय दलको जन्म देंगे।

कांग्रेसका वम्बई अधिवेशन अक्टूबर १९३४ में समुद्रतटके पास वड़े मण्डपके नीचे हुआ। समाजवादी सम्मेलन पासमें ही रेडीमनी हालमें सम्पन्न हुआ। कहा जाता था कि यह हाल जिस इमारतमें है उसमें कुछ प्रेत-वाधा थी। लोग उसमें घबराते-से थे। हमारे सफल अधिवेशनने उसपर-से यह शका दूर कर दी। हमारी यह बैठक २१ और २२ अक्टूबरको हुई। उस अधिवेशनका मैं सभापति चुना गया था। मत्रोजात कांग्रेस समाजवादी दलके सविधानकी कुछ धाराएँ अब भी स्मर्तव्य हैं :

उद्देश्य . ब्रिटिश साम्राज्यसे पृथक् हो जानेके अर्थमें पूर्ण स्वाधीनताकी उपलब्धि और समाजवादी समाजकी स्थापना।

सदस्यता . दलके सदस्य वह लोग होंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सदस्य होनेके साथ-साथ दलसे सम्बद्ध किसी प्रादेशिक कांग्रेस समाजवादी दलके भी सदस्य हों, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह .

(क) किसी साम्प्रदायिक सघटनके सदस्य न हो या

(ख) किसी ऐसे दूसरे राजनीतिक सघटनके सदस्य न हो जिसके उद्देश्य और कार्यक्रम दलकी सम्मतिमें उसके अपने लक्ष्य और कार्यक्रमके अनुकूल न हो।

दलके कार्यक्रमके तीन मुख्य भाग ये : लक्ष्य, काम करनेकी योजना और तात्कालिक मॉर्गें। प्रथम कोटिमें पन्द्रह मटे थी जिनमेंसे मुख्य यह थी :

१. उत्पादक जनताके हाथोंमें समस्त अधिकारोंका हस्तान्तरण।
२. मौलिक तथा मुख्य व्यवसायोंका समाजीकरण।
३. विदेशी व्यापार राजके हाथमें होना।

४. राजामहाराजाओ, जमींदारों तथा अन्य सभी प्रकारके शोषकोंका विना मुआविजा दिये दूरीकरण ।
५. सहकारी और सम्मिलित खेतीका प्रोत्साहन ।
६. वस्तुओंके उत्पादन और वितरणका यह आधार कि प्रत्येक मनुष्यको अपनी शक्तिके अनुसार समाजकी सेवा करनी चाहिये और अपनी आवश्यकताके अनुसार समाजमें मिलना चाहिये ।
७. इस बातका मान लिया जाना कि प्रत्येक व्यक्तिको काम करनेका और काम न मिलनेपर राजसे भृति पानेका अधिकार है ।  
काम करनेकी योजनाके मुख्य अंग यह थे :
१. राष्ट्रीय कांग्रेसके भीतर इस प्रकार काम करना कि वह दलके उद्देश्य और कार्यक्रमको स्वीकार कर ले ।
२. कृषकों और श्रमिकोंके सघोंको स्थापित कराना ।
३. सम्राज्यशाही युद्धोंका सक्रिय विरोध और युद्धों तथा अन्य इस प्रकारकी विषम घटनाओंका अपने राष्ट्रीय सघर्षके तीव्रतर बनानेमें उपयोग ।
४. अपने हाथमें अधिकार आ जानेके बाद ऐसी सविधायक परिपद्धको बैठाना जिसमें श्रमिकों, कृषकों और दूसरे शोषितवर्गोंके प्रतिनिधि हो ।

तात्कालिक माँगोंमें तीस माँग रखी गयी थी परन्तु उनमें कोई नवीनता या क्रान्तिमयता नहीं थी । प्रायः वही सभी बातें समय-समयपर कांग्रेसके मञ्चसे कही जाती रहीं थी ।

ऊपर जो बातें दी गयी हैं उनको देखनेसे यह स्पष्ट होता है कि हम लोग रूसकी घटनासे और उस विचारधाराओसे जो रूसको स्फूर्त कर रही थी बहुत प्रभावित हुए थे । इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि उस समयकी हमारी दृष्टि बहुत व्यापक थी । पिछले कई सालोंमें कांग्रेसके अधिवेशनोंमें जो मन्तव्य स्वीकृत हुए हैं और कांग्रेस सरकारोंने जिन नीतियों और कार्यक्रमोंको अपनाया है उनपर दृष्टि डालनेसे ही यह प्रतीत होता

है कि अपनी पहिली बैठकमें ही हमने जिन बातोंका चर्चा किया था उनसे कांग्रेस भी बहुत दूर है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमारी सारी बातें अकाश्रय थीं पर यह निर्विवाद है कि जिन दिशाओंकी ओर हमने सकेत किया था उनकी ओर बढ़नेका आज भी हमारे नेताओंको साहस नहीं है, यद्यपि उनकी उपयोगिता उनको भी मान्य है।

अधिवेशनके अन्तमें कार्यकारिणी समिति चुनी गयी। हमारे सविधान-में स्थायी अध्यक्षका पद नहीं था। श्री जयप्रकाशनारायण मुख्यमंत्री हुए। दलके अधिकांश सदस्य उम्रमें थोड़े थे, कई तो कांग्रेसमें हालमें ही आये थे। महकर्मियोंके साथ काम करनेमें विशेष रस मिलता था। देशकी स्वाधीनताकी लगन तो थी ही, समाजवादने कुछ और ही नशा प्रदान किया था। नये प्रकारकी दुनिया बनानेकी, भारतको पृथ्वीपर स्वर्गमें परिणत करनेकी, भारतकी दासता, दुर्बलता, दरिद्रता हटा देनेकी, असाधारण उमंग थी, हम लोगोमें कुछ वैसा ही उत्साह था जैसा किसी नये धर्मके प्रवर्तकोंमें देख पड़ता है। अधिकांश पुराने नेता हमारे विरुद्ध थे। उनके विरोधने हमारे आपसी सौहार्दको और बढ़ा दिया।

महात्माजी और राजेन्द्र बाबूको छोड़कर सभी पुराने नेता हमारे विरुद्ध थे। उनको ऐसा लगता था कि दलका स्थापित होना उनके लिए प्रबल चुनौती है। उन्होंने आरम्भसे ही हमको नीचा दिखानेका प्रयत्न किया। यह मानना होगा कि हमने भी अपनी ओरसे उनके विरोधको शान्त करनेका कोई उपाय नहीं किया। उनको नाराज होनेका ही अवसर देते रहे। इस पहिली बैठकका ही हमारा एक प्रस्ताव कहता है : 'यह बात हमारे न्यानमें है कि दक्षिणपक्ष इस बातका यत्न कर रहा है कि कांग्रेसको पुनः वैध आन्दोलनके निन्द्य मार्गपर ले जाय और उसको उस मोल-भावका साधन बना दे जो समाजके सम्पन्न वर्ग ब्रिटिश साम्राज्य-शाहीसे करना चाहते हैं।' साल भरतक किसी-न-किसी बातपर चखचख चल्ती रही। कांग्रेस सदस्यताकी दृष्टिसे आचार्य नरेन्द्रदेव और मैं दलके सबसे प्रबल सदस्य थे। आचार्यजी प्रायः सालभर बहुत अस्वस्थ रहे।

उनका दमा बहुत तेज हो गया था। परिणाम यह हुआ कि दलके नेतृत्वका सेहरा मेरे सिर बँध गया।

बम्बई कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष राजेन्द्र बाबू थे। डॉ० अंगारीने एक लम्बा प्रस्ताव पेश किया। उसमें एक ओर तो ऐसे अज्ञ थे जिनका समर्थन हर कांग्रेसजन करता, दूसरी ओर कई विवादास्पद विषय थे। हम लोगोंने आपत्ति की कि ऐसा प्रस्ताव नहीं माना जाना चाहिये। जो व्यक्ति किन्हीं बातोंको नापसन्द करता होगा उसको मत देनेमें कठिनाई होगी। जब यह आपत्ति न मानी गयी तो हमने यह मुझाव दिया कि प्रत्येक टुकड़ेपर अलग-अलग मत लिया जाय। यह बात भी न मानी गयी। इसमें हम असमजसमें पड़ गये। उसी समय हमको यह सूचना मिली कि डॉ० अंगारीने कांग्रेस मेम्बरीका वार्षिक चन्दा नहीं जमा किया है। मैंने यह आपत्ति उठायी कि जब डॉक्टर साहब का चन्दा जमा नहीं है तो वह कांग्रेसके सदस्य नहीं है। असदस्य प्रस्ताव नहीं रख सकता। अतः इस समय हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। मत लेनेका प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार तो सब लोग स्तब्ध हो गये। नेतृवृन्दमें आपसमें कानाफूसी होने लगी। कुछ देरके बाद हमको बताया गया कि डॉक्टर साहबका चन्दा दिल्लीमें तो जमा नहीं हुआ था पर यहाँ बम्बईमें जमा हो गया। यह मानना चाहिये कि ऐसा हुआ ही होगा, पर यह सिद्ध हो गया कि हम तग कर सकनेकी काफी क्षमता रखते थे।

इस बम्बई अधिवेशनमें कांग्रेस सविधानमें कई संशोधन हुए। उनमेंसे एक हम लोगोंके आग्रहपर हुआ। उस समयतक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका चुनाव सीधे बहुमतसे होता था। यदि प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीमें ५१ सदस्य एक विचारके हो तो वह ग्रेप ४९ में एक व्यक्तिको भी न आने दे, ऐसी सम्भावना हो सकती थी। कुछ प्रदेशोंमें हमारे दलके सदस्योंकी संख्या काफी थी। उत्तरप्रदेशमें तो बहुत-से जिलोंमें हमारा प्रभाव था फिर भी प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीमें हमारा बहुमत नहीं था। ऐसा हो सकता था कि हमारा एक भी सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके

ल्लिए न चुना जाय । हम चाहते थे कि इस वातका ल्लिहाज किया जाय परन्तु वर्किंग कमेटीके सदस्य हमारी वात माननेको तैयार नहीं थे । अन्तमे महात्माजीने हमारे कथनकी न्यायताको स्वीकार किया । उनका समर्थन प्राप्त होनेपर हम एकल सक्रमणीय मत (सिगल ट्रांसफरेबुल वोट) को मनवा पाये । इसके अनुसार प्रत्येक ढल अपनी सख्याके अनुसार सदस्य चुनवा सकता है । यह नियम आजतक चालू है ।

महात्माजीकी न्यायप्रियताको मेरी प्रगसाकी अपेक्षा नहीं है । फिर भी उन्होने वर्धासे इसी साल, कांग्रेस अधिवेशनसे कुछ पहिले, १७ सितम्बरको एक वक्तव्य निकाला था, उसका एक अनुच्छेद उद्धृत करना चाहता हूँ :

“मेने समाजवादी समुदायके स्थापित होनेका स्वागत किया है । उनमेसे कई प्रतिष्ठित और त्यागी सत्कर्मा है । फिर भी उनकी पुस्तिकामे जो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ है उससे मुझको मौलिक मतभेद है । परन्तु किसी प्रकारका नैतिक दबाव डालकर उन विचारोको नहीं दवाना चाहता जिनका उल्लेख उनके साहित्यमे है । उनमेसे कुछ विचार मुझको चाहे जितने भी बुरे लगते हो लेकिन मै उनके प्रचारमे बाधा नहीं डाल सकता ।’

इसी उदारताने महात्माजीको देशका सर्वमान्य और एकमात्र नेता बनाया था ।

पुराने नेतृवृन्दसे हमारा जो सवर्प चल रहा था उसका एक और उदाहरण द्रष्टव्य है :

प्रथम महायुद्धके वाद ११ नवम्बरको विरामसन्धि हुई थी । तबसे यह तारीख विरामसन्धि दिवस (आर्भिस्टिस डे) के नामसे मनाया जाता था । ११ वजे दिनको सब काम रोक दिया जाता था और दो मिनटतक सब लोग पूर्णतया चुपचाप रहते थे । इस साल ११ नवम्बरके पहिले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक हुई । हम लोगोने प्रस्ताव किया कि यह दिन साम्राज्यशाही युद्धविरोधी दिवसके रूपसे मनाया



जाय। खैर, हमारी बात तो नहीं मानी गयी, हमारा उत्तर देने हुए बर्किंग क्रमेटीके एक सदस्यने कहा कि जैसे भाषण हमारी ओरसे दिने गये उनमे मौजदागी वाग्नकी चार भागमें बँटती थी। उनमें किसीने टोका नहीं। उसके कुछ दिन बाद एक बयानमें मैंने कहा कि वह सदस्य महादय तो सरकारको उकसा गे थे कि हमारे विरुद्ध उन भागओंके अनुसार काररवाट की जाय और बर्किंग क्रमेटी 'सरकारके और सरकारकी एजेण्ट' जेसा आचरण कर गयी थी। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह भाषण बहुत कटी और अनुचित थी परन्तु उस समयके दोषपूर्ण वातावरणमें मुझसे निकल ही गयी। बर्किंग क्रमेटीकी अगली बैठकमें मैंने विरुद्ध अनुशासनकी काररवाट करनेपर विचार हुआ परन्तु राजेन्द्र बाबूके अनुशेधपर कुछ न करनेका निश्चय किया गया।

हमारे सम्बन्धमें बहुत-सी गलत बातें फैलायी गयीं। लोगोंके सामने यह बात रखी गयी कि हम कांग्रेसके भीतर फूट उठाना चाहते हैं। यह बात सर्वथा मिथ्या थी। जहाँतक हमारे समाजवादी विचार थे, उनके कार्यान्वित होनेका समय तो स्वराज्यप्राप्तिके बाद आता। इस समय तो हमारा यह मत प्रयास था कि पूर्ण स्वाधीनताके विषयमें कांग्रेसमें दलीलपन न आने पाये और ब्रिटिश सरकारमें किसी प्रकारका समझौता करके पूर्ण स्वातन्त्र्यमें नीचेकी कोई व्यवस्था न मान ली जाय। १९३५ में प्रादेशिक दलोंके नाम परिपत्र भेजकर मुख्यमंत्री श्री जयप्रकाशनागयणने यह बात स्पष्ट कर दी थी। वह लिखते हैं : 'ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे कांग्रेसके भीतर जो सच्चे राष्ट्रवादी हैं वह नागज होकर उन दक्षिणपक्षियोंसे मिल जायें जो ब्रिटिश सरकारमें समझौता चाहते हैं। इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती कि कांग्रेस समाजवादी और समाजवादिगेशी दो विरोधी दलोंमें बँट जाय। हमको तो उग्र राष्ट्रवादियोंको अपने साथ रखना चाहिये और कांग्रेसको इस प्रकार विभक्त करना चाहिये कि एक ओर तो यह लोग हों और दूसरी ओर समझौतेके इच्छुक नरम विचारवाले। मैं इस बातपर जोर देना चाहता हूँ कि हमको किसी हालतमें

अपनेको कांग्रेससे अलग नहीं करना चाहिये ।’

कांग्रेस नेतृवृन्दसे हम लोगोंका मनमुटाव कम नहीं होता था । कोई-न-कोई बात ऐसी उपस्थित हो जाती थी जो आगमे घीका काम कर देती थी । मैं स्वाधीनताकी घोषणाका चर्चा कर चुका हूँ । १९३० मे कांग्रेस समाजवादी दल जैसी कोई सस्था नहीं थी परन्तु हमसेसे बहुतोको उसकी भाषा खटकती थी । हमारी समझमे उसमे गम्भीरताकी कमी थी और हेतुओकी भरमार थी । स्वाधीनता मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए किसी तर्ककी आवश्यकता नहीं होती । प्रथम अनुच्छेद ही हमारी रायमें ठीक नहीं था । उसमे कहा गया था कि ब्रिटिश सरकारने भारतकी स्वाधीनता ही नहीं छीनी प्रत्युत उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति भी की । ऐसा कहना स्वातन्त्र्यके महत्त्वको घटा देता है । व्वनि यह निकलती है कि यदि इस प्रकार बहुमुखी शक्ति न की होती तो हम स्वतन्त्रताके चले जानेसे बहुत चिन्तित न होते । परन्तु हमारे कुछ नेताओको इस दुर्बल घोषणामे भी क्रान्तिकी दुर्गन्धका अनुभव हुआ । कांग्रेस वर्किंग कमेटीने १९३५ के स्वाधीनता दिवसके पहिले घोषणाको बदल दिया । हमने इसपर आपत्ति की । हमारा कहना था कि स्वातन्त्र्य घोषणाको पवित्र मानना चाहिये । साधारण प्रस्तावोंकी भाँति उसे बदला नहीं जा सकता । हमारी बात नहीं मानी गयी परन्तु देशमें पर्याप्त लोकमत हमारे साथ था । वर्किंग कमेटीने जो परिवर्तन किये और स्वाधीनता दिवस मनानेके लिए नीचेकी कमेटियोको जो आदेश भेजे उनका अनुमान निम्नलिखित अवतरणसे हो सकता है । यह एक लेखका आंगिक अनुवाद है जिसे मैंने दलके मुखपत्र ‘कांग्रेस सोशल्लिस्ट’के १० फरवरी १९३५ के अकमे निकाला था । पुराने सकल्पके, ‘शान्तिमय और उचित’की जगह ‘अहिंसात्मक और सत्य’ बदलनेका प्रस्ताव प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियोके पास राय जाननेके लिए भेजा गया था । मेरी जानकारीमे कमसे कम तीन, सिन्ध, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेशने इसका विरोध किया । फिर भी वर्किंग कमेटी यह चाहती है कि लोग यह सकल्प करे कि हम ‘मनसा

वाचा, कर्मणा अहिंसात्मक रहेंगे। किन्ती भी राष्ट्रके लिए जो स्वार्थीनताके लिए ऐसे शत्रुसे लड़ रहा हो जो किन्ती दुःकर्ममे हिचकता न हो और जो पृथ्वीवाही तथा विज्ञानके सभी साधनोंसे सम्पन्न हो, वह बहुत भारी सकल्प है। इसके शब्दों या भावोंका पालन आजतक उन लोगोंने भी नहीं किया है जिन्होंने उसको राष्ट्रके सामने उपस्थित किया है और न आगे चलकर यह लोग इसका पालन करेंगे। एक तो जो कुछ कहा गया है वह निस्तेज है, दूसरे उसके चारों ओर शतों लगा दी गयी हैं। यह समझमें नहीं आता कि हँस या रोये। जल्स निकाले जायँ परन्तु पुलिसमें राय लेकर। यदि जल्स निकालनेकी अनुमति मिल जाय तो मडकपर चुपचाप चलना चाहिये, न गाने हों, न नारे लगे। स्वाधीनताकी देवीका शव श्मशानघाटतक गम्भीतरतासे पहुँचाना है। जिस जगह जाकर अहिंसाकी झूठी शपथ लेनी है वहाँके लिए भी प्रतिबन्ध है। यदि पुलिसको आपत्ति न हो तभी सभा की जाय। यदि आरम्भ होने-होते भी पुलिस मना कर दे तो लोग दम दबाकर अपने विलेमें भाग जायँ और वहाँ चुपकेसे सकल्पपत्र पढ़ ले।

यह भाषा बहुत कड़ी है पर वस्तुस्थितिकी परिचायक है और लाखों कांग्रेसजनके हार्दिक भावोंको व्यक्त करती है। पता नहीं वर्किंग कमेटीने क्या समझकर ऐसे आदेश दिये जिनका एकमात्र परिणाम लोगोंको हतोत्साह और हतवीर्य बनाना हो सकता था। प्रतिज्ञापत्र पढ़ा तो गया ही परन्तु एक लाख पढ़नेवालोंमेंसे दसने भी अहिंसावाले अशको कोई महत्त्व नहीं दिया, न उसके पालन करनेका प्रयास किया। यह सन्तोषकी बात है कि बहुधा लोगोंने शतोंको नहीं माना। किसीने पुलिससे राय नहीं ली, जल्स निकाले, गाने हुए, नारे लगे। कमसे कम उत्तरप्रदेशमें तो वर्किंग कमेटीके इस आदेशका पालन नहींके बराबर हुआ।

इन्ही दिनों श्री एम० एन० राय रूससे भारत लौटे। उन्होंने बड़े क्रान्तिकारी होनेकी ख्याति प्राप्त की थी। यहाँ भी लोग उनके अगले कदमकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पर उन्होंने कोई ऐसी बात न की जिससे

किसीको उनके प्रति श्रद्धा होती। कुछ दिनोंतक तो सरदार पटेल तथा दूसरे दक्षिणपक्षी नेताओंने उनकी आवभगत की। ऐसा समझा जाता है कि यह सब इसलिए हो रहा था कि वह लोग पण्डित जवाहरलाल नेहरूके मुकाबलेमें श्री रायको खड़ा करना चाहते थे। मछलीने चारेपर मुँह डाल दिया। यह प्रस्ताव उठा था कि वह कांग्रेस समाजवादी दलमें सम्मिलित हो जायें परन्तु उस समय वह जैसे स्वप्न देख रहे थे उनके सामने भला इस दलमें क्या धरा था। प्रस्ताव गिर गया। श्री राय यह खूब जानते थे कि ऐसे समाजवाद-विरोधी तत्त्वोंका साथ देकर वह अपने भविष्यके साथ जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने गायद यह कहा भी था, 'मैं कमजोर घोड़ेपर बैठकर बुडदौड़ जीतूंगा।' परन्तु घोड़ा उनसे बुद्धिमान् निकला। उसने उन्हें गिरा दिया। दक्षिणपक्षी नेताओंने उनका खोखलापन पहिचान लिया और उनको छोड़ दिया। कांग्रेस समाजवादी दलसे खटपट हो ही गयी थी, उनके लिए कांग्रेसमें कहीं स्थान नहीं रहा।

कांग्रेसका अधिवेशन १९३६ में लखनऊमें हुआ। मैं स्वयंसेवकोंका जी० ओ० सी० (प्रधान अफसर) था। जवाहरलालजी अव्यक्त थे। मैं पहिले भी बतला चुका हूँ कि दलके सस्थापन या सघटनमें उनका कोई हाथ नहीं था। उनका रुख भी हमारे लिए कभी अच्छा नहीं रहा और वह कभी भी हमारी कटु आलोचना करनेमें नहीं चूके। परन्तु हमारे अस्तित्वसे लाभ उठानेको वह बराबर तैयार रहते थे। हमारे दलमें भी कुछ लोग, जिनमें आचार्य नरेन्द्रदेव और श्री जयप्रकाशनारायण प्रमुख थे, जवाहरलालजीके दृढ़ समर्थक थे। यह तो हम सबकी राय थी कि उनके विचार हमसे कुछ मिलते-जुलते हैं और दक्षिणपक्षकी अपेक्षा हमको उनका हाथ मजबूत करना चाहिये। परन्तु हममेंसे कुछ लोग इस खयालके थे कि हर बातमें उनकी आलोचनाओं और बातोंको चुपचाप नहीं सह सकते। इससे लोगोंकी इस धारणाकी पुष्टि होती है कि दल उनके हाथका खिलौना है। उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटीमें जवाहरलालजी अकेले पड गये थे और यह कोई छिपी बात नहीं है कि सरदार पटेल और श्री

कृपालानीका व्यवहार उनके प्रति बहुत आदरका नहीं था ।

वामपक्षके बढ़ते प्रभावको देखकर उसको अकुगामे रखनेके विचारसे हमसे यह कहलाया गया कि कांग्रेस समाजवादी दलके तीन सदस्य वर्किंग कमेटीमें ले लिये जायँ । इस कामके लिए आचार्य नरेन्द्रदेव, श्री जयप्रकाशनारायण और श्री अच्युत पटवर्धनके नाम लिये गये । इन सज्जनोंकी मधुरभाषिताको सरदार पटेल जैसे नेता भी पसन्द करते थे । इन्होंने दक्षिणपक्षको मेरी तरह नाराज नहीं किया था । उन लोगोंको यह आना रही होगी कि जब दलके तीन सदस्य वर्किंग कमेटीमें आ जायँगे तो दल कड़ी आलोचना करना छोड़ देगा । मैं बड़े धर्म-सकटमें पड़ा । मैं श्री जयप्रकाशनारायण और श्री पटवर्धनसे प्रवर था अर्थात् कांग्रेसमें इन तीनोंसे पहिलेसे था । जेल भी सबसे अधिक गया था । यह भी सबको विदित था कि दक्षिणपक्षी नेताओंसे मेरा चित्त नहीं मिलना था फिर भी मैं यदि इस सुझावका विरोध करूँ तो यह अर्थ निश्चय ही लगाया जायगा कि मैं वर्किंग कमेटीमें नहीं लिया जा रहा हूँ इसलिए विरोध कर रहा हूँ । फिर भी विरोध करना अपना कर्तव्य था । मेरी आपत्ति यह थी कि यदि दलके किन्हीं सदस्योंको लेना है तो उनका चुनाव दलको करना चाहिये, अन्यथा वह दलके प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते । बहुमतसे मेरी आपत्ति अमान्य रही । इसी बीचमें जवाहरलालजीने इस अवसरसे लाभ उठानेके लिए एक प्रस्ताव पेश किया । उनका यह कहना था कि यदि किसी कारणसे वह वर्किंग कमेटीसे त्यागपत्र दें तो दलके तीनों सदस्य भी पृथक् हो जायँ । मैंने उनसे पूछा, यदि दलके तीनों सदस्य अपनी इच्छासे या दलकी आज्ञासे इस्तीफा दे दें तो आप भी उनके साथ इस्तीफा देंगे ? उन्होंने ऐसा वचन देनेसे इनकार किया । तब मैंने कहा कि इस दशामे हमको उनकी एकतरफा गर्त नहीं माननी चाहिये । मेरी यह आपत्ति भी अमान्य रही । तीनों सज्जन वर्किंग कमेटीमें चले गये और इस शर्तपर गये कि यदि कभी जवाहरलालजीका इस्तीफा हुआ तो यह भी अलग हो जायँगे । इससे वर्किंग कमेटीमें जवाहरलालजी-

को तो बल मिला परन्तु मेरी रायमे दल दुर्बल हुआ। यह धारणा और दृढ़ हो गयी कि वह जवाहरलालजीके पीछे-पीछे चलनेवाला समुदाय है। एक और बात हुई। अबतक दलकी कार्यकारिणीमे सौहार्दका जो वातावरण था वह भी कुछ भग्न हुआ। बहुमतसे चाहे जो तय हो गया हो परन्तु कई सदस्योंको लगा कि जवाहरलालजीकी सहायता करके वामपक्षको पुष्ट करनेके वहाने कांग्रेसके पुराने दक्षिणपक्षी नेताओसे मोलभाव करके समझौता किया गया।

सच तो यह है कि दलके जन्मके सालभरके भीतर ही कुछ आपसी विरोध प्रकट होने लगा था। विरोध व्यक्तियोंके बीचका नहीं था। उसका आधार मैदान्तिक था। सदस्यताके नियमोका बहुत उदार अर्थ लगाया गया था, इसलिए कई कम्युनिस्ट आ गये थे। इनमेसे तीन, सर्वश्री जेड० ए० अहमद, अजरफ और सजाद जहीर, हमारी कार्यकारिणीमे थे। दलकी सदस्यताने इन लोगोको कांग्रेसमे स्थान और अपने विचारोके प्रचारका अवसर दे दिया। दलके भीतर इनका निरन्तर यह प्रयत्न रहता कि आपसमे फूट पैदा करते रहे और जिन लोगोसे इनको चिढ़ थी उनको किसी-न-किसी प्रकार दुर्नाम देकर पृथक् करा दें। मुझपर इनकी बड़ी कड़ी दृष्टि थी और यह भी स्वीकार करना होगा कि मैं भी कम्युनिस्ट गुटका कट्टर शत्रु था। मेरे सम्बन्ध मे यह लोग ऐसा कहनेसे कभी नहीं चूकते थे कि यह दलकी सदस्यताके योग्य नहीं है क्योंकि इनके विचार पूर्णरूपेण समाजवादी नहीं है। ज्यो-ज्यो १९३६ का आम चुनाव निकट आता गया यह भीतरी सघर्ष और तीव्र होता गया।

कांग्रेस समाजवादी दलकी अवस्था उत्तरप्रदेशमे अन्य प्रदेशोसे भिन्न थी। यहाँ नीचेसे लेकर ऊपरतक कांग्रेस सघटनमे हमारे सदस्योका स्थान था। मोहनलाल गौतम, चन्द्रभानु गुप्त, कमलापति त्रिपाठी, हरिहरनाथ शास्त्री, यह सभी ख्यातनामा व्यक्ति थे। श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल और श्री रफी अमदह किटवाई जैसे प्रादेशिक स्तरके नेता जो हमारे विरोधी थे वस्तुतः समाजवादीके विपक्षमे नहीं थे, उनको वह लोग नापसन्द

थे जो समाजवादके समर्थक माने जाते थे। हमारे प्रदेशका साधारण कांग्रेसजन भी क्रान्तिकारी विचार रखता था। प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी बहुत पहिले जमींदारी उन्मूलनके पक्षमें निश्चय कर चुकी थी। इसमें कोई सन्देह नहीं था कि कांग्रेस उम्मीदवारोंकी बड़ी जीत होगी और विजेताओंमें ढलके सदस्य पर्याप्त संख्यामें होंगे।

हमारे सामने प्रश्न यह था कि यदि कांग्रेस मन्त्रिपद ग्रहण करना स्वीकार कर ले तो हम लोग क्या करें। यही एकमात्र प्रदेश था जिसमें समाजवादी मन्त्रिमण्डलमें आ सकते थे और शासनकी नीतिको समाजवादकी ओर झुका सकते थे। पूर्ण समाजवादी व्यवस्था भले ही न आये परन्तु हम यह तो दिखला ही सकते हैं कि समाजवाद देशको किस दिशामें ले जायगा। अतः हमसे कुछकी राय थी कि हमको पद ग्रहण करना चाहिये। मैं इसी पक्षका था। मेरा तो यह ख्याल है कि आचार्य नरेन्द्र-देव भी मुझसे सहमत थे पर किन्हीं कारणोंसे उन्होंने अपना मत प्रकट नहीं किया। अस्तु, ढलके भीतर हमारा काफी विरोध हुआ। इस विरोधका नेतृत्व कम्युनिस्टोंके हाथ में था। मतभेद बहुत तीव्र हो गया। अन्तमें मैं सदस्यतासे अलग हो गया। फिर भी मेरा सम्पर्क बना रहा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें मैं ढलके साथ ही वोट देता था। अन्तमें १९४० में रासगढ़ कांग्रेस अधिवेशनके समय कम्युनिस्ट लोग ढलसे निकाल दिये गये। उनके निष्कासनके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव था उसका प्रारूप बनानेमें श्री जयप्रकाशनारायणके साथ मैं भी था। मेरे लिए इसीमें थोड़ा-सा सन्तोष हुआ।

देशकी महती सेवा करनेका एक और अवसर ढलके सामने आया परन्तु वह खो दिया गया। जब सविधान बनानेके लिए कांस्टिटुएण्ट असेम्बली बैठी तो जनरल सेक्रेटरी श्री जयप्रकाशनारायणने यह आदेश निकाल दिया कि ढलका कोई सदस्य उसमें सम्मिलित न हो। उन्होंने हम विषयमें कार्यकारिणीसे भी राय न ली। इस मनमाने आदेशका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ढलके सदस्य विलकुल अपनी पसन्दका सविधान न

वनवा सकते परन्तु जो भी संविधान बनता उसको अधिक उदार और समाजवादीकी ओर अधिक झुका हुआ तो बनवा ही सकते थे। मैं दलका सदस्य नहीं था पर इस निर्णयसे क्षुब्ध हुआ। दौड़ा हुआ नरेन्द्रदेवजीके पास गया। उनका दमा बहुत तग कर रहा था। वह बेचारे भी बहुत क्षुब्ध हुए। उसी अवस्थामे उन्होंने एक पत्र श्री जयप्रकाशनारायणके नाम लिखा। श्री मोहनलाल गौतम स्वयं उसे ले गये। परन्तु जयप्रकाशजी टससे मस न हुए। अपनी जिदपर अड़े रहे। यदि आज हमको यह शिकायत है कि संविधान सन्तोषजनक नहीं है तो इसका दायित्व श्री जयप्रकाश और कांग्रेस समाजवादी दलपर है। सुनहरा अवसर हाथसे निकल गया।

पार्टी कुछ दिन और चली, परन्तु ओजहीन और वीर्यहीन होकर। एक तो कांग्रेस स्वयं समाजवादीकी ओर झुक रही थी और उसके अधिवेगनोंमें समाजवादी व्यवस्थाके विभिन्न अंगोपर उत्तरोत्तर जोर दिया जाने लगा था, दूसरे, कांग्रेसके भीतर किसी सघटित दलका अस्तित्व असह्य प्रतीत होने लगा था। कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर बाहर आ गये और समाजवादी पार्टी स्थापित हुई। इस पार्टीकी निर्बलता इसी बातसे स्पष्ट हो जायगी कि १९५१ के आम चुनावमे आचार्य नरेन्द्रदेव स्वयं अपने शहर फैजाबादमे हार गये। समाजवादी पार्टी अपने पाँवपर खड़ी रहनेमे असमर्थ थी। कुछ दिन पहिले आचार्य कृपालानी तथा कुछ दूसरे लोगोंने कांग्रेससे पृथक् होकर 'कृष्ण मजदूर प्रजा पार्टी' नामसे पार्टी बनायी थी। उसके भी पाँव लड-खड़ा रहे ये। दोनों रोगी शरीरोंने एक-दूसरेको सहारा दिया, दोनों मिलकर एक हो गये। नयी पार्टीका नाम 'प्रजासमाजवादी पार्टी' रखा गया। इसे (पी० एस० पी०) प्रसोपा कहकर पुकारा जाता है। इसके शीर्षस्थानीय नेताओमे आचार्य कृपालानी और श्री त्रिलोकी सिंह जैसे सज्जन हैं जो किसी समय समाजवादके नामतकको सुनना नहीं चाहते थे। समय बड़ा बलवान् है। इसीमेसे टूटकर डॉक्टर राममनोहर लोहियाका समाजवादी दल निकला।



कांग्रेस समाजवादी दल हमारे राजनीतिक रंगमंचपर मुझिलसे दस वर्ष रहा परन्तु कांग्रेस और देशके इतिहासमें वह दशक बहुत ही महत्वपूर्ण था। दलका इहवृत्त समाप्त हो गया। परन्तु उसकी छाप अमिट है। उसने देशकी बड़ी सेवाएँ की। इनमें सबसे बड़ी सेवा यह थी कि उसने लाखों मनुष्योंको सोचनेकी प्रेरणा दी। उसकी प्रेरणा कांग्रेसके निष्चयो और पिछले दस-बारह सालके शासनकी नीतियोंमें अंकित है, उसने जो काम उठाया वह अभी समाप्त नहीं हुआ। क्रान्तिका बीज-वपन हुआ, अब दूसरे लोग उसे सींचगे। दलने देशको कई कुशल शासक और विचारक दिये। यह दुःखकी बात है कि इनमेंसे कुछ पथभ्रष्ट हो गये। श्री जयप्रकाश-नारायणको लीजिये। देशको उनसे बड़ी आशाएँ थी। विद्वान् हैं, तपस्वी हैं, स्नेही हैं। परन्तु उनके विचारोंकी श्रृंखला सरस्वतीकी जलधाराकी भाँति मरुभूमिमें खो जाती है। जो आज कहते हैं कल उसके ठीक विपरीत कह बैठते हैं, न विचारोंमें स्थिरता है न कामोंमें। कुछ लोगोंको कभी डॉ० राममनोहर लोहियासे भी कुछ आशा थी। वह भी दलके आदिम सदस्योंमें थे। सारा देश आज उनको इच्छामिघातकी जीती-जागती मूर्तियोंके रूपमें देखता है।

कांग्रेस समाजवादी दलके सम्बन्धमें रूसकी कम्युनिस्ट पार्टीने जो भारी भूल की उसका भी थोड़ा-सा चर्चा करना आवश्यक है। इस दलके विशेषज्ञोंको इस बातका बड़ा गर्व है कि वह द्वन्द्वन्यायके सबसे बड़े पण्डित हैं और ऐतिहासिक विकासकी गतिविधियोंके रहस्योंके एकमात्र जानकार हैं। क्रान्तिशास्त्र तो उनके घरका क्रीतदास है। उनके प्रकट और गुप्तचर सर्वत्र फैले हुए हैं और उनको निरन्तर सूचना भेजते रहते हैं। परन्तु आश्चर्य है कि भारतके आधुनिक इतिहासको वह समझ न पाये। महात्माजीके सम्बन्धमें उनकी प्रामाणिक पुस्तकोंमें जो कुछ लिखा था उसका देशमें काफी चर्चा हुआ। सुनते हैं अब वह बातें हटा दी गयी हैं। कांग्रेस समाजवादी दलको भी वह न पहिचान सके। मैं पहिले लिख चुका हूँ कि उन दिनों हम लोगोंको रूसमें छपा बहुत-सा साहित्य मिल जाता था। गुलिसके

लाख प्रयत्न करनेपर भी वह किसी-न-किसी प्रकार भारत पहुँच जाता था और गुप्त रीतिसे पढनेवालोंको मिल जाता था । उस साहित्यको देखनेसे ज्ञात होता था कि रूसकी कम्युनिस्ट पार्टी वरावर यही समझती रही कि काग्रेसके दक्षिणपक्षी नेताओने ही काग्रेस समाजवादी दलको खडा किया है । उद्देश्य यह था कि हम समाजवाद, क्रान्ति, साम्राज्यशाहीका सतत विरोध और पूर्ण स्वराज्यकी लम्बी-लम्बी वाते करके जनताको धोखेमे डालते रहे और काग्रेसजनमें जो लोग क्रान्तिकारी विचार रखते है उनको काग्रेसके बाहर न जाने दे । हम चाहे कितनी भी वाते करे, नेतृत्व उन्ही पुराने लोगोके हाथमें रह जायगा । दलके कई सदस्योंको कम्युनिस्ट वाङ्मयमे घृणासूचक उपाधियाँ दी गयी थीं । मैं 'वेदान्ती समाजवादी' कहलता था । यहाँ वेदान्ती गब्द मूढग्राह, दम्भ, प्रतिगामिता और पुराणपन्थीपनका पर्याय था । इस भ्रान्तिका एक ही कारण था । उन दिनो रूससे खुलकर सम्पर्क तो था नहीं, यहाँ जो कम्युनिस्ट थे वह जैसी रिपोर्ट भेजते थे उसीके आधारपर वह लोग अपनी राय बनाते थे । और यहाँसे झूठी रिपोर्ट ही भेजी जाती थी, क्योंकि यह भारतीय कम्युनिस्ट अपने रूसी गुरुओं और स्वामियोंको यह बतलाना नही चाहते थे कि भारतमे उनके सिवाय कोई दूसरा भी क्रान्तिकारी या समाजवादी हो सकता है । वादको वस्तु-स्थिति खुली परन्तु तबतक गलत लोगोका समर्थन करके रूस काफी धन नष्ट कर चुका था, काफी गलत नीतियोको अपना चुका था और काफी मनोमालिन्य जमा कर चुका था ।

इस कालमे मेरी दो मुख्य पुस्तकें, 'अन्ताराष्ट्रिय विधान'<sup>१</sup> और 'समाजवाद' प्रकाशित हुईं । 'अन्ताराष्ट्रिय विधान' अपने विषयकी पहिली पुस्तक थी जो किसी भारतीय भाषामें लिखी गयी । 'समाजवाद'के अबतक पाँच सस्करण हो चुके है । इसके द्वारा पहिली बार समाजवादका वैज्ञानिक रूप लोगोके सामने आया, अन्तिम सस्करणमें मैंने 'भारतीय समाजवाद' नामसे एक नया खण्ड जोड दिया है । महात्माजी कृपया उसे पढ गये ।

१. ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी द्वारा प्रकाशित

उन्होंने श्री जयप्रकाशनागयणकी पुस्तक 'हार्द मोशलिज्म' (समाजवाद क्यों)को भी पढ़ा था । उन्होंने मुझको पत्र लिखकर पूछा कि दोनों पुस्तकोंमें कई बातें मिलती-जुलती हैं परन्तु कुछ अन्तर भी है । वह इतना सूक्ष्म है कि मैं उसे पकड़ नहीं पाता । तुम बतलाओ वह क्या है । मैंने निवेदन किया कि अन्तर दोनों पुस्तकोंके दार्शनिक आधारोंमें है । श्री जयप्रकाश-नारायणका आधार मार्क्सका भौतिक दर्शन है और मेरा आधार वेदान्त । व्यावहारिक कार्यक्रमोंमें समता होते हुए भी उनके उद्गम भिन्न हैं । इसपर उन्होंने मुझको लिखा कि तुम अपने दार्शनिक विचारोंके सम्बन्धमें एक पुस्तक लिखो । महात्माजीकी इस प्रेरणासे ही मेरी पुस्तक 'चिद्विलास' लिखी गयी । भूमिकामें मैंने इस बातका उल्लेख किया है ।

काग्रेस समाजवादी दल अद्य नहीं है परन्तु हममेंसे जो लोग उससे सम्बद्ध थे, उसके गौरवमय इतिहासको कदापि भूल नहीं सकते । ● ● ●

मैं इस पुस्तकमें ठीक घटनाक्रमके अनुसार नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए कभी-कभी विषयसाम्यके कारण ऐसी बातोंका चर्चा एक साथ करनेमें सुविधा होती है जिनको घटित होनेमें कई साल लगे।

आज तो यह विचार अनावश्यक है कि देशकी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिये। हमारा सविधान कहता है कि भविष्यमें किसी अनिश्चित दिन अंग्रेजीकी जगह हिन्दी ले लेगी। तबतक धीरे-धीरे वह इस पदकी ओर अग्रसर होती जायगी। उत्तरप्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान अपने शासनोंमें हिन्दीका अधिकाधिक समावेश करानेमें यत्नशील है। उनके प्रयत्न और सफल होते यदि केन्द्र भी वैसी ही तत्परता दिखलाता, परन्तु केन्द्रके मार्गमें बहुत बड़ी अडचन दक्षिणभारत, मुख्यतः तमिल-नाडुकी है। तमिल, तेलगू, मलयालम यह सभी द्रविड भाषाएँ हैं जिनका सस्कृतसे वह सम्बन्ध नहीं है जो हिन्दी, बँगला, गुजराती और मराठीका है, फिर भी तेलगू और मलयालम-भाषियोंकी ओरसे हिन्दीका विरोध नहीं है। उनको अपनी भाषाओंके लिए आदर और प्रेम है और वे उनका विकास कर रहे हैं, परन्तु सार्वभौम भाषाके रूपमें वह हिन्दीको स्वीकार करते हैं। तमिल-भाषियोंमें एक बड़ी सख्या ऐसे लोगोकी है जिनको तमिल प्रदेशसे लगाव तो है ही, उत्तरभारतसे चिढ़ भी है। यह लोग कहते हैं कि उत्तरभारतीय दक्षिणपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं और सहस्रों वर्षोंसे इस प्रयत्नमें लगे हुए हैं। 'रामायण'-

की कथा यही तो कहती है। राजनीतिक प्रभुत्व नहीं तो सांस्कृतिक साम्राज्य सही, उत्तरभारतकी यह सतत चेष्टा है। पहिले यह महत्त्वाकांक्षा संस्कृतके द्वारा व्यक्त होती थी। ब्राह्मण उत्तरभारतसे आये थे, उनका सर्वत्र बोलवाला था, उनकी भाषा संस्कृत थी। अब यही प्रयास हिन्दीके द्वारा किया जा रहा है। हिन्दी उत्तरभारतकी महत्त्वाकांक्षाका प्रतीक है।

यह दुःखकी बात है कि राष्ट्रभाषाका प्रश्न दक्षिणभारतके सामाजिक और आर्थिक प्रश्नोंके साथ मिलकर जटिल हो गया। इस समय तो वहाँ बहुत-से लोग हिन्दीकी अपेक्षा अंग्रेजीके पक्षपाती हो रहे हैं। हम कुछ कर भी नहीं सकते। यही आशा करनी चाहिये कि भगवान् सद्बुद्धिका उदय करेगा और दक्षिणभारतके भाई उत्तरभारतीयोंके सम्वन्धमें अपनी गंकाओको दूर करके हिन्दीको अपनायेगे।

आजसे कुछ साल पहिले उत्तरभारतमें ही हिन्दीको घोर विरोधका सामना करना पडा था। सच तो यह है कि यह संघर्ष अब भी जारी है। उर्दूके समर्थकोंका बडा जोर था। बादको हिन्दुस्तानी नाम सामने आया। यो तो भाषाके नामका भी महत्त्व होता ही है परन्तु हम हिन्दी नामका मोह छोडकर हिन्दुस्तानी नाम स्वीकार कर लेते। मुख्य बात तो यह थी कि भाषाका स्वरूप क्या हो ? यो तो हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी आदि जिस नामसे पुकारिये, क्रिया, सजा, सर्वनाम, उपसर्ग एक ही हैं। कुछ शब्द शुद्ध संस्कृतके, कुछ अरबी-फारसीसे तत्सम रूपसे लिये गये हैं। सभी भाषाएँ दूसरी भाषाओसे शब्द लेती रहती हैं। परन्तु आगन्तुक शब्द अपनी मूल भाषाका व्याकरण छोडकर आता है। हिन्दीमें राजा शब्द, संस्कृतसे लिया गया है परन्तु 'राजः' नहीं बोला जाता, 'राजाका' कहते हैं। 'जङ्गल' संस्कृतसे आया है परन्तु उसका बहुवचन 'जङ्गलानि' न होकर 'जंगलों' होता है। अंग्रेजीसे आये हुए 'स्टेशन'का बहुवचन 'स्टेशस' न होकर 'स्टेशनों' बनता है। सर्वत्र यही नियम है। परन्तु उर्दूमें अरबी-फारसीके बहुत-से शब्द भारतीय व्याकरणको नहीं अपनाते। 'सुल्तान'का

बहुवचन 'सलातीन', 'मुल्क'का 'ममालिक', 'जिला'का 'अजलाअ' बन हैं। संस्कृतके तत्सम शब्द या तो त्याज्य, मतरूक, माने जाते हैं या उन अरबी-फारसीके सामानार्थक शब्दोंसे नीचा पद दिया जाता है। दरि नदी, शहरसे नगर छोटा है। फिर संस्कृतसे निकले शब्दोंका उच्चा विगाड दिया जाता है। देख 'देस' बन जाता है। जिन लोगोंको अंग्रेज 'प्रोटेस्ट' कहनेमें कोई कठिनाई नहीं होती उनके मुँहसे प्रदेश और प्राय 'परदेश' और 'परार्थना' बनकर ही निकलते हैं।

उर्दू जाननेवाले हिन्दुओंकी संख्या तो बहुत बड़ी है ही, अर फारसी जाननेवालोंकी संख्या पर्याप्त है, परन्तु संस्कृत जानना तो ब दूरकी बात है हिन्दी जाननेवाले मुसलमान भी बहुत कम हैं। इससे ए पट नहीं पाती। इन सब बातोंका परिणाम यह हुआ कि भाषासमस्या राजनीतिक और धार्मिक कारणोंसे और उलझा दिया।

कांग्रेसने इस गॉठको खोलनेके लिए यह उपाय सोचा कि हिन्दी-दोनो पुराने नामोंको हटाकर हिन्दुस्तानी नाम प्रचलित किया जाय। सितम्बर १९३८ को कांग्रेसकी कार्यकारिणी समितिने यह निश्चय किया 'कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कार्यकारिणी समितिका व साधारणतः हिन्दुस्तानीमें हुआ करे। यदि कोई सदस्य हिन्दुस्तानी जानता हो या उसे अध्यक्षकी विशेष अनुमति प्राप्त हो तो वह अंग्रे या किसी प्रादेशिक भाषामें बोल सकता है।' हिन्दुस्तानीकी परिभाषा हुई कि 'यह वह भाषा है जिसे उत्तरभारतमें अधिकतर लोग बोलते और जो नागरी और उर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है।'

थोड़े-से विचारसे ही यह स्पष्ट हो जायगा कि इतनेसे काम नहीं सकता था। किसी भी देशमें गाँव और बाजारकी बोली सभ्य समाज कामोंके लिए पर्याप्त नहीं होती। उत्तरभारतकी साधारण जनता बोलीको चाहे जो नाम दिया जाय परन्तु स्वराजके पहिले भी उस अपर्याप्तता प्रकट थी, अब तो इस कमीके बारेमें कोई सन्देह हो ही सकता। अन्ताराष्ट्रीय व्यवहारके लिए इस बोलीसे शब्द कहीं मिल स

हैं ? वित्तमन्त्री आयव्ययक उपस्थित करते समय कहाँसे शब्द लायेगा ? विज्ञान, विधान, दर्शनके सिद्धान्त कैसे इस बोलीमें व्यक्त किये जायेंगे ? यह स्पष्ट है कि नये शब्दोंकी सृष्टि करनी होगी । यूरोपियन भाषाएँ ग्रीक या लैटिनको आकर मानती हैं, हमको संस्कृत या अरबी-फारसीको आधार बनाना होगा । परन्तु संस्कृतसे काम लेते ही भाषा हिन्दी बन जाती है, अरबी-फारसीसे उर्दूका रूप बन जाता है । वस संघर्षका यही मूल था । नाम कुछ भी हो, नये शब्दोंका उद्गम क्या हो ? सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रोंमें यही संघर्ष चल रहा था । उर्दूके समर्थक अपनी ओरसे कोई बात उठा नहीं रखते थे परन्तु हिन्दीके समर्थकोंके सामने एक बड़ी कठिनाई थी । उनमेंसे बहुतोंका सम्बन्ध कांग्रेससे था । उनको फूँक-फूँककर पॉव रखना पड़ता था । डर यह था कि कोई ऐसी बात न हो जाय जिससे हिन्दू-मुसलिम ऐक्यको विच्छिन्न करनेका आरोप आ जाय ।

हिन्दीके समर्थकोंमें प्रथम स्थान श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनका है, जिनको प्रायः सभी लोग टण्डनजी कहते हैं । उनके चरित्रकी भूरि-भूरि प्रशंसा उनके विरोधियोंको भी करनी पड़ती है । त्याग और तपस्वी जीवनकी वह जीती जागती प्रतिमा हैं । हिन्दीके सतत और दृढ़ समर्थनसे वह लोगोंको सृष्टि भी कर लेते हैं परन्तु उनके सरल-निश्चल स्वभावके आगे विरोधियोंको भी झुकना पड़ता है । आजकल वह बहुत अस्वस्थ हैं । उनके जर्जर शरीरको देखकर इस बातका अनुमान करना भी कठिन है कि किसी समय वह क्रिकेटके बड़े अच्छे खिलाड़ी थे । आज उनके प्रयत्नोंको बहुत-कुछ सफलता मिली है । कुछ दिनोंके बाद लोग भूल जायेंगे कि इस सफलताके लिए कैसा कठिन परिश्रम करना पड़ा था ।

१९३८ के अगस्तमें शिक्षामन्त्रीकी हैसियतसे मैं काशी और प्रयाग गया था । वहाँ नागरीप्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलनने मेरा अभिनन्दन किया । इन सस्थाओंने हिन्दीकी जो सेवा की है वह किसीसे छिपी नहीं है । अभिनन्दनपत्रोंके उत्तरमें मैंने भाषाके प्रश्नपर अपने विचार व्यक्त किये । मेरे भाषणोंके छपते ही एक छोटा-मोटा आन्दोलन खड़ा

हो गया। उर्दू समाचारपत्रोंने आकाश सिरपर उठा लिया। मुझे सम्प्रदायवादीकी उपाधि दी गयी और राष्ट्रीय एकताका विरोधी घोषित किया गया। कुछ मुसलमान सज्जनोंने, जो कांग्रेसके भी सदस्य थे, यह नारा लगाया कि मुझे मन्त्रिपदसे तो हटा देना चाहिये ही, कांग्रेससे भी निकाल देना चाहिये। उस अवसरपर मैंने महात्माजीके प्राइवेट सेक्रेटरी, स्वर्गीय श्री महादेव देसाईको एक पत्र भेजा। उसके उत्तरने यह सिद्ध कर दिया कि मैंने जो कुछ कहा था वह सर्वथा यथार्थ था। पत्र और उत्तर दोनो ही उस समय प्रकाशित हुए थे। बहुत चर्चा था। विषय आज भी रोचक है इसलिए उसका भावार्थ दे देना अनुपयुक्त न होगा। मूल पत्र-व्यवहार अंग्रेजी भाषामे हुआ था।

मेरा पत्र

लखनऊ

५ सितम्बर, १९३८

प्रिय महादेव भाई,

मैं यह पत्र बड़े सकोचसे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि महात्माजीने आजकल मौन धारण कर रक्खा है और उनके सामने कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। फिर भी, मैं जिस विषयपर लिख रहा हूँ उसका विशेष महत्त्व है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसे उनको सुना दे और उनके आदेश मेरे पास भेज दे।

मैं अभी हालमे बनारस गया था। वहाँ काशी नागरीप्रचारिणी सभाने मुझे अभिनन्दनपत्र दिया। मैंने उत्तरमे जो कहा उसकी उर्दू पत्रोंमे कड़ी आलोचना हो रही है। कई पत्र, जो कांग्रेसके कट्टर विरोधी हैं, कांग्रेसके निश्चयोकी दुहाई दे रहे हैं। उनको मेरे शब्दोंमे साम्प्रदायिकताकी गन्ध आती है। मेरे वक्तव्यका साराग इस प्रकार है :

“प्रत्येक भाषाका स्वरूप उसके धातुओपर निर्भर करता है क्योंकि धातु ही भाषाके आधार होते हैं। किसी भाषामे कितने भी विदेशी शब्द क्यों न समाविष्ट हो जायँ, उसके नाम और स्वरूपमे अन्तर नहीं पडता।



गुजराती, बँगला और मराठोमे बहुत-से फारसी शब्द आ गये हैं, अग्रेजीमे ग्रीक और लैटिनके शब्द हैं, ईरानीमे अरबी शब्द हैं। परन्तु इन भाषाओने अपने नाम नहीं बदले हैं। इस दृष्टिसे हमारी भाषाका नाम हिन्दी होना चाहिये, चाहे उसमे कितने भी अरबी-फारसीके शब्द मिल गये हो। पहिले समयमे मुसलमान कवि भी इसे 'हिन्दी जुवान' कहते थे। परन्तु कुछ दिनोंसे यह चलन पड़ गया कि इस भाषाके उस रूपको जिसमे सस्कृतमूलक शब्द अधिक हो हिन्दी और जिसमें अरबी-फारसी-मूलक शब्द अधिक हो, उर्दू कहा जाय। अब हिन्दुस्तानी नामका प्रचार किया जा रहा है। इसमे किसीको आपत्ति न होनी चाहिये। परन्तु भाषाका स्वरूप क्या हो, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। न तो सस्कृत, फारसी या अरबीके शब्दोको हटात् समाविष्ट करना चाहिये, न तो प्रचलित शब्दोको हटात् निकालना चाहिये। अग्रेजीमे समानार्थक ऐसे बहुत-से शब्द हैं जो विभिन्न भाषाओसे लिये गये हैं। हिन्दुस्तानीमे भी ऐसा ही होना चाहिये। इससे भाषाका शब्दभण्डार बढ़ता है और साहित्यको सहायता मिलती है। कठिनाई यह है कि कुछ लोग हिन्दुस्तानीकी आडमे उर्दूका प्रचार करना चाहते हैं। दिल्ली और लखनऊके रेडियो न्टेगन 'गेहूँ'की जगह 'गन्दुम' बोलते हैं और सीधे-सादे 'पच'की जगह 'सालिस'का व्यवहार करते हैं। समालोचना करते समय उर्दू पुस्तकोंको तो हिन्दुस्तानीके नामसे पुकारते हैं परन्तु हिन्दी पुस्तकोको हिन्दी ही कहते हैं। इसका बुरा प्रभाव पडता है। मैंने एक ओर बात कही। अग्रेजेने तो हटान् अपनी भाषा हमारे ऊपर लाद दी परन्तु उत्तरप्रदेशके निवासी दूसरे प्रदेशोंपर अपनी भाषा नहीं लाद सकते। भाषाका स्वरूप निश्चित करते समय हमको यह स्मरण रखना है कि चूँकि वह राष्ट्रभाषा होगी इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और मद्रासके निवासी भी उसका व्यवहार करेंगे। उनकी मुविवाको ध्यानमे रखते हुए हमको पर्याप्त सम्प्राप्ति सस्कृतमूलक शब्द रखने होंगे। वर्तमान समयमें उर्दू और नागरी दोनों लिपियोंमे काम लिया जायगा।'

मेरा विश्वास है कि मैंने ऊपर जो कुछ कहा है वह कांग्रेसके किसी सिद्धान्त या मन्तव्यके विरुद्ध नहीं है और न देगकी साहित्यिक या सांस्कृतिक उन्नतिके लिए हानिकर है। यदि हम अपनी भाषासे संस्कृत, अरबी या फारसीके शब्दोंको निकालने लगेंगे तो परिणाम भयावह होगा। और फिर संस्कृतका इस देगके रहनेवालोंको बहुत बड़ी संख्याके जीवनसे ऐसा गम्भीर सम्बन्ध है कि उसका बहिष्कार करके जो भाषा बनायी जायगी वह सर्वथा कृत्रिम होगी।

यदि आप अवकाश निकालकर महात्माजीसे परामर्श ले सकें और मुझे सूचित कर सकें तो कृतज्ञ हूँगा।

आपका,  
सम्पूर्णानन्द

पुनश्च

मैंने जो राय व्यक्त की है वह मेरी निजी राय एक भारतीय, एक साधारण हिन्दी लेखक और एक कांग्रेसजनकी हैसियतसे है। परन्तु मैं इस समय कांग्रेसी मन्त्रीके पदपर हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरा मत इस पदके दायित्वके प्रतिफल नहीं है परन्तु महात्माजीकी सम्मति मुझे अपनी स्थिति समझनेमें सहायता देगी। यदि मैं देखूँगा कि मेरी यह राय मेरे पदसे असंगत है, तो इस सम्बन्धमें अपने कर्तव्यको निश्चित करनेका प्रयत्न करूँगा।

सम्पूर्णानन्द

स्पष्ट ही इसमें इस बातका संकेत था कि मैं मन्त्रिपदसे त्यागपत्र दे दूँगा। उत्तर स्वयं महात्माजीने भेजा।

सेगॉव, वर्धा

८-९-३८

भाई सम्पूर्णानन्द,

तुमने जो लिखा है मैं उससे सहमत हूँ। कांग्रेसने भाषाका नामकरण-मात्र किया है, उसने और कोई बन्धन नहीं लगाया है। जो लोग सच्चे हैं

वह हिन्दू-मुसलिम आधारपर किसी शब्दका वहिकार नहीं करेगे। हम दूसरोके बारेमें क्या कहे ? आजकल यह फैशन हो गया है कि कांग्रेस या कांग्रेसजन जो कुछ कहे उसका विरोध किया जाय। तुम केवल मेरी राय चाहते हो या कुछ और, क्योंकि मैं इस सम्बन्धमे काफी लिख और बोल चुका हूँ।

तुम्हारा

(ह०) एम० के० गान्धी

इस पत्रोत्तरके प्रकाशनने उस समयके लिए तो तूफानको शान्त कर दिया।

मेरी सम्मति अब भी वही है। मैं उर्दूको पृथक् भाषा नहीं मानता। मेरी रायमें अवधी, मैथिली और ब्रजभाषाके समान वह भी हिन्दीकी एक शैली है। वह राष्ट्रभाषा बनाने योग्य नहीं है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं उसका शत्रु हूँ। हमारे देशके कई ख्यातनामा साहित्यकारोंने इसको अपनाया था। आज भी इसके लिए साहित्यमे स्थान है। ब्रजभाषा अनेक महाकवियोका माध्यम रही है। यदि मैं कहता हूँ कि उसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे उससे प्रेम नहीं है। जीवित भाषाके स्वस्थ कलेवरमे अनेक मार्गोंसे शब्द आते रहते हैं। हमने अंग्रेजीसे बहुत-से शब्द लिये हैं, पुर्तगाली-तकके शब्द हमारे यहाँ हैं। अरबी-फारसीका तो कहना ही क्या है ? कुछ विदेशी शब्द तो अपनी किसी शक्तिविशेषके बलपर देशी शब्दोंको दबा लेते हैं। आज साहित्यके क्षेत्रको छोड़कर सर्वत्र अरबीके 'बदल'से निकला 'बदलना' बोला जाता है, 'परिवर्तन' नहीं। 'वयस' उठ गया, उसकी जगह 'उम्र'ने ले ली है। अब, किसीको 'प्रतिव्याय' नहीं होता, 'जुकाम' ही होता है। 'अधिकार'का क्षेत्र सीमित हो गया, 'हक' घर-घर फैल गया। अब यह शब्द हमारे हैं, इनको निकालनेकी बात सोचना मूर्खता है। इसके साथ ही संस्कृत, अरबी या फारसीके शब्दोंको निःप्रयोजन ठूसना भी वैसी ही मूर्खता है। परन्तु शासन, साहित्य, दर्शन, विधान और

विज्ञानके क्षेत्रोंमें यह बात नहीं चल सकती। वहाँ केवल प्रचलित शब्दोंसे काम नहीं लिया जा सकता। इतना ध्यान रखना होगा कि हिन्दीमें जो भी शब्द लिया जाय उसे हिन्दीके व्याकरणका अनुसरण करना होगा।

कभी-कभी यह शिकायत सुननेमें आती है कि कुछ लेखकोंकी हिन्दी बहुत क्लिष्ट होती है। मेरी स्वयं गणना ऐसे लेखकोंमें है। मैं मानता हूँ कि जहाँ साधारण बोलीसे काम चल जाय वहाँ क्लिष्ट भाषा लिखना भूषण नहीं दूषण है। कृत्रिम भाषाका प्रयोग करके लेखक अपनेको उन लोगोंसे दूर कर लेता है जिनके पास उसकी रचना पहुँचनी चाहिये। इसी दोषके कारण उर्दू काव्य लोकप्रिय न बन सका। परन्तु कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कठिन भाषा—ऐसी भाषा जिसको सब लोग नहीं समझ पाने—व्यवहारमें लानी ही पड़ती है। मैं प्रस्तुत पुस्तकमें जैसी भाषासे काम ले रहा हूँ वह 'चिद्विलास'की भाषासे बहुत भिन्न है। जो भाषा विश्वविद्यालयोंमें शिक्षाका माध्यम होगी उसकी सजा बाजारकी बोलीसे पृथक् होनी ही पड़ेगी। हाँ, यह स्वाभाविक है कि नये शब्द अपरिचित होनेके कारण कानमें खटकेंगे, दुरूह प्रतीत होंगे। इसका कोई उपाय नहीं है। निरन्तर व्यवहार ही उनको परिचित और सुबोध बना सकता है।

कभी-कभी हमारे गण्यमान्य नेता हिन्दीके सम्बन्धमें ऐसी राय दे देते हैं जिसको सुनकर कष्ट होता है। वह हिन्दी नहीं जानते और न हिन्दी वाङ्मयकी प्रगतिकी जानकारी रखते हैं, परन्तु उनकी बातोंका जनतापर प्रभाव पड़ता है। हम अहिन्दी-भाषियोंपर बलात् हिन्दी नहीं थोप सकते परन्तु हिन्दीका प्रचार तो करना ही होगा। इन दिनों हिन्दीकी जो चतुर्दिक् प्रगति हुई है उसे देखकर चिन्तको प्रसन्नता होती है। इस प्रगतिके मार्गमें कई बाधाएँ हैं। बहुत बड़ी बाधा उन लोगोंकी उदासीनता और मूक विरोध है जो विश्वविद्यालयोंमें पढ़ाते हैं। उन्होंने स्वयं अंग्रेजीमें शिक्षा पायी है। उसी माध्यमसे पढ़ानेमें उनको सुविधा होती है। हम उनकी कठिनाईको समझते हैं परन्तु एक दिन साहस करके यह काम

करना ही होगा। टालनेसे कबतक काम चलेगा ? विश्वविद्यालयोंमें पढ़ाई अंग्रेजीमें होती है इसलिए उच्च कोटिकी हिन्दी पुस्तकोंकी माँग और खपत नहीं है। प्रकाशक उनमें अपना रुपया फँसाना नहीं चाहते। उबर यह शिकायत की जाती है कि हिन्दीमें अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, पढ़ाई कैसे हो। इस कुचक्रको तोड़ना ही होगा।

हिन्दीके मार्गमें कैसी-कैसी बाधाएँ पड़ती हैं उनका अनुमान भी माधारण लोगोंको नहीं होता। स्कूलोंकी पाठ्यपुस्तकोंके सम्बन्धमें भौति-भौतिकी आपत्तियाँ उठायी जाती हैं। यह कहा जाता है कि इनके द्वारा हिन्दू धर्मका प्रचार किया जाता है। उत्तरप्रदेश विधान परिषद्के एक मुसलमान सदस्यने अपने एक भाषणमें कहा था कि यदि यही क्रम रहा तो एक-दो पुस्तकें हम सब हिन्दू हो जायेंगे ! आजमें कुछ साल पहिलेकी बात है, मैं शिक्षामन्त्री था। एक सज्जनने प्रधान मंत्री और केन्द्रीय शिक्षामन्त्री, मौलाना अबुल कलाम आजादने यह शिकायत की कि उत्तरप्रदेशमें जो हिन्दी पाठ्यपुस्तकें हैं वट साम्प्रदायिकतामें भरी हैं। इनके दो-तीन उदाहरण दिये गये। एक तो यह कि वर्तमान नेताओंमें तिलक, गान्धी, जवाहरलालके नामोंका चर्चा है परन्तु केवल एक मुसलिम नेता, मौलाना आजादका

हाथी । मैंने पूछा कि गणेशजीको हाथी जैसा सूँड तो होता है, हाथी जैसे पाँव कबसे हुए ओर यह पिंजड़ेमें चिड़ियाके रूपमें कौन-से हिन्दू देव-देवी हैं ? गणेशजीकी मूर्ति आदरके साथ पूजी जाती है या बच्चे उनको हाथमें लटकवाये फिरते हैं ? मुझे आजतक इन प्रश्नोंके उत्तर न मिले, हाँ उन शिकायतोंका फिर चर्चा नहीं हुआ । जिन सज्जनने शिकायत की थी उनका नाम भी पीछेसे ज्ञात हो गया । वह एक उर्दू प्रेमी प्रतिष्ठित हिन्दू विद्वान् हैं ।

हिन्दी वाङ्मयका एक अंग है जिसकी अवस्था किसी भी दृष्टिसे सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती । हिन्दी समाचारपत्रोंको एक दिन अंग्रेजी पत्रोंकी जगह लेनी है पर अभी वह इस ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं । अंग्रेजी पत्रोंकी वरावरी करना तो दूर रहा, हिन्दी पत्र प्रायः प्रादेशिक भाषाओंसे भी पीछे हैं । पाठ्यवस्तु जगत्में वैविध्य नहीं होता, हास्यमें फूहड़पन, कभी-कभी अश्लीलता होती है, व्यक्तिगत आरोपकी वदुलता रहती है । हिन्दी-भाषियोंकी संख्या इतनी बड़ी है परन्तु हिन्दी पत्रोंकी ग्राहकसंख्या नगण्य है । इसलिए पत्रोंके लिए उन्नति करना कठिन हो जाता है । इस ओर ध्यान देना परम आवश्यक है । सम्पादक, पत्रकार, प्रकाशक, सभीको यत्नशील होना होगा और हिन्दी-भाषी प्रदेशोंकी सरकारोंको भी सक्रिय सहयोग प्रदान करना होगा । इसके साथ ही जनताकी जागरूकता अपेक्षित है । जितने और जैसे ग्राहक होंगे उतना और वैसा माल तैयार होगा । हिन्दीके सिरसे वाङ्मयके इस अंगकी आपेक्षिक हीनताका कलक मिटाना बहुत आवश्यक है । ● ● ●

१९३६ चुनावका साल था। इसीकी धूम थी, क्योंकि यह निश्चित था कि जिस पार्टीका बहुमत होगा वही शासन करेगी। यो तो मैदानमें चार दल थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और जमींदार, परन्तु इनमें महासभा सबसे दुर्बल था। दो-दो आन्दोलनोंके बाद कांग्रेस चुनावक्षेत्रमें उतर रही थी। लोगोंको उससे बड़ी आशाएँ थीं और सरकार तथा उसके समर्थकोंको उसी मात्रामें आशका थी। उनको डर था कि यदि कहीं कांग्रेसने पद ग्रहण करने का निश्चय किया तो न जाने क्या उलट-फेर हो जायगा। इसलिए कांग्रेसी उम्मीदवारोंका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हर प्रकारसे विरोध किया जा रहा था। यद्यपि कांग्रेसमें भी मुसलमान थे परन्तु मुसलिम लीगका दावा था कि वह सामान्यतः सभी मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करती है। इस चुनावमें लीग और कांग्रेसका एक प्रकारका अलिखित समझौता था। एक-दूसरेके उम्मीदवारोंका विरोध करनेके बदले समर्थन किया जा रहा था। इससे दोनोंको बल मिला।

उत्तरप्रदेशके जमींदारोंकी विचित्र कथा थी। जमींदार-तालुकेदार सरकारके लाडले थे। कुसमयमें उसके आड़े आते थे। उनका काम यह था कि किसानोंको दबाकर रक्खें ताकि वह कांग्रेस या किसी अन्य क्रान्तिकारी सस्थाकी बातोंमें आकर सरकारके विरुद्ध सिर न उठाये। उन बेचारेके साथ जो अनाचार होता था उसका बाहरवाले अनुमान भी नहीं कर सकते थे। कागजपर लगान कुछ लिखी होती थी, लिया कुछ और जाता था। कोई बड़भागी ही रसीद पाता था, एक-एक रकम

कई-कई बार वसूल की जाती थी। मनचले जमींदार मनमाना कर वसूल करते थे। यदि नयी मोटर मोल ली गयी तो 'मोटरावन'के नामसे उसका मूल्य किसानोसे उगाहा जाता था। घरमे बच्चा हो तो 'पेटपिरावन' देना पडता था। घटो एक पैरसे खडा रहना पडता, मुर्गा बनाकर बैठाया जाता, वात-वातमे लात-जूतेका प्रहार होता। सरकारको यह सब विदित था, पर जमींदारोसे काम लेना था। इन वातोकी ओरसे आँख बन्द कर ली जाती थी। जमींदार जानते थे प्रजा उनसे अप्रसन्न है, परन्तु डडेके बलपर वोट लेना चाहते थे। वह जानते थे कि सरकारी अफसरोंका वरद हाथ उनके सिरपर है, उनका कोई कुछ विगाड़ नहीं सकता। जमींदार पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं था, हो भी नहीं सकता था—स्थिर स्वार्थोंकी रक्षाके लिए कृतप्रतिज्ञ कुछ लोगोका गुटमात्र था।

कांग्रेसकी गहिरी विजय हुई। वोट देते समय तो कोई सिरपर डडा लेकर नहीं खडा रहता। जमींदारोकी उत्पीडित प्रजाने अपने अधिकारका सदुपयोग किया। जमींदार पार्टी बुरी तरह हारी। अब प्रश्न यह उठा कि कांग्रेस पद ग्रहण करे या न करे। अन्तिम निश्चय पद ग्रहण करनेके पक्षमे हुआ। यह स्मरण रहे कि गवर्नमेण्ट ऑव इण्डिया ऐक्ट (१९३५) का केवल वही भाग कार्यान्वित हुआ था जिसका सम्बन्ध प्रादेशिक शासनसे था। फलतः, प्रदेशोमे तो लोकसम्मत सरकारें बन गयीं परन्तु केन्द्रीय शासन ज्योंका त्यो था। इसमे एक दिक्कत थी। केन्द्रमें राष्ट्रीय सरकार न होनेसे प्रादेशिक सरकारें पूरे बलके साथ काम नहीं कर सकतीं। मुसलिम लीगको यह आशा थी कि चुनावके समय जिस समझौतेसे काम हुआ था उसको ध्यानमे रखकर सरकारमें लीगका भी भाग होगा, अर्थात् मन्त्रिमण्डलमे लीगके भी कुछ मन्त्री होंगे। कांग्रेस इससे सहमत नहीं थी। इससे लीग रुष्ट हो गयी। उसका कहना था कि कांग्रेसने हमारे साथ विश्वासघात किया। आपसकी यह खाई गहिरी होती ही गयी। पाकिस्तान बननेके कारणोंमें इसका भी बडा स्थान था। उत्तरप्रदेशमे लीगके प्रमुख नेता चौधरी खलीकुजमॉं थे। वह आजकल पाकिस्तानमे रहते हैं।



कांग्रेसने जुलाई १९३७ में शासन सँभाला। इसके पहिले तीन महीनेतक गवर्नरके नामांकित मंत्री काम कर रहे थे। इतना वह भी जानते थे कि हमको दो-तीन महीनेमें हट जाना है, किसी-न-किसी प्रकार समय काटना था। वस्तुतः शासन विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षोंके हाथमें था। कामचलाऊ आयव्ययक (बजट)को पारित करनेके सिवाय इसने शायद ही कोई दूसरा काम किया होगा। कांग्रेसमें पदग्रहण करनेके निश्चयके होते ही इन मन्त्रियोंने त्यागपत्र दे दिया। इनके जानेपर किसीने दो वूँद आँसू नहीं बहाये। सभी चाहते थे कि कांग्रेसी शासनका प्रयोग शीघ्रसे शीघ्र आरम्भ हो। सभीको इसके लिए उत्सुकता थी।

हमारी व्यवस्थापिकाके दो सदन थे : विधानसभा और विधान-परिषद्। सभाके अध्यक्ष टण्डनजी चुने गये और परिषद्के डॉ० सीताराम। डॉक्टर साहब लिवरल दलके प्रतिष्ठित और विद्वान् सदस्य थे। टण्डनजीने विधानसभाका अध्यक्षपद ग्रहण करके वस्तुतः उसके गौरवको बढ़ाया। विपक्षी दलोंको भी उनकी निष्पक्षतापर पूर्ण विश्वास था और सभी उनका आदर करते थे। उन्होंने आरम्भमें ही एक ऐसा काम किया जिससे सभाके कामका रूप ही बदल गया। भाषणोंके सम्बन्धमें जो नियम था उसका साधारणतः यही अर्थ लगाया जाता था कि भाषण अंग्रेजीमें होने चाहिये परन्तु यदि कोई सदस्य अंग्रेजीमें न बोल सकता हो तो वह अव्यक्षकी अनुमतिसे हिन्दीमें बोल सकता है। टण्डनजीने इसके ठीक विपरीत व्याख्या की। उनके अनुसार भाषण हिन्दीमें ही होने चाहिये परन्तु जो हिन्दीमें बोलनेमें असमर्थ हो वह अंग्रेजीमें बोल सकता है। बरसोकी पद्धति बदल गयी और बातकी बातमें हिन्दी विधानसभाकी भाषा बन गयी। सविधानके अनुसार कानूनके द्वारा राजभाषा बननेकी प्रतिष्ठा उसको पीछे प्रात हुई।

मन्त्रिमण्डलके छ सदस्य थे। इनमें दो, श्री रफी अहमद किदवाई और हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, तो मुसलमान थे शेष चार, पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त, डॉ० कैलासनाथ काटजू, पण्डित प्यारेलाल शर्मा

और श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, हिन्दू थे। चारों ब्राह्मण थे। इस बात-की काफी आलोचना हुई। लोग इसे ब्राह्मण मन्त्रिमण्डल कहते थे। किसीका ब्राह्मणोंके साथ पक्षपात करनेका विचार नहीं था, कुछ ऐसा हो ही गया कि चार ब्राह्मण मन्त्री हो गये।

मैं चुनावमे बनारस शहरसे खड़ा हुआ था और जीत भी गया। मेरे विरुद्ध एक सज्जन हिन्दू महासभाकी ओरसे खड़े हुए थे। तमाशेकी बात यह है कि पण्डित मदनमोहन मालवीयकी मेरे ऊपर कृपा रहा करती थी, भारतीय संस्कृतिके लिए मेरे मनमे जो आदर है उससे वह प्रभावित थे, फिर भी उन्होंने मेरा विरोध करना उचित समझा। चुनावके कुछ ही दिन बाद मैं कमल रोगसे पीड़ित हुआ। डॉक्टरी पद्धतिसे लाभ न हुआ। अन्तमे काशीकी विभूति वैद्यशिरोमणि पण्डित सत्यनारायणजीकी चिकित्सासे रोगसे मुक्ति हुई। इन्ही दिनों मुझे महात्माजीका एक पत्र मिला। उसका आशय यह था :

‘इसका क्या करण है कि तुम समाजवादी लोगोंका स्वास्थ्य इतना खराब रहता है ? नरेन्द्रदेव दमेके पुराने रोगी हैं, मेहर अलीको हृद्रोग है, जयप्रकाश भी बीमार हैं और तुमने भी चारपाई पकड़ ली, यद्यपि तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे अच्छा प्रतीत होता था। यह स्पष्ट है कि तुम लोग अपनी फिर आप नहीं कर सकते। वर्धा आकर मेरे साथ ठहरो। मैं वादा करता हूँ कि पूर्ण नीरोग करके लौटा दूँगा।’

पत्रकी भाषा हास्यकी है, समाजवादियोंकी, विशेषकर मेरी, मीठी चुटकी ली गयी है परन्तु इसके पीछे वह सहानुभूति और स्नेह है जो हममेंसे कुछको उनसे बराबर मिलता रहा। यह हमारा परम सौभाग्य था। भले ही हमारा कुछ बातोंमे उनसे गहिरा मतभेद रहा हो परन्तु इस स्नेहके आगे सिर झुकता ही था। उनके व्यक्तित्वके आकर्षणने हमको उनके चरणोंका दास बना रखा था।

किसानोंको कांग्रेसपर बड़ी आस्था थी। उनको विश्वास था कि कांग्रेसके हाथमे अधिकार आनेपर उनका कल्याण होगा। इसी भरोसेपर

जमीदारोंके क्रोध और धमकियोंकी परवाह न करके उन्होंने कांग्रेसजनको बोट दिया था। इसलिए स्वभावतः मन्निमण्डलका ध्यान उनकी दशा सुधारनेकी ओर गया। अभी जमींदारी उन्मूलनकी बात तो नहीं सोची गयी परन्तु विधायिकाके समक्ष ऐसा कानून उपस्थित किया गया जिसने जमींदारोंकी शक्तिको बहुत-कुछ कम किया। अब बात-बातमें वेदखल करना उनके हाथसे निकल गया और भाँति-भाँतिके कर लेना भी बन्द हो गया। अब वह किसानोंको न तो पदे-पदे अपमानित कर सकते थे न मारपीट कर सकते थे। जमादार सदस्योंने बहुत अडचने डाली, काफी देर लगायी परन्तु आखिर बहुमत तो कांग्रेसका था ही, कानून पारित हो गया।

हम कांग्रेसजनमें आरम्भसे ही एक दोष रहा है। हम एक-दूसरेकी निन्दा करने और पाँव पकडकर पीछे खींचनेमें सकोच नहीं करते। किसीका ऊपर उठाना कठिन होता है, नीचे गिराना सुकर है। सम्भवतः यह हमारे राष्ट्रीय चरित्रकी त्रुटि है। मन्निमण्डल बननेके लगभग छ महीने बाद हरदुआगजमें प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। पण्डित जवाहरलाल नेहरूने उस अवसरपर मन्निमण्डलकी तीव्र आलोचना की। उनके कथनके अनुसार मन्नी लोग आरामको जिन्दगी बिता रहे थे और जनतासे अपनेको पुजवा रहे थे। इस भाषणका खूब प्रचार हुआ और कांग्रेसके विरोधियोंने इसकी खूब प्रशंसा की। मुझे यह भाषण बहुत अनुचित प्रतीत हुआ। पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त भी बहुत दुखी हुए। जिस निष्ठासे वह और उनके साथी काम कर रहे थे उसका अच्छा पुरस्कार मिला। मैंने अपने कानों लोगोंको यह कहते सुना था कि पन्तजी बहुत मोटे हो गये हैं। जवाहरलालजीने खूब डाँटा। कुछ पत्रोंमें भी ऐसी ही बातें छपीं।

इसके कुछ ही दिन बाद पण्डित प्यारेलाल शर्माने इस्तीफा दे दिया। उनके उत्तराधिकारीके सम्वन्धमें अटकलवाजी होने लगी। ऐसी बातोंमें देर नहीं लगनी चाहिये परन्तु पन्तजी जल्दी निश्चय न कर सके, बहुत दिनों-तक वहस छिटी रही। जिन लोगोंके नामका चर्चा था उनमें मैं भी था।

यह सोचकर हँसी आती है कि कुछ लोग पन्तजीके पास यह कहनेके लिए गये कि आप सम्पूर्णानन्दको न लीजिये । यह समाजवादी है, गान्धीजीकी शिक्षा-नीतिका समर्थन न करेंगे । सबके नाम तो याद नहीं है परन्तु इन मित्रोंमें श्रीमती प्रकाशवती सूद और स्व० श्री मजर अली सोख्ता तो जरूर थे । काफी छीछालेदर हो चुकनेके बाद पन्तजीने अपनी राय स्थिर की । २ मार्च १९३८ को मैं शिक्षामन्त्रीके रूपमें मन्त्रिमण्डलमें प्रविष्ट हुआ ।

कांग्रेसने अट्टाइस महीनेतक शासन किया । इस कालका बहुत अच्छा वर्णन श्री गोपीनाथ श्रीवास्तवने अपनी पुस्तक 'व्हेन कांग्रेस रूल्ड'में दिया है । श्री श्रीवास्तव अच्छे पत्रकार और कार्यकर्ता थे । जेलोंके सुधारकी ओर सबसे पहिले उनका ही ध्यान गया । उनकी असामयिक मृत्युसे प्रदेशके जनजीवनकी क्षति हुई । सार्वजनिक जीवनके सभी क्षेत्रोंपर यथाशक्य दृष्टि डाली गयी । साधन कम थे, उन दिनों प्रदेशकी राजस्व आय तेरह करोडमात्र थी परन्तु रुपयेकी क्रयशक्ति अधिक थी । इसलिए उस तेरह करोडसे बहुत काम लिया जा सका । शिक्षा, स्वास्थ्य, हरिजनकल्याण, सिंचाई—सभी राष्ट्रनिर्माणक विभागोंपर ध्यान दिया गया । उस समयतक श्रमिकोंकी समस्याकी ओर ध्यान नहीं गया था । इसके लिए पृथक् विभाग खोला गया ।

मन्दिरोंके कुप्रवन्धकी शिकायत प्रायः सर्वत्र सुनी जाती है । उनकी आयसे सार्वजनिक हितके कामोंका सञ्चालन तो दूर रहा, न तो यात्रियोंकी सुख-सुविधाका कोई प्रवन्ध होता है, न शास्त्रीय विधिसे ठीक-ठीक पूजा ही होती है । षण्डे-पुजारियोंका जेव गरम होता है । उत्तरप्रदेशमें सबसे अधिक तीर्थस्थान हैं, अतः इस विषयकी ओर सबसे पहिले यहाँ ध्यान जाना चाहिये था, पर अनेक कारणोंसे ऐसा न हो सका । बदरीनाथ मन्दिरकी सबसे अधिक शिकायत थी । शहरोसे सैकड़ों मील दूर पडता था, सड़के भी नहीं थी, पगडंडियोंका सहारा था । चीजें बहुत महंगी मिलती थी, हैजे जैसे रोगोंका डर होता था, न तो गौचालय न

अस्पताल, न स्वच्छ जलका प्रबन्ध । सरकार थोडा-बहुत करती थी पर बहुत अपर्याप्त । मन्दिरमें बहुत रुपया आता था, पर क्या होता था इसका कोई देखनेवाला नहीं था । मन्दिरके सर्वोच्च अधिकारीको गवल कहते हैं । श्री शंकराचार्यके समयमें ही ऐसी परम्परा चल पड़ी है कि रावल केरलके नामवृद्धि ब्राह्मण होते हैं । वहाँसे चुनकर आते हैं । न कोई उनके चरित्रकी देख-रेख कर सकता था, न मन्दिरके प्रबन्धमें कोई हस्तक्षेप कर सकता था । एक और अटचन थी । मन्दिर था तो उत्तरप्रदेशके गढ़वाल जिलेमें, परन्तु उसके प्रबन्धमें महाराजा टिहरीका भी हाथ था । इसलिए उत्तरप्रदेशकी सरकार दृच्छा रहनेपर भी कुछ कर नहीं सकी थी । धार्मिक सस्याओंका विभाग मेरे पास था । मैंने बदरीनाथ मन्दिरके प्रश्नको उठाया और विधायिकामें इस सम्बन्धका विधान पेश किया । उसके पारित हो जानेपर मन्दिरका प्रबन्ध एक कमेटीके सुपुर्द हो गया और रावलको वेतन मिलने लगा । कुछ सालोंके बाद श्री केदारनाथ मन्दिर भी इस कमेटीके अधीन ला दिया गया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अब बहुत सुधार हो गया है और यात्रियोंकी सुख-सुविधाकी ओर काफी ध्यान दिया जाने लगा है ।

शासनके सभी कामोंका विस्तृत वर्णन करना इस जगह अनावश्यक है । दो-तीन बातोंका ही जिक्र करूँगा । महात्माजीने प्राथमिक शिक्षाकी उस नयी प्रणालीको अपना आजीर्वाट दिया था जिसे बुनियादी तालीम कहते हैं । डॉ० जाकिर हुसैन और श्री आर्यनायकम्की रिपोर्टमें इस पद्धतिकी रूप-रेखा दी हुई थी । इस रिपोर्टको वर्धा रिपोर्ट भी कहते हैं । मैंने मन्त्रपद ग्रहण करनेके बाद ही आचार्य नरेन्द्रदेवकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की । उसके सदस्योंमें डॉ० जाकिर हुसैन भी थे । उस कमेटीने बुनियादी तालीमके मूल सिद्धान्तोंको तो स्वीकार कर लिया, परन्तु वर्धा-सम्मत पद्धतिसे दो-तीन बातोंमें भिन्न सत्सुति दी :

(१) वर्धा कमेटीमें इतिहासको बहुत कम जगह दी गयी थी । नरेन्द्रदेव कमेटीने उसकी पढाईकी उचित व्यवस्था की ।

(२) चित्रकारीका समावेश किया ।

(३) वर्धा कमेटीने कहा था कि शिक्षाका कुछ व्यय बच्चोकी वनायी हुई चीजोकी विक्रीसे निकलना चाहिये । इसको उत्तरप्रदेशमें बिल्कुल अस्वीकार कर दिया गया । हम ऐसा मानते है कि बच्चोकी शिक्षाका पूरा भार समाजको वहन करना चाहिये ।

बुनियादी शिक्षाकी उपयोगिताके सम्बन्धमें शिक्षा-विशेषज्ञोमे मतभेद है परन्तु यह तो निश्चित ही है कि यदि इमे सफल बनाना हो तो बहुत ऊँचे प्रशिक्षणके बाद ही अध्यापक इस कामको ले सकता है । ऐसे ऊँचे प्रशिक्षणके लिए बहुत समय चाहिये । मैं चाहता था कि जल्दीसे जल्दी इसका प्रदेशमें विस्तार हो जाय । कुछ और प्रदेशोंने इसका प्रयोग दो-चार जगहोमे ही किया । मेरा यह खयाल था कि हमारा शासन स्थायी तो होगा नहीं, फिर हमको हटना होगा । यदि दो-चार जगह प्रयोगात्मक ढंगसे काम होगा तो अग्रेज सरकार खतम कर देगी परन्तु सारे प्रदेशमे उलट-फेर करना कठिन होगा । मेरा अनुमान ठीक ही निकला । कांग्रेस सरकारके हटनेपर भी शिक्षाका यह क्रम जारी रहा । शिक्षाविभागने इसको अपना लिया । इसीलिए मैंने इसे व्यापक बनानेका यत्न किया, यद्यपि इतने थोड़े समयमे अध्यापकोंको पूर्ण प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं था ।

९ अगस्त १९३९ को सवेरे १० बजे इलाहाबादमे मुख्य मन्त्री पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्तकी अध्यक्षतामें एक उत्सव मनाया गया और उसी दिन प्रदेशमें १३०० प्रारम्भिक स्कूल नये ढांगके स्कूलोंमे परिवर्तित हो गये । महात्माजीने कृपा करके अपना आशीर्वाद भेजा था । यह क्रम आगे भी जारी रहा । इस सम्बन्धमे हमको जिला बोर्डोंसे बड़ी सहायता मिली । सबसे अधिक श्रेय स्व० डॉ० इवादुरहमान खॉको है, जिनको मैंने विशेष रूपसे इस कामके लिए नियुक्त किया था ।

इस सम्बन्धकी एक रोचक कहानी याद आती है । मन्त्रिमण्डलके इस्तीफेके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटीकी एक बैठक प्रयागमें हुई । वहीं

हमारा प्रशिक्षण विद्यालय था। महात्माजी तथा कमेटीके कुछ सदस्य उसको देखने गये। मैं भी साथमें था। महात्माजी बहुत प्रसन्न हुए। श्री राजगोपालाचारी भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने डॉ० खॉसे पूछा कि आप थोड़े दिनोंके लिए मद्रास आकर बुनियादी तालीमके विषयमें हमारी सहायता न कर देंगे? उन्होंने उत्तर दिया कि यदि वावूजी आज्ञा देंगे तो निश्चय हाजिर हूँगा। फिर राजाजीने मुझसे अनुरोध किया कि मैं खॉ साहबको जानेकी अनुमति दे दूँ। मैंने भी कहा कि मैं बड़ी प्रसन्नतसे ऐसा कर दूँगा। अपने उत्साहमें राजाजी भूल गये कि वह और मैं दोनो इस्तीफा दे चुके थे : न वह डॉ० खॉको बुला सकते थे, न मैं भेज सकता था। परन्तु इस बातकी याद दिलाकर उनको दुखी करना होता, इसलिए डॉ० खॉ और मैं दोनो चुप रहे।

एक और कहानी याद आती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डके कुछ स्कूलोंमें लड़के लकड़ीकी बन्दूकोको लेकर कवायद करते थे। सरकारने इस चीजको इतना भयानक समझा कि बन्द कर दिया। शिक्षामन्त्री बननेपर मैंने इस आज्ञाको रद्द कर दिया। फिर वैसी शिक्षा होने लगी। हमारे इस्तीफेके बाद हमारी आज्ञा रद्द हो गयी और लकड़ीकी बन्दूकें हटा दी गयी। १९४७ में फिर अधिकारारूढ होनेपर हमने उस शिक्षाकी अनुमति दी।

उस जमानेमें कई कमेटियों बैठायी गयी थी जिनकी रिपोर्टें मन्त्रिमण्डलके इस्तीफेके बाद तैयार हुईं। एक विश्वविद्यालयके सुधारके सम्बन्धमें थी। उसका अध्यक्ष मैं था। दूसरी कमेटीके अध्यक्ष लेफ्टिनेण्ट सुल्तान आलम खॉ थे। उसके सुपुर्द शारीरिक शिक्षाका विषय था। शारीरिक शिक्षा कमेटीकी सस्तुतियोंपर आशिक काम हुआ क्योंकि गवर्नरने उसमें रस लिया, ग्रेप ज्योकी ल्यो पडी रही। एक बार मुझसे डॉक्टर पन्नालालसे भेंट हुई जो शिक्षाके सम्बन्धमें गवर्नरके सलाहकार थे। मैंने पूछा कि क्या आपने सब रिपोर्टोंको कूड़ाखानेमें डाल दिया? उन्होंने उत्तर दिया 'जी नहीं, मैंने उनको वर्षोंमें सुरक्षित करके रख दिया है।'

द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया । काँग्रेसका यह मत था कि भारत स्वतन्त्र होकर ही युद्धमे सम्मिलित हो सकता है, ब्रिटेनका दास बनकर नहीं । ब्रिटिश सरकार स्वतन्त्रता देनेको तैयार नहीं थी, ऐसी दशा मे काँग्रेसके सामने असहयोगके सिवाय कोई दूसरा सम्मानपूर्ण मार्ग नहीं था । इस दिशामे पहिला कदम यह उठाया गया कि ४ नवम्बर १९३९ को काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलने त्यागपत्र दे दिया ।





काग्रसने जो नीति अपनायी उसका सारे राष्ट्रने स्वागत किया । काग्रस मन्त्रिमण्डलेने जो काम किया था उसको लोगोने देखा था । उससे जनता सन्तुष्ट थी । उसको आजा वँध गयी थी कि काग्रस सरकारों-के हाथो देशका कल्याण होगा । उनके हट जानेका दुःख था । परन्तु यह भी स्पष्ट था कि जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी उसमे कोई दूसरा उपाय नहीं था । प्रथम महायुद्ध और उसके उत्तरकालकी वाते भूली नहीं थी । भारतकी राय जाने बिना यह दूसरा युद्ध भी छेड़ा गया था और जब ब्रिटेनकी इच्छा होगी बन्द किया जायगा । दिखलानेको समय-समयपर कमेटियो और कमीशनोमें भारतीय सदस्य भी रख दिये जायँगे और सन्धिवातामे भी दो-एक भारतीय सम्मिलित कर लिये जायँगे । पर यह सब दिखावामात्र होगा । देश अब ऐसे धोखेमे पडनेवाला नहीं था । युद्ध चलता रहे, भारतीय सिपाही केवल रुपयेके लोभसे लडते और कटते रहे, रण और सन्धिकी नीतिपर भारतका कोई अधिकार न हो और फिर भी भारतीय मन्त्री शासन चलाते रहे और ब्रिटिश सरकारका बोझ हलका करने रहे, यह सर्वथा अमान्य था । राष्ट्रीय सम्मानका यही तकाजा था कि मन्त्रिगण त्यागपत्र देकर पृथक् हो जायँ ।

मेने अभी लिखा है कि देशने काग्रस नीतिका स्वागत किया पर इसमे एक अपवाद भी था । मुसलिम लीगने काग्रस सरकारके हटनेपर बहुत प्रसन्नता प्रकट की और बडे धूम-धामसे यौमे नजात (मुक्तिदिवस) मनाया । चिरगाँ (दीपावली) किया गया, सभाएँ हुई । इस करतूतसे

न तो लीगकी प्रतिष्ठा बढ़ी न राजनीतिक समझदारीके लिए उसका सम्मान बढ़ा । बहुत-से मुसलमानोंने भी इस मूर्खताकी निन्दा की । अंग्रेज सरकारने इस कारगुजारीके लिए लीगको साधुवाद तो कहा पर कोई पुरस्कार न दिया । वह जानती थी कि लीगकी सहायता शासन चलानेमे उसकी उपयोगी मदद नहीं कर सकती थी । विदेशोंमे भी लोगोंको यह बात लज्जाजनक लगी कि कोई भारतीय दल भारतीयोंकी अपेक्षा विदेशियोंका शासन पसन्द करे । कांग्रेसजन भले ही बुरे रहे हो पर थे तो भारतीय । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कांग्रेसी मन्त्रियोंमे मुसलमान भी थे ।

यह काल मेरे लिए घरेलू चिन्ताओंके कारण बहुत बुरा बीता । १९३९ के अक्टूबरमे मेरे सबसे छोटे लडकेकी मृत्यु हुई और इसके लगभग १५ दिन बाद यक्ष्मामे मेरी पत्नीका स्वर्गवास हुआ । अगले वारह महीनोंमे मेरे एक और लडके और मेरी पुत्री मीनाक्षीकी इहलीला समाप्त हुई । मीनाक्षीकी रोगशय्याके पास बैठकर मैंने अपनी पुस्तक 'व्यक्ति और राज'को समाप्त किया । इसी साल मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए ।

हमने त्यागपत्र तो दे दिये थे पर यह पर्याप्त नहीं था । सब लोग इस बातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस शीघ्र ही कोई सक्रिय कदम उठायेगी । इलाहाबादमे वर्किंग कमेटीकी एक बैठकमे मौलाना आजादने कहा कि यह हमारा अन्तिम और निर्णायक युद्ध होगा । इसमे सिवाय अहिंसाके और कोई ऋत न रहेगी । खादी पहिनने आदिका कोई बन्धन न रहेगा । यह बड़ी ही उत्साहजनक बात थी । हम सब शीघ्र ही सघर्षके छिडनेकी आशा कर रहे थे, परन्तु ऐसा लगता था कि वर्किंग कमेटीको कोई जल्दी नहीं है । उसकी बैठकें होतीं और जनतासे वीरता दिखाने और हर प्रकारकी बलि देनेके लिए तैयार रहनेकी अपील करके उठ जाती । यही नाटक प्रदेशोमे होता । एक बार मैंने उत्तरप्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणीमें यह आग्रह किया कि ऐसा प्रस्ताव न किया जाय । जनता तैयार है । यदि नेतागण तैयार नहीं है तो इसके लिए जनता दोषी नहीं है । पण्डित जवाहरलालजीने मेरी बातका समर्थन किया । अन्तमे जो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसमें यह विश्वास प्रकट किया गया कि समय आनेपर जनता पूर्णरूपेण वीरता और त्यागवृत्तिका परिचय देगी।

इस प्रकारकी ढेर लोगोको अभीर कर रही थी। महात्माजीके नेतृत्वमें सबको विश्वास था। यह सब मानते थे कि आन्दोलन छेड़नेके ठीक अवसरको पहिचाननेकी उनमें अद्भुत योग्यता थी, फिर भी बेमन्त्री बढ़ रही थी और धम्य भी थी। कई लोग काफी कष्टमें थे। मैं एक स्वयंसेवककी बात जानता हूँ। उसकी परचूनकी छोटी-सी दूकान थी। पत्नी गर्भवती थी। लडार्द जल्द छिटेगी, यह समझकर पत्नीको उसके पिताके घर भेज दिया, दूकान बन्द कर दी। ज्यों-ज्यों ढेर होती गयी उसकी आर्थिक अवस्था विगडती गयी। ऐसे बहुत-से उदाहरण थे। आन्दोलनकालमें मनुष्य सबकुछ हँसकर सह लेता है परन्तु घर बैठे हाथपर हाथ रखकर कष्ट झेलना असह्य हो जाता है। जब यह प्रतीत होता है कि युद्ध केवल इसलिए नहीं छिड रहा है कि नेता लोग कुछ स्थिर नहीं कर पाते तो असन्तोष और भी बढ़ता है।

इस बीचमें भी कुछ थोडा-सा राजनीतिक काम हो रहा था। एक ओर महात्माजी और वाइसरायमें, दूसरी ओर वाइसराय और श्री जिनामें पत्रव्यवहार चल रहा था। लिवरल नेताओने भी इस आशयका वक्तव्य निकाला था कि ब्रिटिश सरकार जितनी ही ढेर भारतको स्वायत्त शासन देनेमें कर रही है उतना ही भारतीय जनता उससे विमुख होती जाती है। यह बात तो ठीक ही थी, परन्तु सरकारको अपनी शक्तिपर पूरा भरोसा था। वह न तो किसीका परामर्श माननेको प्रस्तुत थी, न किसीकी धमकीसे ढबनेको तैयार थी।

महात्माजीने १५ अक्टूबर १९४० को एक बयान निकाला। इस बयानमें भावी सग्रामका स्वरूप बताया गया था। उसको पढकर लोग एक बार तो स्तब्ध रह गये। ऐसी योजना किसीकी कल्पनामें भी न थी। जो सहस्रो कार्यकर्ता युद्धके लिए उतावले हो रहे थे उनके उत्साहपर पानी फिर गया। महात्माजीने स्वयं स्वीकार किया कि जब उन्होने

इसे वर्किंग कमेटीके सामने रखा तो तीन दिनमें वाद-विवादके बाद भी वह कमसे कम दो सदस्योंको राजी नहीं कर सके। सच तो यह है कि स्यात् ही किसीकी बुद्धिने उसे स्वीकार किया : महात्माजीके लिहाजसे भले ही अधिकतर सदस्य चुप हो गये हों।

युद्धकी इस शैलीका नाम व्यक्तिगत सत्याग्रह रखा गया। सबसे पहिले सारे देशमे महात्माजीका चुना हुआ एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा। उसको यह आदेश था कि किसी निर्दिष्ट स्थानपर अपनी इच्छाके अनुसार या तो युद्धमात्रके विरुद्ध भाषण दे या इस विषयपर कि वर्तमान युद्धमे भारतीयोंको नही सम्मिलित होना चाहिये। कोई श्रोता हो या न हो, सरकार लोगोको वहाँ जानेसे रोके या न रोके, उसको अपना भाषण समाप्त करना था। यदि वह गिरफ्तार हो जाय तो दूसरा सत्याग्रही उसकी जगह लेगा परन्तु यह उत्तरवर्ती सत्याग्रही भी महात्माजीका चुना हुआ होगा। सत्याक्रा कोई महत्त्व नहीं था। सारा महत्त्व योग्यताका था। जो भी सत्याग्रही चुना जाय वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये 'जिसको खादी और ग्रामोद्योगके कार्यक्रमपर पूर्ण निष्ठा हो, जिसने अपने हृदयसे अस्पृश्यताके भावको पूर्णतया निकाल दिया हो और जो सत्य और अहिंसाका पूर्ण व्रती हो।' यह स्पष्ट ही है कि साधारण कांग्रेसजन इन बातोंका दावा नहीं कर सकता था और जानता था कि वह कभी भी इस ऊँचाईतक न पहुँच सकेगा।

महात्माजीने पहिला सत्याग्रही श्री विनोबा भावेको चुना। आज सारा देश उनको भूदानके प्रणेताके रूपमे जानता है। वह सर्वोदयके भी प्रमुख कर्णधार हैं। परन्तु १९४० मे सेवाग्रामके बाहर बहुत कम लोग उनको जानते थे। महात्माजीने अपने वक्तव्यमे उनके सद्गुणोंकी बड़ी लम्बी सूची दी थी। उनके गुणोंके बारेमें किसीको कुछ नहीं कहना था। वह सूची यथार्थ होगी, फिर भी यह बात अमान्य लगती थी कि सारे राष्ट्रके नामपर एक व्यक्ति, चाहे वह कैसा भी सर्वगुणसम्पन्न हो, सत्याग्रह करे। जब पहिले उनका नाम वर्किंग कमेटीके सामने आया तो

सभी सदस्यों ने आश्चर्य और नापसन्दी जाहिर की। मुझे एक परम विश्वसनीय स्रोतसे ज्ञात हुआ था कि जब उनके पूर्ण ब्रह्मचारी होनेका चर्चा करते हुए महात्माजीने यह कहा कि 'इन्होंने आजतक स्त्रीके शरीरका स्पर्श नहीं किया है' तो कमेटीके एक सम्मानित सदस्य बोल उठे, 'मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने एक स्त्रीके शरीरका स्पर्श किया है या दस स्त्रियोंके शरीरोंका। इसका सत्याग्रहसे क्या सम्बन्ध है?'

आगे चलकर महात्माजी कहते हैं : 'अहिंसावादी कांग्रेस ब्रिटेनका बुरा नहीं चाहती। जब वह अपनी स्वाधीनताको शुद्ध अहिंसाके द्वारा प्राप्त करना चाहती है तो शस्त्रोंके द्वारा ब्रिटेनकी सहायता भी नहीं कर सकती।' 'इसलिए कांग्रेस सैनिक-वारिकों या शस्त्रास्त्र बनानेवाले कारखानोंका घेरा नहीं डालना चाहती, न वह किसीको स्वेच्छासे काम करनेसे रोकना चाहती है। हम भारतवासियोंको यह बतलाना चाहते हैं कि यदि वह अहिंसात्मक साधनसे स्वराज लेना चाहते हैं तो वह युद्धमें ब्रिटेनको किसी प्रकारका सैनिक सहयोग नहीं दे सकते।'

वर्किंग कमेटीके सदस्योंके साथ उनको जो अनुभव हुआ था उसने महात्माजीको सावधान कर दिया था कि सामान्य जनतासे इस प्रकारके सत्याग्रहका औचित्य स्वीकार कराना प्रायः असम्भव होगा। इसलिए वह कहते हैं : 'सबके साथ प्रतीक्षा कीजिये। देखिये क्या होता है। आदेशोंका यथाशक्य पालन कीजिये। योजनामें किसी प्रकारकी बाधा न डालिये।' 'एक व्यक्ति सत्याग्रह करे या बहुत-से करे, इसका कोई महत्व नहीं है, शेष लोगोंको अपनी शक्तिभर जो कुछ सहायता उनसे माँगी जाय वह देनी है।' महात्माजीके लिए सबके मनमें आदर था परन्तु इस तर्कने किसीको भी प्रभावित नहीं किया। यह पुराना जमाना नहीं था जब दो सेनाएँ सामने-सामने खड़ी हो जाती थी और दोनोसे एक-एक योद्धा निकल आता था, दोनो लड़ते थे, जो जीत गया उसकी सेनाकी जीत मान ली जाती थी। राष्ट्रीय स्वाधीनताका सग्राम किसी एक व्यक्तिके सत्याग्रह करनेसे हारा-जीता नहीं जा सकता। गुणोंका बहुत मूल्य है,

निश्चय ही एक महापुरुष दस साधारण मनुष्योसे अधिक मूल्यवान् है पर अकेले सेनापति लड़ाइयों नही जीता करते : सिपाहियोकी भी आवश्यकता पडती है ।

सरकारने महात्माजीके कार्यक्रमको चलने न दिया । विनोवाजी ऋषि-महर्षि कुछ भी रहे हों, परन्तु सरकार इस बातके लिए तैयार नही थी कि वह युद्धके विरुद्ध भाषण दे । वह गिरफ्तार हुए, उनके उत्तरवर्ती गिरफ्तार हुए । सत्याग्रहियोकी सख्या बढ चली और ज्यों-ज्यों सख्या बढी त्यो-त्यो उदात्त गुणोके आधारपर चयन करना कठिन होता गया । चुननेका काम महात्माजी अपने हाथोमे केन्द्रीभूत नही रख सके । उसे प्रदेशोपर छोडना पडा । उत्तरप्रदेशमे हम लोगोने सत्याग्रहियोका जो क्रम बनाया उसमे प्रथम स्थान भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्तको दिया गया । सच बात यह है कि हममेसे कोई भी उस कसौटीपर नही उतर सकता था जो विनोवा भावेको चुनते समय बनायी गयी थी । पहिलेके आन्दोलनोके बराबर तो इस बार जेलमन्त्रियोकी सख्या नही हुई परन्तु महात्माजीकी मूल योजनासे तो कहीं अधिक हो गयी ।

कुछ दृष्टियोसे ऐसे आन्दोलनकी प्रशंसा की जा सकती है । यह निर्विवाद है कि एक महापुरुष हजार साधारण व्यक्तियोसे अधिक मूल्य रखता है और ऐसे व्यक्तिका सत्याग्रह सारे राष्ट्रका अतुष्टिका प्रतीक माना जा सकता है । परन्तु कोई भी राष्ट्र अपने युद्ध देवो या देवकल्प मनुष्योको नही सौंप सकता । साधारण मनुष्योको अपना खून और पसीना बहाना होगा । दूसरेको त्यागवृत्तिकी प्रशंसा करना एक बात है और स्वयं त्याग करना दूसरी चीज है । दूसरेकी आत्मबलिसे स्फूर्ति भले ही मिलती हो परन्तु चरित्रका वह उन्नयन और चित्तकी वह शुद्धि नही होती जो स्वयं अपनी बलि चढानेसे प्राप्त होती है । महात्माजीके आदेशो और अपनी क्रमियोपर दृष्टि डालनेसे बहुतोका उत्साह कुण्ठित हो गया । आन्दोलन व्यर्थ-सा प्रतीत होने लगा और थोडे दिनोमे निर्जीव हो गया । जेलसे बाहर आनेपर बहुत कम लोगोने दुबारा सत्याग्रह किया । सरकार भी

निश्चिन्त थी। उसको जात था कि ऐसा आन्दोलन उसका कुछ नहीं विगाड़ सकता।

मुझे इस बार एक वर्षकी सजा मिली। फतहगढ़ सेण्ट्रल प्रिजनमें टण्डनजी, डॉक्टर काटजू और हाफिज मुहम्मद इब्राहीमके साथ मुझे भी रखा गया। मन्त्रिमण्डल तो हट चुका था पर विधानसभा भग नहीं हुई थी। टण्डनजीका आग्रह था कि मुझे विधानसभाने चुना है, अतः मैं अब भी अव्यक्त हूँ। प्रति सप्ताह उनका निजी सहायक कुछ कागज उनके हस्ताक्षरके लिए लाता था। कुछ दिनोंके बाद सरकारकी समझमें आया कि यह बात ठीक नहीं है। सहायकका आना गवर्नरकी आज्ञासे बन्द कर दिया गया, फिर विधानसभा भी तोड़ दी गयी।

इस बार जेल-जीवन पिछली वारोकी अपेक्षा अधिक शान्त था। मुझको अपनी पुस्तक 'आर्योंका आदिदेश' समाप्त करनेका अवसर मिल गया। हमसे कुछ लोग, जिनमें मैं भी था, थोड़ी देरतक चरखा चलाया करते थे। मेरा हाथ कुछ ऐसा निकम्मा है कि मुझसे वारीक सूत कातते बनता ही नहीं। एक बार मैंने सरती रुईकी पिउनियाँ मँगवायी। उनको देखकर श्री पूर्णचन्द्र विद्यालकारने कहा कि इस रुईसे पचास नम्बरसे कमका सूत निकालना पाप है। मैंने उत्तर दिया कि यदि कोई मेरे हाथसे तेरह नम्बरसे अधिकका सूत निकलवा दे तो मैं उसको पुरस्कार दूंगा।

हम लोग तो 'ए' क्लासमें थे परन्तु उस जेलमें 'बी' क्लासके भी बहुतसे राज-नीतिक बन्दी थे। उनसे कुछ नवयुवकोंमें मैंने आकाश-दर्शनकी रुचि उत्पन्न की थी। पता नहीं उनसे किसीमें अब भी यह शौक अवशिष्ट रह गया है या नहीं। जेल-जीवन शान्त होनेसे पढ़नेका भी बहुत अवसर मिला। और पुस्तकोके साथ मैं आल्हाकी सम्पूर्ण पुस्तक पढ़ गया। पढ़ने योग्य रचना है।

जेल-जीवनकी बहुतसी घटनाएँ याद आती हैं। उनसे एकका ही जिक्र करता हूँ। चैत्रमें नीमके जो कोमल फूल झडते हैं उनको घीमें तलकर और जरा-सा नमक डालकर खाया जाता है। कहते हैं कि स्वास्थ्यको

भी लाभ होता है। मुझे यह चीज पसन्द है। जेलमे भी बनवाया करता था। यकायक टण्डनजीके मनमे यह बात आयी कि जब नीमका फूल खाया जा सकता है तो निमकौडी (निमौरी) क्यों नहीं खायी जा सकती। उन्होंने तलवाना आरम्भ किया। मैंने खानेसे इनकार कर दिया। टण्डनजी स्वयं नित्य खाते थे। भगवान् जाने कैसा स्वाद लगता था। हमारे यहाँ 'बी' क्लासके जो साथी आते थे उनको भी बॉटते थे। मैंने उनसे कई बार हँसीमे कहा कि आप इन लोगोका परलोक विगाड रहे हैं। आपसे ले लेते हैं और यह बहाना करते हैं कि अपने वारिकमे जाकर खायेगे। आपसे प्रशंसा भी कर देते हैं। परन्तु आपके सामनेसे हट कर सब फेंक देते हैं। उनको इस बातका विश्वास नहीं होता था। एक बार उनको ज्वर आया। कानपुरके स्व० पण्डित रघुवरदयाल भट्ट वैद्य भी 'बी' क्लासमे थे। उन्होने टण्डनजीसे कहा कि चरकने लिखा है कि यदि निमौरी खानी हो तो प्रचुर मात्रामे घी खाना चाहिये, नहीं तो ज्वर आ जाता है। टण्डनजी घी खानेको तैयार नहीं थे, इसलिए निमौरी खाना छोड दिया। पता नहीं चरकने ऐसा कहा है या नहीं, परन्तु हम सब भट्टजीके कृतज्ञ थे कि उन्होने इस बहाने निमौरीका पकना बन्द करा दिया।

इस अध्यायको समाप्त करनेके पहिले एक घटनाका उल्लेख करना आवश्यक है। देवलीमे नजरबन्दोके लिए कैम्पजेल खोला गया था। उसमे श्री जयप्रकाशनारायण भी थे। उन्होने एक बार तिकडमसे एक पत्र बाहर भेजना चाहा। उसमें हिंसाका समर्थन था। पत्र पकड लिया गया। सरकारने उसको प्रकाशित किया और इस घटनाको बडा महत्त्व दिया। यह सुझाव भी आया कि राजनीतिक बन्दियोंकी और कडाईसे देख-रेख की जाय। महात्माजीने तो स्वयं सत्याग्रह किया नहीं था। जेलके बाहर थे। इस अवसरपर उन्होने जो वक्तव्य निकाला वह कई दृष्टियोंसे अद्भुत था। वह सिद्ध करता है कि स्वयं कट्टर अहिंसावादी होते हुए भी वह दूसरोंके दृष्टिकोणको समझ सकते थे। मैं इस वक्तव्यके कुछ अग्र उद्धृत करना उचित समझता हूँ। "धोखा देना, गुप्त उपायोसे काम लेना, यहाँ-



तक कि खून करनेका आयोजन करना—यह सभी काम सम्मानजनक माने जाते हैं। क्या क्लाइव और वारन हेस्टिंग्स अग्रेजोंमें आदरणीय वीर पुरुष नहीं माने जाते ? यदि जयप्रकाश कहीं अग्रेजी राजदूत होते और गुप्त कूट-नीतिके द्वारा कोई महत्त्वपूर्ण काम कर सकते तो उनका बड़ा सम्मान होता। “उन्होंने जिस उपायका समर्थन किया है वह कांग्रेसकी सत्य और अहिंसाकी नीतिके सर्वथा विरुद्ध है। इसलिए वह कठोर मर्त्सनाके पात्र है। परन्तु सरकारको यह अधिकार नहीं है कि उनके वताये उपायकी निन्दा करे। सच बात तो यह है कि देशकी सारी राष्ट्रीय शक्तियाँ, चाहे वह किसी भी नामसे पुकारी जायँ, इस समय सरकारसे युद्ध करनेमें सलग्न हैं। युद्धके नियमोंके अनुसार जयप्रकाशका वताया हुआ साधन सर्वथा वैध है। “इस बातको देखते हुए कि जयप्रकाश इस समय नजरबन्द है, सरकारने उनके पत्रपर जो टीका-टिप्पणी की है वह कमरके नीचे प्रहार करनेके समान है “कुछ समाचारपत्रोंमें यह सुझाव देखनेमें आया है कि राजनीतिक बन्धियोंके साथ और कड़ाई की जाय। यह सुझाव अप्रासंगिक है। पत्रका पकड़ लिया जाना सी० आई० डी० की तत्परताका प्रमाण है। परन्तु यदि प्रबन्धमें ढिलाई भी हो तब भी इन लोगोंको खराब भोजन देना और अपने घरोंसे इतनी दूर बन्द करना कि घरवाले भेट भी न कर सके, अक्षम्य है। “युद्धबन्धियोंके साथ राजाओं जैसा व्यवहार होता है यद्यपि राजनीतिक बन्धियोंकी हैसियत युद्धबन्धियोंसे कहीं ऊँची है।”

गलती करनेपर अपने अनुयायीका इससे अच्छा नैतिक समर्थन नहीं हो सकता। महात्माजीकी यही महत्ता थी : जिससे मतभेद हो उसके साथ भी अन्याय होना उनके लिए असह्य था।

व्यक्तिगत आन्दोलन सिसक-सिसककर समाप्त हो गया। नैतिक लाभकी बात तो भगवान् जाने परन्तु राजनीतिक लाभ कुछ भी न हुआ, दिलके हौसले दिलमें रह गये। राष्ट्रको ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसके अग-प्रत्यगमे सुइयों चुभ रही हो।

अपनी मीयाटे पूरी करके हम लोग जेलसे बाहर आये । हमारे मस्तिष्क इच्छाभिघात, अग्रान्ति, निराशाके आकर बने हुए थे । अपनेसे, नेतृत्वसे, देशकी परिस्थितिसे घोर असन्तोष था । सम्भव है व्यक्तिगत सत्याग्रहसे आध्यात्मिक लाभ हुआ हो, पर हमको तो उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता था । और फिर हम तो स्वाधीनताके भूखे थे, कोरे आध्यात्मिक लाभके इच्छुक नहीं थे । हमारी स्थिति उस सेना जैसी थी जो बिना लड़े ही हार गयी हो ।

युद्ध जारी था, सरकारके युद्धसम्बन्धी सारे काम अबाध गतिसे जारी थे । सत्याग्रह छेड़ते समय गान्धीजीने कहा था : 'कौन जानता है, स्यात् मैं न केवल ब्रिटेन और भारत वरन् सभी लड़ते हुए राष्ट्रोंमें शान्ति स्थापित करनेका उपकरण बन सकूँ' । इस इच्छाकी पूर्तिका कोई लक्षण नहीं देख पड़ता था । युद्धरत राष्ट्रोंमें शान्ति तो दूरकी बात थी, ब्रिटेन और भारतके बीचकी खाई अधिक चौड़ी और गहरी होती जा रही थी ।

मैं बतला चुका हूँ कि १९३५ में वर्किंग कमेटीने स्वाधीनताकी प्रतिज्ञाकी शब्दावलीमें कुछ हेर-फेर किया था । उस बातका विरोध भी हुआ था । १९४२ में फिर वही खेल खेला गया । २६ जनवरी आनेसे पहिले शब्दावलीमें फिर परिवर्तन किया गया । इस बारका उलटफेर पहिलेसे भी बुरा था । जितनी ही नयी प्रतिज्ञा हमारी दृष्टिसे सद्गोप हो गयी उतनी ही वह सरकारके दृष्टिकोणसे दोषरहित बन गयी । प्रथम अनुच्छेद तो रहने दिया गया । 'स्वतन्त्र होना भारतीय जनताका अविच्छेद्य

अधिकार है' यह अब भी मान लिया गया, परन्तु बहुत-सी नयी बातें जोड़ दी गयीं। रचनात्मक कार्यक्रमकी प्रथमामें पुल बाँध दिया गया। इतना ही नहीं, यह प्रतिज्ञा भी करनी थी कि 'हम नियमपूर्वक चरखा चलायेंगे और अपनी निजी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए केवल खादीका और यथासम्भव, केवल ग्रामोद्योगकी वनी वस्तुओंका व्यवहार करेंगे और हम बातका यत्न करेंगे कि दूसरे लोग भी ऐसा ही करें।' यह तो अन्धेरे था। ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि कोई मेनापति युद्धस्थलके बीचमें अपने सिपाहियोंको यह आज्ञा दे कि तुम अमुक प्रकारकी वर्दी पहिनो और वर्दीके लिए अपने हाथसे कपडा तैयार करो। बहुत लोग प्रतिज्ञाके इस विकृत रूपसे खिन्न हुए परन्तु खुलकर केवल श्री जयप्रकाशनारायण और मैंने ही विरोध किया। हम दोनोंके पृथक् वयान निकले। अपने-अपने ढंगसे दोनों वयानोंमें प्रतिज्ञाकी तीव्र आलोचना की गयी। जिस समय लोग स्वतन्त्रताके लिए युद्ध करनेकी बात सोच रहे हों उस समय उनका चित्त उधरसे हटाकर गौण बातोंकी ओर ले जाना सर्वथा अनुचित है। इन परिवर्तनोंको सामने लाना असामयिक है और अव्यावहारिक भी। भले ही लोग मुँहसे दुहरा दें परन्तु बहुत कम लोग प्रतिज्ञाको पालन करनेका उद्योग करेंगे। मैंने अपने वयानमें एक और बातपर जोर दिया था। स्वाधीनताकी प्रतिज्ञा पवित्र वस्तु होती है, साधारण प्रस्तावोंकी भाँति बदली नहीं जाती। अमेरिकामें वह कागज, जिसपर हस्ताक्षर करके स्वाधीनताकी प्रतिज्ञा की गयी थी, आजतक सुरक्षित है। हमारी आनेवाली पीढ़ियाँ किस प्रतिज्ञापर गर्व करेंगी, दूसरोंसे कैसे कहेगी कि हमारे पूर्वजोंने इन शब्दोंमें देशको स्वतन्त्र करनेका व्रत लिया था? जिस चीजका कई बार कायापलट हुआ हो उसके प्रति पूज्य बुद्धि नहीं लायी जा सकती।

महात्माजीने हमारे विरोधोंके उत्तरमें लम्बा वयान प्रकाशित किया। उसका एक वाक्य यह था : 'मैं इस बातसे बहुत चिन्तित हूँगा, यदि श्री जयप्रकाशनारायण और सम्पूर्णानन्दजी जैसे व्यक्तियोंको, जिनको

आन्दोलनका नेतृत्व निश्चय ही करना होगा, खादीमें विश्वास न हो ।’ इस वाक्यने मुझको असमझसमे डाल दिया । महात्माजी बुजुर्ग थे, सर्वतः आदरणीय थे, देशके सर्वश्रेष्ठ नेता थे, मेरे ऊपर उनकी कृपा थी । उनसे बहस करना अच्छा नहीं लगता था । पर इसके साथ ही मैं खादीके विषयमें अपनी स्पष्ट राय रखता था जिसे कोई तर्क बदल नहीं सका था । उसको छिपाकर महात्माजीके आन्दोलनमें शरीक होना उनको धोखा देना था । ऐसा अनैतिक काम मैं कर नहीं सकता था । सोच-विचारके बाद मैंने उनको निजी पत्र लिखा । उसका आशय यह था : “समाचार पत्रोंके द्वारा आपसे वाद-विवाद करना अशिष्टता है परन्तु यह लिखकर कि मुझको आन्दोलनका नेतृत्व करना होगा आपने मेरे कन्धेपर दायित्वका बड़ा बोझ डाल दिया है । खादीके सम्बन्धमें अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ । मैं ऐसा नहीं मानता कि खादीसे स्वराज्य मिलेगा । अंग्रेजोंके आनेके पहिले सब लोग खादी पहिनते थे, दूसरा कपडा था ही नहीं । फिर भी हम अपनी स्वाधीनता खो बैठे । समाजवादी होनेके कारण मैं बड़े कल-कारखानोंका पक्षपाती हूँ । परन्तु भारतकी इतनी बड़ी आबादीका उद्धार केवल बड़े उद्योगोंसे नहीं हो सकता । ऐसे गौण व्यवसाय चाहिये जो लोगोंकी आयमें कुछ थोड़ी-सी वृद्धि कर सकें । इस दृष्टिसे खादी सर्वोत्तम है । न तो कोई दूसरा व्यवसाय इतनी कम पूँजीमें हो सकता है, न किसी औरका इतना व्यापक उपयोग है । इसलिए मैं हाथकी कताई-बुनाईका समर्थक हूँ । एक और बात है । १९२१ से खादी कांग्रेसजनका पहिनावा रही है । उसका परित्याग नहीं होना चाहिये । इस विषयमें मेरा यह स्पष्ट मत है । यदि आप इससे सन्तुष्ट हो तो ठीक ही है, अन्यथा मैं आपके चलाये आन्दोलनकी पवित्रताको कलुषित नहीं करूँगा । अलग हो जाऊँगा । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि युद्धसे हट जाऊँगा । अपनी बुद्धि और शक्तिके अनुसार कोई दूसरा मार्ग ढूँँगा ।” लौटती डाकसे महात्माजीका उत्तर आया । बहुत छोटा परन्तु मेरे लिए बहुत ही सारगर्भ । इतना ही लिखा था : “आपने जो

लिखा है वह मेरे लिए पर्याप्त है ।” जिसको कट्टर लोग मेरी राजनीतिक नास्तिकता समझते उसको महात्माजीका आशीर्वाद मिल गया । मुझे और चाहिये ही क्या था । हमारी आपत्तियोंके उत्तर नहीं मिले, विवशता थी । पर मेरे पत्रका ऐसा उत्तर गान्धीजी जैसा उदार नेता और व्यवहारकुशल सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्ति ही दे सकता था ।

चारों ओर नये ससार, नयी विश्वव्यवस्थाका चर्चा था । यह आगा दिलायी जा रही थी कि इस युद्धकी समाप्तिपर जो शान्ति होगी वह चिरस्थायिनी होगी । राष्ट्रसंघ तो मर चुका था परन्तु उसकी जगह दृढतर सर्वराष्ट्रीय संघटनकी रूपरेखा भरी जा रही थी । परन्तु यह भी स्पष्ट था कि जो परिवर्तन होने जा रहे थे उनसे भारत जैसे देशका कोई कल्याण नहीं होनेवाला था । इंग्लैण्डमें श्री चर्चिलके प्रधान मन्त्री होनेके बादसे बड़ी स्फूर्ति आ गयी थी । राष्ट्रकी सारी शक्ति जाग उठी थी परन्तु पद ग्रहण करनेके बाद ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि ‘मैंने साम्राज्यका अन्त करनेके लिए पद नहीं संभाला है’ । इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर मैंने नैशनल हेरल्डके १० नवम्बर १९४० के अकमें एक लेख लिखा था । उसका आशय इस प्रकार है :

“सभी लोग कहते हैं कि वर्तमान युद्धके समाप्त होते ही नया ससार बसाया जायगा । विश्वकी नयी व्यवस्था होगी । युद्धकी भीषणताके बाद जो नयी व्यवस्था होगी उसका स्वरूप क्या होगा, यह कोई नहीं बताता । हमसे कहा जाता है कि सब करो, काम करते जाओ, श्रद्धाके साथ आत्मबलि दो और आवश्यकता पडनेपर श्रद्धापूर्वक प्राणोंकी आहुति दे दो । अन्तर इतना ही है कि कुछ लोगोंको हिटलर और मुसोलिनीमें श्रद्धा रखनी होगी, दूसरोंको चर्चिल और उनके मित्रोंमें ।

“जापानने पुरानी पद्धतिको अपनाया है और तलवारकी धारपर एकके बाद दूसरे देशको ‘मुक्त’ कर रहा है । इटलीने ऐसा ही यज्ञ अविनीनियामें किया और अब जर्मनी इसी पुण्यकार्यमें लगा है । हम इससे अनुमान कर सकते हैं कि अधिनायक शासनमें रहनेवाले राज्य

किस प्रकारकी विश्वव्यवस्थाका स्वप्न देख रहे है ।

“और इंग्लैण्ड और उसके मित्रोके विजयसे क्या आशा की जाय ? इस समय कई देगोकी सरकारे अपने देगोसे भागकर -इंग्लैण्ड आ गयी है । ब्रिटिश सरकारने इनको मान्यता प्रदान कर दी है पर यह नीति यूरोपियन राज्योंके लिए ही है । बेल्जियम, नार्वे, जेकोस्लोवाकिया और डेनमार्ककी सरकारोको यह सौभाग्य प्राप्त हो गया । परन्तु पार्लियामेण्टमे वार-वार पूछे जानेपर भी ब्रिटिश सरकारने अबिसीनियाकी सरकारको मान्यता देना स्वीकार नहीं किया । इंग्लैण्डने कभी इस बातको स्वीकार नहीं किया कि भारतको स्वतन्त्र होनेका अधिकार है । देशसे स्वाधीनता और लोकतन्त्रके नामपर त्याग करनेको कहा जा रहा है पर इन दोनो सिद्धान्तोंका उसके जीवनमे न आज कोई स्थान है, न आगे होनेवाला है । युद्धके अन्तमे उसको उतना अधिकार भी प्राप्त न होगा जितना कनाडा आदिको है । भारत सचिवने स्पष्ट कहा है कि हैसियत और अधिकारमे अन्तर होता है । भारतको डोमिनियन—कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसी—हैसियत मिल जायगी परन्तु अधिकार नहीं । सच बात यह है कि युद्धके बाद भी आज जैसी ही अवस्था रहेगी । राष्ट्र गुलाम बनाये जायेंगे, उनका शोषण होगा, वह और भी दृढतासे जकड दिये जायेंगे ।

“यही वह नयी विश्वव्यवस्था है जिसका उभयपक्षसे सर्जन किया जा रहा है । वह दूसरी व्यवस्था कर भी नहीं सकते । पर क्या पृथ्वीकी दीन-दुखी जनता इसी व्यवस्थाके लिए तरस रही है ? यदि अब भी साम्राज्य-शाही और शोषणको रहना है, यदि अब भी शक्ति-सन्तुलनके लिए आये-दिन युद्ध होते हैं, तो शान्ति और नयी व्यवस्थाका नाम लेना व्यर्थ है । यदि लोग सचमुच पुरानी व्यवस्थासे ऊत्र गये हैं और स्थायी शान्ति चाहते है तो उनको अपना काम आप सँभालना होगा । शासकवर्ग पहिले भी विश्वासघात कर चुका है, फिर भी धोखा देगा ।”

मै गर्मियोमे दो महीनेके लिए कश्मीर चला गया । कश्मीर सरकार-ने पाठ्यपुस्तकोकी भाषा निश्चित करनेके लिए एक कमेटी नियुक्त की

थी। मैं भी उसका सदस्य था। एक ओर तो यह आग्रह था कि भाषा शुद्ध उर्दू रखी जाय, दूसरा पक्ष कश्मीरीपर जोर देता था। कश्मीरी साहित्यकी भाषा नहीं थी। कुछ लोग हिन्दीका नाम लेते थे। कमेटीने काफी उपयोगी काम किया। कश्मीरकी राजभाषा तो उर्दू थी परन्तु पाठ्यपुस्तकोंमें कश्मीरीके बहुत-से शब्द समाविष्ट किये गये। नयी शब्दावली प्रायः सबको ही पसन्द आयी। दो महीने बैठकर कमेटी उठ गयी। यह निश्चय हुआ कि अगली बैठक सितम्बरमें हो। उस समय मैं जेल पहुँच गया था।

युद्ध चल रहा था और उसकी प्रखरता बढ़ती जा रही थी। उधर भारतीय जनताकी वेसव्री भी बढ़ती जा रही थी। अज्ञान्ति और आन्दोलनके वादल मँडलाने लगे थे। एक ओर सरकार अपने युद्ध-सम्बन्धी कामोंमें किसी प्रकारकी बाधा सहन करनेको तैयार नहीं थी, दूसरी ओर भारतीय जनताकी यह धारणा हो गयी थी कि जो सरकार भारतीय भावनाओको इस वेदनासे टुकराती है उससे सहयोग करना सम्भव नहीं है। दोनों ओरसे तनाव था। व्यक्तिगत आन्दोलनके वाद जो सुस्ती आ गयी थी वह दूर हो चुकी थी और यह विश्वास हो गया था कि वर्षके मध्यतक किसी-न-किसी प्रकार सवर्ष छिड़ ही जायगा।



गर्मियोंकी कठिन प्रतीक्षाके बाद वर्षा आती है। गगनमण्डलकी स्तब्धता दूर होती है। घनघोर आसार प्रकृतिके रूपको बदल देता है। राजनीतिक क्षेत्रमें भी वही बात हुई। १९४२ का अगस्त महीना आया। राजनीतिक आकाश फट पडा। जो पर्यावरण चार दिन पहिले शान्त प्रतीत होता था उसने यकायक नया चोला पहिना। चारो ओर ज्वालामुखी फूट पडा।

अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक ७ अगस्तको बम्बईमें होनेवाली थी। सबकी आँखें उधर ही लगी थी। वहाँ क्या होगा, क्या निश्चय किये जायेगे, यह कोई नहीं जानता था परन्तु ऐसा विश्वास था कि कोई-न-कोई निर्णयात्मक कदम उठाया जायगा जिसका आधार यह होगा कि साम्राज्यशाहीसे किसी प्रकारका समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेसजन और सरकार दोनोको यह विश्वास था कि अब सघर्ष टल नहीं सकता। उसका स्वरूप क्या होगा यह कहना असम्भव था, क्योंकि गान्धीजीकी बुद्धि किस समय किधर झुकेगी यह कोई सोच नहीं सकता था। परन्तु यह निश्चित था कि युद्ध कठोर होगा, न कांग्रेस झुकेगी, न सरकार अपनी जगहसे टससे मस होगी। जबतक नेतृत्व गान्धीजीके हाथमें या तबतक अहिंसाके सम्वन्धमें कोई ढिलाई नहीं हो सकती थी परन्तु इसके सिवाय और कोई शर्त न लगायी जायगी। लोगोको अपनी सूझ-बूझके अनुसार काम करनेकी पूरी छूट होगी। सरकार भी अपनी ओरमें सतर्क थी। उसकी दृष्टि भी बम्बईपर लगी थी। ज्योंही कांग्रेसकी



ओरमे युद्धकी घोषणाके रूपका कोई प्रस्ताव स्वीकृत होगा, मारे देशमे प्रमुख कांग्रेसजन गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। सरकारका विश्वास था कि इस प्रकार कांग्रेस सेनापतिविहीन सैनिकोंकी भीड़ बन जायगी। उसकी शक्ति क्षीण हो जायगी और जो कुछ नाममात्रका आन्दोलन होगा वह चार दिनमें कुचल दिया जायगा।

जो ब्रिटिश सरकारको युद्धके बीचमें ऐसा उपद्रव पसन्द नहीं था। जापानी सेना बढ़ती आ रही थी। आन्दोलन दबा तो दिया जायगा परन्तु ऐसे समयमें उसका छिड़ना अच्छा नहीं था। कुछ तो बुरा प्रभाव होगा ही, युद्धकार्यमें कुछ बाधा पड़ेगी ही। सरकार इसको बचाना चाहती थी।

१२ मार्च १९४२ को श्री चर्चिलने यह घोषणा की कि भावी शासन-सुधारके सम्बन्धमें भारतके प्रतिनिधियोंसे बात करनेके लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत जायेंगे। क्रिप्स भारतके हितू माने जाते थे और पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य भारतीय नेताओंसे उनका निजी सम्बन्ध बहुत अच्छा था। परन्तु उनका आना बेकार हुआ। इसमें उनका दोष नहीं था, उनको बात करनेका जो अधिकार दिया गया था उसका क्षेत्र बहुत सीमित था। उन्होंने जो प्रस्ताव रखे उनका सारांश यह था :

(१) युद्धकी समाप्तिके बाद सविधान बनानेके लिए परिषद् नियुक्त हो जिसकी संस्तुतियोंको ब्रिटिश सरकार मान ले।

(२) ब्रिटिश सरकार और इस परिषद्के बीचमें सन्धिपत्र लिखा जाय।

युद्धकालमें शासनका पूरा दायित्व ब्रिटिश सरकारका होगा परन्तु वह इस काममें भारतीय नेताओंसे सहायता लेगी। रक्षाके सम्बन्धमें सरकार जिम्मेदारी बँटानेको तैयार नहीं थी परन्तु रक्षामन्त्रीके पदपर किसी भारतीयकी नियुक्ति हो सकती थी। उसके जिम्मे 'कैप्टीन' जैसे विषय होंगे। कैप्टीनकी देग्व-भालका अर्थ स्यात् सब लोग न समझते होंगे। सिपाहियोंके लिए उनके वारिकोमें नियमित रूपसे भोजन तो

वनता ही है, ऐसी भी जगहें होती हैं जहाँ जलपानकी सामग्री, चाय आदि चीजे मिल सकती हैं। कभी-कभी रेलवे स्टेशनोपर भी ऐसी दूकाने खोल दी जाती हैं। इन स्थानोंको कैण्टीन कहते हैं। भारतीय रक्षामन्त्रीको यही काम सौंपा जानेवाला था।

अब वह समय चला गया था जब भारतको ऐसी वातोमे भुलावेमे डाला जा सकता था। देश स्वाधीनता चाहता था, इस प्रकारका खिलवाड नहीं। स्वाधीनताके बिना अंग्रेजोसे सहयोग करना सम्भव नहीं था। महात्माजी तथा दूसरे नेताओने यह स्पष्ट कर दिया था कि स्वाधीनताका यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजो और उनके मित्रोकी सेनाएँ तुरन्त भारत छोड़कर चली जायँ। वह ब्रिटिश सरकारकी इच्छासे यहाँ नहीं रह सकती परन्तु स्वतन्त्र भारतकी सरकार उनको युद्धकालतक ठहरनेकी अनुमति दे सकती है। सर स्टैफर्ड क्रिप्सके प्रस्तावो और भारतकी माँगोमे सामञ्जस्य स्थापित न हो सका और वर्किंग कमेटीने उनको अस्वीकार कर दिया। तत्सम्बन्धी प्रस्तावका यह वाक्य अस्वीकृतिके कारणोंको स्पष्ट कर देता है : “वर्तमान समयमें भारतीय जनता जिम्मेदारी ले सके उसके लिए मौलिक और अनिवार्य शर्त है कि उसको इस बातकी प्रतीति हो कि वह स्वतन्त्र है और अपनी स्वाधीनताकी रक्षाका भार उसके ऊपर है। वर्तमान भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें अबम है और जनताके प्रतिनिधियोंका बोझ नहीं उठा सकती। यह तभी हो सकता है जब देश स्वतन्त्र हो और लोकप्रतिनिधियोंके ऊपर पूरा दायित्व हो। कमेटी इन प्रस्तावोको स्वीकार नहीं कर सकती।”

वर्किंग कमेटीके इस निश्चयका देशमे अभिनन्दन हुआ। ब्रिटिश सरकारके प्रस्ताव राष्ट्रका खुला अपमान करते थे। उनको स्वीकार करना उस अपमानपर अपनी छाप लगाना होता। राष्ट्रकी आत्मा क्या कहती थी इसका सकेत उस प्रस्तावसे मिलता है जो वर्किंग कमेटीकी १४ जुलाईकी बैठकमे पारित किया गया। उसमें कहा गया कि “आये दिन जो घटनाएँ हो रही हैं और भारतवासी जैसे अनुभवोका सामना कर रहे

हैं उन्होंने कांग्रेसजनके इस मतको पुष्ट कर दिया है कि भारतमें अंग्रेजी शासनका अविलम्ब अन्त होना चाहिये। इसका यह कारण तो है ही कि विदेशी राज स्वतः बुरा होता है। इसके सिवाय, परतन्त्र भारत न तो अपनी रक्षा कर सकता है, न युद्धपर कोई प्रभाव डाल सकता है जो मानवजातिका विश्वास कर रहा है। भारतकी स्वाधीनता केवल भारतके लिए आवश्यक नहीं है वरन् सारी पृथ्वीकी रक्षाके लिए आवश्यक है। उसके बिना साम्राज्यवादके फासिस्टवाद, नाल्सीवाद आदि विभिन्न रूपोंका और एक देशपर दूसरेके आक्रमणका अन्त नहीं हो सकता ? ब्रिटिश शासनके हट जानेके प्रस्तावको उपस्थित करनेमें कांग्रेसका यह उद्देश्य नहीं है कि ब्रिटेन या उसके मित्रोंको युद्धसंचालनमें अडचन हो। कांग्रेसको यह मजूर है कि युद्धकालमें इनकी सेनाएँ भारतमें रहे, ताकि जापानी आक्रमण रोक जा सके और चीनकी सहायता की जा सके।

“स्वाधीनता और राजनीतिक स्वतंत्रताकी रक्षाके लिए कांग्रेसको विवश होकर उस सारी अहिंसात्मक शक्तिको संचालित करना होगा जिसका उसने १९२० से सचय किया है, जब उसने अहिंसाको अपनी नीतिका अंग बनाया था।”

जुलाईके बाद अगस्त आया। घटनाचक्र तेजीसे घूम रहा था, लोगोंमें उद्वेग और आवेग इससे भी अधिक तेजीसे बढ़ रहा था। उभय पक्ष सन्नद्ध थे, संघर्षमें देर नहीं थी।

अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक ७ अगस्तको हुई। ऐसा महत्वपूर्ण अधिवेशन कभी नहीं हुआ था। जो लोग उपस्थित हुए थे वह तो कांग्रेसजन ही थे, परन्तु कांग्रेसकी आवाज भारतकी आवाज थी। महात्माजीने ठीक ही कहा था कि अपने जन्मसे ही कांग्रेस सारी भारतीय जनताका प्रतिनिधित्व करती आयी है। एक ही विचारणीय विषय था, एक ही प्रस्ताव था, जो ‘भारत छोड़ो’ प्रस्तावके नामसे प्रसिद्ध है। उसको पण्डित जवाहरलाल नेहरूने पेश किया था। अनुमोदन करते हुए, सरदार वल्लभभाई पटेलने कहा था : “यदि अमेरिका और इंग्लैण्ड आज

भी ऐसा समझते हैं कि चालीस करोड़ भारतीयोंके सहयोगके बिना ही वह भारतमें बैठकर अपने शत्रुओंसे लड़ सकते हैं, तो वह मूर्खता कर रहे हैं।” विवादका उत्तर देते हुए पण्डित जवाहरलालने कहा : “यह प्रस्ताव धमकी नहीं है। यह निमन्त्रण है, स्पष्टीकरण है, हम सहयोग करनेको तैयार हैं। परन्तु इसके पीछे इस बातका स्पष्ट संकेत है कि यदि कुछ बातें न की गयीं तो फिर कुछ परिणाम अवश्य होंगे। स्वतन्त्र भारत सहयोगदान करता है। किसी दूसरी शर्तपर सहयोग नहीं हो सकता, उसकी जगह युद्ध और संघर्ष होगा।” दूसरे दिन प्रस्तावपर राय ली गयी। वारह सदस्योंको छोड़कर सबने पक्षमें वोट दिया। प्रस्ताव लम्बा है परन्तु उसमेंसे कुछ अवतरण देना परमावश्यक है :

“कमेटी वर्किंग कमेटीके १४ जुलाईके प्रस्तावकी पुष्टि करती है और उसकी यह राय है कि उसके वादकी घटनाओंने उसके औचित्यको पूरी तरह सिद्ध कर दिया है और यह प्रमाणित कर दिया है कि ब्रिटिश शासनका तत्काल समाप्त होना भारतके तथा मित्रराष्ट्रोंकी विजयके लिए नितान्त आवश्यक है। उसका जारी रहना चरित्रको गिराता है, भारतको दुर्बल बना रहा है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व स्वातन्त्र्यकी सहायता करनेके लिए बराबर निकम्मा बनाता जा रहा है।”

“इस देशमें ब्रिटिश राजकी समाप्ति तात्कालिक महत्त्वका प्रश्न है जिसपर युद्धका भविष्य और स्वाधीनता तथा लोकतन्त्रकी सफलता निर्भर है। भारतके स्वातन्त्र्यसे यह सफलता निश्चित हो जायगी क्योंकि स्वतन्त्र भारत अपनी सारी शक्ति स्वाधीनताके पक्षमें तथा नात्सीशाही, फासिस्ट-शाही और साम्राज्यशाहीके विरुद्ध लगा देगा।”

“अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी इस अन्तिम क्षणमें भी विश्वस्वातन्त्र्यके नामपर ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रोंसे अपील करना चाहती है, परन्तु उसको ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रको उस साम्राज्यशाही और तानाशाही सरकारके विरुद्ध, जो उसको दबाये हुए है और अपने तथा मानवजातिके हितमें कार्यशील होनेसे रोक रही है, प्रयत्न करनेसे रोकना उसके लिए

अनुचित होगा।”

“इसलिए कमेटी यह निश्चय करती है कि भारतका स्वतन्त्र होनेका जो अविच्छेद्य स्वत्व है उसकी रक्षाके लिए व्यापक अहिंसात्मक जनान्दोलन छेड़ा जाय, ताकि देश उस सारे अहिंसात्मक बलका उपयोग कर सके जिसका उसने पिछले वाइस वरॉममें संचय किया है। ऐसा सघर्ष गान्धीजीके नेतृत्वमें ही चलाया जा सकता है, इसलिए कमेटी उनसे अनुरोध करती है कि नेतृत्व संभाले और देशका मार्गदर्शन करे।

“कमेटी भारतकी जनतासे अपील करती है कि जो कठिनाइयाँ और खतरे उसके सामने आये उनका धैर्य और साहसके साथ मुकाबला करे और गान्धीजीके नेतृत्वमें कन्धेसे कन्धा मिलाकर संयमी सिपाहियोंकी भाँति उनके आदेशोंका पालन करे। यह स्मरण रखना चाहिये कि अहिंसा इस आन्दोलनका आवार है। ऐसा समय आ सकता है जब न तो कोई आदेश दिया जा सकेगा, न लोगोके पासतक पहुँच सकेगा। कांग्रेस कमेटियों भी काम न कर रही होगी। ऐसा अवसर आनेपर आन्दोलनमें भाग लेनेवाले प्रत्येक स्त्री और पुरुषको अपनी बुद्धिके सहारे काम करना होगा। इतनी ही शर्त है कि जो आदेश आरम्भमें दिये गये हो उनका अतिक्रमण न हो। प्रत्येक भारतीय, जो स्वातन्त्र्य चाहता है और उसके लिए यत्न करना चाहता है, अपना स्वयं मार्गदर्शक होगा और अपनी अन्तःप्रेरणासे उस कठिन मार्गपर चलेगा जिसपर ठहरनेकी जगह नहीं होती और जो अन्तमें भारतकी स्वाधीनता और मुक्ति तक पहुँचायेगा।”

“अन्तमें अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि जनान्दोलन चलानेमें उसका यह उद्देश्य नहीं है कि कांग्रेसके हाथमें अधिकार आये। जब अधिकार प्राप्त होगा तो वह सारे देशकी सम्पत्ति होगा।”

महात्माजी हिन्दी और अंग्रेजीमें दो घण्टे बोले। ऐसा ओजस्वी भाषण उन्होंने गायड ही कभी और किया होगा। उसमें अहिंसाकी व्याख्या थी, ब्रिटिश राजके नग्न रूपका कठोर चित्रण था, चीन, रूस तथा अन्य

दलित राष्ट्रोंके लिए सहानुभूति और मैत्रीका सन्देश था, पृथ्वीके उन सब लोगोंके लिए प्रोत्साहन था जो जाति और राष्ट्रके संकीर्ण बन्धनोंको तोड़कर मानवताके हितमें विश्वास रखते हैं और भारतकी सुधुस्त आत्माके लिए उद्बोधनका आह्वान था। उनके अन्तिम शब्द यह थे : “मैंने कांग्रेसका साथ देनेका वचन दिया है। कांग्रेस या तो काम करेगी या मर जायगी”। इन्हीं शब्दोंसे आन्दोलनको उसका प्रसिद्ध नारा मिला : “करो या मरो”।

महात्माजीने यह भी बतला दिया कि उनका विचार तत्काल आन्दोलन छेड़नेका नहीं है। वह एक बार वाइसरायसे मिलने और, यदि यह न हो सका तो, उनको पत्र भेजनेका यत्न करेंगे और आन्दोलन आरम्भ करनेके पहिले उनके उत्तरकी प्रतीक्षा करेंगे, चाहे इसमें दो-तीन सप्ताह लग जायें।

परन्तु वाइसरायसे सम्पर्क स्थापित करनेका अवसर ही नहीं आया। सरकार इस बातके लिए तैयार नहीं थी कि विद्रोही सेनानायक अपनी सेनाका सघटन करे और देशके कोने-कोनेमें अपने आदेश भेज सके। ९ अगस्तका सवेरा होते-होते न केवल वर्किंग कमेटीके सदस्य परन्तु चुन-चुनकर प्रायः सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये। जो लोग बम्बईसे चल चुके थे वह मार्गमें पकड़े गये, शेष अपने घरोंपर। मैं पुलिसको घरपर ही मिला। दूसरे दिनतक इन गिरफ्तारियोंका समाचार देश-विदेशमें सर्वत्र फैल गया।

सरकारका जाल बड़ी बुद्धिमानीसे बिछाया गया था, किसीका उसमेंसे निकल जाना प्रायः असम्भव था। बहुत लोग तो बिना परिश्रमके बम्बईमें ही मिल गये। किसी प्रकारके आदेश नीचेकी कमेटियोतक पहुँच नहीं पाये थे। कुछ लोग अपनी बुद्धिके अनुसार भले ही थोड़ा-बहुत प्रयत्न करे परन्तु ऐसी असघटित काररवाइयोंसे सरकारको कोई चिन्ता नहीं थी। जिस तत्परतासे सारा काम हुआ था उसके लिए सरकार अपने कर्मचारियोंको बधाई दे सकती थी। आन्दोलनका जल्द ही कुचल दिया

जाना निश्चित था ।

सरकारसे एक छोटी-सी भूल हो गयी । गिरफ्तारीके समय पुलिसको जो कागजात मिले उनसे सरकारको ज्ञात हो गया कि गान्धीजी आन्दोलनको किस प्रकार चलाना चाहते थे । श्री ऐमरीने पार्लियामेण्टमें इन बातोंका विस्तारसे चर्चा किया । भारत सचिवका भाषण था, रोका नहीं जा सकता था, सभी समाचारपत्रोंमें छप गया । परिणाम यह हुआ कि जो आदेश कांग्रेस नेता नहीं भेज सके थे उनको सरकारने कृपा करके स्वयं घर-घर पहुँचा दिया । हमको इस राजनीतिक भूलके लिए श्री ऐमरीकी स्वर्गस्थ आत्माके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिये ।

आन्दोलन छिडा । शतरंजके इस खेलमें पहिली चाल सरकारकी थी । गिरफ्तारियोंके बाद सरकारने समझा था कि दो-तीन चालोंमें कांग्रेसकी वाजी मात हो जायगी । परन्तु जो कुछ हुआ उसने उसको अचम्भेमें डाल दिया । उसको स्वप्नमें भी ऐसी कल्पना नहीं हो सकती थी । वह कांग्रेसके आन्दोलनका अर्थ यही जानती थी कि लोग जेल जानेका यत्न करेंगे । इस बारकी काट उसके पास थी । कांग्रेसके नामपर कुछ और भी हो सकता है इसे वह सोच न सकी । सच तो यह है कि आन्दोलनकी गतिविधिसे कांग्रेसके नेताओंको कम अचम्भा नहीं हुआ । व्यापक अहिंसात्मक जनान्दोलन छेड़नेका निश्चय करके प्रत्येक पुरुष और स्त्रीको अपनी बुद्धिके अनुसार काम करनेकी छूट देते समय उनको यह अनुमान भी नहीं था कि इस अनुमतिका किस प्रकार उपयोग किया जायगा ।

अहिंसाके आदेशका पालन हुआ कमसे कम कर्मणा । किसी अंग्रेजको आघात नहीं पहुँचाया गया, किसीकी सम्पत्ति नहीं लूटी गयी, किसी अंग्रेज महिलाके साथ अनाचार नहीं हुआ । परन्तु अहिंसा व्यक्तियोग्यता ही सीमित थी । सरकारी सम्पत्तिको लूटने या नष्ट-भ्रष्ट करनेमें किसीको संकोच नहीं था । यदि कहीं सरकारी आदमियोंने विरोध किया तो उनके साथ निर्मम कडाई बरतनेमें भी लोगोंको हिचक नहीं थी ।

चुपचाप जेल चले जानेकी नीतिमे तो लोगोको स्वारस्य नहीं रहा था परन्तु कौन-सी नयी नीति अपनायी जाय, इसका कोई प्रामाणिक निश्चय नहीं हुआ था। लोकबुद्धिने इस प्रश्नको स्वयं सुलझा लिया। पुराने कांग्रेसजनके लिए नयी रणनीति सचमुच नयी थी। जेलमे आनेवाले नये थोडाओसे उसका परिचय मिला, उसकी सफलताके समाचार तिकडमसे आनेवाले समाचारपत्रोंसे मिलते थे। एक वार तो समझनेमे दिक्कत हुई। पर हम उसकी निन्दा नहीं कर सकते थे। सरकारने जैसी परिस्थिति उपन्न कर दी थी उसमें जनान्दोलनका ऐसा ही रूप हो सकता था। रेलकी लाइनोको बेकार कर दिया जाता था। काशीके पास तो कहीं-कहीं मीरजापुरकी पत्थरकी खानोसे लेकर डाइनेमाइटको भी इस काममे लाया गया। परन्तु रेलयात्रियोकी रक्षाका बराबर ध्यान रक्खा गया। पहिलेसे सूचना दे दी जाती थी कि इस लाइनपर गाडी न लायी जाय। कहीं-कहीं एजिनपर कांग्रेसका झंडा लगाकर ट्रेन अगले स्टेशनतक पहुँचा दी जाती थी। कई रेलवे स्टेशन जला दिये गये, कई गिरा दिये गये। तारके खम्भोको गिरा दिया गया, तार काट दिये गये। पुलिसकी चौकियों और थानोपर कांग्रेसके झंडे चढा दिये गये। कई जगहोमे थोडी देरके लिए अग्रेजी राज उठ-सा गया। इसका सबसे बडा उदाहरण बलिया जिलेमें देखनेमे आया। एक सप्ताहतक अग्रेजी शासन रहा ही नहीं। सरकारी अधिकारियोने कन्वे डाल दिये। जेल खोल कर राजनीतिक बन्दी रिहा कर दिये गये। बलियामे शासन उन दिनो स्वर्गीय पण्डित चित्तू पाण्डेयके इंगारेपर चलता था। कहीं-कहीं उल्हाहमे गलत काम भी हुए। मेरी समझमे डाकखानोके काममे बाधा डालना और लेटर बक्सोको जलाना उचित नहीं था।

यह सब हो रहा था पर देशमें अराजकता नहीं थी। लोगोके जीवन-क्रममे बाधा नहीं पडी। आश्चर्य, कुतूहल था, उल्लास था, परन्तु डर नहीं था, चिन्ता नहीं थी। ऐसे काम कांग्रेसके मुट्ठीभर सघटित स्वयंसेवक नहीं कर सकते थे। खुला निमंत्रण था, जो चाहे बहती गगामे हाथ धो ले।



अराजकता न होनेका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि अपराधोंमें वृद्धि होनेके स्थानपर कमी हो गयी । राष्ट्रीय युद्धने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि कुछ कालके लिए चोर-डाकू भी अपने व्यापारसे विरत हो गये । कहीं साम्प्रदायिक उपद्रव भी नहीं हुआ । मुसलिम लीग भी चुप बैठी थी । लिबरल नेता कभी तो कांग्रेसकी आलोचना कर देते, कभी सरकारकी ज्यादतियोंकी भर्त्सनामे चार शब्द बोल देते । यही उनकी इतिकर्तव्यता थी ।

सरकारने इस आन्दोलनको दवानेमे कोई बात उठा नहीं रखी । यह स्वाभाविक ही था । उसके लिए जीवन-मरणका प्रश्न था । महायुद्ध हँसी-खेलकी चीज न था । ऐसी स्थितिमे सरकारका कठोर दमननीति अपनाना अप्रतीक्षित नहीं था । जिन लोगोंने आन्दोलनमे भाग लिया था वह हथेलीपर प्राण रखकर काम कर रहे थे । वह जानते थे कि इस बार सरकार किसी प्रकारकी रियायत नहीं करेगी । हुआ भी यही, सरकार भारतीयोंको अपनी प्रजा कहती थी, पर जहाँ-जहाँ आन्दोलनने जोर पकड़ा वहाँ-वहाँ जनताके साथ जैसा बर्बर वर्ताव हुआ वैसा शत्रु देशके निवासियोंके साथ भी नहीं होता । मुकदमे भी चलते थे, कड़ी सजाएँ दी जाती थी और अपीलका अवसर देनेके पहिले ही कार्यान्वित कर दी जाती थी । खुले मैदानमे वेत लगाना कानूनमे मना है परन्तु न जाने कितनी जगह ऐसा किया गया । बस्तियोंपर सामूहिक जुरमाने हुए, गोलियाँ चलीं । आज आसाममे महीनोसे नागोंका उपद्रव जारी है पर उनपर ऊपरसे बम नहीं फेंके गये । ब्रिटिश सरकारने कई बार यह भी किया । इन बातोंका चर्चा कुछ विस्तारसे अगले अध्यायमें होगा ।

यो तो हर व्यक्तिको अपनी बुद्धिके अनुसार काम करनेका अधिकार दे दिया गया था, फिर भी कुछ संघटित चेष्टाकी आवश्यकता तो थी ही । इसके सिवाय यह भी आवश्यकता थी कि एक जगहका समाचार दूसरी जगह पहुँचता रहे । सरकार बहुत-सी बातोंको छिपाती थी, छुपने नहीं देती थी । कहीं क्या हो रहा है इसको जाननेसे प्रोत्साहन मिलता था ।

कार्यकर्ताओंने इन सब बातोंका भी प्रबन्ध कर लिया। कई स्थानोंसे 'रणभेरी', 'दुन्दुभी' ऐसे नाम देकर एक-एक दो दो पेजके पत्र निकलने लगे कहीं छपते थे कोई नहीं जानता। बाजारमें खूब बिकते थे। पुलिसको उनका पता नहीं चलता था, जनता भी उसकी इस असफलताका मजा लेती थी। डाकखानेमें उन सब लोगोंके पत्र खोल लिये जाते थे जिनके ऊपर आन्दोलनसे सम्बद्ध होनेका सन्देह होता था। पढ़कर फिर बन्द कर दिये जाते थे पर यह काम इतनी लापरवाहीसे होता था कि दूसरी बार फाड़कर खराब किये बिना पत्र निकलता ही न था। इस समयकी एक रोचक कहानी याद आती है। डाकखानेकी लापरवाहीसे ऊब कर श्री रफी अहमद क्रिदवाईने एक युक्ति निकाली। अपने नाम एक लिफाफा डाला। यह निश्चय तो था ही कि वह खोल लिया जायगा। भीतरका पत्र 'प्रिय श्री सेसर'के नाम था। सेसर उस अधिकारीको कहते हैं जो पत्र खोलकर पढा करते हैं। उनको लिखा गया था कि 'मैं जानता हूँ कि यह पत्र आपके हाथमें जायगा। आप हमारे खत पढे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई गोपनीय चीज भेजनी होगी तो इसके लिए हमारे पास दूसरे साधन हैं। आपका यह उद्देश्य नहीं हो सकता कि हमारे पत्र कामके ही न रह जायें। आप कृपया उनको इस प्रकार चिपकाया करें कि उनको खोलने और पढनेमें अनावश्यक असुविधा न हो।' इसका एक तो प्रत्यक्ष फल हुआ। श्री क्रिदवाईके पत्र अच्छी दशामें आने लगे।

डाकसे पत्र मिलनेके लिए प्रायः हर शहरमें कई 'कवर' थे। यह ऐसे लोग थे जिनका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं था। इनमें कुछ तो सरकारके भी कृपापात्र थे। इनपर पुलिसको भी सन्देह नहीं हो सकता था। इनके पतेसे पत्र भेगाये जाते थे। एक 'कवर'को दूसरेका पता नहीं होता था, इसलिए यदि किसी प्रकार एकका भेद खुल भी जाय तो दूसरेपर आँच नहीं आ सकती थी। इसके अतिरिक्त हमारे चलते-फिरते डाकखाने भी थे। कुछ कार्यकर्ता बराबर घूमते रहते थे। इनको भेष भी बदलना पड़ता था। कुछ तो कोट-पतलून पहिनकर शुद्ध अंग्रेजी ठाटमें निकलते

ये। यह लोग समाचार और सन्देश वहन करते थे, स्थानीय कार्य-कर्ताओंको ऊपरके आदेश पहुँचाते थे। आन्दोलनके सञ्चालनमें परामर्श देते थे। सरकार इनमेंसे कुछ लोगोंकी गतिविधिसे परिचित थी पर इनको पकड़ न पाती थी। सच तो यह है कि इस आन्दोलनकी सफलताका बहुत बड़ा श्रेय जनताकी सक्रिय सहानुभूतिको है। इतना बड़ा जनान्दोलन छिपकर नहीं चल सकता था। बहुत-से लोग हमारे गुप्त स्थानोंको जानते थे, हमारे कार्यकर्ताओंको पहिचानते थे। परन्तु कोई मुँह नहीं खोलता था। इतना ही नहीं, यदि हमारे काममें कोई त्रुटि देख पड़ती तो लोग चुपकेसे बतला जाते।

उस गानदार आन्दोलनका इतिहास अधूरा ही रह जायगा यदि कम्युनिस्ट पार्टीकी काली करतूतका चर्चा न किया जाय। ऐसा लगता है जैसे अपने जन्मसे ही इसने भारतके हितोंको क्षति पहुँचानेका बीड़ा उठा लिया है। १९३२ में पार्टीकी अवस्था सद्योजात शिशु जैसी थी। फिर भी उसने पर तौले और बम्बईके श्रमिकोंपर उसका जो प्रभाव था उसका उपयोग उस समयके आन्दोलनमें बाधा डालनेमें किया। १९४२ में उसकी शक्ति बढ़ गयी थी। इस वार वह खुल खेली। युद्धके पहिलेत्क ब्रिटेनको गाली दी जा रही थी। उसकी साम्राज्यशाही नीतिकी निन्दामें जो कुछ कहा जाय थोड़ा था। युद्ध लिडते ही हवा बदल गयी। ब्रिटेन रूसका मित्र हो गया। फिर क्या था। उसके विरुद्ध जो कुछ शिकायत थी सब भुला दी गयी। उसकी प्रशंसाके पुल बाँध दिये गये। भले ही चर्चिलने कहा हो कि युद्धके बाद भी साम्राज्य ज्योका त्यो रहेगा, भले ही भारतीय जनताको किसी प्रकारका अधिकार देनेसे इनकार कर दिया गया हो, भले ही पदे-पदे उसका अपमान किया जा रहा हो, परन्तु कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटिश सरकारका सबसे बड़ा समर्थक बन गयी। युद्ध साम्राज्यशाही युद्धसे लोकयुद्ध, जनताका युद्ध, में बदल गया। जनतासे अपील की जाने लगी कि इस युद्धमें आँख बन्द करके सरकारका साथ देना उसका परम कर्तव्य है। कांग्रेसी नेता जेलमें थे,

कोई दूसरा दल कार्यक्षेत्रमें था नहीं, कम्युनिस्ट पार्टीने श्रमिकोंके असन्तोषको दबाया ताकि कहीं हड़ताल न हो जाय और सरकारके काममें बाधा न पड़े। 'करो या मरो' आन्दोलन आरम्भ हो चुका था। पार्टीने उसका खुलकर विरोध किया। जेलमें पड़े बड़ेसे बड़े नेताओंको देशद्रोहीकी उपाधि दी गयी। कम्युनिस्ट पार्टीकी सरकारपरस्ती यहाँतक पहुँची कि गुप्त रूपसे काम करनेवाला कांग्रेसजन पुलिसकी ओरसे जितना सजाक नहीं रहता था उतना कम्युनिस्टसे घबराता था। पार्टीने विभीषणकी कथा पूर्णतया चरितार्थ कर दी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे बीचमें इस दलके अस्तित्वसे ब्रिटिश सरकारको बड़ी सहायता मिली। जो लोग पराये देशके हितके लिए अपने देशके हित और सम्मानको धूलमें मिलानेके लिए तैयार हो उनका आदर शत्रु भी नहीं करता। सरकार कम्युनिस्टोंके रग-रगसे परिचित थी, उनकी अविश्वसनीयताको खूब पहिचानती थी परन्तु उनसे काम लेती थी। ऐसा न करना उसकी मूर्खता होती।

हम देखते हैं कि आज कम्युनिस्ट पार्टी देशकी हितैषिताका ढम भरती है और उन लोगोकी हँसी उडाती है जिन्होंने देशकी स्वाधीनताके लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया है। परन्तु ऊपरी खालभर बदली है, भीतर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी उसकी दृष्टिमें भारतका स्थान गौण है। विदेशी कम्युनिस्ट उसको अधिक प्रिय है। चीनने भारतकी भूमिका कई हजार मीलका टुकड़ा दबा लिया है। सारा देश इससे रूष्ट है। प्रत्येक आत्मसम्मानी भारतीय कहता है कि अब चीनका विश्वास नहीं किया जा सकता, हमको अपनी भूमि वापस लेनी है, परन्तु कम्युनिस्ट पार्टी चीनको आक्रमणकारी नहीं मानती। उसका मुझाव है कि भूमिकी समस्या बातचीत करके सुलझायी जाय। हमारी सम्पत्ति कोई उठा ले जाय और हम डाका डालनेवालेसे समझौता करे, ऐसा परामर्श वही दे सकता है जिसको न देशसे प्रेम है, न इसके गौरवका खयाल है। पार्टी भले ही लोकतन्त्रके नामकी दुहाई दे परन्तु उसका वास्तविक झुकाव किधर है, इसका अन्दाज तो उस अल्पकालमें ही लग गया जब केरलका

शासन उसके हाथमे था ।

१९४२ का आन्दोलन हमारे इतिहासका उज्ज्वल अध्याय है । लोगोने जिस त्याग, जिस धैर्य, जिस सूझ-बूझका परिचय दिया उसकी न हमको आशा थी, न सरकारको आशंका । बूढ़े, जवान और बालक, गृहस्थ और विद्यार्थी, दुधमुँहे बच्चोंको गोदमे लिये नारियाँ वीरताके जिस शिखरपर पहुँची उसकी इसके पहिले किसीको कल्पना भी नहीं थी । अन्त्यजको समाजमे आदरका स्थान नहीं है, अपने भगवान्के सामने मन्दिरमे जानेका अधिकार नहीं है, पर देशकी वेदीपर उसने भी अपना सिर रख दिया । यदि हिंसात्मक लड़ाई होती तो गाँव-गाँवमे स्मारक बन जाते, उनकी तलवारें पीढियोतक उनके घरमे पूजी जाती । हमारे गृहीद और सैनिक तो कोई संस्मारक नहीं छोड गये, हम उनके नामतक भूल गये ।

आन्दोलन अनन्त कालतक नहीं चल सकता था । जहाँ वर्षामे जलसे उन्मत्त उत्ताल तरंगे देख पडती थीं वहाँ पानी रुक-रुककर बहने लगा, धीरे-धीरे गति बन्द हो गयी । यह अनिवार्य था । हमारे कार्यकर्ता वेतनभोगी सैनिक नहीं थे । उनको अपनी घर-गृहस्थी भी चलानी थी । लोग माफ़ी माँगकर घर नहीं आये, परन्तु जेलसे बाहर आकर फिर नहीं गये । सरकारकी चिन्ता दूर हुई । आन्दोलन टव गया परन्तु देशके हृदयपर क्रोध, असन्तोष और इच्छाभिघातकी जो गहिरी लकीर खिच गयी उसे मिटाना तलवारके बसकी बात नहीं थी । स्त्रियोके माथेका सिन्दूर फुँछ गया था, गोठे सूनी हो गयी थी, घरके दीपक बुझ गये थे—यद् ज्वाला आकाशतक पहुँच रही थी और विदेशी शासनके विरुद्ध रौद्री शक्तिके चरणोंमे अपील कर रही थी ।

इस वारके जेल-जीवनमे विशेष प्रकारकी गम्भीरता थी । पुराने-पुराने कार्यकर्ताओकी आँखे एक जेलसे दूसरे जेल जाते समय डबडवा उठती थी । यह निश्चय नहीं था कि फिर भेट होगी या नहीं । काशी जेलमे मुझको समाजवादपर कई व्याख्यान देनेका अवसर मिला । जो

लोग इस व्याख्यानमालामें उत्साहसे सम्मिलित हुए थे उनमें श्री राज-नारायणसिंह भी थे। आजकल तो गायद उन्होंने अपने नामसे 'सिंह' निकाल रखा है। तुलसीकृत रामायणके बड़े भक्त थे। आन्दोलनमें बड़े जोशमें काम किया था। आज भी बड़ी लगन और मेहनतसे काम करते हैं। उनमें एक बड़ा गुण यह है कि चेहरेपर जल्दी क्रोधके लक्षण नहीं देख पड़ते। इन सब बातोंको देखकर मुझे उनकी वर्तमान गतिविधिपर दुःख होता है। डॉ० लोहियाके पत्रशिष्य हैं, समाजवादी ढलके प्रमुख स्तम्भ हैं। परन्तु किसी रचनात्मक कामके पास नहीं जाते। सारा समय परच्छिद्रान्वेषण और परदोषदर्शनमें जाता है। इसीमें सारी योग्यताका अपव्यय होता है। यह ठीक है कि काम करना कठिन होता है, आलोचनामें कुछ लगता नहीं। ऐसे लोगोंको कवीरके इस दोहेपर मनन करना चाहिये :

बुरा जो ढूँढन मैं चला, बुरा न दीखा कोय ।

जो ढूँढा दिल आपना, मुझसे बुरा न होय ॥

काशीसे मैं बरेली बदल दिया गया। जेलका अधिकांश समय यहीं बीता। मेरे साथियोंमें श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन और स्वर्गीय श्री रफी अहमद किठवाई थे। श्री किठवाईके सम्बन्धमें दो शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा। मेरा बहुत-सी बातोंमें उनसे मतभेद रहता था परन्तु आपसी सम्बन्धमें कभी अन्तर नहीं आने पाया। अपनी मृत्युके एक दिन पहिले उन्होंने मेरे साथ चाय पी। मेरे यहाँसे ही उठकर स्टेशन गये। दूसरे दिन हृदयगति रुक जानेसे देहान्त हो गया। साम्प्रदायिकता उनमें झूठक नहीं गयी थी और दूसरोंकी सहायता करनेके लिए उनका हाथ सदा खुला रहता था। शत्रु हो या मित्र, उनके यहाँसे रिक्तहस्त नहीं लौट सकता था। अपने पास पैसा न हो—और ऐसा बहुधा होता था—परन्तु कहीं-न-कहींसे दिला देते थे। उनके विचार भी बहुत उदार थे। कुछ कारणोंसे कांग्रेस समाजवादी ढलके विरुद्ध थे परन्तु समाजवादी कार्यक्रमकी प्रायः सभी बातोंका समर्थन करते थे। उनके ग्राम मसौलीमें उनका

बहुत सुन्दर मकबरा बन गया है ।

जेलके साथियोमे डॉ० ब्रह्मानन्द अग्निहोत्री भी थे । यह प्रेम महाविद्यालयमें मेरे विद्यार्थी थे । वी० एस-सी० की डिग्री लेकर यूरोप चले गये । जर्मनीमे पी-एच० डी० हुए और जर्मनी, आस्ट्रिया तथा जेको-स्लोवाकियामे ही लगभग बीस वर्ष बिताये । युद्ध छिडनेपर भारत लौट आये क्योंकि ब्रिटिश प्रजातन्त्र होनेके कारण जर्मनीमे कैद कर लिये जानेका डर था । परन्तु जर्मनीमे बीस साल रहे थे, इसलिए ब्रिटिश सरकारको भी इनपर सन्देह था । इसलिए यहाँ गिरफ्तार कर लिये गये । यह दुःख है कि इनके ज्ञान और अनुभवसे समुचित लाभ न उठाया जा सका ।

इस बार भी मेरा समय पढने-लिखनेमे ही कटता था । वरेली जेलमें ही मैंने अपनी दर्शनकी पुस्तक 'चिद्विलास' समाप्त की । साथियोमे टण्डनजी और रफी साहबको अंतरजका बहुत शौक था । घण्टो खेला करते । मैं तो थोड़ी देर देखनेके बाद ऊब जाता था । जेलमे ही मुझे गठिया हुई । बहुत-सा उपचार करके हार गया हूँ । अब तो यह समझता हूँ कि इस जीवनमे इस रोगसे छुटकारा नहीं पाना है ।

वरेलीमें तो नहीं परन्तु काशीमे मेरे साथ बहुत-से नवयुवक थे । इनमेसे अधिकांश विश्वविद्यालयके छात्र थे या रह चुके थे । यह देखकर आश्चर्य और दुःख होता था कि इनमेसे स्यात् ही किसीको स्वाध्यायका शौक रहा होगा । कई तो समाचारपत्रतक नहीं पढते थे । मैं इन लोगोको बराबर पढनेके लिए प्रेरित करता रहता था । यह प्रसन्नताकी बात है कि प्रायः सबने ही मेरा कहना मान लिया । कुछने मुझसे बतलाया कि कालेज छोडे आठ-दस साल हो गये । इतने दिनोके बाद अब पुस्तकमे हाथ लगाया है । यह हमारी शिक्षापद्धतिका बडा दोष है कि वह ज्ञान-पिपासा नहीं जगाती । लोग किसी प्रकार परीक्षामे उत्तीर्ण हो जाते हैं, फिर पुस्तकमे हाथ नहीं लगाते । जगत्के ज्ञानभण्डारमें नित्य वृद्धि हो रही है परन्तु पढ़ाई समाप्त करनेके बाद हमारा स्नातक उसकी ओर आँख उठाकर नहीं देखता । यह दुःखका विषय है ।

इस अव्यायमे में कुछ जिक्र उन उपायोका करना चाहता हूँ जिनके द्वारा सरकारने आन्दोलनको कुचलनेकी और राष्ट्रको हतोत्साह करनेकी चेष्टा की। दमन तो होना ही था पर उस दमनके स्वरूपको आँखके सामने रखना चाहिये। इन बातोका चर्चा करनेमें मुझे कोई खास मजा नहीं आता, न मैं अग्रेजोके विरुद्ध क्रोध और प्रतिगोधकी भावना जगाना चाहता हूँ। अग्रेज चले गये, उनके प्रति दुर्भावना रखना भूल है। परन्तु उस सघर्षकालकी विस्मृति भी न होनी चाहिये। यदि हमने सगस्र विद्रोह किया होता तो इतिहास इस बातकी साक्षी देता कि कहीं-कहीं लडाइयाँ हुईं, कितने हताहत हुए, कौन-कौन सेनापति थे। हमारी लडाईं विलक्षण थी। निहत्था राष्ट्र वलशाली सरकारसे लड रहा था। एक विभीषणने लकाके राजाको उच्छिन्न कर दिया, यहाँ न जाने कितने विभीषण थे। सेना और पुलिसमें भारतीय भरे थे। मजिस्ट्रेट बहुधा भारतीय थे, गुप्तचर भारतीय थे, भारतीय जनता ही सरकारकी कोपपूर्ति करती थी। इतिहासके पृष्ठोपर महात्माजी तथा कुछ अन्य बड़े नेताओके नाम अंकित होंगे, उन छोटे आदमियों, उन स्वयंसेवको, उन सहस्रो पुरुषो और स्त्रियोका कहीं चर्चा होगी जिन्होंने अपने सर्वस्वकी बाजी लगाकर गाँव-गाँवमें मोर्चा लिया था ? उनके ही त्याग और गौर्यने देशको स्वतन्त्र किया। परन्तु न कोई उनका नाम जानता है, न उनकी कीर्तिमें परिचित है। उनका काम कितना कठिन है। गस्रधारी सिपाही हार भी जाय तो उसको यह सन्तोष रहता है कि मैंने शत्रुसे कुछ तो लोहा लिया,



कुछ तो प्रतिघात किया, परन्तु अहिंसक योद्धाको यह तोप भी नहीं मिलता। उसने अपनी प्रतिज्ञासे स्वयं अपनेको बाँध लिया है। वर्षाके वर्णनमें तुलसीदासजीने लिखा है :

बुन्द अघात सहहिं गिरि कैसे । खलके वचन सन्त सह जैसे ॥

अहिंसक सिपाही वचन ही नहीं, आर्थिक और शारीरिक आघात भी सहता है पर उफ़ नहीं करता।

आजकी नयी पीढीको हमारी राजनीतिक दासताके स्वरूपका अन्दाज नहीं हो सकता, उसको यह नहीं विदित है कि वह जिस स्वाधीनताका उपभोग कर रही है उसके लिए क्या मूल्य देना पडा था। यह बातें जाननी चाहिये, तभी इस स्वतंत्रताकी रक्षा हो सकेगी। कमसे कम अन्तिम युद्धका वृत्त तो जानना ही चाहिये, यद्यपि हमारा सारा सर्वर्ष त्याग, तपस्या और वीरताकी कहानी है।

सरकारी ढमनका प्रश्न केन्द्रीय असेम्बलीमें उठाया गया और उसपर चार दिनतक वाद-विवाद हुआ। किस तरह युवकोको थप्पड़ो, धँसो और लातोंसे पीटा गया, उनके पाँवके तलवोपर वेत लगाये गये, किस प्रकार पुलिस और सेनाने लूटपाट किया और सम्पत्ति नष्ट की, गाँवके गाँव जला दिये, लोगोसे जबरदस्ती रुपया लिया, भीड़ोपर हवाई जहाजसे मशीनगन चलायी गयी—इन सब बातोंका चर्चा हुआ। सदस्योंके पास इस प्रकारकी बहुत-सी रिपोर्टें थीं। सरकारकी ओरसे गृह-सचिव, सर रेजिनल्ड मैक्सवेलने लम्बी स्पीच दी। उसका वर्णन सरदार सन्तसिंहने यो किया : 'अर्धसत्य, अयथार्थ और बहुधा झूठसे भरी कहानी'।

मध्यप्रदेशके चिमूर गाँवका काफी चर्चा सुननेमें आता था। पुलिस गिरफ्तारीके लिए गयी थी। गाँववालोसे झगडा हो गया, चार सरकारी आदमी मारे गये। यह बुरी बात थी, कांग्रेसके सिद्धान्तके विरुद्ध थी, सभीने इसकी निन्दा की। परन्तु अधिकारियोने जिस प्रकार बदला लिया उसने सभी सीमाओंका अतिक्रमण कर दिया। पुलिसको खुली छूट

दे दी गयी कि वह जो चाहे सो करे। और बाते तो हुई ही, कई स्त्रियों-के साथ बलात्कार किया गया। न कोई जाँच हुई, न किसीको दण्ड दिया गया। इसपर प्रोफेसर भसालीने आमरण अनगन किया। सरकारने समाचारपत्रोंको आज्ञा दी कि प्रोफेसर भसाली या उनके अनगनका कोई समाचार न छापा जाय। इसपर पत्र-सम्पादकोंने यह निश्चय किया कि हम सरकारी परिपत्र, ब्रिटिश मन्त्रियों और भारतके केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासकोंके भाषण और नववर्षमें दी गयी उपाधियोंकी सूची न छापेंगे। प्रोफेसर भसालीके साठ दिनके अनगनके बाद मध्यप्रदेश सरकारने बलात्कारके मामलेकी जाँच करनेका निश्चय किया। प्रेसपरसे रोक उठा ली गयी। इसपर प्रोफेसर भसालीने अनगन तोड़ दिया।

बहुत दबाव डालनेपर दमनकालके सरकारी ऑकड़े निकले। इनके अनुसार, १९४२ में अगस्तसे लेकर दिसम्बरतकका व्यौरा इस प्रकार है :

गिरफ्तारी ६०,२२९

नजरबन्द १८,०००

पुलिस और सेनाके हाथो मरे ९४०

(लोगोंका खयाल था कि यह संख्या ५००० तक जाती है।)

आहत १,६३०

सेनासे ६० बार काम लिया गया और पुलिसने ५३८ बार गोली चलायी। निःशस्त्र भीड़ोंपर पाँच बार मशीनगन चलायी गयी।

किसीने इन ऑकड़ोंपर विश्वास नहीं किया।

सरकारी अत्याचारोंने ऐसे लोगोंको भी क्षुब्ध कर दिया जिनका कांग्रेससे कोई सम्बन्ध नहीं था। सिन्धके प्रधान मन्त्री श्री अह्लाह बख्ताने सरकारसे प्राप्त सारी उपाधियाँ लौटा दी। इसपर वह यह कहकर पदच्युत कर दिये गये कि सरकारका उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। बंगालके वित्तमन्त्री डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जीने पदत्याग कर दिया।

सरकारी आँकड़े गलत ही सही, परन्तु उनसे भी उस समयकी परिस्थिति और सरकारी दमनके स्वरूप और उसकी मात्राका अनुमान तो हो ही जाता है। फिर भी मैं अपने जिले, बनारसके सम्बन्धमें अधिक विस्तारसे बताना चाहता हूँ। इससे सरकारी बयानोका झूठापन सिद्ध हो जायगा और इस बातका भी पता चलेगा कि लोगोको क्या कुछ सहना पडा। काशीमें आन्दोलनका बहुत जोर था परन्तु दूसरी जगहोमें, विशेषतः पूर्वा उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बिहारमें, न्यूनाधिक सर्वत्र ऐसा ही रहा।

१९४५ में बनारसकी जिला और शहर कांग्रेस कमेटियोने सरकारी दमनकी जाँच करनेके लिए एक कमेटी नियुक्त की। उसके सदस्य निम्न-लिखित थे :

श्री अब्दुल अलीम वी० ए०, एल-एल० वी०, ऐडवोकेट—अध्यक्ष

श्री राजनारायण सिंह

श्री सीताराम जौहरी

} सदस्य

श्री रघुनाथसिंह एम० ए०, एल-एल० वी०, ऐडवोकेट, सदस्य और मंत्री।

कमेटीने सितम्बरमें अपनी रिपोर्ट दी। उसने जितनी सावधानीसे काम किया था उसका अनुमान रिपोर्टकी प्रस्तावनाके इस अवतरणसे मिलता है : “कमेटीने १२७ साधियोके बयान लिये हैं, २१७ व्यक्तियोसे रिपोर्टें प्राप्त की हैं, ५७ मुकदमोके फैसले पढे हैं, किंग एडवर्ड और हिन्दू विद्वविद्यालयके अस्पतालोसे मृतो और घायलोके नामोको मिलाया गया है। हमने मौकोका मुआइना किया है और छ डिक्टेटरो अर्थात् सर्वश्री ढामोदरदास साह, सत्येन्द्रकुमार वसु, शिवदत्त वैद्य, हरिफलसिंह, सियाराम और शीतल-प्रसाद श्रीवास्तवसे समय-समयपर पूछताछ की है। हमने सरकारी अफसरोमें भी सूचना प्राप्त की है।”

इस अव्यायमें सारी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती, कमेटीने एक-एक बात मप्रमाण लिखी है, जिस-जिस घटनाका जिक्र किया है उससे सम्बद्ध व्यक्तियोके पूरे नाम और पते दिये हैं। उस पूरे व्योरेका भी यहाँ समावेग

नहीं किया जा सकता है। परन्तु आँकड़े पर्याप्त हैं। यह अंक उस समयकी अमर कहानी पुकार-पुकार कर सुना रहे हैं :

१. लाठी-चार्ज—	१४ जगह
२. पुलिसकी गोली—	
(क) स्थान	२३
(ख) मृत	१८
(ग) आहत	१७८
(घ) मुठभेड़में पुलिसवाले मृत	३
(ङ)     "     "     आहत	३
३. पुलिसकी मारसे मृत—	३

४. पीटे गये व्यक्ति— (बहुधा पेड़ोंसे बाँधकर) ७३

५. स्त्रियोंके साथ बलात्कार—(कमसे-कम) ५। एक जगह रेलवेके बेटिंग रूममें माँ और बेटीके साथ एक साथ बलात्कार किया गया।

६. स्त्रियोंके साथ दुर्व्यवहार— सरख्या नहीं दी जा सकती। एक जगह एक स्त्री प्रसवके समय घरसे निकाल दी गयी। खेतमें ही बच्चा हो गया। यमुना दुबेके घरपर धावा हुआ। वह घरपर नहीं थे। पुलिसने एक बच्चेको जलती आगपर उठा लिया और उसको भून डालनेकी धमकी दी। उसकी माँने गलेमेंसे सोनेका गहना निकाल कर दिया तब बच्चेकी जान बची।

७. खुले आम वेत लगाना—

संख्या नहीं दी जा सकती ।  
कानूनके अनुसार ऐसा नहीं  
किया जा सकता । कभी-कभी  
पन्द्रह-पन्द्रह आदमियोंको एक  
साथ बँधकर वेत लगाये गये ।

८. मकान ढहाये गये—

(कमसे कम) ४

९. मकानमे आग लगाना—

(कमसे कम) ८

१०. व्यक्तियोंपर तथा गँवोंपर सामूहिक

जुरमाना—

१,८६,८१९

११. जिलेके बाहर निकाले गये—

११७

१२. नजरबन्द

३०६

१३. जेलकी सजा

५५० से ऊपर

१४. कालापानी

१४

१५. फाँसीकी सजा

३

यह तो एक जिलेके आँकड़े हैं । इनसे यह अनुमान हो सकता है कि सारे देशके आँकड़े क्या रहे होंगे । इससे बढ़कर यह बात जानी जा सकती है कि सरकारकी ओरसे कितने बड़े बयान दिये जा रहे थे ।

परन्तु आँकड़े आँकड़े ही हैं । कागजपर खिची यह जड रेखाएँ हृदयकी वेदनाको, भावनाओंको, भला कहीं व्यक्त कर सकती हैं । जिस स्त्रीका अमूल्य रत्न, उसका सतीत्व लूट लिया गया उसकी पीडाको दिखानेकी शक्ति किसमें है ? जिस कुलवधूका सिन्दूर पुँछ गया उसको कौन सान्त्वना दे सकता है ? जिस माँको यह समाचार मिला कि अपने साथियोंके साथ विश्वासघात न करनेके लिए उसके जवान बेटेको गोली मार दी गयी उसकी आँखोंके छलकते आँसुओंको कौन पोछ सकता है ? जिस स्त्रीको (बलात्) नंगी होकर अपने पतिको वेत लगते देखना पडा उसके अपमानका क्या कोई मूल्यांकन हो सकता है ? और यह उत्कृष्ट चरित्रबल समाजके नीचेमे नीचे वग़ौने दिखलाया, ऐसे लोग जिनको समाज छोटा और

अस्पृश्य समझता है। बड़े ही नहीं, बचोतकने इस परीक्षाकी घड़ीमें मौके दूधकी लाज रक्खी। शान्तिके साथ पाठव व्यवहारको बर्दाश्त किया परन्तु सिर न झुकाया।

लडाई तो समाप्त हो गयी परन्तु इन वीरो और हुतात्माओकी गाथा हमारी अश्रय्य निधि है। इन्होंने भारतकी सुपुत आत्माको जगाया और उसको पुनः उस आन्यात्मिक सम्पत्ति, उस दैवी सम्पत्, उस लोकसग्रह भावना, का दायाद बनाया जो उसको अपने पूर्वजोंसे मिली है। इन्होंने अपनेको धूलिमें मिला दिया परन्तु राष्ट्र-वजको झुकने न दिया।

हमको एक सवक और सीखना है। जो जुल्म-ज्यादती हुई वह भारतीयोंके हाथो हुई। मुखविर भारतीय थे, खुफिया पुलिसमें भारतीय थे, गिरफ्तार करने और सजा देनेवाले भारतीय थे, लटने और आग लगाने-वाले भारतीय थे, स्त्रियोंकी इज्जत उतारनेवाले भारतीय थे, गद्य और पद्यमें ब्रिटिश राजकी महिमा गानेवाले भारतीय थे। अंग्रेज कुत्तोंके सामने टुकड़े फेंककर अपने घरकी रखवाली कराता था। गन्दे काम भारतीय हाथोंसे कराता था, स्वयं दूरसे बैठ-बैठा तमाशा देखता था। हमने उनके इन भारतीय पिट्टुओंको देखा है। उनसे क्रोध करके क्या होगा? उनके नाम लेकर भी क्या होगा? मैं उनका चर्चा तो इसलिए कर रहा हूँ कि उनसे सवक लेना चाहिये। विदेशी शासन शासितोंके चरित्रको गिरा देता है। जिसका सम्पर्क सरकारसे जितना ही निकटका होता है उसका उतना ही पतन होता है। विदेशी सरकार जिससे काम लेती है उसको निर्लज्ज और स्वदेशवासियोंसे पराङ्मुख बना देती है। उस समयके सरकारी अफसरो-में विश्वविद्यालयोंसे ऊँचीसे ऊँची शिक्षा पाये हुए लोग थे परन्तु जिम्मेदारीके पदोंतक पहुँचते-पहुँचते वह सारा चरित्र खो बैठे थे। स्वाधीनता, नागरिक अधिकार, क्रान्ति, इन विषयोंपर बहुत-सी पोथियाँ पढ़ी थी, घण्टो व्याख्यान दे सकते थे, परन्तु यह सब सिद्धान्त अपने देशके लिए नहीं थे, यो वह लोग भी अपनेको देशभक्त कहते थे। गुलाम अपने स्वामियोंके ठोकर खाता रहता है : दूसरोंको अपमानित करनेमें ही उसके चित्तको

कुछ शान्ति मिलती है। मैं जानता हूँ कि कुछ मरकागी आदमियोंके लिए उस परिस्थितिमें काम करना असम्भव हो गया। वह अपने गरीब आत्मसम्मानको कुचलनेमें असमर्थ रहे और अपने भाइयोंपर अत्याचार करनेमें ग्लानिका अनुभव करने लगे। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वह हमारे आदरके पात्र हैं।

हमारा कर्तव्य है कि अपने वीर कार्यकर्ताओंके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करें और प्राणपनमे उस स्वाधीनताकी रक्षा करें जो हमको उनके प्रसादके रूपमें मिली है। उसका बहुत मूल्य देना पडा है, कहीं प्रसादमे हम इसे खो न बैठें। परतन्त्रता, विदेशी शासन, के भयावह परिणामोंको भी सतत सामने रखना है। यह देश महान् है। उसका बोझ उन्हीं लोगोंके कन्धे वहन कर सकते हैं जिनका चरित्र महान् है। ● ● ●

## : १८ : आइ० एन० ए०—भारतीय राष्ट्रीय सेना

आइ० एन० ए० के नामसे विख्यात इण्डियन नैशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेनाका इतिहास १९४२ के इतिहासका अंग है परन्तु उसको पृथक् अध्याय देना उचित प्रतीत होता है।

अंग्रेज साम्राज्यके अन्तर्गत होनेके बाद भारतका अन्ताराष्ट्रीय अस्तित्व मिट गया। कुछ बड़े राज्योंसे अंग्रेजोंकी जो सन्धियाँ हुई थीं वह वैसी ही थीं जैसी कि बराबरके स्वतन्त्र देशोंमें होती हैं पर वह कागज पुराने हो गये थे। अंग्रेज देशके अधिपति हो गये थे। बराबरीका नाम लेना बेकार था, भारत सरकारने घोषित कर दिया था कि इन राज्यों और अधिपतियोंके बीचमें जो सम्बन्ध था उसमें अन्ताराष्ट्रीय विधानके सिद्धान्त नहीं लागू होते। किसी राजा-नवाबको आपत्ति करनेका साहस न हुआ।

एक बार एक प्रश्न उठा था जो अन्ताराष्ट्रीय विधानकी परिधिमें आ सकता था। १९०७ में सावरकर इंग्लैण्डसे गिरफ्तार करके भारत लाये जा रहे थे। जब जहाज मार्सेल्लज पहुँचा तो वह समुद्रमें कूद पड़े और तैर कर किनारे आ गये। फ्रेंच भूमिपर पॉव रखते ही वह मुक्त हो गये और राजनीतिक आश्रयके अधिकारी हो गये। यदि ब्रिटिश सरकार उनको चाहती थी तो उसे फ्रांसकी गवर्नमेण्टको लिखना पड़ता, मामला फ्रेंच मजिस्ट्रेटके सामने पेश होता और यदि वह आज्ञा देता तो सावरकरका प्रत्यर्पण होता। यह सब कुछ न हुआ। जहाजके कप्तानके कहनेपर एक पुलिसवालेने सावरकरको पकड़कर हवाले कर दिया। अन्ताराष्ट्रीय



व्यवहारकी इस अवहेलनाका काफी चर्चा रहा, परन्तु एक यूरोपियन राष्ट्रके रगीन नागरिकके लिए फ्रेंच सरकारको अधिक चिन्ता नहीं थी। उसने बात आगे नहीं बढ़ायी।

प्रथम महायुद्धके बाद जो सन्धिपत्र लिखा गया उसपर भारतीय हस्ताक्षर भी मिलेगे। राष्ट्रसंघके संस्थापकोंमें भी भारतीय थे। पर वह भारतके प्रतिनिधि नहीं थे, भारत सरकारने इनको अपनी ओरसे नियुक्त कर रक्खा था। इससे किन्हीं भारतीयोंका जी भले ही खुश हो गया हो परन्तु भारतको राष्ट्रोंके बीचमें कोई स्थान नहीं मिला।

आइ० एन० ए० की बदौलत भारतके राजनीतिक जीवनमें अन्ताराष्ट्रीय सिद्धान्तोंका पहिली बार प्रवेग हुआ। इस सेनाके जन्मदाता श्री सुभाषचन्द्र बोस थे। उनको सुभाष बाबू कहा करते थे। पीछेसे नेताजीके नामसे ख्याति हुई। यह दुर्भाग्यकी बात है कि सुभाष बाबू और कांग्रेसके बड़े नेताओंमें बराबर तीव्र मतभेद रहा। जवाहरलालजीपर महात्माजीको जितना विश्वास था उतना और किसीपर नहीं था, परन्तु ऐसे भी लोग थे जो ऐसा मानते थे कि जवाहरलालसे सुभाष अधिक योग्य थे। कभी-कभी उनके बयान नेताओंको दिक्कतमें डाल देते थे।

१९३९ में वह कांग्रेस अध्यक्षपदके लिए खड़े हुए। उनके प्रतियोगी डा० पद्मामि सीतारामैयाको महात्माजीका समर्थन प्राप्त था। महात्माजीने स्पष्ट कह दिया कि सुभाषको वोट देना मुझमें अविश्वास प्रकट करना है। यह गम्भीर बात थी। महात्माजीपर सबको विश्वास था, परन्तु यह भी साफ प्रतीत होता था कि सुभाष बाबूके साथ अन्याय हो रहा है। यह हमको अच्छा नहीं लगा। मैं स्वयं उनका समर्थक था। वह चुनावमें जीत गये। परन्तु उनके साथ फिर भी उदारताका व्यवहार नहीं हुआ। महात्माजी और दूसरे बड़े नेताओंने उनसे असहयोग कर दिया। उन लोगोंने कहा कि हमारा इनसे मतभेद है, इसलिए हम इनके साथ काम करनेका दायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकते। सुभाषको तेज ज्वर आ रहा था, परन्तु यहाँतक कहा गया कि वह बहाना कर रहे हैं। इस

वातावरणमें उनके लिए काम करना असम्भव हो गया। वर्किंग कमेटी न बन सकी। सिवाय अलग हो जानेके और कोई उपाय नहीं था। उनकी जगह राजेन्द्र बाबू स्थानापन्न अध्यक्ष चुने गये। इस प्रकार जिस व्यक्तिको बहुसंख्यक कांग्रेसजनने अपना विश्वासपात्र घोषित किया था और अव्यक्ष चुना था उसको काम करनेका अवसर नहीं दिया गया। इस घटनासे लोकमतपर अच्छा प्रभाव नहीं पडा।

मई १९३९ में उन्होंने 'फारवर्ड ब्लॉक' बनाया। इसके कुछ ही दिन बाद उनके विरुद्ध अनुशासनभंगकी कार्रवाई की गयी। आरोप यह था कि उन्होंने स्थानापन्न अध्यक्षकी कुछ आज्ञाओका उल्लंघन किया था। वह बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षपदसे पृथक् कर दिये गये और यह भी आज्ञा हो गयी कि तीन सालतक कांग्रेसमें किसी पदपर न रह सके। इस दण्डकी प्रतिक्रिया भी अच्छी नहीं हुई। लोगोंको ऐसा लगा कि बढलेकी भावनासे ऐसा किया गया। उनकी प्रतिष्ठामें और चारचौद लग गये। इसके बाद ही उन्होंने सारे देशका दौरा किया। दौरा बहुत ही सफल रहा। सर्वत्र उनका आदर हुआ। लखनऊमें वह तीन दिनतक मेरे साथे ठहरे थे।

२ जुलाई १९३९ को वह गिरफ्तार किये गये। २५ नवम्बर सन् १९४० को उन्होंने अनशन आरम्भ किया। इस सम्बन्धमें उन्होंने गवर्न-मेण्टको जो पत्र लिखा था उसका यह वाक्य स्मर्तव्य है : "जीवनमें इससे बढकर और क्या बात हो सकती है कि मनुष्य अपने लक्ष्यकी वेदीपर अपनी बलि दे दे ? यह आत्माकी प्रक्रिया है। व्यक्तिको अपने प्राण देने होंगे ताकि राष्ट्रको स्वतन्त्रता और विश्रुति प्राप्त हो।" जब उनका स्वास्थ्य विगडने लगा तो ५ नवम्बरको उनको छोड़ दिया गया। जेलसे आनेके बाद उन्होंने अपनेको सारे सार्वजनिक कामोंसे अलग कर लिया। बराबर अपने कमरेमें ही रहते थे। यह बात प्रसिद्ध हो गयी कि वह इन दिनों किसी कठोर साधनामें लगे हुए हैं। कुछ मित्र उनसे १६ जनवरी १९४१ को मिले थे। इसके बाद किसीसे भेंट नहीं हुई। २९ जनवरीको पता

चला कि वह लापता है ।

भारतके वर्तमान इतिहासमे सुभाष बाबूके इसके बादके जीवनके इतिवृत्तके जोडकी दूसरी कहानी नहीं मिल सकती । उसको पढ़कर उस जमानेकी स्मृति जाग उठती है जब शिवाजी और गजेवकी कैदसे निकलकर अनेक साहसिक चेष्टाओके बाद स्वदेश पहुँचे थे ।

ज्यो ही उनके गायब होनेका पता चला, देशमे सभी रेलवे स्टेशनों और पुलिस चौकियोंको सतर्क कर दिया गया, पर वह इस जालमेसे निकल ही गये । १८ जनवरीको पेगावर पहुँचकर उन्होने पठानके वेशमे अफगानिस्तानमे प्रवेश किया । छ सप्ताहक काबुलमे रहनेके बाद वह रूस गये । २७ मार्चको मॉस्को पहुँचे और दूसरे ही दिन हवाई जहाजसे बर्लिन आ गये । यहाँ जर्मनीमे वह लगभग दो साल रहे । यही राष्ट्रीय सेनाकी नींव पडी । जर्मनीमे जो भारतीय युद्धवन्दी थे उनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि आप लोग राष्ट्रीय सेनामें भरती होकर जर्मनीकी सहायता कीजिये, फिर युद्ध समाप्त होनेपर जर्मनी भारतको स्वतन्त्र करनेमे आपकी सहायता करेगा । ऐसा ही प्रस्ताव जापानमे भारतीय युद्धवन्दियोंसे किया गया । काफी लोग इस बातके लिए तैयार हो गये । भारतीय सैनिक अपनी अवस्थासे प्रसन्न नहीं थे । वह जिस स्वतन्त्रताके नामपर लड़ाये जा रहे थे वह उनके देशको नहीं मिलने वाली थी ; दूसरे देशके सिपाहियोंसे यह लोग आँख नहीं मिला सकते थे । वह लोग अपने-अपने देशके लिए लड़ रहे थे, भारतीय केवल पैसेके लिए ।

राष्ट्रीय सेनामे भरती होनेके आह्वानने इन लोगोको अपनी ग्लानि दूर करनेका अच्छा अवसर प्रदान किया । इन्होने अपने सैनिक अनुभवको अपने देशको अर्पित करनेका निश्चय किया । सेनाके सघटनके प्रवन्धके लिए जापानमे इण्डोपेण्डेस लीग—स्वाधीनतासघ—स्थापित किया गया । यह लोग जिस कठमको उठाने जा रहे थे उसकी गम्भीरताको खूब समझते थे । शस्त्रास्त्र जापानसे ही मिलने थे । इस सहायताका वह अनुचित

लभ न उठा सके, इस बातका निरन्तर ध्यान रखना था। वह भी स्पष्ट था कि अग्रेज यह प्रचार करेंगे कि यह नमकहराम सिपाही तो है ही, भारतमें जापानी राज कायम कराना चाहते हैं। २८ से ३० मार्चतक तोकियोमें एक कान्फरेस हुई। इसके सभापति प्रसिद्ध क्रान्तिकारी राज-विहारी बोस थे, जो कई सालोंसे जापानमें ही रहते थे। उसमें यह घोषित किया गया कि इस आन्दोलनका उद्देश्य 'बिना किसी दूसरे राष्ट्रके आधिपत्य, हस्तक्षेप या नियन्त्रणके, पूर्ण स्वाधीनता' है। यह भी निश्चय किया गया कि भारतके विरुद्ध जो भी सैनिक कार्रवाई की जाय उसे भारतीय अफसरोंके अधीन भारतीय राष्ट्रीय सेना ही करे। स्वाधीनता-सङ्घकी कार्यसमितिकी विशेष अभ्यर्थनापर जापानी स्थल, जल या वायु-सेना इस काममें सहायता दे सकती है। स्यामकी राजधानी बक्राकमं जून १९४२ में एक कान्फरेस हुई। उसमें निश्चय हुआ कि जापान सरकारसे अनुरोध किया जाय कि इस अभियान तथा भारतके प्रति उसकी जो नीति हो उसका स्पष्टीकरण कर दे। स्वाधीनतासङ्घका बराबर यह प्रयत्न रहा कि जापान सरकार उसको अपने राज्यविस्तारका साधन न बना ले। उसने सेनाको बर्मा भेजनेसे इनकार कर दिया, जब-तक कि जापान सरकार अपनी नीतिका स्पष्टीकरण न कर दे। इस बातसे रूढ़ होकर जापानियोंने दो प्रमुख भारतीय नेताओं, जनरल मोहन-सिंह और कर्नल गिलको कैद करके तनहाईमें बन्द कर दिया। उन्होंने सङ्घका बल क्षीण करनेको एक दूसरी भारतीय सङ्घा भी खड़ी करनी चाही। परन्तु उनके प्रयास विफल हुए। अन्तमें उन्होंने जर्मन सरकारसे अनुरोध किया कि सुभाष बोसको एशिया आनेकी अनुमति दी जाय। वह २ जुलाई सन् १९४२ को सिगापुर पहुँचे और ४ जुलाईको स्वाधीनता-सङ्घके अध्यक्ष चुने गये।

उन्के आते ही काम जोरोंसे चल पडा। आन्दोलनको सुसङ्घटित किया गया और सेनाका प्रशिक्षण आरम्भ हुआ। २२ अगस्त १९४३ को डॉ० लक्ष्मीके अधीन 'झाँसीकी रानी' नामसे स्त्रियोंकी पलटन खड़ी की

गयी। इसने बहुत अच्छा काम किया। सैनिकोंकी शुश्रूपाका काम इसके सुपुर्द था। १९४५ में इसे तोड़ दिया गया।

आइ० एन० ए० का प्रसिद्ध नारा था 'दिल्ली चलो'। सेनाको सम्बोधन करते हुए सुभाषने एक अवसरपर कहा था : "मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ अँधेरेमें और उजालेमें, सुखमें और दुःखमें, कष्टमें और विजयमें बराबर रहूँगा। इस समय तो मैं तुमको भूख, प्यास, कष्ट और मृत्युके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। भारतको स्वतन्त्र देखनेके लिए हमसे कौन जीता रहेगा, इसका कोई महत्त्व नहीं है। इतना ही पर्याप्त है कि भारत स्वतन्त्र होगा और उसको स्वतन्त्र करनेके लिए हम अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। ईश्वर हमारी सेनाको आशीर्वाद और विजय प्रदान करे। आनेवाले युद्धके अन्तमें हमारी ही विजय होगी। हमारा काम तबतक समाप्त न होगा जबतक हममेंसे जो लोग बच रहेंगे वह ब्रिटिश साम्राज्यके झमान, दिल्लीके लाल किलेमें जाकर परेड न कर लेंगे।"

आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकार २१ अक्टूबर १९४३ को स्थापित हुई। उसके प्रमुखके नाते नेताजीने सबसे पहिले भारतके प्रति इन शब्दोंमें निष्ठाकी शपथ ली : "ईश्वरके नामपर मैं यह पवित्र शपथ लेता हूँ कि भारतको मुक्त करनेके लिए मैं अपनी अन्तिम साँसतक स्वाधीनताके इस पवित्र युद्धको जारी रखूँगा।" नयी सरकारको जर्मनी और जापानने तत्काल स्वीकृति दे दी और जापानकी सरकारने बंगालकी खाड़ीके अण्डमान और निकोबार टापू इनको हस्तान्तरित कर दिये। इनको 'शहीद द्वीप' और 'स्वराज द्वीप' नाम दिये गये। इस सरकारकी स्थापनासे प्रसन्नताकी जो लहर उठी उसका अनुमान इसी एक बातसे हो सकता है कि दक्षिणपूर्व एशियामें रहनेवाले भारतीयोंने चन्दा करके ८ करोड़ रुपया इसको भेंट किया।

उस सेनाने क्या-क्या काम किया, इसका व्योरा देनेकी आवश्यकता नहीं है। वह भारतकी सीमातक पहुँची, पर इसके आगे न बढ़ सकी।

जापानसे शस्त्रास्त्रके रूपमें जिस सहायताकी आशा थी वह पूरी न हुई। जर्मनी हार चुका था, हिरोशिमापर परमाणु बम गिरनेके बाद जापानने भी हथियार डाल दिये। आइ० एन० ए० को भी अगत्या हथियार रख देने पड़े। नेताजीकी मृत्यु वायुयामदुर्घटनासे बतयी जाती है, परन्तु उनके भक्तोंमें अब भी ऐसे लोग हैं जिनका यह विश्वास है कि वह अभी जीवित हैं और एक दिन भारतका फिरसे नेतृत्व करेंगे।

हमारे इतिहासके इस महत्त्वपूर्ण अध्यायकी इस प्रकार समाप्ति हो गयी। अध्याय छोटा परन्तु गानदार था। राष्ट्रीय सेनाकी हार हुई, परन्तु यह हार बहुत-सी जीतांसे अधिक गौरवपूर्ण थी।

यह बड़े दुःखकी बात है कि नेताजी कभी भी महात्माजीके कृपापात्र न बन सके। गान्धीजीने 'अग्रेजो, भारत छोडो' आन्दोलनके आरम्भके कुछ ही पहिले 'हरिजन'में एक लेखमें लिखा था : "मैं नहीं चाहता कि किसी राष्ट्रकी इसलिए खुशामद करूँ कि वह भारतको विदेशी शासनसे मुक्त होनेमें सहायता करे। मैं नहीं चाहता कि अग्रेजोंकी जगह किसी दूसरेका राज्य हो जाय। जिम शत्रुको मैं नहीं जानता उससे वही शत्रु अच्छा है जिसे मैं जानता हूँ। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं सुभाषकी नीतिका समर्थन करूँ। वह भ्रान्त है और उनके तरीकोसे भारतका कभी उद्धार नहीं हो सकता।" परन्तु यह हर्षकी बात है कि सुभाषने अपने मनमें महात्माजीके लिए कभी दुर्भाव नहीं रखा। ४ जुलाई १९४४ को उन्होंने रेडियोपर महात्माजीके लिए यह सन्देश प्रेरित किया . "अपनी योग्यताके अनुसार देशकी इतने दिनोतक सेवा करनेके बाद, मेरी यह इच्छा नहीं हो सकती कि किसीको मुझे देशद्रोही कहनेका अवसर मिले। अपने देशवासियोंकी उदारता और स्नेहसे मुझे वह आदर मिला जिससे बड़ा आदर भारतमें किसी कार्यकर्ताको नहीं मिल सकता। यदि मुझे रत्तीभर भी ऐसी आशा होती कि विदेशी सहायताके बिना हमको स्वराज मिल जायगा तो मैं ऐसे सकटके समय भारतको न छोडता। मैंने अपने जीवन

और भविष्यको खतरेमें डाला है। राष्ट्रपिता, स्वाधीनताकी इस पवित्र लड़ाईमें हम आपका आशीर्वाद और सद्भाव चाहते हैं।” पर यह नहीं होना था। सारा देश उनकी और उनके साथियोंकी वीरता और देश-भक्तिकी सराहना कर रहा था। उनकी मृत्युके समाचार आनेपर जो नेता लोग उनको सदा दूर रखते थे उनकी प्रशंसा करनेपर विवश हुए, पर उनके जीवनकालमें उनको उधरसे सहानुभूति न मिल सकी।

राष्ट्रीय सेनाका अस्तित्व तो समाप्त हो गया, परन्तु पटाक्षेप होनेके पहिले उसके जीवननाट्यका अन्तिम दृश्य अभी जोप था। सभी लोग इन वीरोंके लिए चिन्तित थे। ब्रिटिश सरकार तो इनको युद्धसे भाग जानेवाले मानती थी और इनपर राजद्रोहका मुकदमा चलाना चाहती थी। सारा देश इससे क्षुब्ध और क्रुद्ध था। अंग्रेजोंका उद्देश्य तो यह था कि भारतीय सैनिकोंको ऐसा सबक पढाया जाय कि भविष्यमें किसी ऐसी परिस्थितिके उत्पन्न होनेपर वह ऐसा काम न करे। जनता हाथपर हाथ रखकर बैठनेको तैयार नहीं थी। जनमतके दबावसे कांग्रेस नेताओंको भी इस ओर ध्यान देना पडा। चन्दा करके रुपया जमा हुआ और इनके वचावके लिए पूरी तैयारी की गयी।

वचावपक्षके प्रमुख वकील श्री भूलाभाई देसाई थे। उन्होने मुकदमेको जो स्वरूप दिया उसके लिए सरकार स्यात् ही तैयार रही होगी। मुकदमा भारतीय दण्डविधानकी परिधिसे निकलकर अन्ताराष्ट्रीय विधानकी परिधिमें आ गया। उनके तर्कका आधार यह सर्वमान्य सिद्धान्त था कि प्रत्येक राष्ट्रको स्वतन्त्र रहनेका जन्मसिद्ध अधिकार है और यदि किसी राष्ट्रपर विदेशी शासन हो तो वह स्वतन्त्र होनेके लिए सभी वैध साधनोंसे काम ले सकता है। वैध साधनोंमें शस्त्रप्रयोग परिगणित है। परन्तु अस्त्रोंका प्रयोग कुछ विशेष शर्तोंके अधीन ही किया जा सकता है :

५. जो लोग अस्त्र चलाते हैं उनको किसी निश्चित अधिकारयुक्त

संस्थाकी आज्ञामें काम करना चाहिये ।

२. उनके शरीरपर कोई निश्चित वृद्धि या अन्य चिह्न होना चाहिये जिसे वह पहिचाने जा सके और उनको नैतिकोकी भाँति रहना चाहिये, अर्थात् बराबर सैनिक नियन्त्रणमें रहना चाहिये, यह नहीं कि कभी चुपके-से हथियार चला ले और फिर दूसरे कामोंमें लग जायँ ।

३. जेनीवा और दूसरे अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनोंमें जो युद्धके नियम स्वीकृत हैं उनका पालन करना चाहिये ।

सरकार यह सिद्ध करना चाहती थी कि आइ० एन० ए० पर यह शर्तें लागू नहीं होती । श्री देसाईने यह प्रमाणित कर दिया कि सरकारी पक्षका कथन गलत है । प्रथम शर्तको लीजिये । यह लोग अस्थायी सरकारकी आज्ञासे काम करते थे । उस सरकारको जर्मनी और जापानने, जिनके स्वतन्त्र राज होनेमें कोई सन्देह नहीं था, अङ्गीकार कर लिया था और अण्डमान-निकोबारपर उसका असन्दिग्ध शासन था । इसलिए युद्धकालके लिए अन्तराष्ट्रीय नियमोंके अनुसार वह अधिकारयुक्त संस्था थी । दूसरी और तीसरी शर्तें भी पूरी होती थीं । यह लोग पूरे सैनिक थे, कोई दूसरा काम नहीं करते थे और युद्धके अन्तराष्ट्रीय नियमोंका अनुसरण करते थे । इसलिए यह साधारण अपराधी नहीं बरन् युद्धवन्दी थे जिनको युद्धके बाद छोड़ना ही होगा ।

श्री देसाई मुकदमा जीत गये । सरकार इन लोगोंको छोड़ देनेके लिए विवश हो गयी । इस समाचारसे सारे देशमें हर्ष और उल्लासकी लहर दौड़ गयी । यह प्रमाणित हो गया कि यह फौजदारी कानूनके अपराधी नहीं प्रत्युत स्वाधीनताके वीर सैनिक हैं । तीनों प्रमुख नेता, दिल्लीन, सहगल और शाहनवाजका यश घर-घर फैल गया । बादमें यह लोग कृपि और दूसरे व्यवसायोंमें लग गये । 'झाँसीकी रानी' पल्टनकी नेत्री युद्धके अपने पुराने साथी श्री सहगलकी पत्नी हैं ।

जिस समय श्री भूलाभाई देसाईने इस मुकदमेको लिया था, उनका



स्वास्थ्य बहुत खराब था। मुकदमेमें जो अथक परिश्रम करना पड़ा उसने उसे और विगाड़ दिया। जिस कामका उन्होंने वीडा उठाया था उसको तो उन्होंने पूरा कर दिया, परन्तु फिर स्वास्थ्यलाभ न कर सके, थोड़े दिन बाद ही उनका देहान्त हो गया।

भारतीय राष्ट्रीय सेनाका कार्यक्षेत्र भारतके बाहर था, परन्तु उसके इतिहासपर ध्यान दिये बिना १९४२ के आन्दोलनका इतिहास अपूर्ण रह जाता है।



जो आन्दोलन इतने उत्साहसे आरम्भ हुआ था, वह ठण्डा पड़ गया। जिस लक्ष्यके नामपर इतनी बहुमूल्य आहुतियाँ अर्पित की गयी थी वह अब भी अदृश्य था। अहिंसात्मक युद्ध और हिंसात्मक युद्ध, दोनों प्रयोग हुए परन्तु भारत अब भी परतन्त्र था। अंग्रेजोंकी विजय हुई। उनको प्रसन्न होना चाहिये था। पर ऐसा था नहीं। वह चिन्तित थे। उनको ज्ञात था कि जनतामें घोर अशान्ति और क्रोध है। यह शासनको चैनसे न बैठने देगा। जब किसी राष्ट्रमें स्वाधीन होनेकी उत्कण्ठा जागती है तो उसे सदाके लिए दबाकर नहीं रखा जा सकता। सरकारको एक और चिन्ता थी। युद्धकालमें लाखों सैनिक भरती किये गये थे। अब इनको छुट्टी दे दी गयी। सेनामें वेतन बहुत अच्छा मिलता था। अब वह आय जाती रही। इससे इनमें बड़ी अशान्ति थी। देशमें यह लाखों व्यक्ति पैले हुए थे जो हथियार चलाना जानते थे और सघटित रूपसे काम करनेके अभ्यस्त थे। यह लोग यूरोप और अफ्रीकामें लड़ आये थे। स्वाधीनता और लोकतन्त्रके नामपर इनको युद्धाग्निमें झोका गया था, परन्तु स्वयं इनके देशको न स्वाधीनता मिलनी थी, न लोकायुक्त शासन। यदि यह लोग किसी राष्ट्रीय आन्दोलनमें सम्मिलित हो गये तो बड़ी कठिनाई होगी। इनका असन्तोष तो शस्त्रप्रहारके रूपमें व्यक्त होगा।

स्वास्थ्य खराब होनेके कारण गान्धीजी ६ मई १९४४ को छोड़ दिये गये। छूटनेके बाद ही उन्होंने वाइसरायसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की और इस बातकी अनुमति माँगी कि वर्किंग कमेटीके सदस्योंसे जेलमें

जाकर मिल सके और उनको इस बातपर राजी करे कि आन्दोलन वापस ले लिया जाय, परन्तु शर्त यह होगी कि भारतकी स्वाधीनताकी घोषणा कर दी जाय और तत्काल ऐसी सरकार स्थापित कर दी जाय जो केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके प्रति दायी हो। लार्ड वैवेलने गान्धीजीसे मिलनेसे इनकार कर दिया और उनकी बतायी शर्तोंको अस्वीकार कर दिया। तब गान्धीजीने श्री जिनासे बात चलायी कि कांग्रेस और मुसलिम लीग मिलकर गवर्नमेण्टके सामने देगहितके लिए माँग पेश करें। लगभग तीन सप्ताहक बातचीत चली, पर कुछ परिणाम न निकला।

लार्ड वैवेलने भले ही महात्माजीसे मिलनेसे इनकार कर दिया हो परन्तु इंग्लैण्डमें उनके स्वामी राजनीतिक परिस्थितियोंको उनसे अच्छा समझने थे। वह हाथपर हाथ रखकर बैठनेको तैयार नहीं थे। उन्होंने वाइसरायको इस विषयमें परामर्श करनेके लिए बुलाया कि भारतमें किस प्रकारका शासनसुधार किया जाय। वहाँसे लौटकर उन्होंने पहिले वर्किंग कमेटी, फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सब सदस्योंको छोड़ दिया और रेडियोमें इन प्रस्तावोंको प्रसारित किया :

(क) भारतीय नेताओंसे परामर्श करके वाइसरायकी कार्यकारिणी समितिका पुनर्गठन हो जाय और वाइसराय तथा प्रधान सेनापतिको छोड़कर उसके सब सदस्य भारतीय हों।

(ख) परराष्ट्रमन्त्रीके पदपर भी भारतीय रहे।

(ग) जिम प्रकार कनाडा, आस्ट्रेलिया आदिमें ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधिके रूपमें हाईकमिश्नर रहता है वैसे ही भारतमें भी हो।

इन प्रस्तावों तथा अन्य प्रासंगिक विषयोंपर विचार करनेके लिए उन्होंने सभी दलोंके नेताओंकी एक कान्फरेंस शिमलामें बुलायी। उसकी बैठक २५ जन १९४५ को आरम्भ हुई और १६ जुलाईको उठ गयी। कौर्ट समझौता न हो सका। इसके लिए वह और ब्रिटिश सरकार दायी थी। उन्होंने बातचीतको राजनीतिक स्तरसे साम्प्रदायिक स्तरपर ला गिया। ममझौतेका आधार हिन्दू-मुसलिम-प्रतिनिधित्वकी समानताको

बना दिया। ऐसी अवस्थामें कान्फरेसका असफल होना अवश्यम्भावी था। १९४६ की जनवरीमें पार्लियामेण्टके दस सदस्य भारत आये। यह विभिन्न दलोंके नेताओंसे मिले। इनको भारतीय परिस्थितिकी जानकारी तो हो गयी होगी परन्तु इनके आनेका कोई विशेष राजनीतिक प्रभाव नहीं पडा।

इन लोगोंके लौटनेके थोड़े ही दिन बाद प्रधानमन्त्री, श्री ऐट्ल्रीने घोषणा की कि मन्त्रिमण्डलके तीन सदस्य, लार्ड पेथिक लॉरेस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और श्री अलेग्जैण्डर भारत जायेंगे और भारतके शीघ्र स्वातन्त्र्य-लामके उपायोंके सम्बन्धमें विचारविनिमय करेंगे। यह लोग २४ मार्च १९४६ को दिल्ली पहुँचे।

इसके बादकी घटनाओंका सविस्तर वर्णन करना अनावश्यक है। मेरी कोई विशेष जानकारी नहीं है। बहुत-से लोगोंको यह वाते स्वयं याद होगी और अधिक जानकारीकी सामग्री सुगमतासे उपलब्ध है। कांग्रेस और लीगके योगसे दिल्लीमें अन्तरिम सरकार बनी। पण्डित जवाहर-लाल, सरदार पटेल और राजेन्द्र बाबू जैसे नेता उसके सदस्य थे परन्तु उनका काम सुचारु रूपसे नहीं चला। लीगने जी खोलकर सहयोग नहीं दिया, अपनी पार्टियोंके दृष्टिकोणसे ही काम किया। हिन्दू-मुसलमान तनावने भयानक दंगोंका रूप धारण किया। ऐसा लगा कि समूचा उत्तरभारत खूनखरावेमें डूब जायगा। उस समय उत्तरप्रदेश शासनकी दृष्टताने देशको बचा लिया। फिर देशका बँटवारा हुआ। पाकिस्तानका जन्म हुआ। बिना किसी प्रकारके त्याग और प्रयत्नके मुसलिम लीगको एक स्वतन्त्र देशका शासन मिल गया। यह वाते पुरानी हो गयीं पर इनमेंसे कुछके सम्बन्धमें पहिले भी मतभेद था, अब भी है। देशका बँटवारा ऐसा ही विवादास्पद प्रश्न है। बहुत-से लोगोंका विश्वास है कि पाकिस्तान बनाकर लार्ड वैवेलने जाते-जाते भारतको गहिरी ठोकर लगायी, एक ऐसे झूठकी सृष्टि कर गये जो भारतके शरीरमें बराबर चुभता रहेगा। यदि लोकमत जाननेका प्रयत्न किया जाता तो बँटवारा कदापि स्वीकार

न होता। अब आलोचना-प्रत्यालोचना करना व्यर्थ है। भले ही मुसलमान पाकिस्तानको अपना देश समझे, परन्तु मुसलिम सस्कृति और सभ्यताके सारे स्मारक भारतमें हैं। भारत ही पाकिस्तानकी राष्ट्रभाषा उर्दूका उद्गमस्थान है। कोई हिन्दू सप्तसन्धिवको, सिन्धु और सरस्वतीके अन्तर्वेदको, भूल नहीं सकता। यदि भारतको विभाजित रहना ही है, तो दोनों खण्डोंके सौहार्द और सहयोगमें दोनोंका कल्याण है।

गान्धीजी वॉटवारेके विरुद्ध थे। उन्होंने वर्किंग कमेटीके सदस्योंको बहुत समझाया कि देशके इस मर्मच्छेदको स्वीकार न करे। परन्तु उनकी बात न मानी गयी। नाव जब किनारेके पास पहुँची तो केवटको हटा दिया गया। महात्माजीका हृदय विदीर्ण हो गया। वह क्या जानते थे कि यावज्जीवनकी कर्मनिष्ठाके बाढ़ यह दिन देखना होगा। मुसलिम लीगका कहना था कि हिन्दू और मुसलमान दो विभिन्न राष्ट्र हैं। कांग्रेसने इस बातको कभी स्वीकार नहीं किया था। कोई भी हिन्दू मुसलमान बन सकता है परन्तु धर्मपरिवर्तनसे राष्ट्रपरिवर्तन कैसे हो सकता है? परन्तु पाकिस्तानकी सत्ताको स्वीकार करके कांग्रेस उसी दो-राष्ट्रवाली बात मानने जा रही थी।

कांग्रेस वर्किंग कमेटीके लिए भी यह सुखद बात नहीं थी। उसने श्री जिनाको राजी करनेका बहुत प्रयत्न किया परन्तु वह अविभाजित भारतमें किसी शर्तपर रहनेको तैयार नहीं थे। अब यदि विभाजन स्वीकार न किया जाता तो स्वराजमें देर होती। एक ओर ब्रिटिश सरकारसे मन्त्रप करना पड़ता, दूसरी ओर मुसलमानोंसे। ऐसा विश्वास होता है कि थोड़ी देर तो होती पर अन्तमें विजय होती, मुसलमान भाई भी अपने हितको पहचान लेते और देश अविभक्त रह जाता। महात्माजीकी यही राय थी। वह पिछले पचीस वर्षोंसे कांग्रेसके सर्वमान्य नेता रहे थे, कांग्रेसके दूसरे बड़े बड़े नेताको उन्होंने ही ऊपर उठाया था, राष्ट्रके असपत्न कर्णधार थे। उनकी बात न माननेमें वेदना होती थी परन्तु वर्किंग कमेटीने इसीमें देशका हित समझा। विभाजन स्वीकार कर लिया गया।



मेरी समझमें पिछले पन्द्रह वर्षोंका सविस्तर वर्णन करना अनावश्यक है। हालकी बातें हैं, वर्तमान पीढ़ीकी आँखोंके सामनेकी घटनाएँ हैं। इस अवधिमें सारे देशमें कांग्रेसके हाथमें शासन रहा है। थोड़े दिनोंके लिए केरलमें कम्युनिस्टोंके हाथमें अधिकार आ गया था। उन्होंने इस प्रकारका अन्धेर मन्चाया, राजनीतिक विरोधियोंको इस सीमातक उत्पीड़ित किया कि केरल ही नहीं, सारा देश ऊब उठा। लोगोंको कम्युनिस्ट शासनकी रूपरेखा ज्ञात हो गयी। अब यदि कोई उस दलका समर्थन करता है तो जान-बूझकर देशपर क्रूरता और नृशंसाको लाटना चाहता है।

चुनावमें कांग्रेसकी पूरी विजय हुई। पार्लिमेण्ट और राज्य विधान-सभाओंकी अधिकांश जगह कांग्रेस अल्पसंख्यकोंको मिली और १५ अगस्त, १९४७ को कांग्रेस केन्द्र और प्रदेशोंमें सत्तारूढ हुई। इस दिनको 'स्वाधीनता दिवस' कहते हैं। इस समय 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५' के अनुसार काम हो रहा था। वह विधान इस आधारपर बना था कि अंग्रेज भारतमें रहेंगे। उनके चले जानेके कारण नयी परिस्थिति उत्पन्न हुई। कानूनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर लिया गया। श्री राजगोपालाचारी गवर्नर-जनरल नियुक्त हुए। वह प्रथम भारतीय थे जो इस पदपर आरूढ हुए। उनके बाद वह पद तोड़ दिया गया। स्वतन्त्र भारतमें ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त किये गये गवर्नर-जनरलके लिए जगह नहीं हो सकती थी। नये राष्ट्रके सविधानको तैयार करनेके





हमारा सविधान अमेरिकन सविधानमे मिलता-जुलता है। परन्तु अन्य सभी बातोंमें उसका आधार ब्रिटिश संवैधानिक परिक्रिया है। परन्तु एक ऐसी चीज है जो हमारे सविधानको अन्य सभी गणतान्त्रिक सविधानोंसे भिन्न बना देती है। भारत उस राज्यमवका सदस्य है जिसके शीर्षस्थानपर ब्रिटिश नरेश है। किसी पूर्णप्रभु गणतन्त्रका ऐसे राज्य-परिवारका अंग होना, जिसका प्रमुख नरेश हो, अन्ताराष्ट्रीय विधानके लिए नयी बात थी। अब तो भारतका अनुकरण ल्का या पाकिस्तान जैसा कोई अन्य देश भी कर सकता है।

हमारे सविधानमें कई दोष हैं। न तो उसका आधार भारतीय समाजका जीवन है, न उसपर भारतीय विचारकोके निष्कर्षोंका कोई प्रभाव पडा है। जिन लोगोंको उसके बनानेका मुख्य रूपसे श्रेय है वह अच्छे वकील तो थे, परन्तु भारतीय होते हुए भी जनतासे बहुत दूर थे। उसके हृदयस्पन्दोका उनको पता नहीं था। स्वातन्त्र्यसंग्रामसे वह दूर रहे थे और राष्ट्रपर सर्वस्व होम करनेवाले कर्ताओका उनको कभी सम्पर्क नहीं हुआ। गान्धीजी उनके लिए पहेली थे। उनकी बातें इन विद्वानोंकी रायमें अव्यावहारिक थी। अतः विभिन्न देशोंके सविधानोंमें उनको जो अच्छा लगा, काट-छाँटकर एकत्र कर दिया। इसमें व्योरेकी इतनी बातें भरी हैं कि काममें बाधा पडती है। अबतक कई संशोधन हो चुके हैं। मेरी रायमें उसे एक बार रद्द करके पूराका पूरा बदलना होगा।

पिछले पन्द्रह वर्षोंका इतिहास कांग्रेस सरकारोंके शासनका इतिहास है। मैं स्वयं आरम्भसे ही मन्त्री रहा हूँ। यो तो लोग दोष लगाया ही करते हैं और मैं यह दावा करता भी नहीं कि हम लोगोंसे भूलें नहीं हुईं, परन्तु मेरा यह दृढ मत है कि पिछले सौ वर्षोंमें उतनी उन्नति नहीं हुई थी जितनी कांग्रेस शासनके दस वर्षोंमें हुई। निर्धन देश, धनका अभाव, प्रशिक्षित काम करनेवालोंकी कमी—फिर भी बहुत काम हुआ। यह भी स्मरण रहे कि काममें बाधा डालनेवाली कई राजनीतिक पार्टियों कार्य-क्षेत्रमें सक्रिय रूपसे उपस्थित थी। पञ्जाबके विस्थापितोंका पुनर्वासन ही

एक ऐसा काम था जो किसी भी सरकारकी धमताकी कसौटी माना जा सकता था। प्रथम महायुद्धके बादकी विस्थापितसमस्याको यूरोपके सर्वसाधनसम्पन्न राष्ट्र दस सालमें भी ठीक-ठीक नहीं सुलझा पाये।

उत्तरप्रदेशमें इस वार भी पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त मुख्य मन्त्री हुए। मुझे स्वयं कई विभागोंके कामको देखनेका अवसर मिला। शिक्षा, वित्त, श्रम, गृह, धर्मादाय—इन सभी कामोंको देखा। वम्बईके मुख्य मन्त्री, स्व० श्री खेर, ने एक वार मजाकमें कहा था, 'यह आधी उत्तर-प्रदेश सरकार है।'

देशके इतिहासके अध्येताका ध्यान निश्चय ही पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्तके व्यक्तित्वकी ओर आकृष्ट होगा। प्रायः सभी लोग उनको पन्तजी कहते थे। ससदीय प्रक्रियाके प्रकाण्ड पण्डित, कुशल वक्ता, योग्य शासक—वह अपनी अमिट छाप छोड़ गये हैं। उनके शीलसे विरोधीका भी मुँह बन्द हो जाता था। सगीतके जानकार और प्रेमी थे। स्वास्थ्य खराब होते हुए भी वह जिस प्रकार अपने गुरु कार्यभारको संभाल रहे थे वह दूसरोंको स्फूर्ति देता था। मैं उनके पक्षाघातके प्रहारके दो दिन पहिले उनसे मिलकर आया था और उनके देहान्तके अन्तिम पाँच दिन भी वहीं था। ७ मार्च १९६१ को उन्होंने शरीर छोड़ा। हमारा पैंतीस वर्षोंका साथ था और राजनीतिक सहकारिताकी सीमाका अतिक्रमण कर चुका था। एक प्रकारका भाइयो जैसा सम्बन्ध था। कुछ महीने पहिलेकी घटनाओंने हममें कुछ गलतफहमी पैदा कर दी थी। मेरे त्यागपत्र-सम्बन्धी वार्तासे उनका कुछ ऐसा सम्बन्ध हो गया था जिससे हम दोनोंको कष्ट हो गया था। अपनी अन्तिम बेहोशीके पहिले भी उन्होंने अस्फुट शब्दोंमें कुछ इसका चर्चा किया। मुझे दुःख है कि मैं अन्तिम घड़ियोंमें उनकी चिन्ताका कारण बन गया। परन्तु मैं वेवस था।

जब वह केन्द्रीय गृहमन्त्री बनकर दिल्ली गये तो उत्तरप्रदेशके मुख्य मन्त्रीका काम मैंने संभाला। मैं इसमें कहाँतक सफल रहा, यह मैं नहीं कह सकता। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि उत्तरप्रदेश जैसे

भूभागकी किञ्चित् सेवा करनेका अवसर मुझको मिला । उस वीचमे काशीकी जनताने मेरे प्रति जो स्नेह दिखलाया और सरकारी गैर-सरकारी सभी वर्गोंसे मुझको जो सहयोग मिला उसके लिए मैं आभारी हूँ ।

मेरा त्यागपत्र जिस प्रकार हुआ उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है । अभी तो मैंने अपने होठोंपर ताला लगा रखा है । कभी खोलनेका समय आ सकता है । देशके कुछ महारथियोंको ऐसा लगा कि मेरे हट जानेसे सर्वतोमुख कल्याण होगा और उन्होंने मेरे उत्तराधिकारीके चुनावमे अपने व्यक्तित्वका पूरा प्रभाव डाला । कहाँतक कल्याण हुआ और लोकतन्त्रकी पुष्टि हुई, मैं नहीं कह सकता । यह आशा करनी चाहिये कि अपनी सफलतापर देशके नेतृवृन्दको आत्मतुष्टि हुई होगी ।

शुक्रवार, ३० मार्च १९४८, को भारतपर वज्रपात हुआ । उस दिन महात्मा गान्धीकी हत्या हुई । उस समय उनका वय ७८ वर्षका था । हत्यारेका नाम नाथूराम गोडसे था । उसकी ऐसी धारणा थी कि महात्माजीके द्वारा मुसलमानोंको अत्यधिक प्रश्रय दिया जा रहा था । विडला भवनसे अपने प्रार्थनास्थलपर जाते समय उनपर प्रहार हुआ । एक वार मुँहसे 'हे राम' निकला और वस—जीवनदीपका निर्वाण हो गया ! देशमे जो हाहाकार मचा, लोगोंने जिस मार्मिक वेदनाका अनुभव किया, उसका चित्र कागजपर नहीं खींचा जा सकता । बहुत लोग इस प्रकार फूट-फूट कर रोये जैसे कि अपने निकटतम सम्बन्धीके लिए भी न रोते । हत्याका समाचार आते ही एक वार तो यह खयाल हुआ कि यह किसी मुसलमानका काम है । यदि शीघ्र ही यह बात न विदित हो जाती कि हत्यारा नृशम हिन्दू है तो कई हजार मुसलमान अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठते । बाहरी देशोंमे भी गहिरा शोक छा गया । उनके प्रति जो श्रद्धा थी उसका एक नमूना मेरे सामने अपनी अमरीकी यात्रामे आया । १९४९ की बात है । कुछ मित्रोंके साथ मैं सनफ्रासिस्कोके पास शहरसे लगभग १०० मील दूर घूमने निकल गया था । एक जगह रुककर एक स्त्रीसे कुछ फल मोल लिये । उसने पूछा : 'आप लोग कहाँके रहनेवाले

हैं ?' हमने कहा : 'भारतके ।' उसने फिर पूछा : 'गान्धीके देशके ?' हमने कहा, 'हाँ' । इसपर वह बोली : 'दुनिया कौसी बुरी जगह है । लोग अपने महापुरुषोंसे ऐसा ही बर्ताव करते हैं । पहिले, ईसाको सलेबपर चढ़ाकर मार दिया, अब गान्धीको मार डाला ।' एक अशिक्षित फल-तरकारी बेचनेवाली ईसाई स्त्री गान्धीजीकी ईसासे तुलना करे, यह बहुत बड़ी बात थी । खेद इस बातका है कि भारत सरकारकी सारी सुरक्षा-व्यवस्था गान्धीजीकी रक्षामे असफल रही । भारतमे बहुत-से विद्वान्, विचारक, राजपुरुष हो गये हैं और आगे भी होंगे । परन्तु महात्मा गान्धी जैसे व्यक्ति सहस्रो वर्षोंमे कहीं जन्म लेते हैं । उनका शरीर तो किसी एक देश और किसी एक कालसे सम्बद्ध होता है परन्तु वस्तुतः वह देश और कालसे अनवच्छिन्न होते हैं : वह सब देशोंके, सब युगोंके, मनुष्यमात्रके, अपने होते हैं ।

यह दुर्भाग्यकी बात है कि महात्माजीके अन्तिम दिन सुखसे नहीं बीते । यह प्रकृतिका नियम-सा प्रतीत होता है कि महापुरुषोंके जीवनकी कहानी दुःखान्त हो । बुद्धदेव ही अपवाद देख पड़ते हैं । रामने साम्राज्यको उजड़ते देखा, सीताके साथ जो व्यवहार किया गया उसकी कसक कहीं मिट सकती थी ? लक्ष्मणने आत्महत्या की, स्वयं भी प्राण देना पड़ा । श्रीकृष्णका भी ससार उजड़ गया । पाण्डव व्यथित हृदय लेकर केदारखण्ड प्राण देने चले गये, द्वारका यादवीयका शिकार हुई, कृष्णको व्याधाने मारा । महात्माजीकी कथाका अन्तिम अध्याय भी ऐसा ही रहा । ऐसा लगता है कि जिस प्रासादको इन लोगोंने खड़ा किया वह इनके सामने ही गिर गया : अपने उद्देश्यकी असफलता और तज्जन्त निराशाकी टीस साथ लेकर गये ।

नोआखाली और विहारमें भयकर साम्प्रदायिक उषद्रव हुए । ईश्वरके नामपर ईश्वरके सहस्रो जीते-जागते मन्दिर गिरा दिये गये । सहस्रो नर-नारी मौतके घाट उतार दिये गये । निरकुशताका नग्न नृत्य हो रहा था । उत्पीड़ितोंको कोई सान्त्वना देनेवाला नहीं था । महात्माजीके लिए

यह असह्य था। उनका शरीर स्वस्थ नहीं था परन्तु उत्साह तो दुर्दम था और दुखियोंके लिए करुणा असीम थी। गाँव-गाँव घूमे। क्रूर-कर्मियोंको लज्जा दिलायी, भग्नहृदयोंको सान्त्वना दी, हतप्रभोंको उत्साहका पाठ पढाया। जो लोग अपने धर्म और अपनी स्त्रियोंकी रक्षाकी आशा खो बैठे थे, उनमें फिरसे साहसका संचार हुआ, परन्तु इन बातोंसे उनके हृदयको गहिरी चोट लगी। यावज्जीवन उन्होंने साम्प्रदायिक एकताके लिए प्रयत्न किया था, ऐसा प्रतीत होता था कि सफलता भी हुई, परन्तु जरा-सा झोकेंसे सारी एकता वाल्की भीतकी भाँति गिर गयी।

उनकी चिन्ताके और भी कारण थे। उनके और वर्किंग कमेटीके सदस्योंमें गहिरे मतभेद उत्पन्न हो गये थे। मतभेद तो पहिले भी होते थे। जो गान्धीजी मेरे जैसे छोटे आदमियोंकी सम्मतिकी भी कट्टर करते थे वह कार्यसमितिके सदस्योंकी बातोंको सदा आदरसे सुनते थे। उन्होंने ही इन लोगोंको बढाया था। परन्तु अब उनके यह प्रमुख अनुयायी उनकी ही बात सुननेको तैयार नहीं थे। गान्धीजी चाहते थे कि सविधान भी उन सिद्धान्तोंपर बने जिनका प्रतिपादन भीष्मने शान्ति-पर्वमें और शुक्रने शुक्रनीतिमें किया है, उनकी अभिलाषा थी कि उसके द्वारा रामराज्य, धर्मराज्य, का स्थापित होना सम्भव हो। परन्तु सविधानमें इन चीजोंकी अलक भी नहीं देख पडती, भारतीय विचारोंकी परछाया भी नहीं पडने पायी है। देशका विभाजन भी उनके लिए बडी ही दुःखद अनुभूति थी। उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया परन्तु उनकी बात न मानी गयी।

उनके मानस सन्तापके और भी प्रबल कारण थे। उनके निकटतम अनुयायियोंमें जो फूट-सी पड गयी थी वह उनको व्यथित कर रही थी। उन्होंने १९४७ की जनवरीमें मरदार पटेलको एक पत्र भेजा था जिसको श्री प्यारेलालने 'महात्मा गान्धी-टि ल्यास्ट फेज'में उद्धृत किया है। उससे परिस्थितिपर प्रकाश पडता है। यह स्मरण रहे कि उन दिनों अन्तरिम

सरकार चल रही थी। महात्माजीने लिखा था : “मैंने तुम्हारे विरुद्ध कई शिकायतें सुनीं। यह कहा जाता है कि तुम पदमे चिपके रहनेकी बात कहते हो। यदि हम लोग सीधे मार्गसे जरा भी विचंचित हुए तो हम समाप्त हो जायेंगे। वर्किंग क्रमेटीमे वह एका नहीं है जो होना चाहिये।” सरदार पटेलका उत्तर स्थितिको और भी स्पष्ट करता है। वह कहते हैं : “यह आरोप कि मैं पदसे चिपका रहना चाहता हूँ सरासर झूठ है, पर जवाहरलाल जो रोज अन्तरिम सरकारसे इस्तीफा देनेकी झूठी धमकियाँ दिया करते हैं, मैं इसके विरुद्ध हूँ। इससे कांग्रेसकी अप्रतिष्ठा होती है और सरकारी कर्मचारियोंपर बुरा प्रभाव पडता है। यदि इस्तीफा देना है तो हमको बैठकर पहिले ऐसा निश्चय कर लेना चाहिये। झूठी धमकियोंके कारण हम वाइसरायकी दृष्टिमें गिर गये हैं। अब वह हमारे इस्तीफेकी बातको बन्दरघुडकीमात्र समझते हैं। यदि वर्किंग क्रमेटीमे फ़ट है तो यह आजकी बात नहीं है। इस समय तो पहिलेकी अपेक्षा अधिक मतैक्य है। यदि आपसे किसीने मेरी शिकायत की है तो मैं जानना चाहूँगा।”

प्यारेलालजी बराबर गान्धीजीके साथ थे। वह कहते हैं कि इन बातोंसे गान्धीजी बहुत चिन्तित रहते थे। वह कहा करते : अहिंसा क्यों काम नहीं करती ? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह अपने सन्निधिमें असफल हो और दूरपर सफल हो। इन शकाओंका जो उत्तर वह अपनेको देते थे वह उन्हींके अनुरूप था। दूसरा कोई होता तो अन्य प्रकारसे समाधान करता। ऊहापोहके बाद महात्माजीने यह निःकर्ष निकाला कि दोष मुझमें ही है। कहीं-न-कहीं मुझमें कोई त्रुटि है जिसका मुझे पता नहीं चल रहा है। नहीं कह सकता, मैं कहीं पथभ्रष्ट हो गया। यह नम्रता और उदारता महात्माजीका भूषण थी। वही दूसरोको कमियोंका दायित्व अपने ऊपर ले सकते थे।

उनके निधनसे हमारे सार्वजनिक जीवनके आकाशका श्रेष्ठतम नक्षत्र मदाके लिए अस्त हो गया। धर्म और राजनीतिमें जो सम्बन्धमूत्र जुड़ रहा था, फिर विच्छिन्न हो गया। देश और विदेशमें उनकी सैकड़ों

मूर्तियों है, सैकड़ों स्मारक हैं। उनकी रचनाओं और वक्तृताओंके आधार-पर विपुल वाङ्मयका मर्जन हो गया है, गान्धीवाद नामकी नयी दार्शनिक विचारधारा चल पडी है। देखना यह है कि कर्होतक मनुष्य अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवनमें उनके उपदेशोंको अवतरित करता है।

देशने धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गणतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रीय जीवनके आधारस्तम्भके रूपमें स्वीकार किया है। कांग्रेसने उस सम्बन्धमें कई निश्चय किये हैं और केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारोंने इन निश्चयोंको कार्यान्वित करनेके लिए कई विधान बनाये हैं और उपयुक्त आजाएँ निकाली हैं। इस स्थलपर मैं इन बातोंके सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखना चाहता। अगले अध्यायमें आधारभूत सिद्धान्तोंपर कुछ विचार करूँगा।

परन्तु कुछ घटनाओंका थोडा-सा चर्चा करना ही होगा। पहिली महत्त्वपूर्ण घटना राज्योंका विलीनीकरण है। यो तो छ-सात सौ ऐसे भूखण्ड थे जो किसी-न-किसी अर्थमें राज्य कहे जा सकते थे, परन्तु एक सौसे कुछ ऊपर सलामीवाले राज्य थे। इनके नरेशोंको ९ से २१ तोपो-तककी सलामी थी।

११ और अधिक सलामीवालोंके नामके पहिले तत्रभवान् (हिज हाइनेस) जोडा जाता था। त्रावणकोर और जोधपुरने विलीनीकरणमें कुछ आनाकानी की, परन्तु उनके विरोधने कुछ जोर नहीं पकडा। हैदरावादने विशेष हैकडी दिखलायी। उसके कलेवरकी वृद्धि देशद्रोह और अग्रेजोंकी कृपासे हुई थी। कभी लडकर उसने विजय नहीं पायी। मैसूर और मराठोंकी लडाइयोंमें अग्रेजोंका साथ दिया, इसलिए पुरस्कारमें कुछ-न-कुछ भूमि पाता गया। उसके विलीनीकरणमें कुछ देर होनेका यह बुरा प्रभाव पडा कि कुछ अदूरदर्शीं मुसलमान यह समझने लगे कि भारत सरकार डर गयी और स्यात् सारे भारतपर पाकिस्तानका राज्य हो जाय। अन्तमें फौज भेजी गयी परन्तु तीन दिन भी लडाईं न चली। हथियार डाल दिये। विलीनीकरणका एकमात्र श्रेय सरदार पटेलकी दृढता और दूरदर्शिताको है। उनको लोग भारतका 'लौह पुरुष' कहा करते थे। इस

नामको उन्होंने सार्थक कर दिया ।

पाकिस्तान द्वारा कश्मीरपर आक्रमण इस कालकी दूसरी महत्वपूर्ण घटना है । महाराजा कश्मीरने भारतसे मिलनेमें ढेर की । वह सम्भवतः पूर्ण स्वतन्त्रताका स्वप्न देख रहे थे । उनको सम्भवतः यह भ्रम था कि कश्मीर भारत, पाकिस्तान, चीन और रूससे घिरा हुआ है, अतः इनमेंसे कोई भी उसपर आक्रमण करनेका साहस न करेगा । पाकिस्तानने उनकी इस भूलसे लाभ उठाया । पहिले तो उसने पठान कबीलेवालोको लूटकी लालच देकर उधर भेज दिया, फिर पाकिस्तानी सेना कश्मीरमें घुसी । भला कश्मीरमें इतनी शक्ति कहाँ थी कि रक्षा कर सकता । भारतकी शरण आना पडा । परन्तु ढेर होनेमें भारतीय सेनाको बड़ी कठिनाइयोका सामना करना पडा । कहीं-कहीं १८,००० फुटकी ऊँचाईपर लडना पडा । पाकिस्तानी सेना पीछे हटी । ठीक इसी अवसरपर भारत सरकारने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी आलोचना आजतक सुननेमें आती है । उसने सारा विषय 'सयुक्त राष्ट्र सघटन'के सामने उपस्थित कर दिया । लोगोका कहना है कि सेना जिस प्रकार बढ़ रही थी उसने थोड़े दिनोंमें कश्मीरसे पाकिस्तानियोंको निकाल भगाया होता । निर्णयके लिए कोई समस्या ग्रेप रह ही नहीं जाती । अब परिस्थिति यह है कि कश्मीरके लगभग आधेपर पाकिस्तानका कब्जा है । सयुक्त राष्ट्र कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है । ऐसा लगता है कि भारतका यह अग सदाके लिए हमसे पृथक् हो गया ।

चीन और भारतके बीचका विगडता सम्बन्ध भी इस अवधिके भीतरकी महत्वपूर्ण घटना है । कुछ ही साल पूर्व चीनी प्रधान मन्त्री चाउ-एन-लाइने श्री नेहरूके साथ मिलकर पञ्जमीलकी घोषणा की थी, पर अब चीन उसे भूल गया । जब चीनका रूसके सिवाय कोई भी मित्र नहीं था तब भारतने उसका साथ दिया था, 'चीनी-हिन्दी भाई-भाई'के नारेसे आकाशका भेदन हुआ था । आज चीन भारतका कई हजार वर्गमील भूखण्ड दबाये बैठा है और अभी और लेना चाहता है । यो तो चीन अपनेको



तिब्बतका अधिपति कहा करता था परन्तु तिब्बतके स्वतन्त्र देश होनेमें कोई सन्देह नहीं है। १९५२ में चीनने तिब्बतपर आक्रमण किया। वहाना यह था कि उसका उद्धार करना है। तिब्बतके लोग लडे, कुछ लोग आजतक लड रहे है। परन्तु चीन बलवान् था। उसकी विजय तो होनी ही थी। तिब्बतके शासक और ससारभरके महायान बौद्धोंके धर्मगुरु दलाई लामा भारतमें शरणार्थी रूपसे रह रहे है। और कई सहस्र तिब्बती अपना देश छोडकर आ गये है। इस सम्बन्धमें भारत सरकारकी नीतिसे बहुत लोगोको असन्तोष है। एक तो यह खयाल है कि यदि भारतने दृढतासे विरोध किया होता तो चीन स्यात् तिब्बतपर आक्रमण ही न करता। दूसरी ठिकायत इससे भी गम्भीर है। १९५४ में भारतने चीनसे सन्धि करके यह स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीनका अंग है। लोगोका कहना है कि यह इतिहासके विरुद्ध है। तिब्बत कभी भी चीनका अंग नहीं था। अंगके पहिले 'स्वायत्त शासनाधिकारी' विशेषण लगा है। यह निरर्थक है। तिब्बतवालोको भारतसे बडी आशा थी, पर इस देशने उमकी स्वाधीनताको बातकी बातमें समाप्त कर दिया। चीन तो हमसे प्रमन्न होनेवाला था ही नहीं, तिब्बत भी नाराज हुआ।

भारतके वाद एशिया और अफ्रीकाके कई देश स्वतन्त्र हुए। इन सबने ही लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिको अपनाया, परन्तु इस काममें कहाँ-तक सफलता मिली यह कहना कठिन है। प्रत्यक्ष या प्रच्छन्नरूपसे अधिनायकशाही ही चलती देख पडती है।

भारत स्वतन्त्र हो गया है पर अभी हमारी भूमिके कुछ टुकडे विदेशियोके पास है। फ्रांसके पास जो जगहे थी वह तो लौट आयी, परन्तु पुर्तगाल अभी अडा हुआ है। वह जानता है कि सैनिक-बलमें भारत उसमें बढा हुआ है, पर अबतक उसे यह विश्वास रहा है कि भारत अहिंसाका परित्याग न करेगा। परन्तु असन्तोष बहुत है। यह प्रश्न भी शीघ्र मुलझ कर ही रहेगा।



हमारे राजनीतिक सघटनमें जो असाधारण बातें हैं उनमेंसे कुछका चर्चा मैं कर चुका हूँ। हमारे सविधानमें कुछ स्वगत विरोध हैं उनका ही यह परिणाम है। हमारा राष्ट्र गणतन्त्र है पर वह ऐसे राज्यपरिवारका अंग है जिसका स्थायी अध्यक्ष एक देशविशेषका नरेश है। इस परिवारकी सदस्यतासे कई लाभ हैं इसमें सन्देह नहीं, परन्तु यह दो विरोधी तत्वोंके समन्वय करनेका प्रयत्न है, यह तो स्पष्ट ही है।

जैसा कि मैं पहिले सकेत कर चुका हूँ, हमारे सविधानमें कुछ बातें अमेरिकासे, जेप ब्रिटेनसे ली गयी हैं। भारतीय सघके अंगभूत प्रदेशोंको राज्य कहते हैं। यही नाम अमेरिका—सयुक्तराज—के अंगोंका भी है। केन्द्रो और राज्योंके अधिकार विभाजित हैं, उनकी अनुसूचियाँ सविधानमें दी हुई हैं। परन्तु एक अन्तर है। अमेरिकामें अवशिष्ट अधिकार राज्योंके पास हैं, भारतमें केन्द्रके। इसका अर्थ यह है कि यदि कभी यह प्रश्न उठे कि अमुक काम करनेका अधिकार किसको है, जब कि उसका उल्लेख किसी अनुसूचीमें नहीं मिलता, तो यह मानना चाहिये कि वह अधिकार केन्द्रके पास है। यह अच्छा है। भारत जैसे देशमें केन्द्र शक्तिशाली होना ही चाहिये, परन्तु सारी शक्ति एक जगह केन्द्रीभूत होना अच्छा नहीं है। प्रदेश-प्रदेशकी समस्याएँ भिन्न हैं। पृथक् शासकीय प्रयोगोंके लिए पर्याप्त अवकाश है। सिद्धान्तरूपेण यह बात मानी भी जाती है। विकेन्द्रीकरणकी महिमा सब गाते हैं परन्तु केन्द्रीकरणका

प्रयास भी जारी है। जिन लोगोको शासनकी भीतरी बातोका ज्ञान है वह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकारके अनेक मन्त्रालय इसी प्रयत्नमें रहते हैं कि प्रादेशिक सरकारोंको अपना गुमास्ता-सा बना ले। जबसे नियोजनका काम चला है तबसे उनको और मौका मिल गया है। पञ्चवार्षिक योजनाओके लिए जो रुपया नियोजन आयोग स्वीकृत करता है उसमेसे कुछ तो प्रादेशिक सरकारोके कोपसे आता है, कुछ केन्द्रके। यह केन्द्रकी भिक्षा नहीं है, प्रादेशिक सरकारपर उसकी कृपा नहीं है, प्रदेशका हक है। यदि बीचमे प्रादेशिक सरकार न हो तो शिक्षा, सडक, अदालत, चिकित्सा आदिका सारा काम केन्द्रीय सरकारको करना पड जाय। परन्तु केन्द्रीय सरकारकी ओरसे रुपया देनेके अधिकारसे अनुचित लाभ उठानेका प्रयत्न होता रहता है। कभी-कभी ऐसी गतें लगायी जाती है जो प्रादेशिक सरकारके हाथ-पोंव बाँध देती है। यह बातें जनताके सामने नहीं आने पाती, परन्तु सरकारी स्तरपर झकझक होती रहती है। प्रादेशिक सरकारें अपनी शासनस्वतन्त्रताको अक्षुण्ण रखना चाहती है और केन्द्रीय हमन्श्रेष उनको बुरा लगता है। यदि कहीं कोई काम सन्तोपजनक ढंगमे नहीं होता तो केन्द्रीय मन्त्री पार्लिमेण्टमे खडे होकर प्रादेशिक सरकारको दोपी ठहरा देते हैं। प्रादेशिक मन्त्री भी उत्तर दे सकते हैं, देते भी हैं, परन्तु केन्द्रका अधिक प्रभाव पडता है, केन्द्रीय विनितियोका अधिक प्रचार होता है और प्रदेश नाहक दोपी ठहरा दिया जाता है।

कुछ दिन हुए, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विवादास्पद प्रश्न सामने आया था। उसका चर्चा इस समय दब गया है परन्तु प्रश्नकी महत्ता तो है ही। प्रश्न यह था कि हमारे राष्ट्रपतिके अधिकार किस प्रकारके हैं ? दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह कि उनकी स्थिति ब्रिटेनके नरेश जैसी है। वह स्वतन्त्र रूपसे कुछ नहीं कर सकते, मन्त्रियोके परामर्शसे ही कुछ कर सकते हैं, उनके नामपर मन्त्रिमण्डल शासन करता है, वह सर्वाधिकारसम्पन्न है। दूसरा उत्तर यह है कि राष्ट्रपतिकी स्थिति अमेरिकन

राष्ट्रपतिके सहज है। वह मन्त्रियोंके परामर्शको माननेके लिए वाव्य नहीं हैं, स्वतन्त्र रूपसे काम करनेके अधिकार रखते हैं। सविधानकी शब्दावलीकी मीमासा तो मैं विधानशास्त्रियोंके लिए छोड़ता हूँ, परन्तु मेरा ऐसा मत है कि वास्तविक स्थिति दोनोंके बीचकी होनी चाहिये। साधारणतः शासन मन्त्रिमण्डलके परामर्शसे ही होना चाहिये परन्तु विशेष परिस्थितियोंमें राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप करनेका अधिकार होना चाहिये। क्व विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई, इसका निर्णय भी राष्ट्रपति ही करेंगे। यदि हमारे सविधानमें इसके लिए गुञ्जाइश नहीं है तो होनी चाहिये।

देशमें राजनीतिक ढलोंकी भरमार है। इनमेंसे कुछ ऐसे हैं जो शासनाधिकारके लिए केवल चुनावके भरोसे बैठे रहनेको तैयार नहीं हैं। कोई-कोई ढल यो ही किसी-न-किसी प्रकारका आन्दोलन चलाया करता है। इससे राष्ट्रके धनका तथा दूसरे साधनोंका घोर अपव्यय होता है। जनता ऊब जाती है। उसका ऐसा विश्वास होने लगता है कि राजनीतिक नेता और ढल देशकी अवस्थाको विगाड तो सकते हैं, सँभाल नहीं सकते। जब वह पड़ोसके देशोंपर दृष्टिपात करती है तो दूसरी ही बात देख पड़ती है। एशिया और अफ्रीकाके अधिकांश राज्योंमें लोकतान्त्रिक व्यवस्था या तो समाप्त कर दी गयी है या परकैच होकर सँसभर ले रही है। सेना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे शासनको सँभाले हुए है। यहाँ भी ऐसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यदि कहीं एक बार सेनाके हाथमें शासनकी वागडोर गयी तो दीर्घ कालके लिए लोकतन्त्रका नाम मिट जायगा। ऐसा न होना चाहिये। तब फिर इस बातकी व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि शान्तिभंगकी आशका हो या लोकतन्त्रके लिए सकटकी स्थिति उत्पन्न होती देख पड़े तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सके। किसी प्रधानमन्त्रीके लिए कभी-कभी खुलकर काम करना कठिन होता है क्योंकि वह स्वयं एक दलका प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति निरपेक्ष होता है। इस बातकी आशका न होनी चाहिये कि राष्ट्रपति अपने अधिकारका

दुरुपयोग करेगा। वह स्वयं सार्वजनिक कार्यकर्ता रहा होगा और अनावश्यक हस्तक्षेप करके न तो अपना बोझ बढ़ाना चाहेगा, न अपनेको लोकमें अप्रिय बनाना चाहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हमारे लोकतन्त्रके दुर्बल वृक्षको इस प्रकारकी रक्षाकी आवश्यकता है।

एक और स्वगत द्वन्द्व है जो इन सबसे गम्भीर है। कांग्रेसने उसको जन्म देकर अपने गलेमें बाँध लिया है। अब उससे दम घुट रहा है। पुरानी—स्वाधीनतासे पूर्वकी—कांग्रेसके सघटनमें नीचेसे लेकर ऊपरतक, मण्डलमें लेकर अखिल भारतीय स्तरतक, क्रमेटियों थी। स्वराज्यप्राप्तिके बाद एक प्रकारसे कांग्रेसका काम समाप्त हो गया, उसका सकल्प पूरा हो गया। महात्माजीकी राय थी कि कांग्रेसका वर्तमान रूप समाप्तकर दिया जाय। वह राजनीतिक कामोको छोड़कर केवल रचनात्मक काम करे। जो लोग विधायिकाओंमें जाना चाहते हों वह अपनी पृथक् सस्था बना लें। उनकी यह बात न मानी गयी। जो कुछ दूसरे काम होते रहे हों उनमें विधायन भी जोड़ लिया गया।

परन्तु १९४७ की कांग्रेस १९२१ की कांग्रेस नहीं थी। स्वराजके पहिले कांग्रेसमें आना घरफूँक सौदा लेना था। जेल, गोली, जायदादकी जव्ती, अपमान, के लिए तैयार रहना था। १९४७ में कांग्रेस सरकारी नौकरी, स्थानीय शासननिकायोंकी सदस्यता, तथा प्रादेशिक और केन्द्रीय विधायिकाओंकी मेम्बरी, का द्वार बन गयी थी। पुराने कांग्रेसजन सब ऋषिकल्प महात्मा नहीं होते थे परन्तु समय-समयके आन्दोलन खरे-गोटेको अलग कर देते थे। अब कोई कसौटी नहीं रह गयी। ऐसे-ऐसे लोग सदस्य और क्रमेटियोंके पदाधिकारी बनने लगे जिन्होंने सघर्षके दिनोंमें अपने ऊपर कांग्रेसकी परछाई भी नहीं पडने दी थी। जो किसी भी प्रकारके दस-वीस लडाकुओंको अपने साथ कर सके वही नेता बना, चरित्रकी जगह रूपयेने ली। पुराने कांग्रेसजन बहुधा इन उपायोसे न परिचित थे, न उनका उपयोग कर सकते थे। ऐसे कांग्रेसजन, जो

कांग्रेसकी परम्पराओंसे दूर रहे थे, कांग्रेस कमेटीयोंके पदाधिकारी इसीलिए बनते थे कि विभिन्न चुनावोंमें इनका हाथ रहे। पुराने कर्मठ कांग्रेसजनके भाग्यका निर्णय इन लोगोंके हाथमें आ गया था।

विधायिकाओंके सदस्योंको जनता चुनती है। उनको लाखों मनुष्योंके सामने जाना पड़ता है, उनके भले-बुरेकी परख खुल कर होती है, हजारों वोटोंके बलपर चुने जाते हैं। चुननेवाले सभी विचारोंके होते हैं। ऐसे चुने हुए सदस्योंके बहुमत-दलके नेता सरकारमें होते हैं। उनको सभी लोगोंका लिहाज करना पड़ता है, सबकी सुनना पड़ता है। उनके ऊपर करोड़ों मनुष्योंके जान-मालकी जिम्मेदारी होती है। यदि राज्यमें कोई काम थगडता है तो दोषी मन्त्रिगण ही ठहराये जायेंगे। दूसरी ओर, प्रादेशिक या अखिलभारतीय कांग्रेस कमेटीके पदाधिकारियोंके चुननेवाले सुद्धीभर व्यक्ति होते हैं और सब एक ही दलके। इन पदाधिकारियोंपर कोई दायित्व नहीं है। देशमें अच्छा-बुरा जो हो, कोई इनसे जवाब नहीं माँग सकता। परन्तु आलोचनाका इनको असीम अधिकार है। सरकार यदि किसी कामको करना चाहे तो कांग्रेस कमेटी कटु आलोचना कर सकती है, सरकारको सीधे कह सकती है कि यह काम मत करो। कांग्रेसकी सरकार अपनी ही सस्थासे क्या लड़े, चुप रह जाती है। शासनका दायित्व एक जगह, निरकुशल आलोचनाधिकार दूसरी जगह—यह अन्धेर कबतक चलेगा? केन्द्रमें और प्रदेशोंमें, कई बार संघर्ष हो चुके हैं। मेरी रायमें तो इस परिस्थितिका अन्त तभी होगा जब कांग्रेस-कमेटीयों तोड़ दी जायँ, अर्थात् शासनसे इनका सम्बन्ध विच्छिन्न कर दिया जाय।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि इनके द्वारा बहुत-सा रचनात्मक कार्य और प्रचार होता है, तोड़नेसे वह बन्द हो जायगा। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। रचनात्मक कामके लिए इनको सारा रुपया सरकारसे मिलता है, आयोजन सरकारी होते हैं। जबतक सरकार रुपया देगी, कार्यकर्ता मिलते रहेंगे। अच्छे-अच्छे कार्यकुशल और देशभक्त व्यक्ति सामने आयेंगे।\* चुनावके समयको छोड़कर कोई प्रचारकार्य भी नहीं

होता । आजतक कांग्रेसने कोई नयी विचारधारा नहीं निकाली, किसी दार्शनिक तथ्यको, जीवनके किमी दार्शनिक आधारको, स्थापित नहीं किया । फिर क्रमेटियों प्रचार किमका करेगी ?

यह विचारणीय प्रश्न है । देशको साहसके साथ इनका निर्णय करना ही होगा । ढेर करनेसे श्रति होती है । काममे इस समय भी काफी बाधा पड रही है । हम टालते जा रहे हैं परन्तु टाल देनेमे समस्याएँ मुलझती नहीं, उलझन बढ़ती ही जाती है ।



हमने अपने सविधानकी आधारशिलाके रूपमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाको स्वीकार किया है। इसके सिवाय हमारे लिए दूसरा श्रेयस्कर मार्ग था भी नहीं। सबसे अच्छी सरकार वह है जिसमें शासनका अधिकार समाजके योग्य, चरित्रवान् और त्यागी व्यक्तियोंके हाथमें हो। परन्तु अभीतक कोई ऐसा उपाय नहीं निकल सका है जिसमें ऐसे ही लोग चुने जा सकें। आदर्श शासक कहाँ मिलते हैं? लोकतन्त्रमें यह अच्छाई है कि वह सबसे कम हानिकर है और प्रायः नागरिकोंके व्यक्तित्वको प्रस्फुटित होनेका अवसर देता है। उच्छृङ्खल शासक जितनी भलाई कर सकता है उतनी भलाई लोकतन्त्र नहीं कर सकता, उतने थोड़े समयमें तो नहीं ही कर सकता, परन्तु उच्छृङ्खल शासकके बराबर अहित करना भी उसके लिए कठिन होता है। व्यवस्थापिकामें कई दलोंके प्रतिनिधि होते हैं, समन्वयपत्र होते हैं, जनतामें भौति-भौतिकी आलोचना होती है, इससे शासनपर रोक-थाम रहती है।

परन्तु यह न भूलना चाहिये कि लोकतन्त्र साधनमात्र है, साध्य नहीं है। यह विचारणीय है कि राज्यकी सत्ता क्यों है? मनुष्यसमाजमें राज्य क्यों होते हैं? इस प्रश्नका जो भी उत्तर हो वही साध्य होगा। उसकी प्राप्तिके जो भी उपाय हो वह साधन होंगे। राज्यकी सत्ताके सम्वन्धमें राजनीतिविद्वानोंने कई प्रकारके विचार प्रकट किये हैं। बहुधा भारतीय विद्वानोंका यह मत रहा है कि राज्य मात्स्यन्यायसे त्राण करता



है। एक समय था, जब सब मनुष्य स्वच्छन्द थे, राज्य नहीं था, सग़्कार नहीं थी। उस समय बलवान् दुर्बलको सताता था, ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्रमें बड़ी मछली छोटी मछलीको खा जाती है। इसीलिए इस अवस्थाको मात्स्यन्याय कहते हैं। तब आकर लोग मनुके पास गये कि आप हमारे शासक बनिये, हमको एक-दूसरेसे बचाइये, हम आपकी आज्ञाके वशवर्ती रहेंगे और कार्यसंचालनके लिए अपनी आयका एक अंश करके रूपमें दिया करेंगे। यूरोपमें रूसोंने 'सोशल क्राफ़्टेक्ट'का जो मत प्रचारित किया था वह इससे मिलता-जुलता था। महात्माजीका कहना था कि राज्यका उद्देश्य है रामराज्यको स्थापित करना। ईसाई विचारक भी यही मानते हैं कि पृथिवीपर ईश्वरका राज्य स्थापित करना राज्यका उद्देश्य है।

राज्यके स्वरूपको समझानेके लिए समाज और व्यक्तिके सम्बन्धको समझना आवश्यक है। एक मत तो यह है कि व्यक्ति अपना कोई महत्त्व नहीं है, उसको जो कुछ महत्ता है वह इस बातसे है कि वह समष्टिका अंग है। उसके जीवनका अपना कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, समष्टिका लक्ष्य ही उसका लक्ष्य है। हाथ या पाँव या अँगुलीकी सार्थकता इसी बातमें है कि वह शरीरके हितके लिए साधक है, शरीरसे अलग उनका कोई जीवन नहीं है। समाज उसे जो करने दे वही व्यक्तिका अधिकार है, उसके कोई नैसर्गिक अधिकार नहीं होते। दूसरा मत यह है कि व्यक्ति अपनी अलग महत्ता है, उसके अपने नैसर्गिक अधिकार हैं जो उससे अविच्छेद्य हैं, उसके जीवनका अपना अलग लक्ष्य है। समाज उस लक्ष्यकी प्राप्ति साधनमात्र है क्योंकि समाजसे पृथक् रहकर उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। राज्य समाजका महत्त्वपूर्ण अंग है, इसलिए व्यक्तिके जीवनलक्ष्यकी प्राप्ति वह बहुत बड़ा साधन हो सकता है। मैंने इस विषयका अपनी पुस्तक 'व्यक्ति और राज'में विस्तृत विवेचन किया है। राज्यकी सार्थकता वहाँतक है, जहाँतक कि वह व्यक्तिके जीवनके परम पुरुषार्थ, प्रधान लक्ष्य, मोक्षका, साधक बन सकता है।

राज्यकी साधनता यही है कि वह मार्गमेसे कण्टकोको, बाधाओको दूर करके ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे जिसमे यदि व्यक्ति चाहे तो वह पुरुषार्थ-सिद्धिमे लग सके । जहाँतक कि कोई राज्य इस उद्देश्यको स्वीकार नहीं करता, वह अपने कर्तव्यसे च्युत होता है । जिन उपायोसे राज्य इस कर्तव्यको पालन करनेका यत्न करता है उनमे लोकतन्त्र भी है और अनुभव तथा विचारविमर्शमे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य सब उपायोसे यह अच्छा है । परन्तु लोकतन्त्रके भी कई भेद हे । जिन देशोमे हमको तानाशाही व्यवस्था देख पडती है वह भी अपनेको लोकतान्त्रिक कहते है । हम लोकतन्त्रकी कौन-सी शैली अपनाये ?

राज्यका काम है कि जनताके लिए उन चीजोकी व्यवस्था करे जिनके बिना व्यक्तिकी जीवनयात्रा असम्भवप्राय हो जाती है और समाज उच्छिन्न हो जाता है । भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, वेरोजगारोको काम या भृति, स्वस्थ मनोरजन जैसी बातोंका प्रबन्ध तो सभी सम्य सरकारोको करना ही पडता है, शासनका ढाँचा कुछ भी हो । परन्तु मनुष्य केवल शरीर नहीं है । उसको भौतिक सामग्रीमात्रसे तृप्ति नहीं मिलती । उसको बौद्धिक भोजन तो चाहिये ही, आध्यात्मिक पोषण भी चाहिये । उसकी आत्मा शाश्वत पदार्थ है, जो साधारणतः अपने स्वरूपसे दूर जा पडी है परन्तु निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिए यत्नशील रहती है । राज्यको यह भी देखना होगा कि आत्मज्ञानके मार्गमे बाधाएँ न रहे, ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण हो जिसमे इस खोजमे रुकावट न पड़े । यदि ऐसा न हुआ तो अपने भीतर अतृप्तिका अनुभव होता है, कुछ खोया-खोया-सा लगता है । चित्त अविश्वास और अकर्मण्यताकी ओर झुकता है । यदि कुछ दिनो-तक यह अवस्था बनी रही तो समाजके जीवनपर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है । लोकतन्त्रकी सफलताकी यह बहुत बडी कसौटी होगी कि वह इस बातको ध्यानमे रखता है ।

आजकल लोकतन्त्रके सम्बन्धमे जो विभिन्न मत है उन सबकी तहमे प्रायः दो सिद्धान्त है : पहिला तो यह है कि लोग स्वशासन चाहते है और

दूसरा यह कि प्रायः सभी लोग अपने और दूसरोके ऊपर शासन करनेकी योग्यता रखते हैं। दोनो सिद्धान्त भ्रामक है। न तो इनका समर्थन मनोविज्ञान करता है, न इतिहास। जो बातें जीवनकी दैनन्दिन आवश्यकताओसे सम्बद्ध हैं, ऐसी बातें जिनका अन्तर्भाव स्थानीय स्वायत्त शासन—ग्राम पञ्चायत, नगरपालिका, जिला परिषद्मे होता है, उनमे तो लोगोको गहिरी अभिरुचि होती है, इनके सिवाय, लोगोको स्वशासनमे उतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी सुशासनमे। सुशासनका यह लक्षण तो है ही कि मनुष्यके मौलिक अधिकारोकी, उन अधिकारोकी जो नैसर्गिक और अविच्छेद्य हैं, रक्षा हो और जनताके प्रतिनिधियोका शासनपर नियन्त्रण रहे ताकि शासक उच्छृङ्खल न हो जायें। परन्तु आजकल लोकतन्त्रके नाम-पर जो आडम्बर रचा जाता है वह व्यर्थ है। महीनो व्यवस्थापिकाएँ बैठी रहें, निरन्तर वाद-विवाद होता रहे, नित्य नये कानून बनते रहे जिनका अर्थ स्वयं बनानेवाले बहुधा नहीं समझते—यह सब अनावश्यक है और लोकतन्त्रका अनिवार्य अंग नहीं है।

लोकतन्त्र तभी चल सकता है जब नागरिक शिक्षित हो और उनकी कर्तव्यबुद्धि उदात्त हो। फिर भी प्रत्येक शिक्षित नागरिक इस योग्य नहीं होता कि वह शासनका दायित्व अपने हाथोमे ले सके या उन महत्त्वपूर्ण प्रश्नोपर यथार्थ सम्मति दे सके जिनके समुचित उत्तरपर राष्ट्रोका जीवन निर्भर रहता है। राजनीतिके लिए गम्भीर अध्ययन और प्रशिक्षणकी आवश्यकता होती है। परन्तु आजकी निर्वाचनपद्धति योग्यताकी परख नहीं कर सकती। अमेरिकाके प्रसिद्ध राष्ट्रपति लिंकनने कहा था कि 'लोगोके हितके लिए लोगोके द्वारा लोगोका शासन' लोकतन्त्र है। वर्नड शॉके मतसे यह परिभाषा 'कर्णप्रिय मूर्खता' है। जर्मन विचारक—नेल्सेका कहना है कि लोकतन्त्र पतित ढगका सघटन है। मैं ऐसा तो नहीं कहता परन्तु यह मैं भी समझता हूँ कि लोगोके हितके लिए लोगोके शासनका यह अर्थ नहीं है कि लोग स्वयं शासन करे या ऐसे प्रतिनिधियोके द्वारा शासन हो जिनकी योग्यता निर्वाचकोकी योग्यतामे ऊँची नहीं है।

ऐसा शासन लोकतन्त्रको भेडियाधसान, भीडतन्त्र बना देता है।

योग्यता और चरित्रकी कोई कसौटी होनी चाहिये। साक्षरतामात्र पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना चाहिये कि प्रत्याशीने कुछ लोकसेवा भी की है या नहीं। अपने लिए वोट माँगना या वोट माँगनेके लिए सगठन गूंडा करना अवैध कर देना चाहिये। आज केन्द्रीय और प्रादेशिक विधायिकाओके लिए सदस्य सीधे चुने जाते हैं। यह विचारणीय है कि इसकी जगह यदि कोई दूसरी पद्धति चलायी जाय तो क्या परिणाम होगा। कुछ देशोंमें ऐसी पद्धतियाँ हैं। ग्राम-पंचायतोंके द्वारा जिला-परिषदोंके, जिलापरिषदोंके द्वारा प्रादेशिक विधायिकाके और प्रदेशसे केन्द्रीय ससदके सदस्य चुने जायें तो कैसा हो? पृथिवीका इतिहास बताता है कि कभी-कभी सार्वजनिक रगमचपर कोई ऐसा व्यक्ति यकायक आ जाता है जो बिना किसी प्रशिक्षण, बिना किसी तैयारी, बिना किसी अनुभवके ऐसे कामोंका सम्पादन कर देता है, जिनके लिए असाधारण क्षमता चाहिये, परन्तु ऐसे लोग अपवाद हैं। इनके आधारपर नियम नहीं बन सकते। हमको तो यह मानकर चलना होगा कि साधारण लोग ही मिलेंगे। इनमेंसे ही योग्य और चरित्रशील मनुष्योंको चुनना और काम करनेका अवसर देना होगा।

स्वराज्यप्राप्तिके बाद पाश्चात्य सविधानोंकी नकल करना हमारे लिए आवश्यक नहीं था। हमको चाहिये था कि प्रत्येक प्रश्नपर विचार करके भारतीय परम्पराओके आधारपर उसको सुलझाते। इस प्रकार हम जगत्के सामने लोकतन्त्रका नया और स्वस्थ रूप रख सकते थे। ऐसा न करके हमने भूल की। अब हमको वह सब कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं जो पश्चिमी सविधानोंकी अनुपद्धि है। हमने ब्रिटेनकी नकल तो की, परन्तु हमारे यहाँ वह पर्यावरण नहीं है जिसमें ब्रिटेनका शासनवृक्ष फला-फूला।

लोकतन्त्र-शासनकी कुछ विशेषताएँ हैं जो उसको अन्य व्यवस्थाओंसे पृथक् करती हैं, परन्तु लोकतन्त्र किसी विशेष प्रकारकी शासनव्यवस्थाका ही नाम नहीं है। वह विशेष प्रकारकी मनोवृत्तिका प्रतीक है। यदि

यह मनोवृत्ति ढीली हुई तो अच्छासे अच्छा लोकतान्त्रिक संविधान ढेरतक टिक नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हमारे देशमें इस मनोवृत्तिकी कमी है। अभी साधारण जनतामें तो यह पुष्टरूपसे घर नहीं ही कर सकी है, नेता भी कभी-कभी डिग जाते हैं। ऐसे कई अवसर आये हैं जब नीचेकी सस्थाओको अपने वैधानिक अधिकारसे काम लेनेमें रोका गया है, उनपर अनुचित दबाव डालकर इच्छाके विरुद्ध कदम उठानेके लिए विवश किया गया है। सम्भव है नेताओकी नीयत शुद्ध रही हो और उन्होंने जो कुछ किया हो लोकहितसे प्रेरित होकर ही किया हो, परन्तु दूसरे लोग उनके कामोंको नजीर मान कर बुरे उद्देश्यसे भी उसी मार्गपर चल सकते हैं। एक ईंटका खिसकना एक दिन सारी इमारतको गिरा सकता है। मनुष्यसे भूले तो होती ही है परन्तु भूल सुधारनेके नामपर ऊपरवालोका बार-बार हस्तक्षेप करना लोकतान्त्रिक ढाँचेको दुर्बल कर देता है।

हमको इस बातकी शेखी है कि हमारा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष है। यह शब्द अंग्रेजीके 'सेक्युलरिज्म'की जगह व्यवहारमें आता है पर उसका यथार्थ समानार्थक नहीं है। 'सेक्युलरिज्म'का तात्पर्य यह है कि शासन, शिक्षा, नैतिकता आदिको 'रेलिजनसे पृथक्, निरपेक्ष, रखा जाय। कठिनाई यह है कि संस्कृतमें रेलिजनके लिए कोई शब्द नहीं है। यदि हमको कोई इस देशमें प्रचलित शब्द लेना हो तो 'मजहब'से काम लेना होगा। मजहब या रेलिजनका कोई प्रवर्तक होता है, कोई एक विश्वाससूत्र होता है जो सबको मानना होता है। मुसलमानका विश्वाससूत्र यह है कि केवल अल्लाह उपास्य है और मुहम्मद उसके रसूल हैं और इस मजहबके प्रवर्तक मुहम्मद साहब हैं। हिन्दुओंमें कोई ऐसा सूत्र नहीं, कोई प्रवर्तक नहीं। इसलिए हिन्दुत्वका आधार कोई मजहब नहीं है, मजहबके लिए कोई शब्द नहीं है। धर्म दूसरा पदार्थ है। उसकी परिभाषा है 'यतोऽभ्युदय नि श्रेयस सिद्धिः स धर्मः' जिससे इस लोक और परलोकमें उन्नति हो और मोक्षकी प्राप्ति हो वह धर्म है। सबेरे उठकर टहलनेसे लेकर समाधिपर्यन्त

सभी अच्छी बातें धर्ममें अन्तर्भूत हैं। अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार धर्मके रूपमें भेद हो सकता है—जो अनीश्वरवादी है वह न किसीकी उपासना करेगा, न किसी सन्त, महात्मा, पैगम्बरका मुखापेक्षी होगा—परन्तु धर्मकी आवश्यकता सबको है। जो भी इस लोकमें सुखी रहना चाहता है वह धर्मानुसरण करेगा। मजहबोंमें भेद रहेंगे परन्तु धर्मके मुख्य अंग सर्वमान्य हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परोपकार, अस्तेय, यही धर्मके लक्षण हैं और यह हिन्दू-मुसलमान, बाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, भारतीय-अभारतीय, सबके लिए समान रूपसे उपादेय हैं, सार्वभौम हैं। किसी शासनका, किसी समाजका, यह कहना कि वह धर्मनिरपेक्ष है यागलपन है। इस कहनेका यही तात्पर्य है कि उसकी दृष्टिमें सच और झूठ, परोपकार और परापकार, ईमानदारी और बेईमानी, बराबर हैं। तब यह समझ लेना चाहिये कि जब हम धर्मनिरपेक्ष होनेका दम भरते हैं तो हमारा तात्पर्य यह है कि हम 'मजहब-निरपेक्ष' हैं।

मजहब-निरपेक्ष होना भी लोकतन्त्रका अनिवार्य लक्षण नहीं है। ब्रिटेन सबसे पुराना लोकतन्त्र देश है परन्तु कानूनके अनुसार ईसाई मजहबका प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय वहाँका राजमजहब है। ब्रिटिश नरेशकी उपाधि 'धर्मरक्षक' है। अमेरिकाकी स्वातन्त्र्यघोषणामें ही ईश्वरका चर्चा नहीं है वरन् वहाँके राष्ट्रपति ईश्वरको साक्षी मानकर ही पदकी शपथ लेते हैं। यदि मजहबसे निरपेक्ष होनेका यह अर्थ हो कि सब मजहबोंकी समान रूपसे रक्षा की जायगी, किसी मजहबको न विशेष रूपसे प्रश्रय दिया जायगा न किसीको हीन माना जायगा, शिक्षा, सरकारी पद, व्यवसाय, धर्मविशेषके साथ पक्षपात न किया जायगा न धर्म-विशेषका अनुयायी होना अपात्रता गिना जायगा, तो यह सर्वथा स्तुत्य है। अशोक बौद्ध धर्मके अनुयायी थे पर उन्होंने वैदिक तथा बौद्धमें कभी भेदभाव नहीं रखा। अकबरने भी यही नीति अपनायी। यह बात भारतीय परम्पराके सर्वदा अनुकूल है और भारतीय राज्य सदा इसका

पालन करते रहे हैं। यह हमारे लिए कोई नयी बात नहीं है, न हमें पश्चिमसे यह पाठ पढ़ना है।

परन्तु मजहबको मनुष्य जीवनसे निकालनेके प्रयासका परिणाम भयकर होगा। मनुष्यकी बहुत-सी शारीरिक आवश्यकताएँ हैं : वह भोजन, वस्त्र, घर चाहता है, गृहस्थीका सुख चाहता है, सन्तान चाहता है। पर वित्तैपणा और पुत्रैपणा ही सब-कुछ नहीं है। ऊँचा पद अच्छा लगता है, पुस्तके पढ़ना चाहता है, देगाटन करनेको जी चाहता है। परन्तु यह सब वयेष्ट मिल जाय फिर भी अपने भीतर कुछ सूना-सा लगता है, किसी अव्यक्त भूखकी अनुभूति होती है। यह आव्यात्मिक भूख है। यदि इसकी गान्ति न हुई तो अतृप्ति बनी रहती है, जीवन अपूर्ण लगता है। इस भूखका शमन मजहब करता है। उसमें बहुत-सा कर्मकाण्ड होता है, परन्तु इसके सिवाय उपासना भी होती है। सब योगी नहीं हो सकते परन्तु मजहबी उपासनाके द्वारा मनुष्यको ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी शब्दातीत अतीन्द्रिय सर्वव्यापी सत्ताके सामने स्थित है, उस सत्तासे तादात्म्य नहीं तो भी एक प्रकारका आपसका अन्तरग सम्बन्ध स्थापित हो गया है। ऐसी अनुभूति थोड़ी देरके लिए हो फिर भी उससे बल मिलता है, ओज प्राप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वकी प्रतीति होती है। यह नशा नहीं, सत्यकी आहट है, अपने स्वरूपकी झलक है। जीवनमें गम्भीरता आती है, सार्यकता मिलती है। मजहब धर्मका अशत समानार्यक हो जाता है, निःश्रेयसके मार्गका पहिला पडाव बन जाता है।

राज्य किसी मजहब (या धर्म) विशेषको प्रश्रय दे, इसकी आवश्यकता नहीं है। कई दृष्टियोसे ऐसा न करना ही अच्छा है, परन्तु एक तो अपनेको धर्मनिर्गेष कहना छोड़ना चाहिये, दूसरे उस भावकी पुष्टि करनी चाहिये जो मजहबसे मिलती है। मौक्तिक बातोंसे ऊपर कोई सत्ता, कोई शक्ति है, जो इस जगच्चक्रको घुमा रही है। उसके प्रति श्रद्धाका भाव जगाना चाहिये। यह भी भ्रान्त वारणा है कि हम सत्य, सदाचार, त्याग आदि नैतिकताको

धर्मका नाम लिये बिना ही जगा लेंगे । यह प्रयोग कहीं सफल नहीं हुआ, आचारको धर्मसे ही सबल मिला करता है ।

दुर्भाग्यसे हमारे देशमें इस समय उलटी धारा बह रही है जो समाजको भँवरमें डुवाकर छोड़ेगी । हमारे चोटीके नेताओंको धर्मपर, किसी भी मजहबपर, आस्था नहीं है । राजनीतिक कारणोंसे वह गौतमबुद्धका नाम ले लेते हैं, भगवद्गीताकी प्रशंसा कर देते हैं, परन्तु बुद्ध और कृष्णकी आध्यात्मिक शिक्षामें उनका कोई लगाव नहीं, फलतः उनकी कही हुई बातोंमेंसे उनका ही चर्चा होता है जिनमें आध्यात्मिकताकी गन्ध न हो । ऐसा करना बुद्ध या कृष्णकी विरोधताको ही नष्ट कर देना है । सच बोलो, त्याग करो, ऐसी बातें तो प्रारम्भिक स्कूलका कोई भी अध्यापक कह सकता है । इस समय धर्मका नाम लेना 'फैशन'में नहीं है । गण्यमान्य नेताओंको यह शब्द पसन्द नहीं है, इसके पीछे जो भावना है वह पसन्द नहीं है, उसमें पुराणपन्थीपनकी दुर्गन्ध आती है, उनका अनुकरण दूसरे करते हैं । पढ़े-लिखे लोग इसका चर्चा करते डरते हैं, ईश्वर या धर्म जैसे शब्द जिह्वापर नहीं आने पाते, कोई अध्यापक छात्रोंके सामने ऐसी चीजोंका नाम नहीं लेता । डा० राधाकृष्णन् अंग्रेजीमें बोलते हैं और उनकी आवाज विदेश पहुँचती है । इसलिए वह अपवाद है ।

यह बात अच्छी नहीं है । राष्ट्रमें अश्रद्धाको बढ़ाना, केवल भौतिक-स्तरको सामने आने देना, व्यक्ति और राष्ट्र दोनोंको रोगी बना देता है । जो केवल तर्कके सहारे जीवन चलाता है वह उस पतंगके समान है जिसकी डोर कट गयी है । उसको कहीं स्थिरता नहीं मिलती । एक तर्क दूसरेको काटता रहता है, विश्वास बदलते रहते हैं, कहीं दृढ़ सहारा मिलता ही नहीं । ऐसे हिलते कन्वे लोकतन्त्रके बोझको ढेरतक नहीं संभाल सकते ।

आज हमारे देशकी नयी पीढ़ीको देखिये । उसने और चाहे जो पढ़ा हो परन्तु चिन्ताकी अवस्थामें, जीवनके सघर्षोंके बीचमें, उसके पास बल,



सहारा, सान्त्वना, देनेवाला कोई पदार्थ नहीं है। मनुष्यके भीतर शक्तिका गम्भीर भण्डार भरा पडा है परन्तु हमारे लडके-लडकियोंको भीतर देखनेका अभ्यास ही नहीं है। इसमें उनका दोष नहीं है। किसीने उनको सिखाया ही नहीं। यह झूठी निरपेक्षता राष्ट्रका अहित करेगी और उस लोकतन्त्रपद्धतिको हानि पहुँचायेगी जिसके साथ वह जोड़ दी गयी है।



यह शिकायत बहुधा सुननेमें आती है कि सरकारकी सुनियोजित योजनाओंके लिए भी जनतामें उत्साह नहीं देख पडता । जनता तो दूर रही, कांग्रेस कार्यकर्ताओंमें भी उत्साहकी कमी है । लोग आश्चर्य करते हैं कि जिन लोगोंने स्वराज्यप्राप्तिके आन्दोलनमें इतना त्याग किया, तन-मन-धन लगा दिया, उनको स्वराज्यप्राप्तिके बाद क्या हो गया । लोग हाथपर हाथ धरकर बैठे रहना चाहते हैं । यह सब सरकारका काम है, वह करे, ऐसा भाव रहता है ।

इस बातके कारणोंपर भी दृष्टि डाली गयी है परन्तु खोज ठीक-ठीक हुई नहीं । अपनेको निर्दोष मानकर दूसरोपर दायित्व डालनेका यत्न हुआ है । सबसे पहिले तो जनता अपराधी ठहरायी जाती है । यहाँके लोग पुराणपन्थी हैं, उन्नतिशील, प्रगतिशील नहीं है, पुरानी बातोंको पकड़े रहते हैं, नयी बातोंको, चाहे वह उनके भलेकी ही हो, जल्दी अपनाते नहीं—यह कारण बहुधा सुने जाते हैं । फिर दूसरी बात यह कही जाती है कि सरकारी अफसरोंसे अभी अंग्रेजी जमानेकी गन्ध गयी नहीं है । अपनेको जनताका हाकिम समझते हैं, उससे घुल-मिलकर काम नहीं करते । तीसरा स्थान प्रादेशिक सरकारोंका है । उनमें दूरदर्शिताकी कमी है, प्रचार करना नहीं जानती । इन सब बातोंमें आशिक तथ्य हो सकता है परन्तु और गहिराईमें जाना होगा । दूसरोपर कीचड उछालनेसे काम नहीं चल सकता । आँख खोलकर देखनेसे कुछ बातें आप ही सामने आ

जाती है। उनमेंसे पहिली बात है कांग्रेसकी ओरसे लोगोका खिचाव। आजसे लगभग दो दशाब्दी पहिले नवयुवक कांग्रेसकी ओर आकृष्ट होते थे, हँसते-हँसते लाठी, जेल, गोलीका वरण करते थे। आज सिवाय थोड़े-से लोगोके कांग्रेसमें वही सम्मिलित होता है जो जिला परिषद्, प्रादेशिक विधानसभा या केन्द्रीय ससदका सदस्य होना चाहता है या नौकरीका इच्छुक है और यह समझता है कि कांग्रेसमें आनेसे उसको सहायता मिल जायगी। नवयुवक या तो कम्युनिस्ट ढलमें जाते हैं या जनसंघमें। शासन कांग्रेसके हाथमें है, अभी इन ढलोमें जानेसे विशेष भौतिक लाभ नहीं हो सकता। फिर भी आखिर नवयुवक क्यों उनकी ओर झुकता है? कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो यह सोचते हो कि भविष्यमें शासनका सूत्र इनमेंसे किसी एक ढलके हाथमें जानेवाला है परन्तु नवयुवकपर इस बातका प्रभाव नहीं पडता।

युवकोंमें बहुत बड़ी संख्या और महत्त्वका स्थान विद्यार्थियोंका है। आज विद्यार्थी जगत्में चारों ओर हलचल है। हडतालें होती हैं, अनगन होते हैं, प्रदर्शन और जलूस होते हैं, दूकानदारोंसे अगडे होते हैं, अव्यापकोंके मुँहपर बुरा-भला कहा जाता है। हम पुराने लोगोको यह सब देखकर दुःख और क्रोध होता है। हम कितने अच्छे आदमी थे, जब हम पढते थे वह सब उपद्रव नहीं होते थे। आजकलके लडके बहुत खराब हो गये हैं। ऐसा सोचनेसे हो सकता है कि हमारे चित्तको कुछ खुशी होती हो परन्तु बात ठीक नहीं है। आजका युवक पहिलेसे बुरा नहीं होता। उसको उत्पात करनेमें मजा नहीं मिलता, न वह स्वभावतः राक्षस है। एकाध बातोंमें वह हमसे अच्छा है। यदि वह उन्मार्गगामी हो रहा है तो इसमें उन परिस्थितियोंका दोष है जिनमें वह रह रहा है।

जिस समाजमें युवक रहता है उसमें बड़ी तेजीसे परिवर्तन हो रहा है। कुछ स्वतः होता है और कुछ हमारे नये कानूनोंके कारण, जिनमेंसे कुछकी सुविचारिताके वारेमें सन्देह किया जा सकता है। सामाजिक उथल-पुथलके दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। सम्मिलित परिवारप्रथा

टूट रही है, प्रायः टूट गयी है। इस प्रथामे कई दोष थे परन्तु एक बहुत बड़ा गुण भी था। परिवारके प्रत्येक व्यक्तिके लिए एक निश्चित ठिकाना था। हर लड़कीका विवाह हो जाता था, हर लड़केकी पढाई-लिखाईका प्रबन्ध हो जाता था, हर वृद्धको नमक-रोटी मिल जाती थी। अब इस प्रथाके टूटनेसे पारिवारिक दायित्वका बन्धन ढीला हो गया। एक मित्रने कहा था कि अब तो जबतक बाप-माँ जीते हैं तबतक भाई भाई रहता है बादमे रिश्तेदारमात्र हो जाता है। मैं सुरक्षित हूँ, यह विश्वास हिल गया। अब कानूनने लड़कियोंको सम्पत्तिमे अधिकार दे दिया है। अभी-तक पिताके मरनेपर भाई पिताके स्थानपर था। बहिनोका विवाह कराना उसका धर्म था। जब बहिन उसके बराबर-हकदार हो गयी तो वह भाव जाता रहा। भाई क्यों दायित्व ले ? परन्तु हमारे समाजमे अभी लड़कियाँ अपने पाँवपर नहीं खड़ी हो सकती। पहिले धर्मका जीवनमे बड़ा स्थान था। धर्मका बहुत बड़ा बन्धन था। वह ढीला हो गया। सरकारी अदालतका भले ही डर हो परन्तु अधर्म और पापका अकुश जाता रहा। बड़ी उम्रमे विवाह होते हैं, इसलिए विवाहके साथ ही या बहुत थोड़े दिन बाद जवान लड़के अपनी पत्नियोंके साथ घरसे दूर अपनी जीविका कमानेकी जगह चले जाते हैं। वहाँ उनके लड़के-बच्चे होते हैं। इन बच्चोको पितामह-पितामहीके साथ रहनेके कम अवसर मिलते हैं। बहुएँ ससुरालकी बड़ी-बूढ़ी स्त्रियोंके साथ कम रह पाती हैं। इसलिए कुलाचारोका लोप होता जा रहा है।

उधर आर्थिक परिस्थितियाँ भी चिन्ताजनक हैं। चौदह-पन्द्रह वर्षके लड़कोको पिता-माताकी आर्थिक स्थितिका भान हो जाता है। किस सकट-से ऋण लेकर, पेट काटकर, वह पढाईका व्यय वहन कर रहे हैं यह समझमें आने लगता है। अविवाहित बहिनोकी समस्या पारिवारिक वायु-मण्डलको खेदाच्छन्न बनाये रहती है। पढना जारी है, परीक्षाएँ उत्तीर्ण की जा रही हैं, परन्तु पढकर होगा क्या, इस प्रश्नका कोई सन्तोषजनक उत्तर सामने नहीं होता। जीविकाका मार्ग प्रशस्त नहीं प्रतीत होता।

एक ओर चिन्ता मारे डालती है, दूसरी ओर जीवनतरीके लिए कोई पतवार नहीं, सामाजिक या धार्मिक कोई बन्धन नहीं, किसी तत्त्व, किसी विचारपर श्रद्धा नहीं। ऐसी अवस्थामें युवकका मस्तिष्क एक प्रकारका पागलखाना बना होता है। जो बात किसीसे सुन ली, उसीके पीछे टांड पड़े। कुछ करते रहनेसे गम गलत हो जाता है, चिन्ता दबी रहती है। जितनी ही उग्र विचारधारा हो, चित्तको भाती है। मनमें ऐसा भाव रहता है कि अब जैसी दशा है उससे बुरा क्या होगा, परिवर्तन स्वयं साध्य बन जाता है। जहाँ किनारा देख ही नहीं पड़ता, वहाँ जिधर हवा ले जाय वहना ही होगा, स्यात् कोई ठिकाना मिल ही जाय।

एक और खराबी है। प्रकृति हमारी दुर्व्यवस्थाका लिहाज नहीं करती। उसने पुरुष और स्त्री दोनोंके लिए विवाहवयकी कुछ सीमाएँ बना रखी हैं। परन्तु आर्थिक कारणोंसे विवाहका वय बढ़ता जाता है। प्रकृति तो दण्ड देती ही है, पुरुष और स्त्री दोनों ही मानस रोगोंके शिकार बनते हैं, भौतिक-भौतिके उन्मादोंके वशीभूत होते हैं।

यह केवल व्यक्तियोंका प्रश्न नहीं है, सारे समाज, सारे राष्ट्रकी समस्या है। जहाँ व्यक्तियोंका जीवन इतना असन्तुलित, इतना चिन्तातुर, इतना अपूर्ण होगा, वहाँ राष्ट्रका जीवन भी निश्चय ही अस्वस्थ होगा। इस कुव्यवस्थाको बदलना ही होगा। आर्थिक व्यवस्था सुधारनी होगी, समाजमें नयी मान्यताएँ स्थापित करनी होगी, श्रद्धा और विश्वासका फिरसे संचार करना होगा। यह एक दिनका काम नहीं है। बरसोंतक एडी-चोटीका पसीना एक करना होगा, सुविचारित, नियोजित ढंगसे काम करना होगा, त्यागवृत्ति, उत्साह और लगनसे निरन्तर श्रम करना होगा। परन्तु त्याग और उत्साहकी तो प्रत्यक्ष ही कमी है। इन गुणोंको कैसे लाया जाय ? हम फिर वही पहुँच गये जहाँसे यह अध्याय आरम्भ हुआ था।

आखिर हम लोगोंसे किस लक्ष्यके लिए काम करनेको कहते हैं ? हम कहते हैं कि हमने कल्याणकारी राज्य स्थापित किया है। कल्याण

किसको कहते हैं ? शास्त्रकारोंने श्रेय और प्रेयमे भेद बताया है । श्रेय वह है जिससे आत्माका वास्तविक हित होता है, प्रेय वह है जो हमको प्रिय लगता है । प्राचीन मतसे तो श्रेय ही सच्चा कल्याण है पर हमारे नेताओंकी परिभाषामें कल्याण प्रेयका पर्याय है । वह कल्याणके सम्बन्धमें भोजन, घर, शिक्षा, स्वास्थ्यव्यवस्था जैसी बातोंका चर्चा करते हैं । यह सभी वस्तुएँ उपादेय हैं, इसमें सन्देह नहीं । इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता । कहावत है कि 'भूखे भजन न होइ गोपाल ।' किसी भी दलकी सरकार हो, इन बातोंकी ओर ध्यान देगी । प्रजाको नगा-भूखा रखकर अन्धेर नगरीका शासन भी बहुत दिनोतक नहीं चल सकता । लोग इन चीजोंकी प्राप्तिके लिए परिश्रम कर सकते हैं, कभी-कभी आपसमें लड़ते भी हैं । परन्तु इन चीजोंके नामपर क्रान्तियाँ नहीं होती, समाजका कायापलट नहीं किया जा सकता । रोटी-कपड़ा जिन भौतिक वस्तुओंका प्रतीक है वह वासनाको जगाती है परन्तु वासना मनुष्यके चरित्रको ऊपर नहीं उठाया करती । वह चित्तकी वृत्तियोंको सकुचित करके मनुष्यके अधम 'स्व'में, स्वार्थमें, केन्द्रित कर देती है । वासनामें त्यागके लिए जगह नहीं होती । वासनाके सहारे ऊपर उठनेका प्रयास उतना ही हास्यास्पद है जितना अपने कमरमें बँधी हुई बोतीकी छोर पकड़कर ऊपर उठनेकी बात सोचना । क्रान्ति, आमूल परिवर्तन, नये युगका सर्जन, तब होता है जब मानव अपनेको भूलकर, अपनी वासनाओंसे ऊपर उठकर, अपनेसे किसी विशाल तत्त्वके साथ तद्गतीता, तादात्म्य, प्राप्त करता है । १९२१ से १९४२ तकके कांग्रेस कार्यकर्ताने त्याग किया, आत्मबलि दी, इसलिए नहीं कि उसे रोटी-कपड़ेकी आशा थी—उसको तो यह निश्चय भी नहीं हो सकता था कि अपनी आँखोंसे स्वराज्य देख लेगा—प्रत्युत इसलिए कि उसने सारे देशके साथ तदात्मताका अनुभव किया । महात्माजीने उसकी वासनाको नहीं जगाया वरन् उसके उस प्रसुप्त 'स्व'को जगाया जो इस अनन्त विश्वका प्रतिबिम्ब है, जो विशालतामें ही अपनी कृत्स्नताका अनुभव करता है, अपने वास्तविक रूपकी झलक देखता है । त्याग और

तपस्यासे आत्माके आवरण हट जाते हैं और उसका स्वरूप निखर उठता है ।

एक और बात ध्यानमें रखने योग्य है । आदर्शतक पहुँचनेके प्रयत्नमें अपने लिए कुछ न चाहते हुए काम करनेमें संघर्ष और द्वन्द्वके लिए स्थान नहीं होता, परन्तु वासनाकी वृत्तिके प्रयत्नमें प्रतियोगिताका भाव आता है । प्रायः वृमुक्षुओं, भोगकी इच्छा रखनेवालोंकी सख्या अधिक होती है, भोग्य वस्तुओंकी सख्या कम । इसलिए आपसमें होड लगती है । इस क्षेत्रमें काम करनेवालोंके सामने सदेव पुरस्कार रहता है । या तो सबको पुरस्कार मिल सके, भोगसामग्री उपलब्ध हो जाय, तो बहुत अच्छा है परन्तु कमसे कम मुझको तो मिलना ही चाहिये, यह विचार व्यक्त या अव्यक्त रूपमें चित्तमें रहता है । इसलिए वासनाके विपयोका नाम लेकर सच्चे त्याग और उत्साहकी आशा रखना आकाशकुसुमसे इत्रकी आशा रखनेके समान ही है ।

वह दुःखकी बात है कि हमारे देशमें कर्णधारोका ध्यान इस ओर नहीं गया । जनताके सामने कोई आदर्श नहीं है, नि स्वार्थ कर्मके लिए कोई प्रेरणा नहीं है । चारों ओर विचारधाराओंकी भरमार है, उलटे-सीधे आदर्शोंकी धूम है, परन्तु हम काग्रेसजन विचारोका सामना किनीनीकी गोलियों और थर्ड क्लासके डबबोंमें लगे पर्खोंसे करना चाहते हैं ।

सभी राजनीतिक दलोंको इस बातका ज्ञान है कि युवकोंमें बेचैनी है । वह इससे लाभ उठाना चाहते हैं । वह रोटी-कपड़ेके कार्यक्रम तो पेज करते ही हैं परन्तु इसके साथ ही कोई ऐसी विचारधारा भी उपस्थित करते हैं जो ऊँचे आदर्शोंको सामने लाती है । हमको हिन्दुत्वका उद्धार करना है या जगत्में वर्गहीन, वर्णहीन, विश्वबन्धुत्वमूलक समाजकी स्थापना करनी है या कोई ऐसी ही बात कही जाती है । युवकके मस्तिष्कमें जो शून्यता है वह इनमेंसे किसी एक बातसे भरती है । वह ऐसी किसी विचारधाराको स्वीकार करते ही दूसरा आदमी बन जाता है । उसके सामने ऊँचा लक्ष्य होता है, जीवनको सार्थकता मिल जाती है, चरित्रका

उन्नयन होता है, वह इस आदर्शकी वेदीपर सब-कुछ होम करनेको तैयार हो जाता है। यदि वह बड़ा उद्देश्य सिद्ध हो गया तो रोटी-कपडा तो मिल ही रहेगा। मैं न रहूँगा तो क्या, जगत् तो सुखी होगा। कांग्रेसके पास इसके उत्तरमे कुछ नहीं है। फिर यदि नवयुवक कांग्रेसकी ओर आकृष्ट नहीं होता तो इसमे आश्चर्य ही क्या है? उसको कांग्रेस आत्महीन सस्था प्रतीत होती है।

कम्युनिस्ट पार्टीको लीजिये। विश्वके स्वरूपको बदल देना चाहती है, मनुष्यकी प्रकृतिको बदल देना चाहती है। कम्युनिस्ट किसी देशका निवासी हो, किसी राज्यका नागरिक हो, अपने देश और राज्यके हितके लिए चाहे जो करता हो परन्तु उसकी सर्वोपरि निष्ठा कम्युनिस्ट सिद्धान्तके प्रति है। वह उस सेनाका सिपाही है जो विश्वका सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक विजय करने निकली है। भले ही इसमे गताब्दियाँ लग जायँ पर प्रयत्न निरन्तर जारी रहेगा, न उसके सामने अपना हित है, न अपने देशका। यदि अपने और अपने देशके प्रत्यक्ष हितोका सहार करके भी उस लक्ष्यकी ओर बढ़ा जा सके तो वह सकोच न करेगा। ऐसे सिद्धान्त, ऐसी निष्ठा, मनुष्यको स्वार्थके ऊपर उठा देती है। कम्युनिज्ममे ईश्वरके लिए स्थान नहीं है परन्तु कम्युनिस्टको उसका विश्वास वही स्फूर्ति देता है जो किसी धर्मविशेषके अनुयायियोंको उस धर्मके नामपर हँसते-हँसते आगमे कूट पडनेकी शक्ति देता है।

और इसके जवाबमे हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हममेसे कुछ लोग अपने नेतृवृन्दसे बराबर कहते आये हैं कि इधर ध्यान देना चाहिये। हमको अपने कार्यकलापके लिए, अपने सामूहिक जीवनके लिए, दार्शनिक आधार स्थिर करना चाहिये। परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। यह हमको शोभा नहीं देता। जिस देशका दर्शनके क्षेत्रमे इतना बड़ा अधिकार हो, जिसकी विचारपरम्परा इतनी प्राचीन हो, उसमे आज इतना विचारदारिद्र्य हो, यह दुःखकी बात है। बहुत दूर क्यों जायँ, हमारे ही बीचमे तो महात्मा गान्धी हुए थे। वह बराबर



‘रामराज्य’का चर्चा करते थे, उसको लक्ष्य मानते थे। ‘रामराज्य’ नाम बहुत अच्छा नहीं था, इसमें अयोध्याके राजा दायरश्री रामके शासनकी बनि निकलती थी, जिसमें तप करनेके लिए शूद्रमुनिका वध किया गया था और सीताके शरीरमें नारीजातिके साथ घोर अनाचार किया गया था। वैसा राज्य हम नहीं चाहते। परन्तु महात्माजी भी उसे नहीं चाहते थे। वह उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया था। वह ‘रामराज्य’ का व्यवहार उसी अर्थमें करते थे जिस अर्थमें ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवन् तुम्हारा राज्य पृथिवीपर स्थापित हो। इसका दूसरा पर्याय धर्मराज्य हो सकता है। शब्दोंके लिए आग्रह नहीं है पर हमारे पास बड़ा अच्छा अवसर था और है। हमारे सामने कुछ तो स्वप्न होगा ही, होना चाहिये ही, कि हम इस जगत्में कैसी व्यवस्था चाहते हैं, यदि मत-युगको पुनः स्थापित करना हमारे हाथमें हो तो उसको क्या स्वरूप देना चाहेंगे, भविष्यका मनुष्य कैसा होना चाहिये। भारतके प्रति भले ही हमारा विशेष दायित्व हो परन्तु भारत पृथिवीके बाहर नहीं है। आज मनुष्य रेल, तार, बेतार, वायुयानके द्वारा एक-दूसरेके जितना निकट आ गये हैं उतने निकट कभी भी नहीं थे। अतः भारतकी बात सम्पूर्ण पृथ्वीसे अलग नहीं सोची जा सकती। हम अन्य देशोंसे प्रभावित होते हैं, दूसरे देश हमसे। मनुष्यमात्रका हिताहित एक हो रहा है। इसलिए हमको मानवमात्रको सामने रखकर भविष्यका चित्र बनाना होगा। वही हमारा आदर्श होगा और हमसे प्रत्येकको उसके चरणोपर अपना सर्वस्व अर्पित करना होगा। यही सच्चे ईश्वरार्पण, सच्चे निष्काम कर्म, का मार्ग होगा। यदि एक बार हम जगत्के सामने, अपने युवकोंके सामने, कोई ऐसा आदर्श रख सके तो फिर न उत्साहकी कमी रह जायगी, न त्यागकी। हमारी जनताके भीतर यह शिक्षा कूट-कूटकर भरी हुई है। चिनगारी है पर उसपर राख पड़ गयी है, थोड़े-से प्रयत्नसे फिर प्रज्वलित हो जायगी। परन्तु हमारे अग्रगण्य नेता पाश्चात्य सभ्यताकी चकाचौंधमें कुछ ऐसा आ गये हैं कि उनको पुरानी बातोंसे चिढ़-सी है। वह उनका सहारा

लेना चाहते ही नहीं। यदि त्रिनगारीपर राख ही नहीं, पानी पडता गया तो आगकी आग्रा छोड देने चाहिये।

सस्कृतमे मर्यादापुरुषको आर्य कहते हैं। इसी अर्थमे वेदका आदेश है 'कृणुध्वम् विश्वमार्यम्'—सारे विश्वके मनुष्योको आर्य बनाओ। हमको सोचना चाहिये कि हम कैसा आर्य चाहते है, वही हमारा आदर्श मनुष्य होगा। उसीको व्यानमे रखकर शिक्षापद्धतिका निर्माण करना होगा, ताकि वैसी मनोवृत्ति बन सके। सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था भी ऐसी करनी होगी जिसमे उस मनोवृत्तिको पनपनेका अवसर मिले और बाधाओपर रोक लग सके।

मैं यहाँ उन गुणोकी तालिका नहीं देना चाहता जो आर्यमे, भविष्यके मानवमे, होने चाहिये। इसके लिए कैसा पर्यावरण अनुकूल होगा उसके विषयमें भी अधिक नहीं कहना चाहता। इसपर विद्वानो और लोक-नायकोको विचार करना चाहिये। 'वादे वाटे जायते तत्त्वबोधः', विचार-विमर्शके बाद ही इन गम्भीर विषयोका कोई निर्णय हो सकता है। परन्तु एक-दो बातें तो कही जा सकती है। हमारा ससार कम्युनिस्ट ससार नहीं होगा। उसमे व्यक्ति ही सारे कार्यकलापका केन्द्र होगा। शासन, अर्थनीति आदि सब-कुछ उसके लिए होगा। समाज और राज्य उसके लिए साधनमात्र होंगे। दूसरी बात यह होगी कि जीवनका आधार सघर्ष नहीं वरन् सहयोग होगा। विराट् पुरुषका स्वरूप भारतकी प्राचीनतम कल्पना है। जड, चेतन, इस विश्वमें जो कुछ भी है, वह विराट् पुरुषके शरीरका अवयव है। अवयवोके सब अंग एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं। ब्रह्मासे लेकर क्रीटतक एक सूत्रमे बँधे है। एकके सुखमें सबका सुख है, एकके दुःखमें सबका दुःख है, सबके सुखमे प्रत्येकका सुख है। हमारे शरीरके किसी भागमे छोटा-सा काँटा चुभ जाय तो सारा शरीर व्यथित हो उठता है। दूसरेकी हानि करना अपनी हानि करना है, जो किसी समझदारको अभीष्ट नहीं हो सकता। इससे एक और बात निकलती है, अधिकारोके लिए आग्रह करनेसे सघर्ष होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने

कर्तव्योका पालन करे तो सबको अपने अधिकार आप ही मिल जायें। यही धर्मभावका मूल है। मैं अपने सुखके लिए ज्ञात-अज्ञात करोड़ों प्राणियोका, जिनमे देव, मनुष्य, पशु, कीट, वनस्पति, सभी हैं, ऋणी हूँ। यथासम्भव उनका ऋण चुकाना ही चाहिये, इसीमे मेरा हित भी है। शुद्ध बुद्धिसे ऋण चुकानेका प्रयास ही धर्म है।

कोई ईश्वरकी सत्ताको स्वीकार करे या न करे, परन्तु यह तो मानना ही होगा कि जगत्का आधार कोई चेतनतत्त्व है जो सत्य, शिव, सुन्दरम् है, जो सबमे अनुस्यूत है, ओतप्रोत है, जिसमे सब-कुछ स्थित है। वह हमारे श्रद्धा, विश्वास और आदरका आस्पद है।

हमारे अग्रणी नेताओको कोई इस प्रकारका जीवनदर्शन, इस प्रकारका आदर्श, सामने लाना चाहिये। यदि विराट् और धर्म जैसे पुराने शब्द कर्णकटु लगते हो तो उनका परित्याग करके नये शब्द गढ़ लिये जायें। किसी दार्शनिक आधारके बिना जीवन सूना, निरुद्देश्य, अकृत्स्न रहेगा। उसमे ओज और उत्साहकी कमी रहेगी। जिस प्रकारके विचारोंकी ओर ऊपर सक्षेपमे सकेत किया गया है वह विश्वसंस्कृतिमे भारतकी देन होंगे। उनसे भारतका तो कल्याण होगा ही, जगत् व्यथित मानव-मात्रको शान्तिका सन्देश मिलेगा।



देहात और देहातमें रहनेवालोंकी पूजा आजकलकी राजनीतिका बहुत बड़ा अंग है। देहातकी ओर ध्यान देना स्वाभाविक और उचित है, इस देशकी अधिकांश जनता देहातमें ही रहती है। जो सुदृढीभर व्यक्ति नगरोंमें रहते हैं उनका सुख-दुख देशके सुख-दुखका मापदण्ड नहीं हो सकता। यदि ग्रामीण सम्पन्न नहीं है, यदि उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो शासन असफल है, चाहे नगरोंमें जो कुछ भी हो रहा हो।

ग्रामीणोंके सम्बन्धमें दो प्रकारके विचार देख पड़ते हैं। कुछ लोग उनको सर्वसद्गुणसम्पन्न मानते हैं। उनकी धारणा है कि ग्रामीण भोला-भाला, विश्वासी और विश्वसनीय, निरक्षर होते हुए भी सहज ज्ञानसे युक्त और भारतीय सस्कृतिकी परम्पराओंमें निष्णात, धार्मिक और न्यायशील होता है। दूसरा पक्ष समझता है कि वह नासमझ, अपने हितको न पहिचाननेवाला, अन्धविश्वासी और कुटिल होता है। परन्तु परिस्थिति वशात्, जो लोग उसको दोषोंका आगार मानते हैं उनको भी कभी-कभी यशोगाथा गानी पड़ती है।

यदि ग्रामीणोंके सम्बन्धमें केवल कविता करनी होती तो कोई बात न थी, परन्तु यह तो मानना ही होगा कि देशमें उनकी ही संख्या सबसे अधिक है, उनके ही मतोंके बलपर सरकारें बनती हैं। अतः उनके हित-साधनके लिए कानून बनाये जा रहे हैं, अरबों रुपयोंकी योजनाएँ बन

रही है। इसलिए ग्राम और ग्रामीणका ठीक-ठीक चित्र हमारे सामने होना चाहिये। रोगके निदान और रोगीकी प्रकृतिके जानके बिना औषधोपचार हानिकर हो सकता है।

यह समझ लेना चाहिये कि ग्रामीण न ऋषि है, न राक्षस, उसमें भी वह सब गुण-दोष है जो दूसरे मनुष्योमें होते हैं। उसके गाँवतक वर्तमान सभ्यताकी चमक न पहुँची हो, इसलिए वह भोला-भाला प्रतीत होता हो परन्तु भोलापन बेवकूफी नहीं है। अपना हित खूब समझता है। मुकदमा लड़नेमें अच्छे-अच्छे वकीलोके छक्के छुड़ा देता है। उसके पेगमें स्थिरता होती है। भूमि चल वस्तु नहीं है, इसलिए वह भले ही अपने विचार हर नयी हवाके झोकेमें न बदल देता हो परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष लाभ देख पड़ता है, बदलना भी जानता है। यह भी ध्यान रहे कि नगर और ग्राममें दो भिन्न प्रकारके जीव नहीं बसते। देहातके लड़के नगरोंमें पढ़ने जाते हैं, देहातके प्रौढ नगरोंमें व्यापार, व्यवसाय, श्रम करने आते हैं। दोनोंमें कोई स्थायी भेद नहीं है। जो भेद देख पड़ते हैं वह परिस्थितियोंके कारण उत्पन्न हो गये हैं। सारी पृथिवीमें किसानोकी मनोवृत्ति एक विशेष प्रकारकी होती है। शहरमें जीविकाका मुख्य साधन शरीर या मस्तिष्क है। पूँजी भी साधन है, पर वह चल है, अस्थिर है। खेतीमें सबसे बड़ा साधन भूमि है, जो अचल है, स्थिर है, मनुष्यके शरीर या मस्तिष्ककी अपेक्षा नहीं करती। इसलिए कृषक उसको छोड़ना नहीं चाहता। वह बलात् भूमिसे अलग कर दिया जाय, भूमिपरसे उसका स्वत्व हटा दिया जाय, यह दूसरी बात है, पर अपनी इच्छासे वह पृथक् नहीं होना चाहता। दूसरी बात यह है कि शहर प्रकृतिपर मनुष्यके विजयका प्रतीक है परन्तु ग्राममें प्रकृति विजयिनी होती है। लाख प्रयत्न करके भी कृषकको इस बातका भरोसा नहीं रहता कि अन्न पैदा हो ही जायगा। थोड़ी-सी अतिवृष्टि, थोड़ी-सी अनावृष्टि, थोड़ा-सा तुपार, सारी आशाओपर पानी फेर देता है। इसलिए कृषक कुछ भीरु होता है, वह अदृश्य शक्तियोंसे डरता रहता है। नगर-निवासी जैसा उग्र आशावादी नहीं होता। परन्तु

यह मौलिक भेद नहीं है ।

यह कहा जाता है कि ग्रामीण जातिवादसे अधिक प्रभावित होता है । यह कुछ हदतक सच है । हमारी चुनावपद्धतिने जातिवादको बहुत प्रोत्साहन दिया है । परन्तु इसके साथ एक और बात भी है । देहातमे विभिन्न जातियोके लोग नगरोंकी अपेक्षा एक-दूसरेके अधिक निकट आते है । खेत-खलिहानमे, कथा-कीर्तनमे, अखाडोंमे, मेले-तमाशोमे, मिलने-जुलनेके बहुत अवसर मिलते है । कृषिकार्यमे ब्राह्मणका काम चमारके विना नहीं चलता । बहरहाल, यह दीवारे तो ग्रामोमे भी गिरती जा रही हैं ।

हमको ग्रामोके उत्थानके लिए नियोजित प्रयास करना है । यदि ग्रामीणोका जीवनस्तर उठाना है, तो उनकी आय बढ़ानी होगी । इसके दो उपाय होंगे । एक तो कृषिके नये वैज्ञानिक ढंग चलाने होंगे, दूसरे, सहयोगसे इस क्षेत्रमे अधिकाधिक काम लेना होगा । पर इतना ही पर्याप्त नहीं है । ऐसे कुटीर और लघु उद्योगोंको फैलाना होगा जिनमे किसान अपने फुरसतके समयमे लग सके । मैं इन बातोके व्योरेमे नहीं जाना चाहता । ऊपर कही हुई बातें ऐसी है जिनके बारेमे मतभेद नहीं हो सकता ।

परन्तु एक बात ध्यानमे रखनी होगी । हम गंगाको पश्चिमवाहिनी नहीं बना सकते । जो युग गया वह गया । अब हम ग्रामोको लौटा कर उस जगह नहीं ले जा सकते जहाँ वह पहिले थे । किसी समय गाँव अर्ध-स्वतंत्र लोकतंत्र राज्य-सा था । अपनी सारी आवश्यकताओकी पूर्ति प्रायः आप ही कर लेता था । बाहरसे कम ही वस्तुएँ मोल ली जाती थी । अलग जीवन विताना शक्य था । आज यह असम्भव है । यदि हम गाँववालोको हठात् गँवार रखना चाहे और सभ्यताके उपकरणोसे वञ्चित रखना चाहे तब तो दूसरी बात है, नहीं तो ग्राम अब अपनी स्वतंत्रता नहीं रख सकता । गाँवमे रेडियो नहीं बन सकते, वाइसिकिल्तक बाहरसे आती है । कपडा सीनेकी मशीन, दियासलाई, मिट्टीका तेल, मुई, रासायनिक

खाद, सभी बाहरसे आता है, समाचारपत्र नगरोमे छपते हैं, पुस्तके नगरोमे छपती हैं, गाँव-गाँवमे विन्धविद्यालय नहीं खुल सकते, हर जगह बडे चिकित्सालय नहीं स्थापित हो सकते। पदे-पदे गाँववालोको नगरका सहारा लेना होगा। नगरनिर्मित वस्तुओका मूल्य चुकानेके लिए ऐसी चीजोकी खेती करनी होगी जिनकी खपत अपने गाँवमे नहीं हो सकती। ईख, तेलहन, रुई बाहर बेचनेके लिए बोये जाते हैं। अब नगर और ग्रामका अटूट सम्बन्ध है। पुरानी ग्राम पचायतोमे चाहे जो गुण रहे हो परन्तु आजकलकी अवस्थामे हम उनको वापस नहीं ला सकते। जो समाज आज है नहीं, उसकी व्यवस्था कैसे कायम की जा सकती है। न वह ग्राम है, न वह ग्रामीण है। महात्माजीके सामने जिस ग्रामीणका चित्र था वह तुलसी-कृत रामायण और कबोरके शब्दोसे तृप्त हो जाता रहा हो परन्तु आजका ग्रामीण तो रेडियो भी सुनना चाहता है। उसकी दिलचस्पीकी परिधि उसके गाँवतक सीमित नहीं है। पुराना ग्रामीण कभी-कभी तीर्थयात्रा कर आता था, आजका ग्रामीण कलकत्ते-बम्बईकी सैर करता है।

इन सब बातोकी ओरसे आँख फेरकर नियोजन करना भूल होगी। इस ओर स्मृति आकृष्ट करनेकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी-कभी उन लोगोके मुँहसे, जो देशके कर्णधार हैं, ऐसी बातें सुन पडती हैं जो शका उत्पन्न करती हैं। ग्राम-पचायतोका विचार करते समय ऐसा लगता है कि कुछ लोग पुराने युगका ही अब भी स्वप्न देखते हैं और गाँवोको अल्पकाय गणराज्य बनाकर ही छोडेगे। यह वस्तुस्थितिसे मुँह मोड़ना होगा।

ग्राम और नगरके विरोधी हितोका चर्चा होता है। सुनकर दुःख होता है। विरोधकी बात करना वस्तुस्थितिको न पहिचानना है। इनके हित एक-दूसरेके परिपूरक हैं। एकके बिना दूसरेका काम नहीं चल सकता। गाँव ही बडा होकर नगर बन जाता है। आज हो यह रहा है कि एक ओर तो हम ग्रामकी प्रशंसाके पुल बाँधते हैं, दूसरी ओर आये दिनके चुनावोके भँवरमे डालकर ग्रामीण जीवनमे जो कुछ सादगी और अपनापन बचा है

उसे भी नगरोंके साथ बाँधकर नष्ट कर रहे हैं ।

किसी प्रकारका नियोजन और विकासका कार्यक्रम बनानेके पहिले हमको यह सोच लेना चाहिये कि भावी भारतका चित्र कैसा होना चाहिये । हम कैसे नगर और ग्राम चाहते हैं, उनमें कैसा सम्बन्ध देखना चाहते हैं, इस युगका झुकाव किधर है । देशकी अन्य समस्याओंसे पृथक् करके इन प्रश्नोंपर विचार करनेसे कृत्रिम चित्र बनेगा और जो व्यवस्था होगी वह वस्तुस्थिति और युगप्रवाहके प्रतिकूल होनेसे अव्यावहारिक होगा और समाजके लिए हानिकर सिद्ध होगा । हमको आजके भारतमें, आजके ग्रामीणोंके लिए गाँव चाहिये, प्राचीन भारत लौटाया नहीं जा सकता ।





हमसे अधिकतर लोगोके पास कोई-न-कोई ऐसा काम होता है जिसमे दिनका मुख्य भाग व्यतीत हो जाता है। वह लोग अभागे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है या जो आलस्यके कारण कोई काम करते नहीं। संस्कृत बुद्धिके लोगोको इस मुख्य कामके अतिरिक्त किसी-न-किसी अन्य काममे भी अभिरुचि रहती है। कोई डाकके पुराने टिकट जमा करता है, कोई पुरानी मुद्रा एकत्र करता है, कोई चित्र बनाता है। ऐसे गौक छुट्टीके समय पूरे किये जाते हैं। हमारे देशमे रवाज कम है, लडकपनसे ही अभ्यास डालना चाहिये, किसी दूसरेको अच्छा लगे या न लगे, अपनेको रस आता है और जी नहीं ऊवता। कोई साथी हो या न हो, तब भी समय कट जाता है।

मेरे भी कुछ ऐसे गौक हैं। साधारणतः यह विज्ञापनके विषय न होने चाहिये परन्तु इनका चर्चा फैल ही गया है और इनमेसे कुछकी आलोचना लब्धप्रतिष्ठ महापुरुषोने की है, इसलिए मैं भी उनका जिक्र कर रहा हूँ। आलोचक तो इनको मेरी मूर्खताका प्रमाण मानते हैं, मैं ऐसा नहीं समझता फिर भी इन सज्जनोका लिहाज करके अपनी दिलचस्पीके इन प्रिय विषयोको 'खन्त' कह रहा हूँ। मेरे कुछ विचार भी ऐसे हैं जो स्वात् आजकल सन्देहकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। उनको भी खन्तोकी कोटिमे ही रखना होगा।

वर्मनिरपेक्ष राज्यके सम्बन्धमे मैने जो लिखा है उससे मेरे धर्म और

मजहब सम्बन्धी विचार स्पष्ट हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवनमें धर्मका महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मकी ओरसे मुँह फेर लेनेसे व्यक्ति और समाजकी स्थायी क्षति होगी। किसी मतमतान्तरका समर्थन नहीं कर रहा हूँ परन्तु उस तत्त्वके प्रति श्रद्धाका भाव होना ही चाहिये जो विश्वमें ओतप्रोत है, जिसमें विश्व स्थित है और जो विश्वके बाहर भी है। ऋग्वेदमें एक सूक्त है जिसमें बार-बार यह प्रश्न पूछा गया है, 'कस्मै देवाय हविषा विधेम'—हम किस देवके निमित्त हवि अर्पित करें ? हम उसे जाने या न जाने, परन्तु कुछ है जो हमको और सारे चराचर जगत्को प्रतिक्षण अनु-प्राणित कर रहा है। मैं अपनेको हिन्दू कहनेसे लज्जित नहीं होता। मेरे लिए हिन्दू होना गौरवकी बात है। यह जानता हूँ कि आज धर्मके नाम-पर घोर अनाचार होता है, जो धर्मोंपजीवी है उनमें सबसे अधिक अश्रद्धा है। चारों ओर दम्भ और कपटका बोलबाला है, यह सब निर्मम होकर दूर करना है। परन्तु यह भी जानता हूँ कि राखके नीचे आज भी आत्मात्मिकताकी वह सनातन चिनगारी छिपी हुई है जो कालसे अवच्छिन्न नहीं है। आज भी आवरणोंके नीचे वह धारा प्रवाहित है जो सिन्धु और सरस्वतीके तटपर सामगान करनेवाले ऋषियोंके आश्रमोंसे उद्भूत हुई थी। उसकी रक्षा करनी है। उसमें जो सञ्जीवनी शक्ति है वह हमको ही नहीं, मनुष्यमात्रको स्फूर्ति देगी। मैं हिन्दू हूँ, इसलिए सभी मतावलम्बियोंको समभावसे देख सकता हूँ। मुझको तो यह शिक्षा मिली है—

एक सद्दिशा बहुधा वदन्ति

(वह सत्यदार्थ एक है, विद्वान् उसे अनेक नामोंसे पुकारते हैं।) मैं अल्लाह और यावे और अहमर्जद और गॉडके नामसे उसीका आह्वान सुनता रहता हूँ।

और जब पुण्डन्तका यह कथन स्मरण करता हूँ कि

रुचीणा वैचित्र्याद्भुक्तुटिलनानापयजुषाम् ।

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥

(जैसे सभी नदियाँ समुद्रमें ही अन्ततोगत्वा नाना मागोंसे सीधे-टेढ़े वह कर मिल जाती हैं वैसे ही अपनी-अपनी रुचियोंके अनुसार सभी उपासक तेरा ही पूजन करते हैं) तो फिर किससे द्वेष करूँ ? किस उपासनाको झूठी बताऊँ ?

वैज्ञानिक कहानियोंके पढ़नेका मुझको रोग है। इस विषयकी मेरे पुस्तकालयमें बहुत-सी पुस्तकें हैं। आकाशयात्राके साहित्यमें भी मुझे बहुत दिलचस्पी है। कभी-कभी इस विषयपर लिखता, बोलता भी हूँ। मेरा ऐसा विश्वास रहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब मनुष्य चन्द्रमा ही नहीं, सौरमण्डलके दूसरे ग्रहोंतक भी पहुँच जायगा। अभी कुछ देर हो, पर दूसरे तारोंतक जाना भी असम्भव न होना चाहिये। ऐसी यात्राका क्या परिणाम होगा ? क्या अन्यत्र भी बुद्धियुक्त प्राणी मिलेंगे ? उनकी आकृतियाँ कैसी होगी ? जब दो सस्कृतियों और सभ्यताओंसे भेंट होगी तो क्या होगा ? युद्ध ? सहयोग ? जो मानवजाति अपना ही घर नहीं संभाल सकी है, जो नित्य आपसमें लड़ती रहती है, वह पृथिवीके बाहर जाकर दूसरे पिण्डोंके लिए अभिशाप ही तो होगी या उसका भविष्य भी सुधर जायगा ?

जिन दिनों मैं मुख्य मन्त्री था उन दिनों जो लोग मेरी कोठीपर आये होंगे उन्हेंने मेरी भूमिहीन खेती देखी होगी। मैंने बालू, कोयले और ईंटकी वजरीमें तरकारियों और फूलोंको पैदा किया है। पेड़ मिट्टी तो खाता नहीं, यदि उसका खाद्य रासायनिक द्रव्य उसको घोलकर दे दिया जाय तो वह बिना मिट्टीके रह सकता है। ऐसी खेती मरुभूमिको भी हरी बना सकती है। कई स्थानोंमें इसका प्रयोग हुआ है। यह बड़ा अच्छा शौक है।

अपने एक शौकका चर्चा पहिले भी कर चुका हूँ। तारोंको देखनेके पीछे कुत्तेके काटनेका वृत्त लिख चुका हूँ। यह शौक मेरा अवतक बना हुआ है। हमारे देशमें लगभग आठ महीने निर्मल आकाश मिलता है,

परन्तु कोई आँख उठाकर देखता ही नहीं। दूरबीनका हौआ बहुत-से लोगोको डरा देता है। वस्तुतः बहुत-सा काम यन्त्रके बिना हो सकता है। सरकारमे आनेके बाद मैने वेधालयकी बात सोची। कुछ यन्त्रोका संग्रह हुआ। पहिले काशीमे ही वेधालय स्थापित करनेकी बात सोची गयी परन्तु ज्योतिर्विदोने यह पसन्द नहीं किया। उन्होने नैनीतालको चुना। मैने चाहा कि भारत सरकार कुछ आर्थिक सहायता दे, पर वह राजी न हुई। हमने अपने ही बलपर चलाया। अब तो इस वेधालयने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। अमेरिकासे यन्त्रोके रूपमें सहायता मिली है, पृथिवीके वेधालयोमे इसकी ख्याति है। अब भारत सरकार भी सहायता देनेको विवश हो गयी है। परन्तु मै यह फिर दुहराता हूँ कि ज्योतिषके नये विद्यार्थीके लिए यन्त्रोकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीनकालमे बड़े-बड़े आविष्कार आँखोके सहारे ही हुए हैं। तारो और तारकपुजोको पहिचाननेके लिए तो यन्त्र आँखकी बराबरी कर ही नहीं सकते।

यह तो सिद्धान्तज्योतिषका विषय हुआ, परन्तु अपने शौकोका चर्चा करते मै अब ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ मेरा वह शौक आरम्भ होता है जिसको कुछ लोग सचमुच खन्त समझते हैं और जिसके कारण मुझको कई बार आलोचना-प्रत्यालोचनाके क्षेत्रमे उतरना पडा है। सिद्धान्तज्योतिष सर्वमान्य विज्ञान है परन्तु फलित ज्योतिष यूरोप-अमेरिकाके रहनेवाले गिधितोमेसे बहुतोकी दृष्टिमे विज्ञान नहीं, ठगविद्या है। उनका अनुकरण भारतमे भी हो रहा है। उन देगोमे, विशेषतः अमेरिकामे, ज्योतिषी है, ज्योतिषके विश्वासी हैं, एतद्विषयक वाङ्मय तैयार होता रहता है। कई गण्यमान्य लोग ज्योतिषपर आस्था रखते थे और है। परन्तु यह सब बातें तो प्रमाण नहीं हो सकती। हमारे प्रधान मन्त्री फलित ज्योतिषको विज्ञानाभास समझते हैं, उनकी नकल करके और बहुत-से लोग भी ऐसा ही कहते हैं। ऐसे लोगोको स्वयं ज्योतिषपर विश्वास न हो, यह बात नहीं है। घरपर चुपकेसे ज्योतिषीसे काम लेते हैं, बाहर इस शास्त्रकी निन्दा करते हैं। इससे उनके चरित्रका पतन होता

है, साथ ही ज्योतिषकी मर्यादा भी गिरती है। जब ज्योतिष निन्दास्पद है, तो ज्योतिषी भी निन्दास्पद है। उसमें दायित्वका भाव नहीं रह जाता। किसीको बुरा कहना और फिर जब वह गैर-जिम्मेदारीकी बात करे तो शिकायत करना अनुचित है। यदि ज्योतिषीकी कही हुई बात सच निकल आती है तो कह दिया जाता है कि यह आकस्मिक है।

मैं यह नहीं कहता कि ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है। अभी बहुत शोधकी आवश्यकता है। हमारे भारतीय ज्योतिषी शनिके आगेके ग्रहोंकी गति-विधिसे अपरिचित हैं परन्तु उनका प्रभाव भी कुछ-न-कुछ पडता ही होगा। सायन और निरयन गणनाका प्रश्न निपटाना है। पहिले तो देशका भविष्य राजाकी जन्मकुण्डलीसे निकाला जाता था। अब बहुत जगह राजा है ही नहीं, उनके भविष्य जाननेकी प्रक्रिया निकालनी होगी। यह सच है, फिर भी ज्योतिष विज्ञान है। यदि ज्योतिषीकी कुछ बातें ठीक निकले तो ज्योतिषको कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? रोगी मरते ही हैं परन्तु कोई चिकित्साशास्त्रको दोष नहीं देता। इस बातकी तो परीक्षा हो जानी चाहिये कि क्या ज्योतिषी डॉक्टरसे अधिक गलती करता है।

मैं स्वयं ज्योतिषी नहीं हूँ परन्तु ज्योतिषका समर्थन करता हूँ। किसी शास्त्रका अनुमोदन करनेके लिए उस शास्त्रका वेत्ता होना आवश्यक नहीं है। हमसे कितने लोगोंने उन कीटाणुओंको देखा है जो प्लेग या हैजाके वाहक हैं? कितने लोग आइस्टाइनके सापेक्षतासिद्धान्तको समझते हैं? फिर भी चिकित्साशास्त्र और गणितपर विश्वास किया ही जाता है।

कुछ लोग, जिनको अपने विज्ञानवित् होनेका दावा है, यह पूछ बैठते हैं कि ज्योतिष कैसे सच्चा हो सकता है, आकाशमें चलनेवाले ग्रहोंका मनुष्यके जीवनपर कैसे प्रभाव पड सकता है? मुझसे यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मेरे पास उत्तर है, परन्तु मैं ऐसे लोगोंका समाधान करनेसे इनकार करता हूँ, क्योंकि उनको वास्तविक जिज्ञासा नहीं है। उनका प्रश्न अवैज्ञानिक है। विज्ञानकी सुनिश्चित परम्पराएँ हैं। विज्ञानवित्

यो ही निराधार प्रश्नोके उत्तर नहीं दिया करता । यदि कोई यह पूछे कि श्रावणकी पूर्णिमाके दिन सूर्यमें हरा धब्बा क्यों देख पडता है, तो पहिले यह निश्चय करना होगा कि ऐसा धब्बा देख पडता भी है या नहीं । पहिले निर्विवाद दृग्विषय होने चाहिये, तब उनका कारण खोजा जाता है । न्यूटनने सेवको पेडसे नीचे गिरते देखा, उछाला हुआ पत्थर नीचे गिरता है, बिना सहारेके मनुष्य नीचे गिरता है, केप्लरने उन नियमोकी खोज की थी जिनके अनुसार ग्रह सूर्यकी परिक्रमा करते है । इन सब दृग्विषयोकी सत्ता सर्वमान्य थी । तब यह प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों होता है और न्यूटनने आकर्षणसिद्धान्तको उपजात करके इस प्रश्नका उत्तर दिया । यदि वस्तुएँ नीचे न गिरती और ग्रह एक निश्चित नियमके अनुसार राशिचक्रपर न घूमते, तो न प्रश्न उठता, न उत्तरकी आवश्यकता होती । यदि कोई व्यक्ति इन दृग्विषयोकी सत्ताको स्वीकार न करे तो उसको प्रश्न पूछनेका अधिकार न होगा, न वह उत्तर माँग सकता है । जो लोग ज्योतिषके सम्बन्धमें यह पूछते है कि ग्रहोंका मनुष्य-जीवनसे कैसे सम्बन्ध हो सकता है, मैं पहिले उनसे पूछता हूँ कि क्या वह उन घटनाओंको स्वीकार करते है जो ज्योतिषका आधार है ? क्या वह ऐसा मानते है कि ग्रह और जीवनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष है और ज्योतिषीकी बात सच्ची निकलती है ? यदि वह ऐसा नहीं मानते तो उन्हें ऐसा प्रश्न पूछनेका अधिकार नहीं है । यह हो सकता है कि जो व्यक्ति ज्योतिषपर विश्वास करता हो उसको ज्योतिषीके दिये हुए उत्तरसे सन्तोष न हो । तब नया उत्तर भी सोचा जा सकता है । चिरायता तो ज्वरमें लाभ पहुँचायेगा ही, चाहे कोई यह न बता सके कि ऐसा क्यों होता है । वस्तुओके परस्पर आकर्षणका जो कारण न्यूटनने बताया था आज आइस्टाइनने उससे भिन्न कारण बताया है ।

आवश्यकता इस बातकी है कि ज्योतिषकी सत्यता परखनेके लिए वैज्ञानिक ढंगसे खोज की जाय । ज्योतिष परलोकविषयक शास्त्र नहीं है । उसका विषय तो प्रत्यक्षमूलक है । दस-पाँच सालमें और दस-पाँच लाख

रूपोंके व्ययसे बहुत-कुछ निर्णय हो सकता है। किसी धनीमानी व्यक्ति इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं अपने खर्तोंकी सूची कहाँतक बढ़ाऊँ। बहुत लम्बी है। एक वातका और चर्चा करूँगा। मेरी यह दृढ धारणा है कि जबतक अपनी शिक्षामे सौन्दर्योपासनाको स्थान न देगे तबतक शिक्षा आ रहेगी, शिक्षित अकृत्स्न रहेगा। हमारे चारो ओर सौन्दर्यका सरोवर छ रहा है। आकाशके तारोंमे, चटकती हुई कलियोंमे, भ्रमरके गुञ्जापधियोंके कलरवमे, बच्चेके हँसनेमे, सौन्दर्य ही सौन्दर्य है। आँख खोल की, उस रसके प्रवाहमे निश्चेष्ट होकर अपनेको डाल देनेकी, आवश्यक है। बचपनसे ही और बातोंके साथ-साथ सौन्दर्यानुभूति और कविशेषतः कलाओके सम्राट्, सगीतकी शिक्षा मिलनी चाहिये। ३ कहती है 'रसो वै सः'—परमात्मा रसस्वरूप है, प्रकृति उसका आभू है। सौन्दर्यानुभूति शिवशक्तिकी अभिन्न युगलमूर्तिका दर्शन है।



